सितम्बर—दिसम्बर 1987 अंक 39

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

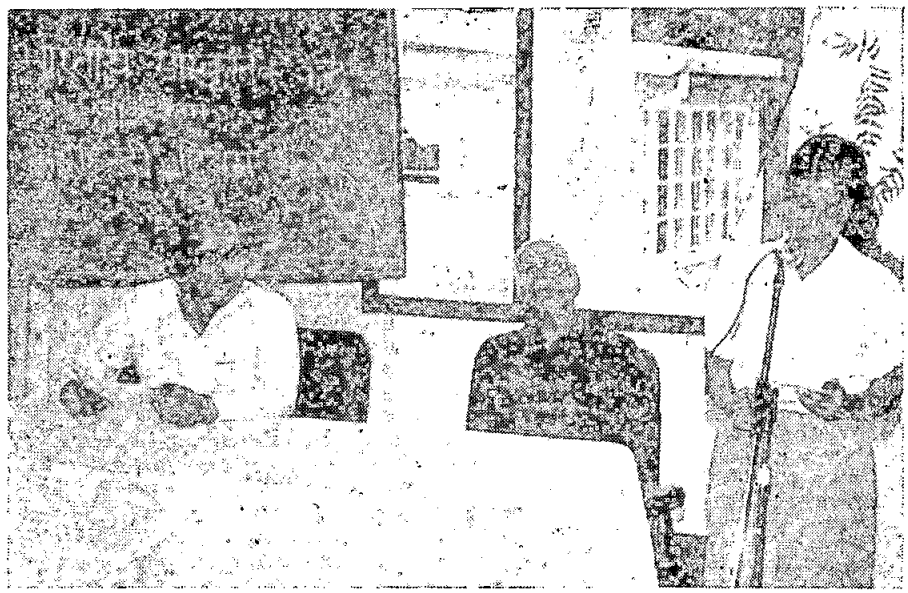

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जार्जटाउन की छात्रा कु. वासमती सिंह काव्य-पाठ करती हुई।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरूअनंतपुरम में हिन्दी संगोष्ठी "अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास" का उद्घाटन करते हुए केरल के राज्यपाल महामहिम श्री पी० राम चन्द्रन

# राजभाषा भारती

## राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

आश्विन—अग्रहायण 1909 शक
सितम्बर—दिसम्बर 1987

वर्ष : 10
अंक : 39

संपादक
डॉ. महेशचन्द्र गुप्त
निदेशक (अनुसंधान)

उप संपादक
डॉ. गुरुदयाल बजाज

पत्र व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
फोन : 617807/690613

(निःशुल्क वितरण के लिए)

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभ्युक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

विषय सूची

सम्पादकीय
पाठकों के पत्र

| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ० चिन्तन | | |
| 1. विज्ञान में हिन्दी प्रयोग की संभावनाएं | डॉ. ओम् विकास | 4 |
| 2. राजभाषा हिन्दी राष्ट्रभाषा है | श्री जगदम्बी प्रसाद यादव | 7 |
| ० साहित्यिकी | | |
| 3. आनुवंशिकी शिक्षा और हिन्दी भाषा | डॉ. आर.के. सिंह | 9 |
| ० पुरानी यादें – नए परिप्रेक्ष्य में | | |
| 4. हिन्दी सीखने का मेरा प्रेरणा स्रोत | श्री सन्तराम बी.ए. | 12 |
| ० विश्व हिन्दी दर्शन | | |
| 5. जार्जटाउन में हिन्दी दिवस | | 16 |
| 6. सुरीनाम में हिन्दी दिवस | | 16 |
| 7. गयाना में मुक्तिपर्व-40 | | 17 |
| ० समिति समाचार | | |
| 8. (क) मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें :— | | 19 |
| 1. विधि और न्याय मंत्रालय | | |
| 2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय | | |
| 3. संसदीय कार्य मंत्रालय | | |
| 4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महानगर विकास विभाग | | |
| 5. राजस्व और व्यय विभाग | | |
| (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें— | | 25 |
| 1. तिरुअनन्तपुरम (बैंक) 2. मद्रास 3. मंगलूर 4. पारादीप 5. हैदराबाद 6. बम्बई (बैंक) 7. लुधियाना 8. पटना (बैंक) 9. इज्जतनगर 10. जबलपुर 11. इन्दौर 12. रोहतक | | |

(ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें — 35

1. मयिलाडुतुरै (रेलवे)
2. अनारा (दक्षिण पूर्व रेलवे)
3. गोवा (खनिज एवं धातु व्यापार निगम)
4. गुवाहाटी (रिफाइनरी)
5. नई दिल्ली (रा. विमान पत्तन प्राधिकरण)
6. वामर लारी एण्ड कं. लि. नई दिल्ली
7. इंडियन आयल कार्पोरेशन, नई दिल्ली

○ राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियों का आयोजन 40

1. विक्रम सारा भाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुअनन्तपुरम में आन्तर–केन्द्र संगोष्ठी एवं कार्यशाला
2. के.रि.पु. बल, (द.सै.), हैदराबाद में हिन्दी सम्मेलन
3. जयपुर : भारतीय स्टेट बैंक में विचार गोष्ठी
4. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में राजभाषा सम्मेलन
5. पटना : हिन्दी सेवा सम्मान समारोह

○ हिन्दी के बढ़ते चरण 45

1. मदुरै मण्डल (दक्षिण रेलवे) में हिन्दी का प्रचार-प्रसार
2. केनरा बैंक की राजभाषा-क्षेत्र में उपलब्धियां
3. आकाशवाणी केन्द्र, रोहतक में हिन्दी के बढ़ते चरण

○ हिन्दी दिवस/सप्ताह आयोजन 49

○ हिन्दी कार्यशालाएं 79

○ विविधा 86

1. विभागीय समाचार
2. समाचार दर्शन

○ आदेश – अनुदेश 92

# सम्पादकीय

राजभाषा 'भारती' में प्रकाशित सामग्री पर पाठकों की प्रतिक्रिया का सहर्ष स्वागत है। मुरगांव पत्तन-न्यास के एक हिन्दीतर भाषी अधिकारी श्री एस. ई. राव ने लिखा है, "हिन्दी प्रदेशों में हिन्दी दिवस अथवा सप्ताह के अवसर पर सिर्फ कवि-सम्मेलन अथवा विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन तक ही अपने को सीमित न रखें। भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी को एक अनिवार्य विषय बनाया जाए···हिन्दी की प्रगति को रोजी-रोटी के साथ जोड़ दिया जाए।··· वैसे हिन्दी की प्रगति धीरे-धीरे करना है, फिर भी जब तक प्रगति की शुरूआत निरन्तर नहीं होती है तब प्रगति होगी कैसे? अर्थात हिन्दी की प्रगित के लिए कहीं न कहीं तो हमें अनिवार्य रूप में हिन्दी में काम लेना ही पड़ेगा। सिर्फ स्वेच्छा से हिन्दी की उतनी प्रगति नहीं होगी।"

श्री राव ने जो मुद्दे उठाए हैं, वे महत्वपूर्ण और विचारणीय हैं। हिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी को दैनन्दिन जीवन में वह स्थान प्राप्त नहीं है तो फिर हिन्दी-भाषी किस मुख से अहिन्दी भाषी भाइयों से कहें कि वे राजभाषा हिन्दी को पूर्णरूपेण व्यवहार में लाएं।

जहां तक 'हिन्दी दिवस' के आयोजन का प्रश्न है, उसके बारे में अद्यतन स्थिति यह है कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रमों में अब तक इतना ही कहा जाता रहा है कि वर्ष में एक बार हिन्दी दिवस अथवा हिन्दी सप्ताह मनाया जाए। इसके लिए कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जाती थी। किन्तु अब निर्णय लिया गया है कि 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाए तथा हिन्दी सप्ताह आयोजन भी इसी दिन से प्रारम्भ किए जाएं क्योंकि सन 1949 में इसी तारीख को संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यदि चौदह सितम्बर अवकाश का दिन होता है तो उपर्युक्त आयोजन इससे ठीक परवर्ती कार्यदिवस में किए जाएं। इन आयोजनों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार से जुड़ी स्वंयसेवी संस्थाओं को भी सहयोजित किया जाए।

'हिन्दी दिवस आयोजन' मात्र औपचारिकता के निर्वाह के लिए ही आयोजित न किए जाएं, बल्कि इस दिन नए उत्साह और निष्ठा से हम अपने दैनन्दिन कार्यों में हिन्दी को व्यवहार में लाने का संकल्प लें। कथनी और करनी के अन्तर को दूर करते हुए हम हर प्रकार का पत्र-व्यवहार – रेल, डाक-तार, बैंक आदि सेवाओं से सम्पर्क, नाम पट्ट, निमन्त्रण-पत्र, पत्र शीर्ष, बातचीत आदि अर्थात जीवन के प्रत्येक पक्ष में हिन्दी का प्रयोग करते हुए आदर्श प्रस्तुत करें, तब हमारे समस्त देशवासी राजभाषा हिन्दी को वह स्थान स्वतः ही देंगे, जिसकी वह अधिकारिणी है।

देश में वर्ष 1987 मुक्ति पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। देश में राजभाषा हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को वह स्थान प्राप्त होना चाहिए, जो संविधान निर्माताओं ने निश्चित किया है। इस मुद्दे का खुलासा किया है श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने 'राजभाषा हिन्दी राष्ट्र-भाषा है' लेख में। डा. ओम विकास ने 'विज्ञान में हिन्दी प्रयोग की संभावनाएं' लेख में कम्प्यूटर विज्ञान में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की संभावनाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आनुवंशिकी के जनक आस्ट्रिया निवासी जॉन ग्रेगर मेण्डल की निष्पत्ति को कृषि विशेषज्ञ डा. आर. के. सिंह ने हिन्दी पद्य/गद्य के माध्यम से निरूपित किया है। डा. सिंह के इस अनूठे प्रयास से कृषि-जगत में हिन्दी प्रयोग की संभावनाओं का क्षेत्र विकसित होगा।

'पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य में' स्तंभ के अंतर्गत हिन्दी के क्रांतिकारी लेखक और समाजसुधारक श्री संतरामजी बी. ए. का लेख 'हिन्दी सीखने का मेरा प्रेरणा स्रोत जोड़ दिया गया है। प्रस्तुत लेख में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, 'सम्पादक' सरस्वती पत्रिका के भाषा की अभिव्यक्ति संबंधी सुझाव अनुकरणीय हैं।

हिन्दी दिवस पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ परन्तु इससे भी बड़ी बात यह है कि विदेशों में भी यह पर्व सोत्साह मनाया गया। 'विश्व हिन्दी दर्शन' में सूरीनाम, गयाना (अफ्रीका), जार्ज टाउन आदि में आयोजित समारोहों के आलेख पाठकों के लाभार्थ प्रस्तुत हैं। 'राजभाषा भारती' के लिए इस समारोह की रिपोर्टें इतनी अधिक मात्रा में आई हैं कि इन सब का समावेश इस अंक में संभव नहीं था, अतः शेष सामग्री अगले अंक में देने का प्रयत्न रहेगा।

शेष स्तम्भ—'समिति समाचार', 'हिन्दी के बढ़ते चरण', 'हिन्दी-कार्यशालाएं', 'विविधा' आदि पूर्ववत हैं। 'आदेश-अनुदेश' स्तम्भ के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े व्यक्तियों के मार्ग दर्शन हेतु उद्धृत किए गए हैं। □

---

**सूचना**

पंजीयन की दृष्टि से राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'राजभाषा संदेश' (अंक 29) के बाद सितम्बर 1987 से **'राजभाषा पुष्पमाला'** का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया है।

---

# पाठकों के पत्र

मुरगांव पत्तन न्यास के हिन्दीतर भाषी अधिकारी श्री एस. ई. राव के राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए उठाए गए प्रश्न उल्लेखनीय हैं —

राजभाषा भारती—अंक 35 (अक्तूबर-दिसम्बर 1986) की प्रति प्राप्त हुई। इसमें छपे लेख पढ़ने को मिले। हिन्दी को राजभाषा का दर्जा सही माने में तभी मिलेगा जब इसे प्राथमिक शिक्षा स्तर से लेकर कालेज स्तर तक बाकायदा अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। दूसरा उपाय हिन्दी की प्रगति को रोजी रोटी के साथ जोड़ दिया जाए, तभी हिन्दी राजभाषा बनेगी अन्यथा सरकारी कामकाज में अंग्रेजी अपना स्थान बरकरार रखेगी।

उक्त अंक में दिए गए समाचार के अनुसार विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हिन्दी दिवस/सप्ताह मनाया गया है। ... क्या हिन्दी दिवस और हिन्दी सप्ताह अथवा हिन्दी कार्यशालाओं के अवसर पर सिर्फ कवि सम्मेलन अथवा हिन्दी भाषा के महत्व को बताने से ही हिन्दी की प्रगति होगी? तब आप सोचिए कि गैर-हिन्दी प्रदेशों में हिन्दी का वातावरण बनाने के लिए वहां काम कर रहे अधिकारियों पर कितनी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती है। इन प्रदेशों में स्थानीय भाषा पर जोर दिया जाता है और साथ ही अंग्रेजी पर। फिर भी इन अधिकारियों ने हिन्दी के लिए काम करना छोड़ा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हिन्दी प्रदेश एक आदर्श बने कि वे सारा काम हिन्दी में कर रहे हैं। हिन्दी प्रदेशों में हिन्दी दिवस अथवा सप्ताह के अवसर पर सिर्फ कवि सम्मेलन अथवा विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन तक ही वे अपने को सीमित न रखें।

आगे मेरा सुझाव है कि भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी एक अनिवार्य विषय बनाया जाए। जो उम्मीदवार अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी विषय में भी उत्तीर्ण होता है, उसी को नियुक्ति पत्र भेज दिया जाए ताकि इस प्रकार के कर्मचारी अथवा अधिकारी से हिन्दी में काम लिया जाए। ... अर्थात् हिन्दी की प्रगति के लिए कहीं न कहीं से हमें अनिवार्य रूप में हिन्दी में काम लेना ही पड़ेगा। सिर्फ स्वेच्छा से हिन्दी की उतनी प्रगति नहीं होगी जितनी कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित की जाती है अथवा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा सही माने में देने के लिए यह सब आवश्यक है।

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के हिन्दी विभागाध्यक्ष तथा अध्यक्ष, भाषा संकाय डा. हरिशचन्द्र वर्मा की मान्यता है कि—

'राजभाषा भारती' (अंक 36) में सम्पादन कला का उच्च निदर्शन मिलता है। सामग्री प्रामाणिक और विचारपूर्ण है। सभी लेख स्थायी महत्व के हैं। ऐसी पत्रिकाएं हिन्दी में विरल हैं। 'राजभाषा भारती' के गौरवमय अंकों के माध्यम से हिन्दी की महती सेवा हो रही है।

ऐसे महान सारस्वत अनुष्ठान के उपलक्ष्य में मैं हार्दिक बधाइयां देता हूं। इसी प्रकार के सात्विक प्रयासों से हिन्दी अपना अपेक्षित वर्चस्व अधिगत कर पाएगी।

□

यूनियन बैंक आफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय मद्रास—600017 के श्री धनराज चोपड़ा का मत है —

'राजभाषा भारती' का अंक 36 प्राप्त हुआ। राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार में यह पत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। बहु आयामी इस पत्रिका के माध्यम से न केवल विभिन्न विद्वानों के उपयोगी लेख पढ़ने का अवसर मिलता है बल्कि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों की नवीनतम जानकारी भी मिलती रहती है। राजभाषा विभाग द्वारा 'राजभाषा भारती' के प्रकाशन के रूप में किया जाने वाला यह कार्य निःसंदेह सराहनीय है।

□

श्री अखिलेश स्नातक, टी. डी. एक्स—87 आदिपुर-370205 (कच्छ) लिखते हैं कि—

'राजभाषा भारती' पत्रिका बहुत ही सर्वोत्तम लगी। जैसे-जैसे मैंने पत्रिका का अध्ययन किया, वैसे-वैसे ही मेरे अंदर राष्ट्रभाषा की सेवा करने के उत्साह में वृद्धि हुई।

□

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बेंगलूर—560025 से श्री ए. बी. यादव का कहना है कि—

'राजभाषा भारती' के कुछ पुराने अंक देखने को मिले। पत्रिका में प्रकाशित लेख बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्द्धक लगे। पत्रिका से विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिन्दी के प्रयोग के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी पता चलता है।

□

दीमापुर (नागालैण्ड) स्थित अपर पुलिस उप-महानिरीक्षक के कार्यालय के सहायक उप-निरीक्षक श्री कमलेश कुमार झा के अनुसार—

'राजभाषा भारती' (अंक 36) एवं राजभाषा संदेश (अंक-26) पढ़ने का मौका मिला। पत्रिकाएं आपके द्वारा नियमित रूप से हमारे कार्यालय में भेजी जाती हैं तथा सभी कर्मचारी बड़े चाव से पढ़ते हैं। इस पत्रिका में हिन्दी से संबंधित विभिन्न विषयों पर अच्छे-अच्छे लेख रहते हैं, जिनसे राजभाषा हिन्दी के बारे में नवीनतम एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती हैं।

'राजभाषा भारती' अंक 36 में श्री कृष्णचन्द्र गुप्त का लेख 'राजभाषा एवं राष्ट्रीय एकता', श्री भैरवनाथ सिंह का 'अनुवाद कार्य में संदर्भ ग्रंथों की उपयोगिता' एवं श्री जगन्नाथ का 'भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की सुविधा' बहुत ही रोचक एवं प्रभावित करने वाले थे।

□

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के हिन्दी विभाग में प्रोफेसर डा. (श्रीमती) पुष्पा बंसल का विश्वास है कि—

'पत्रिका (राजभाषा भारती—अंक 36) पूरी पढ़ गई हूं। राजभाषा के संबंध में इतनी जानकारी इसके प्रचार-प्रसार के लिए इतनी प्रेरणा तथा इसके प्रसार-कार्य में सफलता के लिए इतना विश्वास कभी पहले अनुभव नहीं हुआ था।

सामान्यतः वर्तमान हिन्दी भाषा की वैज्ञानिक/तकनीकी अभिव्यक्ति असमर्थता तथा एतत्सम्बंधी सरकारी अकर्मण्यता दोनों को ही झुठलाती है यह पत्रिका तथा इसमें प्रदत्त सूचनाएं।

कृपया इसकी गति को यों ही बनाए रखें—जनचेतना परिवर्तन में यह उपयोगी सिद्ध होगी।

□

एस. ए. एस. नगर (चण्डीगढ़) से भारत सरकार के उपक्रम—सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लि. के श्री वीरेन्द्र राय ने महसूस किया है :—

लम्बे समय से राजभाषा भारती पत्रिका नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। हिन्दी कार्यान्वयन के राह दर्शन में पूर्णतः सफल पत्रिका 'राजभाषा भारती' का कोई सानी नहीं है। स्वदेश के साथ-साथ विदेशों में हिन्दी के परिवर्द्धन की दिशा में उठाए गए कदमों का सुरुचिपूर्ण विवरण निःसंदेह हमें हिन्दी सीखने और अपनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही यह हमारे दायित्वों को सुनिश्चित करने व उनके प्रति हमारी जागरूकता बनाए रखने में भी सहायक है।

□

श्री जगपतिशरण निगम, पूर्वोत्तर रेलवे (मं.रे.प्र.—रामा), लखनऊ की राय है—

'राजभाषा भारती' का अंक 36 मैंने देखा। यह अंक भी अन्य अंकों की तरह ज्ञानवर्द्धक सामग्री सम्पन्न तथा संग्रहणीय है। वस्तुतः यह पत्रिका राजभाषा के कार्य में लगे लोगों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है।

बस्तर (म. प्रदेश) के जय प्रकाश मेमोरियल सेन्टर के मंत्री श्री महेन्द्र प्रताप पाण्डेय ने महसूस किया है कि—

'हम लोग राजभाषा पत्रिका का परिशीलन किए तथा पाए हैं कि वास्तव में सोसाइटी के सदस्यों के लिए यह पत्रिका बहुत ही उपयोगी है, जिससे सदस्य (उक्त सेण्टर) राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार में भागीदारी ले सकते हैं।

□

इलाहाबाद बैंक (मण्डलीय कार्यालय) कानपुर—208002 के राजभाषा अधिकारी श्री एम. एल. पाल की दृष्टि में—

'राजभाषा भारती' के कुछ अंक हमें देखने को मिले। प्रत्येक अंक में सुयोग्य संपादन की छाप है। राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने हेतु, निश्चय ही, 'राजभाषा भारती' एक सार्थक प्रयास है।

□

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, के. स. स्वा. योजना, 117/617, पाण्डुनगर, कानपुर की सम्मति है—

'राजभाषा भारती' हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दिशा में एक उपयोगी तथा सम्पूर्ण त्रैमासिक पत्रिका है। राजभाषा को और प्रभावी ढंग से लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का संकलित तथा समेकित रूप इस त्रैमासिकी के माध्यम से पाठकों को सहज ही उपलब्ध हो जाता है। इस के अतिरिक्त भारत सरकार के अधीन सरकारी कार्यालयों, निगमों एवं उपक्रमों में राजभाषा हिन्दी की स्थिति की एक झलक भी मिल जाती है।

कुल मिलाकर "राजभाषा भारती" का प्रकाशन हिन्दी के उत्थान के लिए एक प्रशंसनीय महा-अभियान है।

□

हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि., हंस भवन, ब. जं. मार्ग, नई दिल्ली का मानना है कि—

'राजभाषा भारती' हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु की अद्भुत पत्रिका है। हिन्दी की प्रगति के उद्देश्य से आप की पत्रिका बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है।

□

चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन (वर्धमान) पश्चिम बंगाल से श्रीमती शान्ता इबनाती लिखती हैं कि—

'राजभाषा भारती' का 36वां अंक प्राप्त हुआ। यह पत्रिका विशेष रूप से अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, कारखानों आदि में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए एक प्रेरणा है।

राजभाषा भारती

मैं पश्चिम बंगाल के चितरंजन रेल इंजन कारखाना में इसकी विशेष उपयोगिता समझती हूं। इस पत्रिका के माध्यम से मुझे हिन्दी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में देश के कोने-कोने से होने वाली प्रतिक्रियाओं का अनुभव मिलता है जो मेरे कार्य में अत्यन्त सहायक साबित हुआ है। आपकी पत्रिका निःसन्देह हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए सही मार्गदर्शिका है।

नागर विमानन भवन, रा. कृ. पुरम, नई दिल्ली स्थित हिन्दी टाइप लेखन/आशुलिपि केन्द्र के प्रभारी सहायक निदेशक श्री मातबर सिंह कठैत की कामना है कि—

"राजभाषा भारती" के स्थाई स्तम्भों के माध्यम से राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति के संबंध में जो जानकारियां पाठकों तक पहुंचती हैं, निःसन्देह अत्यत उपयोगी है। "हिन्दी के बढ़ते चरण" स्तम्भ में प्रकाशित सामग्री को पढ़कर तो ऐसा आभास होता है कि देश के कोने-कोने में राजभाषा हिन्दी के प्रति लोगों का उत्साह और रुझान निरंतर बढ़ता जा रहा है।

पत्रिका के 36व अंक में श्री रमेशचन्द्र निझावन के लेख "हिंदी ब्रेल आशुलिपि" से एक नई जानकारी प्राप्त हुई है। इस प्रकार के उपयोगी लेखों का पत्रिका में प्रकाशन वास्तव में प्रशंसनीय है। इसी प्रकार यदि हिन्दी आशुलिपि एवं हिंदी टाइपलेखन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लेख आमंत्रित कर पत्रिका में छाप सकें तो इस क्षेत्र से जुड़े असंख्य पाठक लाभान्वित होंगे।

'राजभाषा भारती' प्रत्येक अंक का नई उपलब्धियों व नई आशाओं के साथ उत्कृष्ट रूप में प्रकाशित होकर पाठकों तक निरंतर पहुंचता रहे, यही कामना है।

श्री एस. बी. हलदुले, ग्रुप कैप्टन कमान शिक्षा अफसर, भारतीय वायु सेना, नागपुर–440007 के विचारानुसार—

'राजभाषा भारती' राष्ट्रभाषा के प्रयोग की प्रेरणा स्रोत तथा हिन्दी सम्बन्धी विशिष्ट जानकारियो से सन्निहित एक उपयोगी त्रैमासिकी है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर, राजभाषा पदाधिकारी, पटना का कहना है कि—

राजभाषा भारती का 36वां अंक (जनवरी-मार्च 1987) अनेक ज्ञानवर्धक सामग्रियों से ओत प्रोत है। कृष्णचन्द्र गुप्त राष्ट्रीय एकता में सहायक राजभाषा हिन्दी की महता मेखनाथ सिंह ने अनुवाद कार्य में संदर्भ ग्रंथों की उपयोगिता, आनन्द प्रकाश ने नई शिक्षा व्यवस्था में भारतीय भाषाओं के महत्व श्री रत्न प्रकाश ने भारतीय शिक्षा में तकनीकी हिन्दी की उपयोगिता पर अपने अपने लेखों में बड़े सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला है। अन्य सभी स्थायी स्तम्भ काफी रोचक हैं। इनसे हिन्दी की चतुर्दिक प्रगति की झलक मिलती है। किन्तु पुस्तक समीक्षा के स्तम्भ का आभाव खटकता है।

केनरा बैंक, मण्डल कार्यालय, जयपुर से रमेश चन्द्र लिखते हैं कि—

राजभाषा भारती में लेखों का संग्रह उत्कृष्ट कोटि का होता है जो हमारे लिए काफी ज्ञानवर्धक है।

## विज्ञान में हिन्दी प्रयोग की सम्भावनाएं

□डा० ओम विकास

विज्ञान का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है—विज्ञान — वि + ज्ञान, विशेष रूप से जाना हुआ। प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करके विश्लेषण और परीक्षण द्वारा किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना विज्ञान माना जाता है। सुगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान "विज्ञान" है। व्यक्त पदार्थों के मूल में किसी एक मूल द्रव्य की संभावना, अर्थात् अनेकत्व में एकत्व की स्थापना की संभावना ने विज्ञान को बढ़ाया।

विज्ञान के आधार पर उपायों, प्रक्रमों और यंत्र-निर्माण की कार्यविधि को "टैक्नोलाजी" के अंतर्गत रखते हैं।

औद्योगिक विकास में विज्ञान और टैक्नोलाजी का विशेष योगदान है। विज्ञान और टैक्नोलाजी के क्षेत्र में प्रगतिमूलक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि समूचे समाज का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो।

समाज विज्ञान को तभी आत्मसात कर सकता है जब उसकी अभिव्यक्ति लोकभाषा में हो।

लोक भाषा में विज्ञान अपेक्षित है। लेकिन विकासशील भारत में ऐतिहासिक कारणों से जनसामान्य सुलभ विज्ञान से भी वंचित रहा है।

आज जब आयात की आवश्यकता निरन्तर बढ़ती जा रही है, विज्ञान एवं टैक्नोलाजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मृगतृष्णा बनी हुई है, जनसामान्य के जीवन स्तर में यथेष्ट सुधार नहीं हुआ है, तब सिंहावलोकन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि समूचे समाज में वैज्ञानिक जागृति हो और जनसामान्य में आविष्कारोन्मुखी प्रवृत्ति का विकास हो। उल्लेखनीय है प्रधानमंत्री के विज्ञान सलाहकार प्रो. एम. जी. के. मेनन का कथन —

> "राष्ट्र के विकास में विज्ञान और टैक्नोलाजी का महत्वपूर्ण योगदान है लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है जन-सामान्य आविष्कारोन्मुखी बनें।"
> (लोक विज्ञान प्रसार की चुनौतियां, 1986)

विज्ञान जब लोक विज्ञान बनेगा तो उसकी अभिव्यक्ति निःसंदेह लोकभाषा में होगी। हिन्दी संविधान स्वीकृत राजभाषा है और बहुजन स्वीकृत राष्ट्रभाषा है।

अंग्रेजों के षड्यंत्रों, "शासन के कुचक्र" को काटने के लिए हिन्दी ने देशवासियों को जोड़ा। हिन्दी सरल भाषा है, अधिकांश समझते हैं और इसे बोलने वालों में भाषायी सहिष्णुता भी है। व्याकरण, वर्तनी और उच्चारण के अर्थसंगत भेद हिन्दी के प्रयोग में कदापि बाधक नहीं बने। हिन्दी के साहित्य में जीवनोपयोगी कथानक भी अनेक हैं।

हिन्दी लोकभाषा है, सरल भाषा है और एकता की भाषा है। प्रायः वैज्ञानिक मित्रों से हिन्दी व्यवहार की उनकी करुण कहानी सुनने को मिलती है। विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी में काम करने वालों को तकनीकी प्रशासन का कोप भाजन बनना पड़ता है। हिन्दी में उनकी अभिरुचि को वैज्ञानिक स्तर में कमी के रूप में आंका जाता है। पदोन्नति में देरी भी सहनी पड़ती है। वैज्ञानिकों का हिन्दी आशुलिपिकों की सुविधा नहीं मिल पाना आदि विडंबनाओं के बीच लोकहिताय हिन्दी को लक्ष्य बनाकर हिन्दी में काम करने वालों की दशा का हम सभी अनुमान लगा सकते हैं।

85 प्रतिशत जनता ग्रामवासिनी है और जब तक जन-सामान्य का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं होगा तब तक प्रगतिमूलक, आत्मनिर्भरता मात्र मृगतृष्णा बनी रहेगी। अनुवाद के सहारे हिन्दी को विज्ञान के क्षेत्र में समृद्ध बनाने के कार्य में विशेष सफलता नहीं मिली है। प्रायः अनुवाद विषय के अर्थ को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाएं हैं और उनकी शैली भी प्रभावपूर्ण नहीं रही है। उनमें संप्रेषणीयता का अभाव देखा जाता है। इसलिए मौलिक लेखन से विज्ञान को जनसामान्य तक पहुंचाने का काम करना पड़ेगा।

सामाजिक दायित्व को सच्चाई से निभाने के लिए वैज्ञानिक लोकभाषा में विज्ञान लेखन के लिए प्रवृत्त होते हैं और उसे मिशनरी भाव से आगे बढ़ाने को प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें समुचित वातावरण और सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम सभी को यथाशक्ति प्रयास करने चाहिएं।

मोहर, लिफाफे, नामपट्ट मात्र द्विभाषिक करा देने से संतोष कर लेना और हिन्दी में व्यवहार के लिए वैज्ञानिकों की अभिरुचि की उपेक्षा और उन्हें यथा आवश्यक सुविधाएं प्रदान कराने में पहल न करना समयोचित न होगा।

आवश्यक है कि राजभाषा विभाग विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी व्यवहार को सही अर्थों में कार्यान्वित करने के लिए 10 वर्ष की राष्ट्रीय कार्यनीति सुनिश्चित करें जिसमें सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में हिन्दी प्रयोग की समस्याओं, उनके समाधान और संवर्द्धन के लिए उपाय और लक्ष्य विन्दु निश्चित किए जाएं। राजभाषा विभाग के अन्तर्गत अनुवाद प्रक्रिया पर पुनर्विचार हो और इसमें उपयोगी वैज्ञानिक अनुवाद पर बल दिया जाए। सरकारी विभागों की वार्षिक रिपोर्ट और कुछ तकनीकी रिपोर्ट मौलिक रूप से हिन्दी में लिखे जाने के लिए प्रेरित किया जाए। हिन्दी अधिकारियों की क्षमता का मापदण्ड वैज्ञानिकों के द्वारा मौलिक हिन्दी लेखन में अभिवृद्धि बनाया जाए।

हिन्दी अकादमियां अपने कार्य की इतिश्री हिन्दी साहित्य तक मानती है और कभी-कभार एक दो अति प्रसिद्ध वैज्ञानिक को सम्मान देती है। लेकिन प्रायः इन्हें विज्ञान जगत से कोई विशेष सरोकार नहीं रहता। हिन्दी के दो पक्ष स्पष्ट हैं (1) साहित्यिक, (2) तकनीकी। साहित्यिक पक्ष सबल होते रहे हैं लेकिन तकनीकी पक्ष अभी अपेक्षित स्तर तक सबल नहीं हो सका है। विज्ञान एवं टैक्नोलाजी के दायित्वों का निर्वाह तकनीकी हिन्दी के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है और इस प्रकार जनसामान्य को विज्ञान की उपलब्धियों की सही जानकारी दी जा सकती है। इसलिए सभी हिन्दी संस्थाओं को हिन्दी के साहित्यिक और तकनीकी, दोनों पक्षों के साथ समान दृष्टि अपनानी चाहिए और समुचित न्याय देना चाहिए।

हिन्दी के प्रयोग के मूल में शिक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ है। आवश्यक है कि लोकभाषा हिन्दी के माध्यम से विज्ञान और गणित के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध आदि की व्यवस्था करें।

विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभागों को यह विचार करना चाहिए कि आज के संदर्भ में हिन्दी के शोध विज्ञान की दिशा में हो। कुछ शोध विषय इस प्रकार के हो सकते हैं:—

1. हिन्दी में तकनीकी लेखन की परम्परा, 2. हिन्दी में वैज्ञानिक शोध साहित्य, 3. हिन्दी का विज्ञान साहित्य, 4. हिन्दी में विज्ञान कथाएं, 5. वैज्ञानिकों का तकनीकी हिन्दी के विकास में योगदान।

कुछ अन्य शोध विषय इस प्रकार प्रस्तावित हैं :

1. हिन्दी के लिए टैक्नालॉजी के विकास का इतिहास, 2. कम्प्यूटर से हिन्दी भाषा का शिक्षण, 3. हिन्दी में कम्प्यूटर की शिक्षण की संभावनाएं, 4. कम्प्यूटर में भाषा विश्लेषण, 5. हिन्दी के लिए टाइपराइटर का विकास, 6. हिन्दी के लिए टेलिप्रिंटर का विकास, 7. हिन्दी के लिए देवनागरी कम्प्यूटर का विकास, 8. भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास एवम् राष्ट्रीय एकता, 9. हिन्दी में पेटेंट कराने की व्यवस्था, 10. अनुवाद का मूल्यांकन, 11. विज्ञान प्रसार समस्याएं और संभावनाएं 12. ग्रामीण विकास के संदर्भ में भौतिकी के मूलभूत सिद्धान्त, 13. बैसिक अभिव्यक्ति शब्दावली, 14. बेसिक विज्ञान शब्दावली, 15. कम्प्यूटर से शिक्षण साफ्टवेयर का समीक्षात्मक अध्ययन, 16. कम्प्यूटर के रचनात्मक सोफ्टवेयर का विश्लेषणात्मक अध्ययन, इत्यादि।

सरकारी तकनीकी विभागों में कम्प्यूटर एवं संचार के क्षेत्र में हिंन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं हैं। आवश्यक टैक्नोलाजी का विकास करने के लिए परियोजनाओं को और अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए और उनके कार्यों का विधिवत् निरीक्षण और समन्वय करना चाहिए। कम्प्यूटर के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं का प्रयोग इलेक्ट्रानिक विभाग की परियोजनाओं से साकार हो सका है। संचार मंत्रालय ने धीरे-धीरे द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर का निर्माण भी प्रारम्भ करा दिया। व्यापार, प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली प्रक्रिया सामग्री को हिन्दी में तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों को समन्वित प्रयास करने पड़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी की स्थिति दयनीय है। सरकारी अनुवाद की सुविधा होने पर भी स्कूली स्तर पर विज्ञान पुस्तकें हिन्दी में अनुवाद की जाती है, मौलिक नहीं लिखी जाती। स्कूल में भेजे गए कम्प्यूटरों पर हिन्दी में साफ्टवेयर दिया जाए। केन्द्रीय विद्यालयों में विज्ञान और गणित की शिक्षा अंग्रेजी में जारी रहने से बच्चे प्रायः अंग्रेजी को ही रटने में लगे रहते हैं। बच्चों में रचनात्मक वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास रुकता है।

**स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका**

सरकारी प्रयासों के साथ-साथ स्वैच्छिक संस्थाओं की विशेष भूमिका है। जो वैज्ञानिक हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दिशा में सरकारी दायित्व नहीं निभा रहे हैं उन्हें इन संस्थाओं के माध्यम से अपने-अपने ढंग के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का अवसर मिलता है। इस दिशा में हिन्दी साहित्य सेवी संस्थाएं तो अनेक हैं लेकिन हिन्दी के माध्यम से विज्ञान-सेवी संस्थाएं बहुत कम हैं। एकलव्य (भोपाल), विकास भारती (गुमला), विज्ञान परिषद् (इलाहाबाद) और लोक विज्ञान परिषद् (दिल्ली) के उद्देश्य एवं कार्य उल्लेखनीय हैं। आवश्यकता है कि वर्तमान हिन्दी संस्थाओं में तकनीकी पक्ष को प्रोत्साहित किया जाए और वैज्ञानिक संस्थाओं में हिन्दी प्रयोग संवर्धन के लिए प्रयास किए जाएं।

**विज्ञान अनुवाद**

निःसंदेह एकदम मौलिक लेखन से हम विज्ञान साहित्य को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं करा सकते। इसलिए प्रारम्भिक वर्षों में उपयोगी विज्ञान अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। उपयोगी अनुवाद की विशेषताएं हैं —बोधगम्यता, उपयुक्त शब्द चयन, आवश्यक है। इसके अतिरिक्त

एनसेक्लोपिडिया जैसे संदर्भ ग्रंथों का अनुवाद भी उपयोगी होगा। अनुवाद सामग्री को ठीक ढंग से चुना जाए ताकि इस दिशा में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध हों।

अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित उच्च कोटि के उपयोगी शोध पत्रों को हिन्दी में अनुदित कर प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाए। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग "विज्ञान गरिमा सिंधु" का प्रकाशन करने जा रहा है। उसमें इस प्रकार के तात्कालिक शोध पत्रों का अनुवाद कर पुर्नप्रकाशित किया जा सकता है।

सरकारी विभागों एवं उपक्रमों में रिपोर्ट के अनुवाद को विशेषज्ञ वैज्ञानिक से अनिवार्यता सत्यापित कराया जाए। इससे एक पंथ दो काज होंगे—1. अनुदित सामग्री सही और बोधगम्य बनेगी, 2. वैज्ञानिकों को हिन्दी में लिखने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

विज्ञापन के क्षेत्र में हिन्दी व्यवहार में कुछ सतर्कताएं बरतने की भी आवश्यकता है, जैसे उपयुक्त शब्द चयन/शब्द निर्माण, छोटे सरल वाक्य, मुहावरों का काम प्रयोग यथा संभव आरेखों का प्रयोग आदि।

नए शब्द बनाते समय ध्वन्यात्मक प्रवाह सुनिश्चित करें। निकट अर्थी और विपरीत अर्थी शब्दों को एक साथ रखकर नियम की एक रूपता की जांच करें। अनुप्रेरण सिद्धान्त से शब्द का अर्थ समझ लेना आसान होना चाहिए। "एकल" और "बहुल" के अर्थ जान लेने पर "द्वल" का अर्थ निकाला जा सकता है। वाटिका और वालिका से लघु रूप का बोध होता है। उसके आधार पर डिस्क के लिए चक्रिका बना सकते हैं।

कुछ विचारणीय शब्द हैं—टर्मिनल के लिए अन्तक, कैरी के लिए अग्राक, प्रोग्राम के लिए क्रमादेश आदि। इन शब्दों को, शब्दों की परिभाषा को समझ कर बनाया गया है।

विज्ञान के क्षेत्र में लम्बे, जटिल वाक्य विषय को अधिक दुरुह बनाते हैं। इसलिए विषय को भली-भांति समझाने की दृष्टि से वाक्य छोटे और सरल हों। मुहावरे प्रतीकात्मक अर्थ देते हैं, कुछ मुहावरे स्थानीय भी होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए।

गद्यात्मक अभिव्यक्ति को समग्रदृष्टि से एक प्रक्रम के रूप में देख सकते हैं। इसके प्रमुख अवयवों के क्रम और संबन्धों को आरेखन से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस समय हिन्दी में आरेखों का प्रयोग नगण्य है। विज्ञान लेखन में यह महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

शब्द, वाक्य और पूरे लेख में तर्क संगति होना आवश्यक है। विषय प्रतिपादन स्पष्ट एवं तर्कसंगत हो।

अन्ततः विज्ञान लेखन बोधगम्य हो। क्लिष्ट शब्दों और स्थानीय मुहावरों का प्रयोग न किया जाए। एक ही भाव के लिए विभिन्न तत्सम शब्दों का प्रयोग विज्ञान सामग्री के आदान-प्रदान में बाधक होता है। मानक शब्दावली का प्रयोग भी करें और शब्दों के निर्माण प्रक्रिया को समझना पाठक के लिए उपयोगी होगा।

**सदिश समन्वित प्रयास**

1. हिन्दी तकनीकी विकास केन्द्र

हिन्दी के लिए तकनीकी विकास पर बल देना सामयिक आवश्यकता है। तकनीकी हिन्दी को विकसित करने के लिए समन्वित प्रयास अपेक्षित है। इस कार्य को समन्वित ढंग से संचालित करने के लिए "हिन्दी तकनीकी विकास केन्द्र" की स्थापना की जाए।

2. तकनीकी विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन

समीक्षा के लिए मापदण्ड हो—कितने प्रतिशत मौलिक हिन्दी में रिपोर्ट, कितने प्रतिशत हिन्दी में शोध स्तरीय विज्ञान चर्चाएं, तकनीकी हिन्दी कार्यशालाएं, विभागीय तकनीकी क्षेत्र में विशेषकर प्रयोजन मूलक हिन्दी के विकास और मौलिक विज्ञान लेखन के लिए प्रोत्साहन इत्यादि।

3. हिन्दी में विज्ञान शिक्षण

बच्चों में रचनात्मक प्रवृत्ति, लोक-अनुराग, सामाजिक सुरक्षा और आत्मगौरव के विकास के लिए विज्ञान का शिक्षण; केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में लोकभाषा हिन्दी में हो।

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षण माध्यम है और फिल्मों की भांति इसमें भी ध्वनि, रंगीन एवं गति का कौतूहल भी है। इस दिशा में विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है।

4. हिन्दी सेवा समितियां

विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग करने वाले बहुत से वैज्ञानिकों का यह मत है कि हिन्दी व्यवहार के लिए आवश्यक सामग्री और सुविधा जुटाने के लिए हिन्दी सेवा समितियां स्थापित की जाएं। वर्तमान हिन्दी सेवी संस्थाएं भी यह दायित्व निभाएं। आज आवश्यकता है कि हमें विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट साहित्य हिन्दी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए और इसके लिए हिन्दी सेवा समितियां समुचित व्यवस्था करें।

—इलेक्ट्रानिकी विभाग,
भारत सरकार, नई दिल्ली

# राजभाषा हिन्दी, राष्ट्रभाषा है

□जगदम्बी प्रसाद यादव–सांसद

हमारा देश राजनैतिक स्तर पर लोकतांत्रिक है किन्तु भाषा जैसे आधारभूत सवाल पर देश का रुख इसके विपरीत है। भाषा का सामंतवाद दो प्रतिशत अग्रेंजी के लोग बनाए हुए हैं जो अग्रेंजी के द्वारा अठानवे प्रतिशत लोगों पर अपनी श्रेष्ठता और वरीयता लिए हुए हैं। अंग्रेजी इतनी गौरवशाली नहीं हो सकती जितनी भारतीय भाषाएं। अपनी भाषाओं में अनेक अनगूंज है महाकाव्यों की अनुगूंज, वे सब बातें जिन्हे आपने अपने बचपन से लोगों को कहते सुना, किताबें जो स्कूल में पढ़ी हैं। भारतीय अग्रेंजी में उन सब संदर्भों और अनुगूंजों का सार्थक प्रयोग नहीं कर सकते जो भाषा की गरिमा है और रुचि सम्पन्नता प्रदान करते हैं तथा भाषाई सुगंध भरते है। जो भाषा विचार एवं आत्मा अनुभूति अंश नहीं हो सकती वह कितनी बेजान होती है इसका अनुभव वही कर सकता है जो भाषा की संवेदना से, जुड़ा हो।

40 वर्ष से देश के अन्दर ऐसी आर्थिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक परिस्थितियां विकसित हुई हैं जो भाषा के इस सामंतवाद के पनपने में लगातार मदद कर रही हैं। कांग्रेस जब तक अंग्रेजी को अपनाए हुए थी तब तक वह बुद्धिजीवियों का मंच था और उन्हें जनाधार नहीं था। गांधीजी ने देश की भाषा को अपनाया तथा इसे जनाधार प्रदान किया। भाषा की गुलामी अधिक खतरनाक है। गांधी जी ने इस अंग्रेजी को अंग्रेजियत के रूप में पहचाना जो एक प्रकार की संस्कृति है और भारतीय संस्कृति को तोड़ती है। इससे लड़ने के लिए बाहरी नहीं अन्तःकरण का संकल्प चाहिए। भाषाई सामंतवाद देश की जिन्दगी के साथ उसी तरह अंग बन गया जैसे भ्रष्टाचार।

अंग्रेजी हमारे संवेदना का अंग नहीं है लेकिन वह महत्वपूर्ण लोगों की आदत बन गई है और वे दूसरों पर भी रोपित किए हुए है। यह सब जानते हैं कि मैकाले द्वारा अंग्रेजी का लाया जाना भारत की भाषा और संस्कृति के ढांचे को तोड़ने का सुनियोजित अभियान था। तीसरी दुनिया के जितने भी देश स्वतंत्र हो गए, पर भाषा के स्तर पर आज भी वे अंग्रेजी या फ्रान्सीसी के उपनिवेश बन कर रह गए हैं। अंग्रेजी भाषा का जितना ही प्रभाव बढ़ता जाएगा भारतीय भाषाएं उतनी ही टूटेंगी। उनकी अस्मिता नष्ट होगी। साम्राज्यवाद का यह कारगर ढंग रहा है कि शक्तियों पर इतना दबाव बढ़ाया जाए कि वे आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति की दृष्टि से भी इतने बिखर जाएं कि उनको अंग्रेजी के विकल्प को स्वीकारने के सिवा दूसरा कोई रास्ता न बचे। भारत आज भी अंग्रेजी का क्यों अनुगामी बना है—इससे बड़ा ज्वलंत प्रमाण नहीं मिलेगा। आज तो अंग्रेजी को ज्ञान का माध्यम, संस्कृति का संवाहक और समृद्धि का स्रोत माना जाता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने का रास्ता माना जाता है। आज इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए सार्थक रास्ता अपनाना होगा।

अंग्रेजो ने सामान्य रूप से अग्रेंजी को अनिवार्य नहीं बनाया था किन्तु इसकी उपयोगिता को बढ़ाया जिससे भारतीय स्वेच्छा से इस ओर आकर्षित हो गए। शासकों की भाषा होने के कारण विशिष्टता उससे जुड़ी थी। परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं के प्रयोग का विकल्प व्यर्थ गया और अंग्रेजी फैल गई। इसके विपरीत जब भारतीय भाषाओं का राजकाज में उचित स्थान दिया जाए, इसका निर्णय लिया गया तो इस बात का प्रयत्न नहीं किया गया कि भारतीय भाषाओं की व्यावहारिक उपयोगिता को अंग्रेजी से अधिक किया जाए।

आज की स्थिति हिन्दी भाषी राज्यों में भी हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी अधिक उपयोगी है। वहां विधेयक मूल रूप में अंग्रेजी में बनता है। हिन्दी में अनुवाद होता है और फिर उसको मूल कहा जाता है। अग्रेंजी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सारे भारत में है। अगर माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अपनाया जाता है तो केन्द्र या राज्य किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षा में बैठ सकते है। अंग्रेजी के आवश्यक साहित्य अधिक उपलब्ध हैं। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति विपरीत है। हिन्दी भाषा राज्यों में अंग्रेजी विकल्प है। अंग्रेजी में पारंगत विधिज्ञ हिन्दी राज्यों

में भी आवश्यक हैं। सारे कानून अंग्रेजी में उपलब्ध हैं तथा प्रमाण भी अंग्रेजी की मानी जाती है। अतः जब तक अंग्रेजी का विकल्प समाप्त नहीं होता तब तक हिन्दी या भारतीय भाषाओं को स्थान नहीं मिल सकता है। अगर अंग्रेजी का विकल्प अनंत काल तक तो कोई बताये हिन्दी को राजभाषा कहने की बात क्यों ?

आज आवश्यकता है—अंग्रेजी का मोह छोड़ने की, इसके विकल्प को समाप्त करने की, दासता की मनोवृत्ति से मुक्त हो, मन से अंग्रेजी की उच्चता समाप्त करने की। एक तो अब हिन्दी में किसी चीज की कमी नहीं और जो कमी है वह बिना प्रयोग प्रारम्भ किए दूर भी नहीं होगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है—जैसे-जैसे आवश्यकता साहित्य, पत्र-पत्रिका, शब्द की पड़ती जाएगी व तत्काल तैयार होते जाएंगें।

केन्द्रीय सरकार के कामकाज में राजभाषा का प्रयोग संवैधानिक आवश्यकता है तथा प्रशासन को जनता के निकट लाने के लिए भी जनभाषा जरूरी है।

इस वर्ष देश अपनी स्वतंत्रता का चालीसवां वष मना रहा है—इसमें स्वतंत्रता के संघर्ष की वाणी—राष्ट्रभाषा के द्वारा ही यह अभिव्यक्ति के सार्थक स्वर निकल सकते हैं। इस वर्ष 24 वर्ष से लागू राजभाषा अधिनियम विशेष रूप से कार्यान्वित केन्द्रीय सरकार द्वारा हो। टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, तथा कम्प्यूटर के रूप में अनायास दुनिया को स्वयं की राष्ट्रभाषा को अभूतपूर्व सहयोग दिया है वहीं भारत की राजभाषा के ऊपर गाज की तरह गिरा है। जहां जाइये—एक बार इसने राजभाषा के अंकुर को रौंद डाला है। समय पर चेत कर निराकरण नहीं किया तो आगे रास्ता अंधकारमय हो जाएगा।

हिन्दी के सप्ताह के अवसर पर हम सब यह संकल्प लें, जहां जहां अंग्रेजी अनिवार्य बन कर राजभाषा की राह अवरुद्ध किए हुए—वह द्वार खोलें जैसे—भारतीय वन सेवा, अर्थ सेवा, चिकित्सा सेवा, सांख्यिकी सेवा, इंजीनियरी सेवा, भूगर्भ सेवा, तीनों सेनाओं में नियुक्तियों में ली जाने वाली परीक्षा हिन्दी में हो, राष्ट्रीयकृत बैंकों, यूनिट ट्रस्ट की परीक्षा, राष्ट्रीय मिलिट्री सेवा, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिस सेवा-हिन्दी में हो। इन स्थानों पर हिन्दी के लिए प्रवेश खोल दिए जाएं। सरकारी क्षेत्रों में सर्वत्र मूल कार्य अंग्रेजी में होता है तब अनुवाद होता है—इस अवसर पर मूल काम हिन्दी में हो।

हिन्दी सप्ताह में "क" और "ख" क्षेत्र में सब कार्य शतप्रतिशत राजभाषा हिन्दी में हो—इस महत्व के वर्ष की विशिष्टिता हिन्दी ही हो।

14, ताल कटोरा रोड,
नई दिल्ली

---

हिन्दी अब सारे देश की राष्ट्रभाषा हो गयी है इस भाषा का अध्ययन करने और इसकी उन्नति करने में गर्व का अनुभव होना चाहिए।

—सरदार बल्लभ भाई पटेल

---

साहित्यिकी

# आनुवंशिकी शिक्षा और हिन्दी भाषा

□डॉ० आर० के० सिंह

जॉन ग्रेगर मेण्डल अस्ट्रिया के एक चर्च में पादरी थे। उन्हें गृह वाटिका का अत्यन्त शौक था। पेड़-पौधों पर काम करते-करते वे कुछ ऐसे नतीजों पर पहुंचे, जो बाद में आनुवंशिकी के आधारभूत सिद्धान्त हो गये। इसीलिये उन्हें आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है।

मटर के पौधों पर किए गए उनके परीक्षणों व प्रयोगों की एक लम्बी कहानी है जो आज से लगभग सवा सौ साल पहले जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई थी। कुछ साल बाद उनके लेखों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हुआ। हिन्दी भाषा अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा के माध्यम से इन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह बात गले से नीचे नहीं उतरती। यह बात केवल आनुवंशिकी विज्ञान के ही लिये नहीं, अपितु हर विज्ञान के लिये कही जा सकती है। हिन्दी के माध्यम से विज्ञान की शिक्षा देने के विषय में अक्सर चर्चा होती रहती है। लोगों का कहना है कि पहले हिन्दी को सक्षम बनाया जाए फिर इसे विज्ञान पढ़ाने के लिये प्रयोग में लाया जाए। कितनी अजीब बात है। अपनी भाषा में कोई बात सुनना, समझना अथवा प्रस्तुत करना तो सबसे आसान होता है। फिर ऐसी धारणा क्यों? लोगों का कहना है कि तकनीकी शब्दों का अनुवाद बहुत मुश्किल है। मैं पूछता हूं उनका अनुवाद क्यों आवश्यक है? तकनीकी शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों किया जा सकता है।

हिन्दी एक "सक्षम" माध्यम है। इसी बात को सिद्ध करने हेतु मैंने मेण्डल के प्रयोगों को गद्य के साथ-साथ पद्य रूप में भी प्रस्तुत किया है जो अलग से एक पुस्तिका के रूप में छप रहा है। गद्य की शैली कहानी की है। मेण्डल के एक काल्पनिक शिष्य, वोल्फाम द्वारा सम्पूर्ण विवरण वर्णित किया गया है। बीच-बीच में शिष्य व गुरु में आपसी "डायलाग" भी है। पढ़ने पर पाठक को पता नहीं लगता कि वह विज्ञान पढ़ रहा है।

पद्य के रूप में प्रस्तुत की गई मेण्डल के प्रयोगों की कहानी मात्र तुकबंदी नहीं है। उसमें अच्छे काव्य के सभी लक्षण है। कविता में सरसता है, प्रवाह है तथा जगह-जगह पर अच्छे अलंकार व समास का प्रयोग भी। निम्नलिखित पंक्तियों में मेण्डल का पूर्ण परिचय इस बात का एक उदाहरण है :

"मेण्डल किसी चर्च में था पुजारी
प्रकृति रूपसी थी उसे नेक न्यारी,
सदा चाहता वह कि पहचान पाए
विधाता के प्रारूप को जान पाए।
हुआ ज्ञान का अंततः बोध उसको
पता था किसे कि यही शोध उसको
बना वे जनक, घोष करके बिगुल का
आनुवंशिकी के नये ज्ञान कुल का।

मेण्डल की गृह वाटिका का एक चित्र नीचे प्रस्तुत है :

"लगा बाग के साथ था बाग सुन्दर
जहां पर सजे थे विविध पौध तरुवर"

रंग-बिरंगे फूलों की चर्चा करते हुए सफेद फूलों की तुलना दूध से की गई है :

"कोई पुष्प नीला तो था पीत कोई
किसी फूल की पांखरी दूध धोई"

"पांखुरी दूध धोई" एक अच्छा साहित्यिक प्रयोग है।

विज्ञान का अर्थ सत्य की खोज करना है। ईश्वर की भक्ति भी सत्य की खोज ही है। नीचे दी गई पंक्तियों में यह बात स्पष्ट नजर आती है।

"प्रभु भी तो पर्याय ही सत्य का है,
तथा भक्त भी सत्य ही ढूंढते है।
इसी खोज का नाम विज्ञान दूजा,
न इससे बड़ी और है कोई पूजा।"

मेण्डल के प्रयोगों में स्वयं सेचन तथा पर-परागण की बात अक्सर आती है। पर-परागण की व्याख्या नीचे दी गई है :

"नर की पौध अलग माता से,
माता ही फल देती है,
लेकर वह नर से परागकण
जब गर्भवती होती है।

इसको पर-सेचन कहते हैं
अलग-अलग इसके साधन,
कभी तितलियां, कभी मक्खियां
कभी हवा में उड़ते कण।"

इसी प्रकार स्वयं-सेचन की व्याख्या भी नीचे दो पदों द्वारा वर्णित है :

"साथ-साथ पर नर माता का
एक फूल में ही रहना,
अपने ही नर कण से सेचित
होकर नव पीढ़ी जनना।"

नई नहीं यह बात इसे हम
स्वयं-परागण कहते हैं,
पौध शास्त्र की हर पुस्तक में
छात्र इसे नित पढ़ते हैं।"

पर-सेचन की क्रिया में किसी एक नरफूल के पराग कण से किसी दूसरे फूल की मादा को सेचित किया जाता है। अतः कृत्रिम पर-सेचन के लिए सही उम्र की कलियों का चुनाव कर उनकी पंखुड़ियों को सावधानी पूर्वक खोलकर उनके नर अंगों को निकाल दिया जाता है और फिर "वांछित" फूलों से परागकण एकत्र कर ऐसी मादाओं को सेचित कर दिया जाता है। इस वैज्ञानिक तथ्य को कितनी कोमलता के साथ प्रस्तुत किया है उसका उदाहरण निम्न पंक्तियों से स्पष्ट होता है :

"इसके पहले ही कि कोमल
कलियां निज आंचल खोलें,
इसके पहले ही कि नर-कण
माता के मधुतन छू लें।"

कोमल कलियों के वह आंचल
देता था खुद बरबस खोल,
रख देता होंठों पर "चाहत
फूलों से नर-कण अनमोल।"

मैं अब मेण्डल के प्रयोगों के आधार पर निकले कुछ परिणामों का जिक्र करूंगा। मेण्डल ने जब सफेद फूल वाले पौधों से लाल फूल वाले पौधों का संयुग्मन कर उनसे प्राप्त बीजों को बोया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस संकरित बीजों से प्राप्त पौधों में केवल लाल रंग के फूल ही मिले। इसी प्रकार बड़ी तने व बौनी तनों के संकरण से प्राप्त बीजों से निकले पौधे केवल बड़ी तने वाले ही हुए। अन्य लक्षणों के साथ भी ऐसी ही हुआ। अर्थात दो लक्षणों, एक माता का दूसरा नर का, में से एक लक्षण ही संकर में परिलक्षित हुआ। इसके आधार पर उसने "प्रबलता" के सिद्धान्त की बात कही। इसी बात का एक काव्यात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है।

"लाल-धवल संकरित बीज से
जो भी पेड़ बहाल मिले
उन पर जितने फूल लगे सब
फूल लाल ही लाल खिले।"

बौनी और बड़ी पौधों के
हुए संकरित बीजों से,
बड़ी-बड़ी ही पौध मिली जब
था तब लगा अजीब उसे।

अतः अर्थ इसका निकला
है एक प्रबल दूजा निर्बल
निर्बलता को ढक लेता है
सदा प्रबल का आंचल।

सिद्ध प्रबलता हुई लाल की
निर्बल धवल पंखुड़ी है
निर्बल बौनी पौध मदर की
हावी पौध बड़ी की है।

लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले "कारक" प्रजनन की प्रक्रिया में एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं। किन्तु इनका आपसी समन्वय स्वतंत्र रूप से होता है। यह बात मेण्डल के प्रयोगों से सिद्ध हुई थी और इन्हें "कारकों के पृथक्करण" व "स्वतंत्र संयुग्मन" के सिद्धान्तों के नाम से जाना जाता है। इन्हें पद्य में किस तरह से प्रस्तुत किया गया है इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है। जैसा कि उपर दर्शाया गया है कि "संकर" पौधों में मात्र एक-एक प्रबल लक्षण ही परिलक्षित हुए :

लाल-धवल संकरित बीज से
निकली संतानों के फूल
लाल-लाल थे, और न जाने
कहां खो गये धवल समूल।

कहीं न संकर संतानों में
बौनी किस्मों की पहचान
इसी तरह पीली बालों का
था मानों मिल गया निशान।

किन्तु जब संकरित पौधों के बीजों को एकत्र कर फिर बोया गया और तब जो कुछ उसे मिला, लिए आश्चर्य की बात थी।

विस्मय उसको हुआ किन्तु
जब देखा उसने क्यारी में,
लाल फूल के साथ खिले थे
धवल फूल भी क्यारी में।

इसी तरह जब देखा उसने
बड़ी पौध की संतानें,
बड़ी तने वालों के संग थे
पौधे कुछ बौने-बौने ।

फिर प्रश्न उठा :

संकर में थे लाल-लाल ही
फूल लगे हर डाली पर
उनकी संतानों में आये
लेकिन धवल फूल क्यों कर

और अंत में उसने यह सिद्ध कर दिखाया कि :—

यह पृथक्करण है स्वाभाविक
विपरीत गुणों के कारक का,
सिद्धांत प्रमुख यह इसलिये
ईसा के मंत्र का प्रचारक का ।

"स्वतंत्र संयुग्मन" की बात भी बड़ी सरसता के साथ कही गई है ।

वो लक्षण जैसे लाल-धवल
इनके कारक का पृथक्करण,
करते न प्रभावित रंच मात्र
लम्बे बौने का पृथक्करण ।

क्योंकि यदि ऐसा न होता तो लक्षणों के नये संयोजन मुमकिन नहीं होते :

जो लम्बे तने जनक के थे
उन पर तो थे बस लाल फूल
पर संतति में कुछ तने मिले
"जो लम्बे थे पर धवल फूल "।

उपरोक्त प्रस्तुतीकरण से हिन्दी की "सक्षमता" स्पष्ट जाहिर होती है। किसी छंद में भी प्रवाह अथवा सरसता का अभाव नहीं है। विज्ञान जैसे नीरस विषय को भी पढ़ने में उबाव नहीं लगता। स्पष्ट है कि जिस प्रकार हम लोग अपनी अन्य बातें हिन्दी के माध्यम से कह लेते हैं, समझ लेते हैं उसी प्रकार से विज्ञान भी समझा व समझाया जा सकता है। इसे उपवाद मानना हिन्दी भाषा के साथ बेईमानी होगी ।

—निदेशक (शोध)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कुमार गंज, फैजाबाद

# पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य में

## हिन्दी सीखने का मेरा प्रेरणास्रोत

□श्री सन्त राम बी० ए०

(श्री सन्तराम बी.ए. हिन्दी के वयोवृद्ध क्रान्तिकारी लेखक और समाज-सुधारक हैं, जिन्होंने 14 फरवरी, 1987 को अपने यशस्वी जीवन के सौ वर्ष पूरे किए। उन्होंने विभिन्न विषयों पर लगभग शताधिक पुस्तकें और शोध लेख लिखे हैं। उनकी कई पुस्तकें केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा पुरस्कृत हुई हैं। केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी के इस परम तपस्वी मौन साधक तथा क्रान्तिकारी साहित्यिक के रूप में 'महात्मा गांधी पुरस्कार' से भोपाल में सम्मानित किया। राज्य सरकार ने 'पंजाब के श्रेष्ठ हिन्दी विद्वान' के रूप में उन्हें चण्डीगढ़ में सम्मानित किया।

प्रस्तुत लेख में श्री सन्तराम जी के विचार उनकी जीवनी "मेरे जीवन के अनुभव" से उद्धृत हैं। —संपादक)

मेरा जन्म, मेरी शिक्षा-दीक्षा पंजाब में हुई। जिन दिनों मैं स्कूल में पढ़ता था उन दिनों पंजाब में हिन्दी किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती थी। बड़े-बड़े नगरों के हाई स्कूलों में कहीं-कहीं संस्कृत की शिक्षा का प्रबन्ध था परन्तु बहुत ही थोड़े छात्र संस्कृत लेते थे। मैं तो संस्कृत और नागरी लिपि की हंसी उड़ाया करता था।

कालेज के तीसरे वर्ष तक मुझे नागरी अक्षरों का ज्ञान तक नहीं था। उस समय मेरे विचार में सबसे मधुर भाषा फारसी, सबसे सुन्दर देश फारस और सबसे बड़े कवि सादी, उमर ख्याम और फिरदौसी आदि के मैं स्वप्न देखा करता था कि दजला और फरात नदी के तट पर बैठ कर खजूर खाऊंगा और विवाह करके वहीं बस जाऊंगा। परन्तु लाहौर में आर्य समाज के सत्संग से विचारों में भारी परिवर्तन हो गया। संस्कृत भाषा की मधुरता और भारत की सुन्दरता के आगे फारस तथा ईरान हवा हो गए।

उन दिनों आर्य-समाज का प्रमुख पत्र "सद्धर्म प्रचारक" "उर्दू में निकला करता था। मैं उस पत्र को बड़े चाव से पढ़ा करता था। इसके सम्पादक महात्मा मुंशी राम बाद को स्वामी श्रद्धा नन्द जी थे। कुछ दिन बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि अमुक दिनांक से पत्र हिन्दी में निकलेगा, इस लिए जो पाठक हिन्दी न जानते हों वे सीखना आरम्भ कर दें। उसी पत्र को पढ़ने के लिए मैंने नागरी अक्षर सीखना आरम्भ कर दिया। कठिनाई तो पड़ी क्योंकि नियमित रूप से पढ़ाने वाला कोई न मिलता था। परन्तु कठिनाई हिन्दी के अनुराग को न दबा सकी। "सद्धर्म प्रचारक" के एक स्तम्भ को पढ़ने में मुझे एक घंटा लग जाता था। हमारे प्रिंसीपल और अंग्रेजी के प्राध्यापक श्री एस. राबनसन ने छात्रों को अच्छी अंग्रेजी लिखना सीखने की एक विधि बताई थी। उनका परामर्श था कि कोई एक अच्छा सा लेख चुन लो और उस लेखक की कोई अच्छी सी पुस्तक लेकर उसमें से प्रतिदिन नियमित रूप से कम से कम दस पन्द्रह पंक्तियों का अनुवाद अपनी भाषा में करते जाओ। प्रत्येक दिन जितना अनुवाद करो उसके नीचे उस दिन का अंक देते जाओ। एक सप्ताह अनुवाद करने के उपरान्त फिर अपने उस अनुवाद का मूल पुस्तक को देखे बिना, पुनः अंग्रेजी में अनुवाद करो और उस अंग्रेजी अनुवाद का मूल पुस्तक की अंग्रेजी के साथ मिलान करके, उसकी अशुद्धियां ठीक करो। इस अभ्यास से तुम्हारी शैली मूल लेखक जैसी हो जाएगी। मेरे दूसरे सहपाठी तो उर्दू में अनुवाद करते थे, परन्तु मैं हिन्दी का बहुत अल्प ज्ञान रहते भी, टूटी-फूटी हिन्दी में ही अंग्रेजी से अनुवाद करता था। हिन्दी के प्रचण्ड अनुराग में मैं पत्र व्यवहार भी हिन्दी में ही करने लगा। "आर्य भाषा हिन्दी का सीखना प्रत्येक आर्य हिन्दू का परम कर्त्तव्य है।— स्वामी दयानन्द के इस उपदेश का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसी प्रभाव से मेरी रुचि उर्दू से हट कर हिन्दी की ओर हुई।

सन 1912 में मैंने "हिन्दी भाषा और नागरी अक्षरों की उन्नति के उपाय" पर एक लेख लिखा। इस पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने मुझे चांदी का राधा कृष्ण दास स्मारक पदक" प्रदान किया। इसके बाद

सन् 1916 में उसी सभा ने स्कूलों की स्वास्थ्य रक्षा विषय पर निबन्ध के लिए सोने का उला स्मारक पदक मुझे प्रदान किया।

मैंने पहले पहल "कन्या महा विद्यालय जालन्धर से निकलने वाली पत्रिका 'पंचाल पेडिता' लाहौर से निकलने वाले "चान्द" और कांगड़ी के "सद्धर्म प्रचारक में लेख लिखना आरम्भ किया। कुछ दिन बाद मैंने प्रयाग की प्रसिद्ध पत्रिका "सरस्वती" में छपने के लिए एक लेख भेजा। मेरी धारणा थी कि मैं बी.ए. पास हूं मेरा लेख पत्रिका में अवश्य स्थान पाएगा। परन्तु बात उल्टी हुई। पत्रिका के सम्पादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मेरा लेख लौटा दिया। उन्होंने साथ पत्र भी लिखा कि इस लेख की भाषा का संशोधन करने के लिए मुझे तीन दिन चाहिएं।

लेख के लौट आने और द्विवेदी जी की टिप्पणी से मेरे हृदय पर आघात तो पहुंचा, परन्तु दर्प दलन से रुष्ट होने के स्थान में मैंने बड़े विनीत भाव से द्विवेदी जी को लिखा—"महाराज, पंजाब के किसी स्कूल कालेज में हिन्दी नहीं पढ़ाई जाती, इसीलिए मैंने गुरुमुख से कभी हिन्दी नहीं सीखी। आपकी बड़ी कृपा होगी कि यदि आप मुझे बताएंगे कि मैं किस व्याकरण और किस कोष की सहायता से हिन्दी लिखना सीख सकता हूं। इस पर उन्होंने कृपा कर मुझे लिखा कि किसी विशेष कोष और व्याकरण की आवश्यकता नहीं। केवल निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :—

1. वाक्य यथा संभव छोटे और सरल हों।

2. अप्रचलित शब्दों का उपयोग न किया जाए।

3. ऐसी भाषा लिखी जाए जिसे 12-14 वर्ष का बालक भी समझ सके।

4. लेख का ज्ञानवर्धक होना आवश्यक है। उनका यह भी उपदेश था कि भाव अनोखा होना चाहिए, भाषा कैसी हो। इसके साथ ही उन्होंने कलकत्ता के "भारत मित्र" और छिन्दवाड़ा के श्री प्यारे लाल मिश्र की पुस्तक "विदेशी पत्रों का इतिहास" पढ़ने की भी सिफारिश की।

मैंने द्विवेदी जी को धन्यवाद किया और उनको लेख भेजना आरम्भ कर दिया। द्विवेदी जी मेरे लेख को संशोधित करके छाप देते। लेख छपने पर मैं उसे दो तीन बार ध्यान से पढ़ता और उसमें किए संशोधनों को नोट कर लेता इससे मुझे बड़ा लाभ हुआ। भविष्य में मैं ऐसी भूलें करने से बचने का उपाय करता रहा।

इसके बाद मैंने सन 1914 में लाहौर से "उषा" नामक मासिक पत्रिका निकाली। फिर 1920 में जालन्धर कन्या महाविद्यालय की पत्रिका "भारती" का सम्पादन किया। तदनन्तर "जात-पात तोड़क मंडल" लाहौर की दो मासिक पत्रिकाएं "क्रान्ति (उर्दू) और "युगान्तर" (हिन्दी) का सम्पादन किया। अब "विश्व ज्योति" साधु आश्रम होशियारपुर (पंजाब) का सम्पादन कर रहा हूं।

मैंने जो कुछ लिखा है या अब लिखता हूं, इसमें मेरी भावना यह कभी नहीं रही की इससे मुझे उच्च कोटि का मौलिक साहित्यकार होने की ख्याति मिले। मैं एक तो जनता के हितार्थ अपने विचारों के प्रचार के लिए लिखता हूं कि जिन भाषाओं को मैंने बड़े परिश्रम से सीखा है उसमें जो कुछ उपादेय है वह सब मैं हिन्दी में अपने देश बन्धुओं के लिए उपलब्ध कर दूं। लाभ उठाने के लिए, मेरे देश-बन्धुओं को वे भाषाएं पढ़ने का प्रयोजन न रहे। इसीलिए मैंने अपना अधिकांश समय अनुवाद-कार्य पर लगाया है।

हमारे देश में अभी अनुवाद-कार्य को कोई महत्व नहीं दिया जाता। और अनुवादक के प्रति लोगों में आदर-दृष्टि नहीं। परन्तु अनुवादकर्त्ता सभ्यता की एक बहुमूल्य सेवा करता है। वह अतीत और वर्तमान के बीच, अथवा एक विदेशी राष्ट्र और अपने लोगों के बीच एक पुल तैयार करने में सहायता देता है। अनुवाद द्वारा एक राष्ट्र के साहित्य, तत्वज्ञान और पदार्थ विज्ञान से दूसरे सभी राष्ट्र लाभ उठा सकते हैं। वे संस्कृति के दूत हैं। इस लिए आवश्यकता है कि हिन्दी जगत अनुवाद कार्य की महत्ता को समझे।

सन 1941 के अखिल भारतीय हिन्दी, साहित्य सम्मेलन का 30वां वार्षिक अधिवेशन अबोहर, जिला फिरोजपुर में हुआ था। इसकी साहित्यिक परिषद का स्वागताध्यक्ष मुझे बनाया गया था। वहां 29 दिसम्बर 1941 को जो अभिभाषण दिया था उसमें मैंने साफ कहा था "साहित्यिक का जो अर्थ आज लिया जाता है उस अर्थ में मैं साहित्यिक नहीं हूं। मेरा कार्य-क्षेत्र अधिकतर सामाजिक सुधार है। मैंने स्कूल कालेज में उर्दू फारसी पढ़ी थी। पीछे से जब राष्ट्रीय भावना जागृत हुई तो हिन्दी सीखी। इस विषय में मुझे महर्षि दयानन्द से प्रेरणा मिली है। मेरी धारणा है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकती है। यह हमें भारत भूमि से प्यार करना सिखाती है। यह गंगा और यमुना पर, हिमालय और मलयाचल पर, राम और कृष्ण पर, वसिष्ठ और वाल्मीकि पर हमारा प्रेम और भक्ति बढ़ाती है। यह किसी विदेशी लिपि में नहीं वरन, भारत की अपनी ही लिपि में लिखी जाती है। यह भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार परम्परा और भारतीय तत्वज्ञान की भाषा है। जैसे कोई अंग्रेज चाहे वह वेल्श में रहता हो और चाहे न्यूजीलैंड में, ऐसा नहीं हो सकता जिसे अपनी अंग्रेजी भाषा पर प्रेम एवं गर्व नहीं हो। वैसे ही जिस भारतवासी को हिन्दी भाषा पर प्रेम नहीं वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं। ऐसे ही विचार थे जिनकी प्रेरणा से मैंने उर्दू, फारसी का मोह छोड़ कर हिन्दी को अपनाया था। मैं चाहता हूं कि

हमारे हिन्दी के विद्वान केवल उपन्यास, कहानी और कविता ही न लिखा करें, राष्ट्रभाषा हिन्दी की जीवनोपयोगी दूसरे नाना विषयों में पुस्तकों की भी बड़ी आवश्यकता है।

पंजाब में हिन्दी और हिन्दी-साहित्यकारों के विषय में अबोहर सम्मेलन में मैंने जो कुछ कहा था आज भी मेरी वही सम्मति है। मैंने कहा था —

"हिन्दी भाषी अथवा हिन्दी प्रधान प्रान्तों में 'सम्मेलन' के सामने हिन्दी-साहित्य की उन्नति का प्रश्न हो सकता है। परन्तु पंजाब जैसे प्रान्त में, जहां हिन्दी को जान के लाले पड़े हुए हैं, वहां न्यायालय में तो उसे कभी स्थान मिला ही नहीं, स्कूलों और कालेजों में से भी उसे निकाला जा रहा है, वहां हमारे सामने सबसे पहले हिन्दी के पांव जमाने का प्रश्न है। हिन्दी के पांव जम जाने पर, कालान्तर में, वहां साहित्य का सर्जन अपने आप होने लगेगा। इसलिए पंजाब में इस समय उच्च कोटि का साहित्य उत्पन्न करने की बात करना बड़ा ही हास्यास्पद है।"

"भारत को उतना बाहर से शत्रुओं का भय नहीं जितना कि अपनी भीतरी फूट का है। इसलिए हिन्दी-साहित्य सेवियों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे ऐसा साहित्य तैयार करें जो भारत की रक्षा में सहायक हो। मेरे विचार में जो साहित्य राष्ट्र को उन्नत और स्वाधीन बनाने का काम नहीं करता वह साहित्य-संज्ञा का अधिकारी नहीं।"

कोई भी हिन्दी-प्रेमी पंजाबी बोली को नष्ट करके उसका स्थान हिन्दी को दिलाने की नहीं कहता। पंजाबी बोल-चाल की बोली है और किसी अंश तक इसमें साहित्य भी रचा जाता रहेगा। परन्तु राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए हिन्दी सीखना प्रत्येक पंजाबी बालक के लिए आवश्यक है। जिस साहित्यिक-हिन्दी का प्रचार राष्ट्रभाषा के रूप में हम चाहते हैं वह सभी प्रान्तों के लिए एक ही है।

"मैं सदा से संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का पक्षपाती रहा हूं। मेरी धारणा है कि संस्कृतनिष्ठ हिन्दी ही सारे देश में राष्ट्र भाषा हो सकती है। कारण यह कि किसी समय संस्कृत सारे भारत की बोलचाल की नहीं, तो कम से कम साहित्यिक भाषा अवश्य रही है। आज भी काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे सारे संस्कार संस्कृत में होते हैं। भारत की सभी भाषाओं में संस्कृत की प्रचुरता ही है। मैं विदेशी भाषाओं के शब्द लेने के विरुद्ध नहीं। पर हमें दूसरी भाषा के वही शब्द लेने चाहिएं जिसके पर्यायवाची शब्द हमारी अपनी भाषा में न हों।"

"उन दिनों उर्दू और हिन्दी के संगम से एक बड़ी भाषा "हिन्दुस्तानी" बना कर हिन्दू-मुस्लिम एकता की स्थापना की जा रही थी। मैंने भी सभा के संचालकों से अपने विचार प्रकट करने को थोड़ा सा समय मांगा। मैं चाहता था पहले कुछ लोग बोल लें, तब मैं बोलूं, ताकि उनके तर्क का खंडन कर सकूं। परन्तु वहां हिन्दी का समर्थक एक भी वक्ता न था। इसलिए मुझे पहले ही बोलने के लिए कहा गया। मैंने और बातों के अतिरिक्त कहा कि "हिन्दुस्तानी जानने वाला न तो तुलसी-रामायण भली भांति समझ पाएगा और न हाली, औक की कविता ही। आइए सोलह ट्रामडल की हिन्दी में समद्विभुज त्रिकोण और उर्दू में मुसल्लस मुसर-बीडल साकेन कहते हैं, हिन्दुस्तानी में इसे क्या कहेंगे? इसी प्रकार थर्मामीटर को तापमापक यंत्र और उर्दू में मिक्या-मुल हरारत कहते हैं। हिन्दी और उर्दू के संगम से उसका क्या नाम होगा? हिन्दुस्तानी के बहाने तो हिन्दी और उर्दू दोनों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और अनायास मेरे मुख से यह उर्दू पद्य निकल पड़ा :—

"आंखें कहें कि दिल ही ने मुझको किया खराब
और दिल कहे कि आंखों ने मुझको डुबा दिया।
बिगड़ा किसी का कुछ न मगर हाय मुफ्त में,
दोनों की ज़िद ने खाक में हमको मिला दिया।"

19-20 जुलाई 1958 को भोपाल में होने वाले राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन के आठवें अधिवेशन में मुझे इन शब्दों के साथ—"हिन्दी के परम तपस्वी मौन साधक तथा क्रान्तिकारी साहित्यिक पं. सन्त राम बी. ए. के करकमलों में—उनके द्वारा की गई राष्ट्रभाषा की अविस्मरणीय सेवाओं के उपलक्ष्य में सम्मान स्वरूप 1501/- रुपए तथा यह ताम्रपत्र सादर समर्पित है"—महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार लेने के बाद मुझे भी कुछ समय मिला। मैंने पुरस्कार के लिए धन्यवाद देते हुए कहा मैं पंजाब से आया हूं। मैंने पंजाब का अन्न जल खाया है इसलिए पंजाब का भी मुझ पर कुछ ऋण है। इस समय भारत के राष्ट्रपति (डा. राजेन्द्र प्रसाद जी उद्घाटनकर्ता) और शिक्षा मंत्री (डा. कैलाश नाथ काटजू) दोनों यहां बैठे हैं मेरी इन दोनों से प्रार्थना है कि पंजाब में गुरुमुखी को बलात बच्चों पर ठूंसा न जाए।

मैंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं का उन्माद राष्ट्र को ले डूबेगा। यदि पंजाबी मेरी मातृ भाषा है तो इसका अर्थ है कि पंजाब मेरी मां है। यदि बंगला बंगालियों की, गुजराती गुजरातियों की और मराठी मराठों की मातृ भाषा है तो बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र को उनकी मां मानना आवश्यक है। ऐसी अवस्था में यह प्रश्न होगा कि वह भारत माता किसकी माता है? क्या वह निपूति है? बोली के आधार पर अलग-अलग होने की यह कुरीति हमें ले डूबेगी। भारत की एकता नष्ट हो जाएगी।

अगर किश्ती डूबी तो डूबेंगे सारे।
न तुम ही बचोगे, न साथी तुम्हारे॥

इसी प्रकार 20 मार्च 1961 में पंजाब सरकार ने मुझे हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ विद्वान के रूप में चण्डीगढ़ में सम्मानित किया। इस समारोह के अध्यक्ष भारत सरकार के शिक्षा मंत्री डा. कालू लाल श्रीमाली थे। पुरस्कार लेने और धन्यवाद करने के बाद मैंने कहा कि मैंने बी. ए. तक उर्दू, फारसी

पड़ी थी, परन्तु लाहौर में आर्य समाज के सम्पर्क से मेरे विचार बदल गए। मैंने देखा ऋषि दयानन्द जी का जन्म काठियावाड़ में हुआ। उस प्रदेश की बोली गुजराती है। वे धारावाह संस्कृत बोलते थे। परन्तु उन्होंने अपना सारा प्रचार हिन्दी में किया। यहां तक कि अपना अमूल्य ग्रन्थ "सत्यार्थ प्रकाश" भी उन्होंने गुजराती या संस्कृत में नहीं, वरन राष्ट्र भाषा हिन्दी में ही लिखा। वे इतनी महान विभूति थे। वे "सत्यार्थ प्रकाश" गुजराती भाषा में लिखते तो मेरे जैसे लाखों उनके श्रद्धालु विवश होकर गुजराती सीखते।

ऋषि दयानन्द के बाद हम महात्मा गांधी की ओर देखते हैं। उनका जन्म भी किसी हिन्दी प्रान्त का नहीं। काठियावाड़ (गुजरात) का ही था। अंग्रेजी पर उनका मातृभाषा के समान ही अधिकार था। पर वे सदा हिन्दी में ही बोलते और प्रचार करते।

गांधी जी के बाद जब मेरी दृष्टि अपने पंजाब के गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविन्द सिंह पर पड़ी, तो क्या देखा कि पंजाब में जन्म लेकर भी उन्होंने हिन्दी के द्वारा ही प्रचार किया। गुरु नानक का प्रसिद्ध भजन :—

"साधो मन का मान त्यागो
काम, क्रोध, संगत दुर्जन की अहर्निश ताते भागो।"

और गुरु गोविन्द सिंह का—

नमस्तम् नमस्तम्, नमस्तम् भवानी
सदा राखियों मोहे कृपा कर पाणी।

मैंने यह भी कहा कि मैं राष्ट्र की एकता चाहता हूं। भारत में हिन्दी ही राष्ट्र-भाषा हो सकती है। भारत के किसी एक छोर से दूसरे छोर तक चले जाइए, आपको अवश्य एक बहुत बड़े हिन्दी प्रदेश में से होकर जाना पड़ेगा। इस भाषा को बोलने और समझने वाले जितने लोग हैं उतने भारत की किसी दूसरी आंचलिक बोली के नहीं।

राष्ट्रीय एकता के लिए मैंने राष्ट्रभाषा हिन्दी को ही नहीं अपनाया वरन प्रान्तीयता और जात-पात की संकुचित और कुत्सित भावना को दूर करने के लिए अपना विवाह भी जात-पांत और प्रान्त से बाहर महाराष्ट्र में किया। जब तक हम प्रान्तीयता और जात पांत नहीं छोड़ेंगे हमारा राष्ट्र कभी सुदृढ़ नहीं बन सकता। ☐

# विश्व हिन्दी दर्शन

## गयाना में हिन्दी दिवस समारोह

भारतीय उच्चायोग, जार्जटाउन में 23 सितम्बर 1987 को भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के सभागार में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता गयाना आर्य प्रतिनिधि सभा, अनण्डेल के अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित हिन्दी शिक्षक पं. शांति प्रसाद ने की।

समारोह का प्रारम्भ महाकवि निराला की वाणी वन्दना "वर दे वीणा वन्दिनी वर दे" से हुआ। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के हिन्दी छात्र तथा गयाना के कस्टम अधिकारी श्री शेष नारायण ने गयाना में हिन्दी की प्रासंगिता पर एक निबन्ध पढ़ा तथा हिन्दी सीख रहे छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त बैंक आफ बड़ौदा के मैनेजर श्री ममनार्न तथा भारतीय उच्चायोग में सांस्कृतिक (अताशे) श्री नारायण कुमार ने स्वरचित कविताओं का पाठ किया।

महात्मा गांधी संगठन के अध्यक्ष डा. बलवन्त सिंह ने गयाना में हिन्दी दिवस के आयोजन पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए लोगों से अनुरोध किया कि वे भारत की सांस्कृतिक भाषा के रूप में हिन्दी का अध्ययन करें ताकि अपने पूर्वजों के ज्ञान भंडार को सही संदर्भ में समझ सकें। मुख्य अतिथि पं. चन्द्रश्यामा प्रसाद ने कहा कि हिन्दी हमारे घर-परिवार की बोलचाल की भाषा थी जो अंग्रेजी के प्रभाव में दम तोड़ रही है। भाषा के बिना भक्ति संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे केरेबियन द्वीप में गयाना के लोग ही शुद्ध हिन्दी लिख-पढ़ सकते हैं लेकिन हम बोलना भूल गए हैं। अब हमें नए सिरे से प्रयत्न करना चाहिए कि हम पुनः अपनी भाषा को गयाना में बोलचाल की भाषा बना सकें।

भारतीय उच्चायुक्त श्री जी.डी. आटूक के निदेशन पर भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र में हिन्दी प्राध्यापक डा. रामजी तिवारी तथा भारतीय उच्चायोग में हिन्दी अधिकारी श्री नारायण कुमार ने सितम्बर मास को "हिन्दी प्रचार अभियान" मास के रूप में मनाने के लिए देश के लगभग 100 मन्दिरों तथा स्वैच्छिक संगठनों में जाकर गयाना में हिन्दी की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला तथा कई गांवों में हिन्दी पाठशाला का उद्घाटन किया। गयाना हिन्दी प्रचार सभा ने भी इस कार्य में सक्रिय सहयोग दिया। इस समय गयाना विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर तक हिन्दी के अध्यापन की व्यवस्था के अतिरिक्त हिन्दू कालेज, कांवन-जोन, टैगोर मेमोरियल कालेज, बरसिस, लाइनपाथ सेकेण्डरी स्कूल, स्केलडन, कांवेन मार्डेन सेकेण्डरी स्कूल तथा देश के लगभग 150 स्वैच्छिक केन्द्रों में हिन्दी की पढ़ाई चल रही है।

## सूरीनाम में हिंदी दिवस समारोह

**"हमारे संविधान निर्माताओं ने सन् 1949 में 14 सितम्बर के दिन जब हिन्दी को भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का ऐतिहासिक संकल्प लिया था तो न केवल भारत की कोटि-कोटि जनता को उनकी अपनी राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्रदान किया था वरन् भारत से बाहर सारी दुनियां में फैले हुए एक करोड़ से भी अधिक भारतवंशियों को एक नई पहचान दे दी थी। भारत के इतिहास के एक हजार वर्ष राजनीतिक परतंत्रता के साथ ही भाषायी परतंत्रता के वर्ष भी हैं। इस लम्बे समय में भारतीय भाषाओं पर लगातार विदेशी भाषाएं हावी रहीं और दुनियां में सबसे प्रबुद्ध भू-भाग को समृद्धतम भाषायी परम्परा को लगातार अवहेलना और क्रमबद्ध विनाश का सामना करना पड़ा। हिन्दी सहित भारत के संविधान में उल्लिखित भारत की अन्य भाषाएं आज भी दुनियां की समृद्धतम भाषाओं की पंक्ति में उल्लेखनीय स्थान रखती हैं—इसका कारण भारत की समृद्ध प्राचीन भाषायी परम्परा ही है"**

उक्त शब्द सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में दिनांक 14 सितम्बर 1987 को हिन्दी दिवस के अवसर पर भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक सभा में भारत के राजदूत महामहिम श्री बच्चू प्रसाद सिंह ने कहे। भारत में अब अधिकांश लोगों को यह जानकारी है कि फीजी और मारीशस की भांति भारत से दस हजार मील दूर सुदूर कैरेबियन प्रदेश से सटे हुए दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी किनारे पर स्थित देश सूरीनाम की आबादी के चालीस प्रतिशत लोग हिन्दी भाषी भारतवंशी हैं। साथ ही यह लोग शिक्षित, आर्थिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से अत्यन्त जागरूक हैं।

सभा के अतिथि वक्ता सूरीनाम के प्रमुख बुद्धिजीवी और भाषाविद् श्री ज्ञान अधीन ने अपने भाषण में कहा कि हिन्दी आज विश्व के लगभग एक सौ विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से यह दुनियां की तीसरी बड़ी भाषा है। हम उस दिन का इन्तजार करते हैं जब हिन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनेगी। स्पेनिश और रूसी जैसी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या हिन्दी भाषियों के मुकाबले बहुत कम है फिर भी ये भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रयोग होती हैं। वास्तव में यह भाषागत नहीं राजनीतिक प्रभुता का प्रश्न है। हम भारतीय राजदूत के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह इस दिशा में ठोस प्रयत्न करे ताकि विदेशी धरती पर रह रहे हम भारतवंशी दुनियां में सिर ऊंचा कर अपनी भाषा की अन्तर्राष्ट्रीयता का गौरव अनुभव कर सकें।

हिन्दी भाषा की शक्ति, समृद्धि और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और ध्वन्यात्मकता की चर्चा करते हुए श्री अधीन ने कहा कि भाषागत इन गुणों के कारण हिन्दी निश्चित ही भविष्य में संसार की बहु-प्रचलित भाषा बन जाएगी लेकिन आज भी विदेशों में इसकी लोकप्रियता कम नहीं है। अपने मास्को प्रवास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मास्को की भयानक सर्दी और धुंध भरे वातावरण में जब वह मास्को हवाई अड्डे पर उतरे तो वहां प्रसारित भारतीय संगीत को सुनकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ और मन उस बोझिल वातावरण में भी एक निर्मल प्रकाश से भर गया।

सभा के अन्त में भारत के राजदूत ने स्थानीय आर्य दिवाकर सभा तथा सूरीनाम की सनातन धर्म महासभा के पुस्तकालयों के लिए वेदों का एक-एक सम्पूर्ण सेट भेंट किया। हिन्दी की प्रतिनिधि संस्था सूरीनाम हिन्दी परिषद के पुस्तकालय के लिए राजदूत महोदय ने हिन्दी की कई सी पुस्तकें भेंट कीं। देश की अन्य संस्थाओं जैसे मातागौरी संस्थान, शांतिदल कबीरपन्थ सम्प्रदाय, श्रीकृष्ण मन्दिर पुस्तकालय आदि को भी हिन्दी पुस्तकें उदारतापूर्वक भेंट की गईं। सभा में उपस्थित अनेकों हिन्दी पाठशालाओं के प्रतिनिधियों को पुस्तकों और पत्रिकाओं के सैट अर्पित किए गए।

आर्य दिवाकर के अध्यक्ष श्री हुब्बा तथा अन्य प्रतिनिधियों ने इस सुन्दर भेंट की सराहना करते हुए भारतीय राजदूत को धन्यवाद दिया और कहा कि पिछले वर्ष भारत से विशेष प्रतिनिधि श्री लक्ष्मण चतुर्वेदी जब सूरीनाम आए थे तो हमने जिस प्रकार की पुस्तकों के लिए उनसे अनुरोध किया था, वे हमें उनके प्रयत्नों से इतनी शीघ्रता से प्राप्त हो गई हैं—इसके लिए हम उनके आभारी हैं। कृपया हमारा आभार उन तक पहुंचा दें।

## गयाना में मुक्तिपर्व - 40

भारत की आजादी की चालीसवीं वर्षगांठ के मौके पर गयाना में कई आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गयाना हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने वेस्टकोस्ट डेमरारा में भाषण, कविता तथा रामायण एवं गीता पाठ की प्रतियोगिताएं आयोजित कीं जिसमें भारतीय उच्चायोग के सांस्कृतिक अताशे ने सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि वे हिन्दी को गयाना की सांस्कृतिक भाषा के रूप में स्वीकार करें क्योंकि उनके पूर्वज इस भाषा को बहुत यत्न के साथ भारत से लाए थे। वे इसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में यहां के लोगों को दे गए हैं। समारोह का उद्घाटन भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक डा. रामजी तिवारी ने किया। श्री तिवारी ने हिन्दी की सरलता एवं वैज्ञानिकता को रेखांकित करते हुए गयानावासियों से अनुरोध किया कि वे अधिकाधिक संख्या में हिन्दी सीखें। इस अवसर पर गयाना आर्य प्रतिनिधि सभा ने युवा शिविर, गयाना हिन्दू धार्मिक सभा ने "नौ जवान हफ्ता" तथा भारत सेवाश्रम संघ कोवनजांन में 'गीता-ज्ञान-यज्ञ' का आयोजन किया।

स्वाधीनता आन्दोलन की चालीसवीं वर्षगांठ का मुख्य समारोह "मुक्तिपर्व-40" गयाना में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र ने आयोजित किया। केन्द्र के परिसर में भारतीय उच्चायोग श्री जी.डी. आटूक ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संदेश पढ़े। उसी शाम गयाना के नेशनल कलचरल सेंटर के सभागार में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के कलाकारों ने भारतीय नृत्य एवं संगीत का एक अनुपम और आकर्षक कार्यक्रम "मुक्तिपर्व" प्रस्तुत किया जिसका शुभारंभ भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के प्राध्यापक संगीत मार्तण्ड श्री हरिचरण वर्मा ने बंकिम चन्द्र रचित "वन्दे मातरम" से किया। श्री वर्मा ने भारत के इस राष्ट्रीय गीत को बड़े ही ओज और उल्लास के साथ "राग देस" में गाया।

इन सभी कार्यक्रमों को गयानावासियों ने इतनी कुशलता से प्रस्तुत किया कि यह अनुमान करना कठिन हो गया था कि ये भारतीय नहीं हैं। इनमें से अधिकांश कलाकारों के पूर्वज आज से 150 वर्ष पहले भारत से गयाना आए थे। अपने साथ वे हिन्दी की कुछ धार्मिक पुस्तकें तथा लोकगीत लाए थे। आज 150 वर्ष बाद भी गयाना के गांव-गांव में मंदिर मस्जिद हैं तथा वे फगवा (होली), दीपावली, रामनवमी, शिवरात्रि, ईद, बकरीद आदि त्यौहार उल्लास के साथ मनाते हैं। इसका प्रभाव गयाना के अन्य लोगों यानि अफ्रीकी, चीनी, पुर्तगाली मूल के व्यक्तियों पर भी पड़ा। इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे थे गयाना विश्वविद्यालय के संगीत दल के छात्र जिन्होंने बहुत ही सधे हुए स्वर

"साथी चलो समय के साथ" नामक हिन्दी प्रयाण गीत गाकर सभा में उपस्थित लोगों को हतप्रभ कर दिया। अफ्रीकी छात्रों के हिन्दी उच्चारण तथा गायन शैली में उत्साह एवं उमंग को लोगों ने करतल ध्वनि से सराहा। कार्यक्रम के अन्त में लखनऊ घराने के श्री तीरथ आजमानी, जयपुर घराने के पं. तुलसी तथा गधाना के मुमताज अली (जो कत्थक केन्द्र दिल्ली से नृत्य का प्रशिक्षण ले चुके हैं) ने अपनी अपनी नृत्य शैली की विशिष्टिता को एक साथ मंच पर प्रस्तुत किया।

दो हजार दर्शकों से खचाखच भरे सभागार में गयाना के राष्ट्रपति श्री एच. डेवमंड हाइट, उपराष्ट्रपति श्री शहाबुद्दीन, शिक्षा मंत्री श्री डेरिक बनीड, जल संसाधन मंत्री पं. गोकरण शर्मा के अलावा अनेक संसद सदस्य, राजनेता, पत्रकार, प्राध्यापक मौजूद थे। भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र जार्जटाउन भारत की आजादी की 40वीं वर्षगांठ को सालभर मनाएगा। जिसके अन्तर्गत संगोष्ठी, हिन्दी सम्मेलन, भारत-दर्शन नामक प्रदर्शनी तथा नृत्य एवं संगीत के आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। □

# समिति समाचार

## (क) मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

### विधि और न्याय मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 11वीं बैठक राज्य मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज की अध्यक्षता में 30-10-87 को सम्पन्न हुई। कार्यवाही का संचालन करते हुए सचिव ने बताया कि समिति की सिफारिश के अनुसार सितंबर, 1987 में लखनऊ और कानपुर में गोष्ठियां की जानी थीं। लखनऊ में 23 और 24 सितंबर को दो स्थानों पर गोष्ठियां की गईं, मंदसौर और इंदौर में पुस्तकों के स्टाल लगाए जाएंगे। दिसंबर में वाराणसी में पुस्तक विक्रय कार्यक्रम किया जाएगा। दिसंबर में इलाहाबाद में भी विक्रय कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी। जनवरी, 1988 में जबलपुर में भी पुस्तक विक्रय का कार्य होगा। फरवरी, 1988 के पुस्तक मेले में विधि साहित्य प्रकाशन भाग नहीं लेगा किंतु उसके स्थान पर फरवरी में जयपुर और अजमेर में पुस्तकों के विक्रय का कार्यक्रम होगा। श्री राम भगत पासवान ने सुझाव दिया कि उत्तर बिहार में दरभंगा में भी पुस्तकों के विक्रय का आयोजन किया जाए। मंत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि पुस्तक विक्रय में व्यय कम होता है और प्राप्ति अधिक होती है। अतः अधिक बिक्री की जानी चाहिए।

स्वयंसेवी संस्थाओं के अनुदान के विषय में सभी सदस्यों की यह राय थी कि 50,000 रुपए का बजट बहुत कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इतने कम धन में कुछ भी कर पाना आजकल संभव नहीं है।

सचिव ने सदस्यों को बताया कि पत्रिकाओं का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बैठक के दिन तक उच्चतम न्यायालय के मई, 1987 तक के अंक और दांडिक तथा सिविल निर्णय पत्रिकाओं के अप्रैल तक के अंक ग्राहकों को भेज दिए गए हैं। इस समय छपाई के कारण ही कुछ देर हो रही है। संपादकीय अधिकारियों ने विशेष प्रयत्न करके दिसंबर तक के अंकों की पांडुलिपि तैयार कर दी है।

हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों को भारतीय विधिक सेवा में सम्मिलित किए जाने के बारे में श्री जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति ने बताया कि इस बारे में कार्मिक विभाग से एक बार चर्चा हो चुकी है। जो प्रस्ताव भेजा है उसमें विधि साहित्य प्रकाशन और राजभाषा खंड के अतिरिक्त, विधि आयोग के अधिकारियों को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। श्री शिव दयाल ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि 1983 में यह प्रस्ताव हुआ था किंतु अभी तक इस पर कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने मंत्री जी से आग्रह किया कि वे अपने प्रभाव से यह कार्य कराएं। मंत्री जी ने कहा कि इस बारे में मुझे स्मरण करा दिया जाए, मैं प्रयास करूंगा।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के संशोधन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से हिंदी सलाहकार समिति में पारित हुआ था। राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शम्भू दयाल ने बताया कि इस विषय पर उनके विभाग ने टिप्पण तैयार करके गृह मंत्री का अनुमोदन कराकर उसे विधि मंत्रालय को अनुमोदनार्थ भेजा था। किंतु विधि मंत्रालय ने उसे अस्वीकार कर दिया है। इस बात पर श्री नरेशचंद्र चतुर्वेदी, श्री शिव दयाल, श्री सुधाकर पांडेय, श्री जगतपाल सिंह और श्री रामभगत पासवान ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जब सर्वसम्मति से विधि मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति में यह निर्णय हुआ था तो उसे बदला नहीं जाना चाहिए। यदि विधि मंत्रालय उसे बदलना चाहता है तो उचित यह होगा कि उसे हिंदी सलाहकार समिति की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए और फिर से समिति में इस पर विचार-विमर्श किया जाए। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में जब विधि मंत्री और विधि मंत्रालय के दोनों सचिव सहमत थे फिर समिति के निर्णय को इस प्रकार नहीं उलटा जाना चाहिए। अन्य सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि हिंदी सलाहकार समिति की सलाह का यथोचित सम्मान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय भारतीय भाषाओं के हित में होगा। देश के

प्रश्न को व्यक्तिगत रुचि या अरुचि से नहीं देखा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को शांत करते हुए यह कहा कि मैं फाइल मंगाकर इस विषय का अध्ययन करूंगा और आवश्यकता हुई तो मंत्रीजी से भी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस संशोधन के पक्ष में हूं!

संविधान के हिंदी पाठ को उसके हिंदी में प्राधिकृत पाठ घोषित करने के लिए संविधान (56वां संशोधन) विधेयक लोक सभा में 27 फरवरी, 1987 को पुनरस्थापित कर दिया गया था। सचिव ने सदस्यों को सूचित किया कि 28 अगस्त, 1987 को लोक सभा में पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में था। किन्तु मतदान की मशीन में खराबी हो जाने के कारण उस दिन इस पर विचार नहीं हो सका। सदस्यों ने एकमत होकर राज्य मंत्री जी से अनुरोध किया कि वे संसदीय मंत्री से कह कर उसे इस सत्र में आवश्य पारित करवा दें।

सचिव ने सदस्यों को यह सूचित किया कि हिंदी भाषी राज्यों की समन्वय समिति का अधिवेशन सितंबर, 1987 में हुआ था। इसमें भारत सरकार के विधायी विभाग के सचिव और समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री स. रामय्या ने हिंदी भाषी राज्यों के सचिवों से आग्रहपूर्वक कहा कि वे अपनी भाषा में विधान की रचना प्रारंभ करें। उन्होंने कठिनाइयों का विश्लेषण करते हुए बताया कि जितनी कठिनाइयां अंग्रेजी के प्रारूपण में हैं उससे कुछ कम कठिनाइयां हिंदी के प्रारूपण में होंगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सचिवों ने यह आश्वासन दिया कि आगामी बैठक के पूर्व वे अपने-अपने राज्यों में हिंदी में प्रारूपण का सूत्रपात कर देंगे। सदस्यों ने इसकी प्रशंसा की। आगे सदस्यों ने कहा कि केंद्र में विधान की भाषा हिंदी भी होनी चाहिए और हिंदी में विधेयक तैयार किए जाने चाहिएं। संसदीय विधान द्विभाषी किया जाए। विधेयक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पुनरस्थापित किए जाएं। इसमें वर्तमान में बहुत सी कठिनाइयां हैं, किंतु आवश्यकता इस बात की है कि एक योजना बनाई जाए। यदि अभी से योजना बनाकर उस पर हम कार्य नहीं करेंगे तो जो आज 40 वर्ष बाद की स्थिति है वह सदा बनी रहेगी। इस पर विचार किया जाए। जो भी कानूनी बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जाए। स्थान, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, आदि की जो भी व्यवस्था करनी हो वह की जाए। श्री बालकृष्ण ने कहा कि इस विषय पर वे अपनी टिप्पणी देंगे। मंत्री जी ने कहा कि उस टिप्पणी का स्वागत होगा, और यह भी कहा कि इस विषय में जो कठिनाइयां हैं उन्हें हल करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे।

गत बैठक में मंत्रीजी ने यह निदेश दिया था कि विधि कार्य विभाग "क" और "ख" क्षेत्रों को हिंदी में भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या बढ़ाए क्योंकि तत्कालीन स्थिति संतोषजनक नहीं है। विधि कार्य विभाग के अपर सचिव श्री जी.बी.जी. कृष्णमूर्ति ने बताया कि इस दिशा में उन्होंने प्रगति की है। सदस्यों ने अनुरोध किया कि इस वृद्धि को बनाए रखा जाए।

विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करने की सिफारिश भी हिंदी सलाहकार समिति ने की थी। विधायी विभाग के उप सचिव श्री महीपाल सिंह ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक के पश्चात् 22 सितंबर से 7 अक्तूबर तक कार्यशालाएं की गई जिसमें 19 कर्मचारियों ने भाग लिया।

संविधान के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी सलाहकार समिति ने एक उपसमिति बनाई थी। इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि भारत सरकार 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाए। समिति ने इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए कहा कि इस सिफारिश को गृह मंत्रालय को भेजा जाए क्योंकि इस दिवस की घोषणा गृह मंत्रालय करेगा। मंत्रीजी ने समिति के सदस्य और पूर्व संविधान सभा के सदस्य श्री मन्नूलाल द्विवेदी से कहा कि वे इस वर्ष संयोजक बन कर छोटे पैमाने पर 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाने का आयोजन करें। उन्हें जो भी सहायता की आवश्यकता होगी मंत्रीजी व्यक्तिगत रूप से उन्हें देंगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों को आमंत्रित किया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए।

## 2. कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक राज्य मंत्री (कार्मिक) श्री पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता में 8-10-1987 को हुई।

अध्यक्ष ने सर्वप्रथम सितम्बर, 1987 में होने वाली बैठक के स्थगित किए जाने के कारण हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। इसके बाद सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कार्य सूची की मदों के बारे में टिप्पणियां आमंत्रित कीं।

डा० बापू कालदाते, संसद सदस्य ने कहा कि यद्यपि नियम 10(4) के अधीन काफी संख्या में कार्यालयों को अधिसूचित कर दिया गया है, किन्तु नियम 8(4) के अधीन कोई भी कार्यालय विनिर्दिष्ट (स्पेसीफाई) नहीं किया गया है। ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि कतिपय कार्यालयों में कार्यरत व्यक्तियों में से 80 प्रतिशत व्यक्तियों को पहले ही हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। चूंकि नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किए गए अधिकांश कार्यालय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय थे। इसलिए निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने समिति को उन कठिनाईयों की बाबत बताया जो कि कार्यालयों को

# चित्र समाचार–I

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में (बाएं से) श्री एम. के. वेंकटेश्वरन, श्री बी. वी. महाजन, सचिव, (राजभाषा) भारत सरकार, श्री एम. एन. गोईपोरिया तथा श्री एस. के. गावा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

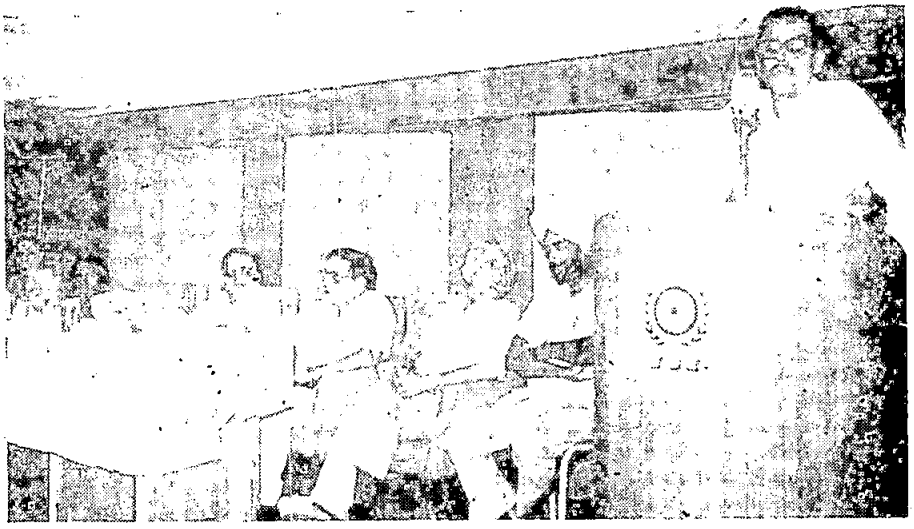

राजभाषा कार्यान्वयन में गति लाने हेतु बम्बई में सम्पर्क अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए श्री शंभुदयाल, संयुक्त सचिव (राजभाषा)

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तुम्बा (केरल) में हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत प्रतियोगिताओं में केरल सरकार के परिवहन मन्त्री श्री के० शंकर नारायण पिल्लै से राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए––श्री एस. श्रीनिवासन, (स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर (प्रथम), श्री वी. लक्ष्मी नारायण महालेखाकार (द्वितीय) तथा श्री सुरेश चन्द्र गुप्त, निदेशक अंतरिक्ष केन्द्र

कार्यक्रम की एक झलक

केरल प्रचार सभा द्वारा आयोजित हिन्दी सप्ताह समारोह में समापन भाषण देते हुए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री एम. एम. जैकब

हैदराबाद की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष श्री प. के. श्रीनिवासन

मूक एवं बधिर के अभिनय से उपस्थित जनसमूह का मनोरंजन करते हुए डार्क रूम सहायक श्री केश कुमार

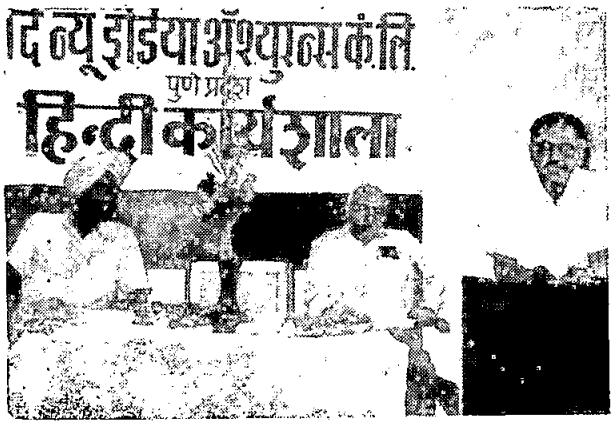


आठवीं हिन्दी कार्यशाला के संभागियों को सम्बोधित करते हुए संयुक्त सचिव, (राजभाषा) श्री शंभु दयाल

विचार गोष्ठी में प्रमुख वक्ता श्री राजेन्द्र यादव, सम्पादक "हंस" भाषण देते हुए। साथ में (बाएं से) न्यायाधिपति श्री गुमानमल लोढ़ा, श्री पदमाकर ज. पुणताम्बेकर, उ. म. प्रबन्धक (क्षे. का.) तथा राजभाषा प्रभारी अधिकारी श्री विनोद मेहरा।

महाडाकपाल, हैदराबाद कार्यालय में आयोजित हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन करते हुए निदेशक (सतर्कता) श्री एम. पी. राजन

कर्मचारी बीमा निगम पुणे द्वारा प्रकाशित "राजभाषा सरिता" का विमोचन करते हुए मुख्य अतिथि श्री सुमित लाल शाह

पटना में 'हिन्दी सेवी सम्मान' समारोह में पुरस्कार प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दुबे

सभा को संबोधित करते हुए उपमहानिदेशक डा. एन. डी. दत्ता बनिक। मंच पर (दाएं से) श्रीमती सुशीला रोहतगी, श्री भैरवनाथ सिंह, निदेशक, के. अ. ब्यूरों, डा. औतार सिंह पेंटल, महानिदेशक तथा निदेशक डा. आर. सी. रामचन्द्रन

नियम 8(4) के अधीन विनिर्दिष्ट (स्पेसीफाई) करने में पेश आती हैं, विशेष रूप से इस कारण कि न्यायालय की भाषा अंग्रेजी अथवा प्रादेशिक भाषा होती है तथापि हिन्दी भाषा राज्यों में ऐसा करने पर विचार किया जा सकता है। यह निर्णय किया गया कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हिन्दी भाषा राज्यों में स्थित कुछेक ऐसे स्थानीय कार्यालयों को नियम 8(4) के अधीन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट (स्पेसीफाई) करने की संभावना पर विचार किया जाएगा जहां के न्यायालयों की भाषा हिन्दी भी है।

डा. कालदाते ने यह उल्लेख किया कि 107 मामलों में सामान्य आदेश आदि को केवल अंग्रेजी में जारी कर दिया गया और इस प्रकार राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। सचिव (राजभाषा) श्री बी. बी. महाजन ने बताया कि कार्मिक मंत्रालय के आदेश सभी मंत्रालयों/विभागों में कार्यान्वित किए जाते हैं और इसलिए यह जरूरी है कि इन्हें द्विभाषी रूप में जारी किया जाए। यदि हिन्दी अनुवाद बाद में जारी किया जाता है तो वह केवल शैक्षिक रुचि का ही विषय हो सकता है। यह स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार के उल्लंघनों का मुख्य कारण यह था कि कुछ आदेश तनिक भी देर लगाए बिना जारी किए जाने जरूरी थे और आदेशों के हिन्दी अनुवाद में समय लग जाता है और परिणामतः देरी होती है। यह निर्णय लिया गया कि 107 सामान्य आदेशों आदि का हिन्दी अनुवाद यदि पहले ही जारी नहीं किया जा चुका है तो वह तत्काल जारी किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जाएंगे कि भविष्य में हिन्दी अनुवाद साथ-साथ जारी किया जाए।

श्री बी. बी. महाजन सचिव, (राजभाषा) ने बताया कि धारा 3(3) का अनुपालन एक सांविधिक अपेक्षा है और यदि हिन्दी स्टाफ की संख्या में कुछ कमी है तो उसे समुचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

"क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों के साथ मूल-पत्र व्यवहार में हिन्दी के प्रयोग की मात्रा में जो कमी आई है उसके बारे में सदस्य सचिव ने स्पष्ट किया कि पिछली तिमाही के आंकड़े कुछ बढ़-चढ़े थे। अब अनुभागों को इस प्रयोजन के लिए अलग रजिस्टर रखने होते हैं और इस कारण ताजा आंकड़े प्रामाणिक हैं और उनकी तसदीक की जा सकती है। यह स्पष्ट किया गया कि इस कमी का एक अन्य कारण कम्प्यूटरों का प्रयोग भी हो सकता है। लोक शिकायतों और पेंशनभोगियों के अनुरोधों के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले कम्प्यूटर केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं। इस संबंध में सचिव (राजभाषा) ने यह सूचित किया कि अंग्रेजी के कम्प्यूटरों को द्विभाषी बनाया जा सकता है। राजभाषा विभाग के निदेशक (तकनीकी) कम्प्यूटरों के द्विभाषी प्रयोग के मामले में पेंशन और पेंशन-भोगी कल्याण विभाग तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की मदद करेंगे।

संहिताओं, नियम पुस्तिकाओं, नियमों आदि के अनुवाद के सम्बन्ध में सदस्य सचिव ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कुल 35 नियम पुस्तिकाओं/संहिताओं/विनियमों/नियमों आदि में 14 पहले से ही द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं और 12 नियम पुस्तिकाओं/नियम आदि का हिन्दी अनुवाद तो किया जा चुका है किन्तु उनका प्रकाशन अंग्रेजी पाठ के अद्यतन बनाए जाने आदि जैसे किसी न किसी कारण से रुका पड़ा है। बाकी बचे काम के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। अध्यक्ष ने यह कहा कि द्विभाषी प्रकाशन का काम रोका नहीं जाना चाहिए क्योंकि संशोधन तो बराबर होते रहते हैं। नियमों और नियम पुस्तिकाओं के अनुवाद और मुद्रण के कार्यक्रम का पालन किया जाना चाहिए और जब कभी संशोधन किए जाएं उन्हें अलग से जारी किया जाना चाहिए।

कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में निर्धारित अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र के विकल्प के रूप में हिन्दी का एक प्रश्न-पत्र लागू किए जाने का प्रश्न अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है। सचिव (राजभाषा) ने यह बताया कि एक प्रस्ताव सभी सम्बन्धित विभागों में परिचालित किया जा चुका है और उनकी टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद इस मामले को मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान में प्रशिक्षण के माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग के लिए कुछ पाठ्य-क्रमों का पता लगाने पर विचार विमर्श हुआ। निदेशक (सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान) ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान में प्रशिक्षण के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और यह प्रयोग संतोषजनक पाया गया है। जहां तक प्रशिक्षण सामग्री के हिन्दी भाषा में उपलब्ध होने का सवाल है यह स्पष्ट किया गया कि हिन्दी में श्रेष्ठ प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है। अधिकांश व्यावसायिक पत्रिकाएं केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान से सम्बद्ध विषयों पर हिन्दी में श्रेष्ठ पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। यह सुझाव दिया गया कि राजभाषा विभाग कुछ ऐसी उत्तम प्रशिक्षण सामग्री का हिन्दी अनुवाद करने की संभावना पर विचार करे जो कि प्रशिक्षण संस्थानों में आमतौर पर प्रयोग में लाई जाती है।

मद संख्या 8 के बारे में श्री पी. श्रीनिवास शास्त्री ने यह कहा कि अनुबन्ध-3 पर रखी गई सूची अद्यतन नहीं है। विभिन्न स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों की हिन्दी परीक्षाओं और

हिन्दी की निर्धारित समतुल्य परीक्षाओं की एक अद्यतन सूची मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त की जाएगी और श्री शास्त्री को भेजी जाएगी। श्री शास्त्री ने कहा कि राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण केन्द्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं को कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं जबकि यह कहा गया है कि केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी राजभाषा विभाग के ऊपर है।

सचिव (राजभाषा) श्री महाजन ने यह स्पष्ट किया कि उनका विभाग केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। फिर भी यदि स्थानीय संस्थान विशेष रूप से अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थित संस्थानों को राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण केन्द्रों से किसी प्रकार की सहायता की जरूरत होगी तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और प्रशिक्षण केन्द्रों को जहां सम्भव हो वहां अपेक्षित सहायता देने के निदेश दिए जाएंगे। इस बात पर सहमति हुई कि इस सम्बन्ध में सचिव (राजभाषा) श्री शास्त्री के साथ विस्तार से विचार करेंगे ताकि अपेक्षित सहायता के स्वरूप और मात्रा का पता लगाया जा सके।

श्री कालदाते का यह विचार था कि वर्ष 1985-86 के दौरान पुस्तकालय में खरीदी गई हिन्दी पुस्तकों की संख्या बहुत कम है। यह उल्लेख किया गया कि हिन्दी की कई पुस्तकों को ज्ञानपीठ तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हिन्दी में मूल पुस्तकें लिखने के लिए भी कुछ मंत्रालय पुरस्कार दे रहे हैं। डा. चन्द्रशेखर का सुझाव था कि पुस्तकालय के लिए इस प्रकार की पुस्तकें भी खरीदी जानी चाहिएं। श्री शास्त्री यह महसूस करते थे कि केन्द्रीय सरकार के पुस्तकालयों में दक्षिण भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई हिन्दी पुस्तकों के खरीदने के मामले में किंचित उदासीनता रहती है। इस पर सचिव (राजभाषा) ने आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं है और यदि ऐसी पुस्तकों की कोई सूची उन्हें दी गई तो यह सुनिश्चित करेंगे कि गृह मंत्रालय के पुस्तकालय में, जिसका प्रयोग कार्मिक मंत्रालय द्वारा भी किया जाता है, इस प्रकार की पुस्तकें खरीदी जाएं।

सचिव (राजभाषा) ने यह बताया कि नेहरू प्लेस में स्थित प्रशिक्षण केन्द्र ने पुनः कार्य करना आरम्भ कर दिया है और हिन्दी टंकण/आशुलिपि के लिए सी. जी. ओ. काम्प्लेक्स में एक नया प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रयोजन से उपयुक्त स्थान की तलाश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

हिन्दी सम्बन्धी काम के लिए नए पदों के सृजन के बारे में अध्यक्ष केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने यह बताया कि उनका प्रस्ताव मानदण्डों पर आधारित न्यूनतम स्टाफ के लिए था किन्तु उसे अनुमोदन नहीं मिल पाया है। सचिव (राजभाषा) ने यह बताया कि राजभाषा अधिनियम आदि की सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हिन्दी पदों को भर्ती पर रोक (बैन) सम्बंधी सामान्य आदेशों से मुक्त रखे जाने के बारे में आवश्यक निदेश जारी किये जाने के लिए वे सचिव (व्यय) से सम्पर्क किये हुए हैं किन्तु ऐसा किये जाने में अभी कुछ समय लगेगा। समिति के सदस्यों ने इस स्थिति को नोट किया।

सचिव (राजभाषा) ने बताया कि नियमों के अनुसार हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में होनी चाहिए। अध्यक्ष ने सहमति व्यक्त की कि जहां तक सम्भव होगा इसका पालन किया जाएगा।

### 3. संसदीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक संसदीय कार्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री हर किशनलाल भगत की अध्यक्षता 11 सितम्बर, 1987 को हुई।

मंत्री महोदय ने पुनर्गठित समिति के सदस्यों का पहली बैठक में अपनी ओर से, राज्य मंत्रियों की ओर से तथा मंत्रालय की ओर से स्वागत किया।

मंत्री महोदय ने बताया कि मंत्रालय के विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन पर मंत्रालय नकद पुरस्कार योजना शुरू कर रहा है। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि मंत्रालय "संसदीय विषयों" पर अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी में लेख प्रतियोगिता का भी आयोजन करेगा। इन प्रतियोगिताओं की रूप-रेखा तैयार की जा रही है।

कुछ सदस्यों ने निवेदन किया कि मौलिक पुस्तकों पर नकद पुरस्कार योजना को यथाशीघ्र लागू किया जाए। इस पर मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि इस योजना को अगली बैठक से पहले शुरू कर दिया जाएगा। योजना के खर्चे आदि की मंजूरी के लिए मैं राज्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले में व्यक्तिगत स्तर पर वित्त मंत्री से सम्पर्क करें।

31 मार्च, 1987 को समाप्त तिमाही में मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति के बारे में कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की गति बढ़ाने के लिए एक अन्य अनुभाग को भी राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन हिन्दी में काम करने के आदेश जारी किए जाए। सचिव महोदय ने कुछ कठिनाईयों का हवाला दिया और इस और बढ़ाने के लिए अभी कुछ और समय मांगा। मंत्री महोदय ने समिति को आश्वासन दिया कि अगले छः मास के दौरान एक अन्य अनुभाग को नियम 8(4) के अधीन हिन्दी में काम करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने कहा कि मंत्रालय के सारे टेलीप्रिन्टर रोमन के हैं जो कि मंत्रीगणों के आवास अथवा कार्यालयों पर लगे हैं। इनमें से कुछ को हिन्दी में किया जाए। इस पर मंत्री महोदय ने कहा कि क्या ऐसा कर पाना संभव है? इसकी जांच की जाएगी।

हिन्दी में टिप्पण और आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना के संबंध में श्री शास्त्री ने कहा कि इसके वर्तमान स्वरूप के अनुसार जो हिन्दी में कार्य का न्यूनतम मानदण्ड रखा गया है उसके कारण बहुत ही कम संख्या में कर्मचारी इसमें भाग लेते हैं। इसे इस प्रकार का बनाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इसमें भाग ले सकें।

श्री वी. वी. महाजन, सचिव राजभाषा विभाग ने हिन्दी में टिप्पण-आलेखन पर नकद पुरस्कार योजना को विस्तार में बताते हुए कहा कि इसे और अधिक उदार बनाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। इस पर मंत्री महोदय ने कहा कि यह समिति राजभाषा विभाग से सिफारिश करती है कि उक्त योजना उदार बनाएं और इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करें।

आचार्य थोंडमि ने कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति पर पूर्वांचल के साथ-साथ दक्षिण भारत के सांसद भी नामित किए जाएं। मंत्री महोदय ने कहा कि मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हम कुल 4 सांसद (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामित कर सकते हैं। 2 सांसद संसदीय राजभाषा समिति की ओर से नामित होतेहैं। इस समिति का अभी हाल ही में पुनर्गठन किया गया है। इस कारण अभी इनमें परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। फिर भी समिति के पुनर्गठन के समय इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री ने कहा कि बैठक में चर्चा के लिए मदों पर जानकारी मिलने पर संतोष प्रकट किया। उन्होंने हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें नियमित बुलाई जाने का आग्रह किया।

### 4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास विभाग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की छठी बैठक दिनांक 28-8-87 को राज्य मंत्री श्री के. आर. नारायणन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

मन्त्री जी ने सभी उपस्थित सदस्यों और अधिकारियों का स्वागत किया और वैज्ञानिक विभागों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए सदस्यों के सुझावों पर पूरा ध्यान देने का आश्वासन दिया और आशा व्यक्त की कि सदस्यों के सहयोग और मार्गदर्शन से सभी वैज्ञानिक विभाग अपने लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। श्री वी. वी. महाजन, सचिव (राजभाषा) भारत सरकार की उपस्थिति विशेष उल्लेखनीय थी। सभी सम्बन्धित विभागों के अध्यक्षों ने अपने-अपने विभाग में हिन्दी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी पढ़ी। विभागों की हिन्दी कार्यान्वयन संबंधी टिप्पणी पर सदस्यों के सुझाव इस प्रकार हैं :—

श्री सुधाकर पाण्डेय ने हिन्दी पुस्तकों पर कम से कम 25 प्रतिशत तक व्यय करने का सुझाव दिया। इस सुझाव पर परस्पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय बजट का कम से कम 10 प्रतिशत हिन्दी की पुस्तकों पर व्यय किया जाएगा। उनका सुझाव था कि विभाग अपने यहां हिन्दी स्टैनो/टाइपिस्टों का एक पूल बनाएं ताकि हिन्दी में काम करने वाले अधिकारी उनकी सेवाओं का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें। उन्होंने "क" और "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों से हिन्दी में पत्राचार करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने डी. एस. आई. आर. के आंकड़े भी भविष्य में कार्यवृत्त में देने का अनुरोध किया और साथ ही वैज्ञानिक रिसर्च रिपोर्ट का अनवाद हिन्दी में करवा कर सभी सदस्यों को परिचालित करने का सुझाव दिया।

डा. पी. डी. शुक्ल ने "पेंग्विन के देश में" नामक पुस्तक के लिए डा. कासिम को बधाई देते हुए सुझाव दिया कि इसी प्रकार की वैज्ञानिक पुस्तकें योग्य अध्यापकों से लिखवाई जाएं और मिडिल, सैकेण्डरी तथा कालेज स्तर तक इस प्रकार की वैज्ञानिक पुस्तकें बच्चों के बीच पहुंचाई जाएं। सभी सदस्यों का मत था कि समुद्र विज्ञान पर दृश्य-श्रव्य (आडियो विजुअल) फिल्मों को टेलीविज़न के माध्यम से पहुंचाया जाए और वैज्ञानिक फिल्मों की स्क्रिप्ट हिन्दी में तैयार करवाकर हिन्दी में ही दिखाई जाए।

श्रीमती कमला रत्नम एवं अन्य सदस्यों ने वैज्ञानिक खोज की पुस्तकों को सिर्फ अंग्रेजी और हिन्दी में ही नहीं अपितु सभी भारतीय भाषाओं में लिखे जाने पर ज़ोर दिया। सदस्यों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अंग्रेजी प्रकाशनों की भांति हिन्दी के प्रकाशनों को भी समय पर निकाला जाना चाहिए। सदस्यों ने सुझाव दिया कि विज्ञान पर अतिरिक्त लेख और विवरण देकर उसे प्रतिदिन दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाना चाहिए।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा अन्य विभागों ने हिन्दी के पदों के सृजन में आने वाली कठिनाइयों की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि पदों के सृजन पर लगी पाबन्दी हिन्दी पदों पर लागू नहीं होती है, परन्तु फिर भी पदों के सृजन में काफी समस्याएं आती हैं। मानचित्रों को द्विभाषी रूप में निकाले जाने के संबंध में भारत सर्वेक्षण विभाग ने बताया कि वे नक्शे रक्षा मंत्रालय के लिए बनाते हैं जो कि अंग्रेज़ी में ही होते हैं जबकि अन्य बाल-मैप, रेलवे-मैप, रोड-मैप, भौगोलिक मैप हिन्दी में होते हैं। सर्वेक्षण विभाग ने स्पष्ट किया कि अंग्रेज़ी के नाम हिन्दी में करने में काफी कठिनाई आती है और नाम बदलने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति लेनी पड़ती है। सदस्यों ने मानचित्रों को देवनागरी लिपि में लिखने का सुझाव दिया।

## 5. राजस्व तथा व्यय विभाग

राजस्व तथा व्यय विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति की वित्तीय वर्ष 1987-88 की पहली बैठक श्री बी. के. गढ़वी, वित्त राज्य मंत्री (व्यय) की अध्यक्षता में 7 अगस्त, 1987 को नई दिल्ली में हुई। बैठक में राज्यभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के संयुक्त सचिव श्री शंभू दयाल की उपस्थिति उल्लेखनीय थी।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक का प्रारंभ करते हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया और राजभाषा के व्यवहार के विषय में उन्हें अवगत कराया। इस दिशा में किए गए प्रयासों के सम्बन्ध में 25-3-87 से 31-3-87 के दौरान कार्यशालाओं के आयोजन का उन्होंने उल्लेख किया। इसके, इस संदर्भ में 18-6-87 से 24-6-87 तक लगभग 80 अनुभागों और 5 नियंत्रणाधीन कार्यालयों के हित सम्पन्न हुई कार्यशालाओं का भी जिक्र हुआ। हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने में वित्तीय साहित्य पुरस्कार योजना और वित्तीय निबंध प्रतियोगिता योजना के अवदान की भी मंत्री जी ने चर्चा की।

निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया :—

राजस्व विभाग में निदेशक (हिन्दी) का जो पद कुछ वर्ष पूर्व सृजित हुआ था तथा जो समय पर न भरे जाने के कारण समाप्त हो गया था, उसे अलिम्ब भरा जाए।

अध्यक्ष महोदय ने समिति को आश्वासन दिया कि निदेशक (हिन्दी) का पद भरने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी और समिति की आगामी बैठक में इस बारे में सदस्यों को अवगत करवा दिया जाएगा।

हिन्दी के पदों को बनाने व उन्हें भरने के लिए कार्यभार को आधार मानने की बजाय, हिन्दी से संबंधित सांवैधानिक अपेक्षाओं को आधार बनाया जाए। प्रायः यह कहा जाता है कि हिन्दी का कार्य नहीं है इसलिए पद बनाना मुश्किल है, जबकि दूसरी ओर यदि पद नहीं होंगे, तो काम कैसे किया जाएगा। इस बारे में कोई निश्चित कदम उठाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में समिति को बताया कि यद्यपि वे उन सभी पदों को स्वीकृति प्रदान करते आए हैं जिनमें समुचित औचित्य दर्शाया गया हो। फिर भी, सभी वित्तीय सलाहकारों को मिल-बैठकर इस बारे में विचार करना चाहिए कि क्या हिन्दी के पदों के बारे में मानदंड आदि के विषय में कोई युक्तिसंगत प्रक्रिया अपनाई जा सकती है ?

सभी कार्यालयों में कम से कम एक हिन्दी टाइपिस्ट व टाइपराइटर अवश्य दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में जहां हिन्दी का कोई टंकक अथवा टाइपराइटर नहीं है, वहां इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। इसी संदर्भ में उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जहां-जहां हिन्दी का स्टाफ मौजूद है चाहे वह टंकक हो अथवा आशुलिपिक, वहां उनसे हिन्दी का काम भी बाकायदा लिया जाना चाहिए।

वित्तीय विषयों पर हिन्दी में मूल पुस्तक-लेखन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साहित्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। अन्य विभागों/कार्यालयों में यह राशि पहले ही बढ़ाई जा चुकी है।

अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।

हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में उनकी गोपनीय रिपोर्टों में एतत् संबंधी प्रशासनात्मक टिप्पणी दर्ज की जानी चाहिए।

समिति के अधिकांश सदस्य इस बात से सहमत थे कि जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में अथवा हिन्दी के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में उनकी रिपोर्टों में अच्छी टिप्पणी दर्ज करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उनका मंत्रालय इस आशय का एक पत्र राजभाषा विभाग को लिखेगा।

हिन्दी सलाहकार समिति तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने की दृष्टि से अपना अधिक-से-अधिक सरकारी काम-काज हिन्दी में किया जाए और उनके द्वारा किए जा रहे हिन्दी के कार्य की मात्रा के बारे में समिति को अवगत करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने समिति को बताया कि वे इस प्रकार के न केवल तत्काल निर्देश जारी करवाएगें बल्कि यह भी कोशिश करेंगे कि हिन्दी सलाहकार समिति तथा राजभाषा-कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा अपना अधिक-से अधिक काम हिन्दी में किया जाए और उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की मात्रा के बारे में समिति को अवगत करवाया जाए।

### अन्य सुझाव

1. सभी विभागों/कार्यालयों में हिन्दी टंकक/आशुलिपिकों की प्रशिक्षण गति तीव्र की जाए और हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या बढ़ाई जाए।

2. टैलेक्स, कंप्यूटर आदि यंत्र अनिवार्य रूप से द्विभाषिक ही खरीदे जाएं।

हिन्दी भाषी राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार शत-प्रतिशत हिन्दी में किया जाए।

# (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

## 1. तिरुअनंतपुरम (बैंक)

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छठी बैठक दिनांक 23-9-1987 को तिरुअनंतपुरम में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं केनरा बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री बी. ए. प्रभु ने की। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, के प्रतिनिधि के रूप में, श्री डी. कृष्ण परिणक्कर, सहायक निदेशक, दक्षिणी क्षेत्र, बेंगलूर ने भाग लिया। भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक मुख्य अधिकारी श्री पी. के. एस. नायर, केनरा बैंक के मंडल प्रबंधक श्री यु. पी. कामत एवं श्री आर. एस. एल. प्रभु, केरल हिन्दी प्रचार सभा के सचिव श्री एम. के. वेलायुधन नायर विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित हुए।

बैठक के प्रारंभ में श्री यु. पी. कामत ने सभी सभासदों का स्वागत किया। केनरा बैंक के राजभाषा अधिकारी एवं समिति के सचिव श्री एम. पी. गोपालकृष्णन ने समिति के कार्यकलापों के संबंध में छः माही रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अपने प्रारंभिक वक्तव्य में श्री पणिक्कर ने बैंकों से अनुरोध किया कि सरकार की नीति का पालन करने के लिए भरसक कोशिश करें। उन्होंने पत्राचार को बढ़ाने की जरूरत पर प्रकाश डाला।

इस बैठक में चर्चा के लिए आई कुछ विशेष मदें थीं– तिरुअनंतपुरम में अनुवाद प्रशिक्षण की सुविधा, विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं के शुल्कों की बढ़ाई गई दरें, नगर में पर्याप्त मात्रा में हिन्दी पाठ्यपुस्तकों का उपलब्ध न होना, केरल राज्य की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आदि। साथ ही, सदस्य बैंकों की प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई।

चर्चाओं का समापन करते हुए केनरा बैंक के मंडल प्रबंधक श्री आर. एस. एल. प्रभु ने, भारत सरकार की राजभाषा ट्राफी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में समिति को बधाई दी। उन्होंने घोषणा की कि केनरा बैंक की तरफ से इस समिति के सदस्य बैंकों के लिए एक रोलिंग शील्ड की व्यवस्था की जाएगी।

इस अवसर पर श्री एम. के. वेलायुधन नायर ने आश्वासन दिया कि बैंकों के कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने आदि कार्यों में केरल हिन्दी प्रचार सभा अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने समिति के कार्यकलापों के प्रति संतोष व्यक्त किया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री बी. ए. प्रभु ने, सदस्य बैंकों को उनके सहयोग एवं सहभागिता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह समिति अपने लक्ष्यों के प्रति सजग है और उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में हम और भी कई पुरस्कार प्राप्त करेंगे।

विजया बैंक, प्रभागीय कार्यालय, तिरुअनंतपुरम की श्रीमती पी. सरस्वती अम्मा के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

## 2. मद्रास

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मद्रास की चौथी बैठक दि. 17-9-87 को श्री एम. वाइ. के. मैनन, मुख्य आयकर आयुक्त, मद्रास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से श्री वीर अभिमन्यु कोहली, उपसचिव (का), बेंकलूर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से श्री रामचन्द्र मिश्र, उप निदेशक (का) और श्री शशि भूषण प्रसाद, उप निदेशक (दक्षिण) हिन्दी शिक्षण योजना, मद्रास उपस्थित रहे।

बैठक का प्रारम्भ उप निदेशक (का) द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए हुआ। तत्पश्चात अध्यक्ष श्री मैनन हिन्दी में भाषण देते हुए राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन में श्रेष्ठ कार्य करने वाले निम्नलिखित आठ कार्यालयों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

1. भारत पैट्रोलियम, क्षेत्रीय कार्यालय
2. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं., प्रधान कार्यालय
3. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मज मैनुफेक्चरिंग कंपनी लि.
4. दक्षिण रेलवे कार्यालय
5. सवारी डिब्बा कारखाना

6. आयकर आयुक्त का कार्यालय
7. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)
8. तम्बाकू विकास निदेशालय

बैठक में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री कोहली ने अपने भाषण में सरकारी काम काज में सरल हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया। अनुवाद की अपेक्षा मूल लेखन अधिक प्रभावी होगी और उसमें कृत्रिमता नहीं रहेगी तथा वह भाषा सभी की समझ में आएगी। धीरे-धीरे अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ग्रहण करेगी। अभी इस समय द्विभाषी स्थिति है जिसको अपनाना जरूरी है क्योंकि इससे पढ़ने का वातावरण बनेगा, शब्दों के प्रति जान-पहचान बढ़ेगी और तब कार्यान्वियन जैसे कठिन शब्द सरल प्रतीत होंगे।

दक्षिण क्षेत्र के उप निदेशक (का) श्री मिश्र ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि तिमाही रिपोर्टें उनके कार्यालय में भेजी जाएं। राजभाषा कार्यान्वियन समितियों की बैठकों की सूचना ठीक समय पर मिलेगी तो वे उन बैठकों में उपस्थित होकर मार्गदर्शन भी करेंगे।

अन्त में समिति के सचिव एवं निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त श्री ए. सी. चन्द्र ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

### 3. मंगलूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मंगलूर की तीसरी बैठक दिनांक 23 सितम्बर 1987 को कारपोरेशन बैंक (प्रधान कार्यालय )में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कारपोरेशन बैंक के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक श्री वाई.एस. हेंगड़े ने की और राजभाषा विभाग नई दिल्ली से उप सचिव (का) श्री वीर अभिमन्यु कोहली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सर्व कार्य प्रभारी अधिकारी श्री टंक साली तथा हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक डा. जोस आस्टिन ने भी बैठक में भाग लिया। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री हेगेड़े ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य अतिथि श्री कोहली ने अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए सरल हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया तथा यह सलाह दी कि देवनागरी में लिखकर अंग्रेजी तथा स्थानीय प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ-साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकारियों को चाहिए कि वे 1976 के नियम 12 के अन्तर्गत उन्हें दिए दायित्व को कर्तव्य समझ कर निभाएं और किसी प्रकार उल्लंघन न होने दें। उन्होंने कहा कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएंगे। धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले कागजात द्विभाषिक जारी हों और पत्राचार की मात्रा (जो वार्षिक कार्यक्रम में 10 प्रतिशत रखी गई है ) पूरा करने की ओर ध्यान दें। इसके पश्चात् पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूर के उप निदेशक श्री रामचन्द्र मिश्र ने सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कठिनाईयों व समस्याओं का निराकरण किया और विभाग की ओर से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया कि श्री हेगड़े व उनके सहयोगी अधिकारी महाप्रबंधक श्री के. आर. शेणें, उप महाप्रबंधक श्री अलवा, सहायक महाप्रबंधक श्री लक्षमण्मूर्ति और श्री एस. एस. नायक जैसे अधिकारी के निष्ठावान प्रयत्नों से इस नगर में प्रशंसनीय प्रगति तथा उपलब्धियां हासिल हुई हैं। बैठक में उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

इस अवसर पर समिति को ओर से प्रोत्साहन के रूप में प्रशंसनीय कार्य करने वाले निम्नलिखित कार्यालयों को श्री कोहली ने प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए:—

(1) केनरा बैंक, आँचल कार्यालय मंगलूर
(2) सिंडीकेट बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, मंगलूर
(3) नाबार्ड प्रशिक्षण विद्यालय, मंगलूर
(4) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मंगलूर
(5) निदेशक, दूर संचार, मंगलूर
(6) यूनियन बैंक आफ इण्डिया, हम्पन कट्टा शाखा, मंगलूर
(7) बैंक आफ महाराष्ट्र, मंगलूर।

बैठक का कुशल संचालन कारपोरेशन बैंक के हिन्दी अधिकारी श्री नरसिंह प्रसाद यादव ने किया।

### 4. पारादीप

दिनाक 10-9-87 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक पारादीप पत्न न्यास में श्री राधानाथ सत्पथी उपाध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित कार्यालयों, उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के 18 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए:—

(1) पारादीप पत्तन न्यास
(2) युनाईटेड बैंक आफ इंडिया
(3) भारतीय स्टेट बैंक
(4) आयल इंडिया लि.
(5) केन्द्रीय विद्यालय
(6) सहायक समाहर्ता सीमा शुल्क
(7) केनरा बैंक
(8) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(9) भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम
(10) भारतीय इस्पात प्राधिकरण
(11) सहायक निदेशक, डाक सेफ्टी

श्री धनी राम कोष्ठी, उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता ने राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया।

सर्वप्रथम सचिव श्री आर. के. मिश्रा, ने उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

तत्पश्चात् श्री सत्यथी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में आपस में बैठ कर चर्चा करने के लिए बनाए गए फोरम की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त किए और कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाईयों के समाधान के लिए आपस में विचार विमर्श करने का परामर्श दिया।

सभी कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी और इस संबंध में आने वाली कठिनाईयां सामने रखी। उप निदेशक (पूर्व) ने प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई शंकाओं का समाधान किया।

बाद में श्री धनीराम कोष्ठी, उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने अपने संबोधन में भारत सरकार की राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सभी उपस्थित अधिकारियों से अनुरोध किया। उनके द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति और राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया। यह स्पष्ट किया गया कि पारादीप "ग" क्षेत्र में आता है, अतः "ग' क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का भरसक प्रयास किया जाए। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाली कागजात द्विभाषी रूप में निकाले जाएं और हिन्दी पत्रों तथा आवेदन पत्रों आदि के उत्तर हिन्दी में दिए जाएं। "क" और "ख" क्षेत्रों के कार्यालयों से 10% पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उक्त कार्य के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हिन्दी स्टाफ और देवनागरी टाईपराईटरों की व्यवस्था की जाए।

### 5. हैदराबाद

हदराबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 10वीं बैठक दिनांक 11-8-1987 को श्री प. क. श्री निवासन, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

उन्होंने सभा में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि अभी हाल ही में 7 जुलाई को हैदराबाद में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, जिसमें सचिव राजभाषा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे, गृह राज्य मंत्री माननीय चिंतामणी पाणिग्राही की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मंत्री महोदय ने राजभाषा अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की अपील की। इस समारोह का उद्घाटन करते हुए आन्ध्र प्रदेश की राज्यपाल महामहिम कु. कुमुदबेन जोशी ने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार पर बल देते हुए कहा कि हिंदी का प्रश्न राष्ट्र की अस्मिता और चरित्र से जुड़ा है। उन्होंने आह्वान किया कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय अखंडता के हित में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

हमें इस आह्वान को स्वीकार करते हुए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग लगातार बढ़ता रहे। हैदराबाद-सिकंदराबाद नगरद्वाय दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है और हम अपने यहां हिन्दी को जितना आगे बढ़ाएंगें उसका उतना ही अनुकल प्रभाव दक्षिण भारत पर पड़ेगा। इस संदर्भ में हिन्दी के प्रयोग प्रसार के क्षेत्र में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें देखना है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारी अधिकारी और कर्मचारी अपने नोट और पत्रादि मूल रूप से हिन्दी में लिखें ताकि वह स्वर्णिम दिन शीघ्र आ जाए जब हमारे कार्यालयों में काम काज संपूर्ण रूप से हिन्दी में चले। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रशिक्षण में तेजी लानी होगी, जो प्रशिक्षित हो चुके है, उनकी सुविधा के लिए कार्यशालाएं चलानी होंगी और सुनिश्चित करना होगा कि वे अपना थोड़ा बहुत काम हिन्दी में करने लगें।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में हमारे सभी सदस्य कार्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतियोगी भावना उत्पन्न करने के निमित्त में दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से इस समिति को एक रोलिंग शील्ड भेंट कर रहा हूं। यह शील्ड हर वर्ष उस कार्यालय को दी जाएगी, जिसकी फाईलों पर लिखें जानेवाले नोटों और पत्रव्यवहार में हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग होगा। आशा है कि हमारी यह छोटी सी भेंट आप स्वीकार करेंगे।

### 6. बम्बई (बैंक)

20 अगस्त, 1987 को इंडियन मर्चेंटस चेंबर, चर्चगेट, बंबई में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बंबई की चौथी बैठक संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालक एवं राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे।

राजभाषा विभाग की ओर से अनुसंधान अधिकारी श्री महेशचंद्र पुरोहित तथा हिन्दी शिक्षण योजना उप के निदेशक श्री उधोराम सिंह, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-मुख्य अधिकारी श्री नारायण प्रसाद पांडे ने सदस्य बैंकों की समस्याओं एवं सुझावों पर विचार-विमर्श किया। राजभाषा हिन्दी का बैंकों में अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए चर्चा हुई। साथ ही हिन्दी का अधिकाधिक

प्रयोग करने के लिए वर्तमान स्थितियों और ढांचे में किस तरह मार्ग खोजा जा सकता है, इसके बारे में भी सदस्यों में विचार-विमर्श किया। सैंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रभारी राजभाषा अधिकारी श्री रा. वि. तिवारी और पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक श्री सर्वदेव मिश्रा आदि ने चर्चा में भाग लिया।

अंत में, समिति के अध्यक्ष एवं बैंक आफ महाराष्ट्र के उप महाप्रबंधक श्री श्री. द. बेन्द्र ने कहा कि हमें हमारे दैनिक कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करना है। बंबई एक ऐसा शहर है, जहां हिन्दी संपर्क भाषा के रूप में लोकप्रिय है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने इस समिति के श्रेष्ठ संयोजन के लिए शील्ड और प्रमाण-पत्र से पुरस्कृत किया है।

### 6. लुधियाना

लुधियाना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 13वीं बैठक 28-8-1987 को श्री आर. के मल्होत्रा आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजस्व भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में लुधियाना स्थित विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों ने बैंकों इत्यादि के कार्यालयाध्यों/प्रतिनिधियों के भाग लिया।

समिति के नए अध्यक्ष श्री आर. के. मल्होत्रा आयकर आयुक्त (केन्द्रीय ने सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। सदस्यों के परिचय के बाद बैठक की कार्यवाही आरंभ हुई।

**(1) हिन्दी टाइप प्रशिक्षण** — सदस्य सचिव ने बताया कि समिति की गत बैठक में विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के कम से कम एक-एक कर्मचारी को आयकर विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र में हिन्दी टाइप प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया था। निर्णयानुसार निम्नलिखित चार कार्यालयों के एक-एक कर्मचारी को अप्रैल-जून, 87 के सत्र में प्रशिक्षित किया गया—(1) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क मंडल, लुधियाना। (2) तार परिभात लुधियाना मंडल, लुधियाना (3) जिला प्रबंधक टैलीफोन तथा (4) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, लुधियाना।

जुलाई-सितंबर के सत्र में निम्नलिखित कार्यालयों के एक-एक कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जा रहा है:—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (2) पंजाब नैशनल बैंक (3) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (4) निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-1 कार्यालय लुधियाना।

**2. पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग** :—बैठक में बताया गया कि वर्ष 1987-88 के लिए भी वही लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो वर्ष 1986-87 के लिए 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार कार्यालयों से 'क' क्षेत्र तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे जाने वाले कुल पत्रों में से 50 प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजे जाने चाहिए। सह सदस्य सचिव ने बताया कि बैठक में समीक्षा हेतु सदस्य कार्यालयों से प्रगति रिपोर्ट मंगाई गई थी। निम्नलिखित कार्यालयों में गत तिमाही में हुए पत्राचार की स्थिति इस प्रकार है:—

| | कार्यालयों द्वारा भेजे गए कुल पत्र | हिन्दी में भेजे गए पत्र |
|---|---|---|
| 1. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, | 1604 | 236 |
| 2. बैंक आफ इंडिया, घंटाघर शाखा | पत्राचार की संख्या दर्शाई नहीं गई है। | |
| 3. कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय | 13809 | 7916 |
| 4. सामुदायिक डिब्बाबंदी एवं फल परिरक्षण कार्यालय | पत्राचार की संख्या दर्शाई नहीं गई है। | |
| 5. यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कं. डवीजन नं. एक | 2107 | 7 |
| 6. आयकर आयुक्त (के) कार्यालय | 1954 | 473 |
| 7. नि.स.आ.आ. (के) रें-II लुधि. | 1450 | 325 |
| 8. नि. सा. आ. आ. (के) रें. लुधियाना | 1200 | 250 |
| 9. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क मंडल | 10680 | 5360 |
| 10. नि.स.आ.आ. रेंज-I लुधियाना | 1099 | 234 |
| 11. तार परियात मंडल, लुधियाना | पत्राचार की संख्या दर्शाई नहीं गई है। | |
| 12. इलाबाद बैंक घंटाघर शाखा | 495 | 305 |

**3. केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को राजपत्र में अधिसूचित करना** :—राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कम से कम 80% कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके नाम राजपत्र में अधिसूचित करवाए

जाने अपेक्षित हैं। सहसदस्य सचिव ने बताया कि आयकर विभाग के लुधियाना स्थित सभी कार्यालय राजपत्र में अधिसूचित करवाए जा चुके हैं। बैंकों के प्रतिनिधियों ने बताया कि अभी तक किसी भी बैंक के कार्यालयों को अधिसूचित नहीं करवाया गया है, परन्तु इस दिशा में कार्रवाई अवश्य की जा रही है। अध्यक्ष महोदय के निदेश पर सहसदस्य सचिव ने बताया कि जिन कार्यालयों से प्रगति रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, उनके कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान की स्थिति इस प्रकर है :—

| | कर्मचारियों की संख्या अधिकारियों/ वर्ग "घ" के कर्मचारियों को छोड़कर | हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वालों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन | 47 | 44 |
| 2. बैंक आफ इंडिया, घंटाघर शाखा | 62 | 62 |
| 3. कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय | 147 | 140 |
| 4. सामुदायिक डिब्बाबंदी एवं फल परिरक्षण केन्द्र | 5 | 5 |
| 5. यूनाईटिड इंडिया इंशोरेंस कं. | 19 | 19 |
| 6. आयकर आयुक्त (के) कार्यालय | 27 | 27 |
| 7. नि.स.आ.आ. (के) रेंज-II, लुधियाना | 22 | 22 |
| 8. नि.स.आ.आ. (के) रेंज-I, लुधियाना | 20 | 20 |
| 9. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क मण्डल | 74 | 71 |
| 10. नि.स.आ.आ. रेंज-I, लुधियाना | 113 | 113 |
| 11. तार परियात मण्डल, लुधियाना | 262 | 244 |
| 12. इलाहाबाद बैंक, घंटाकर शाखा | 47 | 47 |

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से अनुरोध किया कि जिन कार्यालयों के 80 % कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों को राजपत्र में अधिसूचित करवाने के लिए अपने-अपने मुख्यालय को लिखें। जिन कार्यालयों को अधिसूचित करवाया जा चुका है, उनके कुछ अनुभागों को राजभाषा नियम 8(4) के अधीन अपना समस्त मूल कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए। प्रत्येक कार्यालय में कम-से-कम स्थापना अनुभाग को तो इस कार्य के लिए विनिर्दिष्ट किया जा ही सकता है।

3. निर्धारित प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग

राजभाषा अधिनियम 3(3) के अनुसार संकल्प, सामान्य आदेश नियम अधिसूचिनाओं इत्यादि का द्विभाषी जारी किया जाना अवश्यक है। सहसदस्य सचिव ने बताया कि यदि हिन्दी स्टाफ न होने के कारण यदि किसी कार्यालय में धारा 3(3) का अनुपालन संभव न हो तो उन कार्यालयों में राजभाषा विभाग के 21-2-76 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/12071/13/75/रा. भा. (ग) के अनुसार अनुवाद करवाया जा सकता है।

5. देवनागरी टाइपराइटरों तथा द्विभाषी यांत्रिक, इलैक्ट्रानिक उपकरणों की व्यवस्था।

नियमानुसार प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक देवनागरी टाइपराइटर होना आवश्यक है तथा वर्ष के दौरान खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटरों के कम से कम 25 % देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जाने चाहिए। श्री डी. वी. अरोड़ा, आयकर अधिकारी (मुख्या.) ने बताया कि आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) प्रभार में 5 नए देवनागरी टाइपराइटर मंगाए गए हैं ताकि प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध करवाया जा सके। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित जांच बिन्दु

लगभग सभी सदस्यों का कहना था कि उनके कार्यालयों द्वारा पहले से ही जांच बिन्दु स्थापित किए गए हैं तथा उनका पालन किया जा रहा है।

अन्त में श्री आर. के. मल्होत्रा, अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना ने इस बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे अपने-अपने कार्यालयों में जाकर, बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करवाने एवं वार्षिक कार्यक्रम 1987-88 में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव कदम उठाएं।

### 7. पटना (बैंक)

पटना नगर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 2 सितम्बर, 1987 को आयोजित पांचवीं बैठक में श्री प्रितपाल सिंह जनेजा, आंचलिक प्रबंधक, बैंक आफ इंडिया आंचलिक कार्यालय तथा अध्यक्ष नगर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न बैंकों के 50 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। बैंकों के आंचलिक प्रबंधकों और क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं राजभाषा अधिकारियों की

उपस्थिति भी उत्साहवर्धक रही । बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में श्री डी. आर. कोष्ठी, उपनिदेशक (पूर्व) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, कलकत्ता ने भाग लिया ।

श्री यशपाल महाजन, उप आंचलिक प्रबंधक, बैंक आफ इंडिया ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया । बैंक आफ इंडिया की ओर से हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य के लिए रखी गई 3 शील्ड श्री कोष्ठी के माध्यम से बैंक आफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं को प्रदान करायी गई ।

बैठक की कार्यवाही निम्नवत् चली:—

(1) पिछले कार्यवृत्त की पुष्टि

(2) सचिवीय रिपोर्ट

(3) बैंकों की प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा

(4) वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम की स्थिति—बैंक आफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, नवार्ड, युको बैंक, सेन्ट्रल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा और इंडियन बैंक ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में की गई प्रगति का परिचय दिया ।

तत्तपश्चात् श्री धनीराम कोष्ठी ने बैठक को सम्बोधित करते हुए राजभाषा के कार्यान्वयन में हो रही उत्साह वर्धक प्रगति के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला ।

अंत में श्री जुनेजा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सदस्यों से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में ठोस प्रगति लाने और लक्ष्यों को पूर्णरूपेण प्राप्त करने का आह्वान किया ।

### 8. इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश)

मण्डल कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर के सभाकक्ष में दिनांक 10/9/87 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इज्जतनगर-बरेली की बैठक श्री सूर्य दत्त शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । इस बैठक में नगर के विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों, बैंकों, निगमों आदि के सदस्यों ने भाग लिया । बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री सूर्य दत्त शर्मा ने कहा कि हम लोग वर्ष में दो बार राजभाषा हिन्दी के प्रयोग-प्रसार के सम्बन्ध में हुई प्रगति का लेखा जोखा करने के लिए एकत्रित होते हैं । इज्जतनगर मण्डल में हिन्दी की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मण्डल से "क" क्षेत्र के लिए अधिकांश पत्र हिन्दी में ही भेजे जाते हैं । रेल के इज्जतनगर मण्डल में इस समय हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत 93 है । उन्होंने कहा कि तकनीकी विषयों में भी हिन्दी का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है । रेल के विभिन्न तकनीकी विभागों में हिन्दी का अच्छा प्रयोग किया जा रहा है । कार्यालयों के प्रधान और वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से ही पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है ।

सदस्यों के अनुरोध पर अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने मण्डल राजभाषा अधिकारी श्री जगदीश नाथ श्रीवास्तव के संयोजकत्व में एक उप समिति का गठन किया जो नगर के विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों में समय-समय पर हिन्दी-प्रयोग की प्रगति का निरीक्षण भी करेगी ।

### 9. जबलपुर

जबलपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दसवीं बैठक दिनांक 14-9-87 को तोपगाड़ी फैक्टरी में आयोजित की गई । इसमें लगभग 60 केन्द्रीय कार्यालयों तथा उपक्रमों के प्रतिनिध उपस्थित थे । समिति के सचिव श्री शशिधर डिमरी ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के आधार पर बनाई समेकित प्रगति रिपोर्ट का वाचन किया । आपने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के संवैधानिक उपबंधों की विशेष चर्चा करते हुए अनुरोध किया कि इन अनुदेशों का उचित रूप से पालन करें ।

समिति के अध्यक्ष श्री वे. पलनि पाण्डि, महाप्रबंधक तोपगाड़ी फैक्टरी जबलपुर ने अपने उदबोधन में कहा कि राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा नीति को लागू करने की जिम्मेदारी विभाग प्रमुखों को सौंपी गई है, अतः हमें यह देखना है कि हमारे कार्यालयों में राजभाषा नियमों का पूर्ण रूप से पालन हो । अधिकारीगण छोटे-छोटे नोट हिन्दी में लिखें और अपने अधीनस्थ स्टाफ को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करें । उन्होंने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने पर भी बल दिया । श्री पाण्डि ने कहा कि राजभाषा की प्रगति का एक यह भी मापदण्ड होगा कि किन-किन कार्यालयों में इन योजनाओं को लागू किया गया है ।

राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई के सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) श्री जयप्रकाश, विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों के पूछे गए प्रश्नों का उचित हल सुझाया ।

उप निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, जबलपुर, के सौजन्य एवं सहयोग से प्राप्त राजभाषा विभाग द्वारा तैयार एक हिन्दी वृत्त चित्र का प्रदर्शन भी इस अवसर पर किया गया। अन्त में तोपगाड़ी फैक्टरी राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री वि. कु. सिंह, उप महाप्रबन्धक (प्रशासन) के कृतज्ञता ज्ञापन के पश्चात समिति की बैठक समाप्त हुई ।

## 10. इन्दौर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इन्दौर की सातवीं बैठक भारतीय जीवन बीमा निगम मण्डल कार्यालय 19, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर में दिनांक 21 अगस्त, 1987 को प्रारम्भ हुई। समिति के अध्यक्ष श्री ना. राजा, समाहर्ता, केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क (मध्य प्रदेश) ने बैठक की अध्यक्षता की।

मेजबान कार्यालय भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री एस.पी. सूबेदार ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि आज नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हमारे कार्यालय में हो रही है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं।

हिन्दी हमारी राजभाषा है इसे सरकारी कामकाज में आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इन्दौर के अध्यक्ष श्री ना. राजा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि नगर राजभाषा समिति की सातवीं बैठक में शामिल होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। हिन्दी एकता की कड़ी है, हम अपने विभागों से आकर यहां हिन्दी के लिए जुड़े हैं। हिन्दी— हमें आपस में मिलाती है और हम मिलकर एक दूसरे के सहयोग से हिन्दी के काम को आगे बढ़ायेंगे।

यह हमारा दायित्व है कि हम अपने विभागों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का पालन कराएं, हिन्दी सम्बन्धी आदेशों को लागू कराएं। राजभाषा नियम 12 के अनुसार कार्यालय प्रमुख की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्यालय में राजभाषा नीति को लागू करें और हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय करें।

समिति के सचिव श्री राजकुमार केसरवानी ने तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की।

**1. तिमाही प्रगति रिपोर्ट—**

नगर समिति की सातवीं बैठक में विचारार्थ, प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर नगर में हिन्दी-प्रगति का विवरण नीचे लिखे अनुसार है :—

**(1) प्राप्त हिन्दी पत्र व उनके उत्तर :—**

| | | |
|---|---|---|
| 1. प्राप्त कुल हिन्दी पत्रों की संख्या | — | 1,38,097 |
| 2. इनमें से हिन्दी में दिए उत्तर | — | 67,938 |
| 3. इनमें से अंग्रेजी में दिए गए उत्तर | — | 1,760 |

निम्नांकित कार्यालयों ने उनके सामने दर्शाए गए हिन्दी पत्रों के उत्तर "अंग्रेजी" में दिए हैं, जो कि राजभाषा नियम 5 का उल्लंघन है।

वे कृपया हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में देना सुनिश्चित करेंगे :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. दूर संचार निर्माण मंडल | — | 69 |
| 2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम | — | 51 |
| 3. निदेशक, डाक सेवाएं | — | 1550 |
| 4. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | — | 81 |
| 5. निरीक्षकीय सहायक आयुक्त, आयकर विभाग, वृत्त-2 | — | 9 |
| | | 1760 |

**(2) पत्र व्यवहार :**

| | | |
|---|---|---|
| हिन्दी में | — | 1,59,291 |
| अंग्रेजी में | — | 1,16,015 |
| कुल | — | 2,75,306 |
| हिन्दी % | — | 58 प्रतिशत |

**(3) द्विभाषिक कागजात :**

| | | |
|---|---|---|
| कुल जारी | — | 18,834 |
| द्विभाषिक | — | 17,420 |
| केवल अंग्रेजी में | — | 1,414 |

**(2) प्रशिक्षण :**

| | अधिकारी | कर्मचारी |
|---|---|---|
| कुल संख्या | 1962 | 7687 |
| हिन्दी का ज्ञान प्राप्त | 1891 | 7517 |
| अप्रशिक्षित | 71 | 170 |

| | टाइपिस्ट / निश्रेलि | आशुलिपिक |
|---|---|---|
| कुल संख्या | 748 | 112 |
| हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपिक में प्रशिक्षित— | 280 | 33 |
| अप्रशिक्षित | 468 | 79 |

**(3) तिमाही रिपोर्टों का भेजा जाना**

सभी कार्यालयों से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रण कार्यालयों को जब भी हिन्दी की तिमाही रिपोर्ट भेजें, इसकी प्रति तथा आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त की प्रति निम्न पते पर नियमित रूप से अवश्य भेजेंगे—

उप निदेशक (कार्यान्वयन)
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय,
तीसरा माला, कॉमर्स हाऊस, करीमभाई रोड,
वेलार्ड एस्टेट, बम्बई-400038.

### (4) हिन्दी कार्यशालाएं

नगर के कार्यालयों द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं का विवरण निम्नानुसार है :—(उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर)।

| क्रम सं. | कार्यालय | कार्यशाला के सत्र आयोजित | कुल प्रशिक्षित अधिकारी/कर्मचारी |
|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क | 10 | 125 |
| 2. | क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त | 6 | 91 |
| 3. | लघु उद्योग सेवा संस्थान | 1 | 15 |
| 4. | नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन | 4 | 40 |
| 5. | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 2 | 30 |
| 6. | स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर | 2 | 40 |
| 7. | यूको बैंक | 1 | |
| 8. | कॉटन कार्पो. ऑफ इंडिया | 3 | 58 |
| 9. | आकाशवाणी | 2 | 25 |
| 10. | कर्मचारी राज्य बीमा निगम | 20 | 356 |

### (5) हिन्दी दिवस/सप्ताह समारोह

कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समय-समय पर कुछ कार्यालयों (यथा-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, भविष्य निधि, लघु उद्योग सेवा संस्थान, नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आकाशवाणी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि) ने अपने कार्यालयों में हिन्दी दिवस/सप्ताह आयोजित किए हैं।

हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित करके कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है।

राजभाषा विभाग ने फिलहाल सिद्धांततः इन्दौर में अंशकालिक हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र खोलना मंजूर कर लिया है तथा निर्देश दिए हैं कि वह जिस कार्यालय में अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिलाया जाना है वहां इसकी व्यवस्था करके शिक्षण केन्द्र आरम्भ करा दिया जाए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं समाहर्ता ना० राजा ने नगर के केन्द्रीय कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों/बैंकों में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए एक घोषणा की कि इन्दौर में जो कार्यालय सबसे ज्यादा काम हिन्दी में करेंगे उन्हें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से अगली बैठक में पुरस्कार दिये जायेंगे।

भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री रमेशचंद्र भारद्वाज ने अपने कार्यालय में बैठक के आयोजन पर अत्यधिक हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि हमें इस प्रकार के अवसर और भी दिए जाएं। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे कार्यालय नगर में, समिति के सभी सदस्य कार्यालयों का आगमन हुआ।

## 11. रोहतक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रोहतक की 14वीं बैठक तारीख 21-4-1987 को आयकर आयुक्त रोहतक, श्री एस०सी नागपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें केन्द्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, निगमों तथा उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

वर्ष 1987-88 के लिए निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम पर सदस्य-सचिव, श्री वी० पी० सिंह ने विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला और बैठक में उपस्थित सदस्यों को "क" क्षेत्र के लिए निर्धारित कार्यक्रम की एक-एक प्रति उपलब्ध कराई गई तथा सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में कार्यक्रम में दिये गये लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न करें। सदस्य-सचिव ने बताया कि "क" क्षेत्र के लिए निर्धारित कार्यक्रम केन्द्र सरकार के कार्यालयों के साथ-साथ बैंकों, उपक्रमों, तथा निगमों आदि के कार्यालयों पर समान रूप से लागू हैं, फिर भी बैंकों उपक्रमों व निगमों के लिए भी अलग कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसमें मुख्यतः हिन्दी पदों के सृजन, टाइपराइटरों की व्यवस्था आदि के संबंध में विशेष बल दिया गया है।

डाक व तार विभाग के प्रतिनिधि, श्री जे०पी सैनी ने बताया कि उनके विभाग में तार बाबू कहीं-कहीं छोटे स्थानों पर एक ही व्यक्ति होता हैं और हिन्दी में तार भेजने के लिए प्रशिक्षित नहीं होता है, जिसके कारण वे हिन्दी में तार स्वीकार नहीं करते हैं। उनके बड़े कार्यालयों में हिन्दी तार बाबू पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं और देवनागरी के तारों को सहर्ष स्वीकार भी किया जाता है तथा भेजा भी देवनागरी लिपि में ही जाता है। फिर भी यदि कोई मामला ऐसा हो, जिसमें तार बाबू ने हिन्दी में तार लेने से माना किया हो तो इस संबंध में यदि हमारे प्रधान कार्यालय को सूचित करा दिया जाए तो आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

31-3-87 को समाप्त तिमाही में रोहतक स्थित विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति

| क्रम सं० | कार्यालयों के नाम | संख्या | | | | टाइपिस्ट | | आशुलिपिक | | क्या कार्यालय नियम (10) 4 के अधीन अधिसूचित हैं | टाइपराइटर | | 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के सरकारी कार्यालयों/गैर सरकारी व्यक्तियों को भेजे गए पत्र | | | हिन्दी में भेजे गए पत्रों की प्रतिशतता (क-ख) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अधिकारी | कर्मचारी | कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त | कम-से-कम 25 प्रतिशत काम हिन्दी में करने वाले | कुल | हिन्दी टाइपिंग जानते हैं | कुल | हिन्दी आशुलिपि जानते हैं | | कुल | देवनगरी | कुल | हिन्दी में | अंग्रेजी में | |
| 1 | 2 | 3(क) | 3(ख) | 3(ग) | 3(घ) | 4(क) | 4(ख) | 5(क) | 5(ख) | 6 | 7(क) | 7(ख) | 8(क) | 8(ख) | (8(ग) | 8(घ) |
| 1. | आयकर आयुक्त, हरियाणा | 54 | 449 | 492 | 457 | 87 | 79 | 58 | 13 | हां | 110 | 32 | 11819 | 5050 | 6769 | 42.7 |
| 2. | युवा समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | लागू नहीं | नहीं दिखाए गए हैं | | 777 | 512 | 265 | 66.0 |
| 3. | प्रवर अधीक्षक, डाकघर | 2 | 403 | 405 | 405 | 2 | 2 | 1 | 1 | लगभग सभी को | 3 | 1 | 4141 | 2090 | 2051 | 50.5 |
| 4. | दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कं० लि० | 26 | 24 | 50 | 50 | 2 | -- | 1 | -- | -- | 6 | -- | 337 | 130 | 207 | 38.0 |
| 5. | बैंक आफ इंडिया | 4 | 10 | 14 | 14 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 850 | 400 | 450 | 47.0 |
| 6. | केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क मण्डल | 12 | 6 | 72 | 58 | 8 | 1 | 1 | -- | 19 | 4 | 1 | 4849 | 1188 | 3661 | 24.5 |
| 7. | पंजाब नेशनल बैंक, इंदिरा कालोनी | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | -- | -- | -- | उल्लेख नहीं है | -- | -- | 48 | 48 | -- | 100.0<br>59.4 |
| 8. | विभागीय तार घर, | -- | 24 | 24 | 5 | -- | -- | -- | -- | उल्लेख नहीं है | 2 | 1 | 203 | 80 | 123 | 39.4 |
| 9. | केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी | 10 | 75 | 85 | 85 | 12 | 5 | 3 | -- | हां | 13 | 3 | 4401 | 2923 | 1478 | 66.4 |
| 10. | क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक | 201 | 409 | 588 | 588 | 80 | 4 | 12 | 1 | हां | 53 | 4 | | | | |
| 11. | यूको बैंक | 6 | 23 | 29 | 11 | -- | -- | -- | -- | उल्लेख नहीं है | -- | -- | 4570 | 859 | 3711 | 19.0 |
| 12. | भारतीय स्टेट बैंक, नई अनाज मण्डी | 3 | 10 | 13 | उल्लेख नहीं है | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 10 | 40 | 20.0 |
| 13. | सिंडीकेट बैंक | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | -- | -- | मालूम नहीं | 1 | -- | 126 | 29 | 97 | 23.0 |

| 1 | 2 | 3(क) | 3(ख) | 3(ग) | 3(घ) | 4(क) | 4(ख) | 5(क) | 5(ख) | 6 | 7(क) | 7(ख) | 8(क) | 8(ख) | 8(ग) | 8(घ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय | 177 | 225 | 402 | 402 | 27 | 6 | 1 | -- | 34 में से 22 अधि-सूचित हैं | 27 | 1 | 7356 | 6013 | 1343 | 82.0 |
| 15. | अधीक्षक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण | 1 | 14 | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 456 | 112 | 344 | 24.0 |
| 16. | ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स | 39 | 24 | 63 | 37 | 17 | 3 | 1 | -- | हां | 15 | 3 | 24203 | 17513 | 6690 | 72.4 |
| 17. | क्षेत्रीय लेखा-धिकारी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड | 1 | 11 | 12 | 12 | 2 | 1 | -- | -- | हां | 1 | -- | 650 | -- | 650 | शून्य |

# (ग) कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

## 1. रेलवे स्टेशन, मयिलाडुतुरै

दिनांक 14-10-87 को मयिलाडुतुरै स्टेशन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई।

सचिव ने अध्यक्ष, हिन्दी अधीक्षक और अन्य सदस्यों का स्वागत किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़ाया गया और स्वीकृत किया गया। बाद में कार्यसूची के अनुसार चर्चा हुई।

1. प्रशिक्षण : स्टेशन अधीक्षक ने सूचित किया कि कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षक मयिलाडुतुरै में वर्ग लेने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि मानदेय की दर बहुत कम है। अधीक्षक हिन्दी ने अनियत हिन्दी वर्गों का विस्तृत विवरण दिया जो वाणिज्य व परिचालन कर्मचारियों के लिए हैं और अध्यक्ष और सचिव से अनुरोध किया कि इस बात पर ध्यान दिया जावे और दिसम्बर 1987 से वर्ग शुरू करने का प्रबन्ध किया जाए।

2. हिन्दी वार्तालाप प्रशिक्षण : स्टेशन अधीक्षक ने सूचित किया कि दि० 16-9-87 से हिन्दी वार्तालाप प्रशिक्षण वर्ग शुरू कर दिये गये हैं और 10 कर्मचारी प्रशिक्षणाधीन हैं। मौखिक परीक्षा नवम्बर 1987 के दूसरे सप्ताह में चलायी जावे।

3. हिन्दी आख्यापन : अधीक्षक हिन्दी ने बताया कि आख्यापन केवल तमिल-अंग्रेजी में किया जाता है। स्टेशन अधीक्षक ने सूचित किया कि आख्यापन कैबिन स्टेशन मास्टरों से किया जाता है और वे हिन्दी आख्यापन में प्रशिक्षित नहीं हुए हैं। अधीक्षक हिन्दी ने बताया कि कैबिन स्टेशन मास्टरों को भी हिन्दी वार्तालाप प्रशिक्षण वर्ग में शामिल कराया जाए और हिन्दी आख्यापन में प्रशिक्षण दिया जावे। अध्यक्ष ने स्टेशन अधीक्षक को सूचित किया कि इस बात पर ध्यान दिया जाए और यथाशीघ्र त्रिभाषी रूप में आख्यापन किया जाना चाहिए।

4. कर्मचारी विवरण :

| | राज० | अराज० | कुल |
|---|---|---|---|
| कुल कर्मचारी | 2 | 470 | 472 |
| प्रशिक्षित कर्मचारी | 1 | 27 | 28 |
| अभी प्रशिक्षित होने वाले | 1 | 443 | 444 |

अधीक्षक हिन्दी ने बताया कि शाखावार कर्मचारी विवरण फिर से इकट्ठा करना है क्योंकि कुछ कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में प्रशासनिक कारणों से कमी हुई है। स्टेशन अधीक्षक ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के लिपिक से अनुरोध किया कि इस पर ध्यान दिया जाए।

5. नामपट्ट : अधीक्षक हिन्दी ने सूचित किया कि नाम/साइन पट्टों में छोटी छोटी त्रुटियां हैं। अध्यक्ष ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के लिपिक ने बताया कि अगली बैठक के पहले उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए।

सचिव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

## 2. दक्षिण-पूर्व रेलवे, अनारा (प० बंगाल)

दिनांक 21-9-87 रा०भा०का०स० की त्रैमासिक बैठक स्थानीय सहायक चिकित्सा अधिकारी श्री यू० एन० अधिकारी की अध्यक्षता में हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र पर हुई।

(1) अध्यक्ष पद से अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री यू० एन० अधिकारी ने अनारा शाखा के सभी कार्यालयों में अधिकाधिक रूप में हिन्दी में काम-काज करने का सुझाव दिया ताकि राजभाषा के प्रचार प्रसार की गतिशीलता में कोई कमी न आए

(2) अब तक की प्रगति के आधार पर सभी कार्यालयों में रबड़ की मुहरों, फाइल कवरों के शीर्ष उपस्थिति रजिस्टर आदि का द्विभाषीकरण कर दिया गया है।

(3) बिजली फोरमैन (सामान्य) के कार्यालय से प्रतिमास रू० 20 मूल रूप से ऊर्जा के प्रभार की वसूली का विवरण तैयार कर मंडल कार्यालय को भेजी जाती है। मुख्य कर्षण फोरमैन (चल) के कार्यालय में परिचालक कक्ष (रनिंग रूम) की कोयला एवं गैस उपभोग रजिस्टरों को राजभाषा हिन्दी में लिखा जाता है तथा परिचालक कक्ष के गैस पाकशाला में कार्यरत कर्मचारियों को एल०पी० गैस से भोजन बनाते समय गैस सिलेण्डरों को खोलने, बन्द करने तथा संकटकालीन सावधानियों को साइन बोर्ड के माध्यम से हिन्दी में ही दर्शाया गया है। समूचा परिचालक कक्ष हिन्दीमय हो, इसकी भरपूर

चेष्टा रहती है क्योंकि यह परिचालक कक्ष विशेषकर हिन्दी भाषी क्षेत्रों जैसे टाटा, जोसापोसी एवं चक्रधरपुर आदि के उपभोग में आता है।

(4) कार्य निरीक्षक कैरिज फोरमैन मुख्य कर्षण फोरमैन (चल) के कार्यालयों में हिन्दी में आवेदन पत्र तथा कथन आदि को लिखने का सुझाव दिया गया। प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं में उत्तीर्ण लिपिकों से हिन्दी में काम-काज करने की दिशा में विशेष कदम उठाने का आग्रह किया गया।

## 3. गोवा : खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०

एम. एम. टी. सी. के क्षेत्रीय कार्यालय गोवा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक दिनांक 25-9-87 को प्रभागीय प्रबंधक श्री चन्द्रन डेनियल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

सदस्य-सचिव ने जानकारी दी कि दिनांक 14-15 सितम्बर, 1987 को क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकारियों के लिए एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा उसमें 10 अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने आगे कहा कि इसी प्रकार से भविष्य में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

हिन्दी कक्षाओं के बारे में बताया गया कि जुलाई 1987 से शुरू होने वाला सत्र हिन्दी प्राध्यापक के अभाव के कारण शुरू नहीं हो सका। इस पर अध्यक्ष ने आदेश दिए कि हिन्दी शिक्षण योजना बम्बई को हिन्दी प्राध्यापक की नियुक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक पत्र भेजा जाए।

रबड़ की मोहरें तथा स्टेशनरी की छपाई के बारे में यह निर्णय लिया गया कि सभी अनुभागों तथा फील्ड कार्यालयों को यह सूचित किया जाए कि उनके अनुभाग/कार्यालय में कितनी रबड़ की मोहरें तथा फार्म 'इ' द्विभाषिक रूप में बनाने बाकी हैं, उसकी जानकारी हिन्दी कक्ष को भेज दी जाए।

हिन्दी टंकण के प्रशिक्षण के बारे में सदस्यों द्वारा चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय के कनिष्ठ सहायकों को दैनंदिन कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन एक घंटे का टंकण प्रशिक्षण कार्यालय में ही दिया जाएगा। सदस्य सचिव ने आगे यह जानकारी दी कि इसके लिए एक अतिरिक्त हिन्दी टाइपराइटर खरीदा तथा टंकण प्रशिक्षण की पुस्तिका भी मंगवाई जा चुकी है।

हिन्दी पुस्तकों की खरीद के बारे में यह जानकारी दी गई कि पिछले वर्ष 4,000 रु० की पुस्तकों की खरीद हेतु स्वीकृति दी गई थी परन्तु केवल 3,000 रु० की पुस्तकें खरीदी जा सकीं। शेष 1,000 रु० की संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण खरीदी नहीं जा सकीं। इस पर सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष केवल 1,000 रु० की संदर्भ पुस्तकें मुख्यालय के हिन्दी कक्ष की सहायता से मंगवाई जाएं।

## 4. गुवाहाटी : रिफाइनरी

दिनांक 25-9-87 को आयोजित गुवाहटी रिफाइनरी की हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 25-9-87 को उप-महाप्रबंधक (सामान्य) की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

सचिव ने बताया कि मई 1987 में आयोजित हिन्दी-परीक्षाओं में 15 कर्मचारी प्रवीण परीक्षा में और 4 कर्मचारी प्राज्ञ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और इन्हें नकद प्रोत्साहन राशि के रूप में रु. 8,300 का भुगतान किया गया। वर्तमान में चलाई जा रही हिन्दी-कक्षाओं में प्रबोध में 15, प्रवीण में 20 और प्राज्ञ में 15 कर्मचारी भाग ले रहे हैं।

सचिव द्वारा समिति को यह जानकारी दी गई कि हिन्दी-दिवस के अवसर पर रिफाइनरी में निम्नलिखित दो हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था :—

(1) हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता

(2) हिन्दी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता

इनमें निम्नलिखित पुरस्कार रखे गए थे :—

**(1) हिन्दी निबंध प्रतियोगता**

क. अहिन्दी भाषी वर्ग :

प्रथम पुरस्कार रु० 150
द्वितीय पुरस्कार रु० 100

ख. हिन्दी भाषी वर्ग :

प्रथम पुरस्कार रु० 150
द्वितीय पुरस्कार रु० 100
तृतीय पुरस्कार रु० 75

**(2) हिन्दी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता**

प्रथम पुरस्कार रु० 200
द्वितीय पुरस्कार रु० 150
तृतीय पुरस्कार रु० 75

उक्त प्रतियोगिताओं में प्राप्त प्रविष्टियों की जांच के पश्चात् निर्णायक समिति द्वारा विजेताओं की घोषणा कर दी जाएगी।

श्री ए० एल० जटाना, सी. एफ. एम. ने कहा कि चूंकि उनके विभाग में काफी कामकाज हिन्दी में सम्भव हो सकता है, अतः उनको एक हिन्दी स्टेनोग्राफर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि हिन्दी स्टेनोग्राफर मिल जाने से वे अंग्रेजी के बजाय ज्यादा से ज्यादा काम हिन्दी में कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के परामर्श से आगे कार्रवाई की जाएगी।

## 5. नई दिल्ली : राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीसरी बैठक राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष, एयर मार्शल चं. शा. राजे प. वि. से. पदक, अ. वि. से. पदक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

1. अध्यक्ष ने निदेश दिया कि संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए उन्होंने कहा कि जो अधिकारी व कर्मचारी प्रशासनिक कार्यों से सम्बन्धित हैं, वे अपना काफी काम हिन्दी में कर सकते हैं।

2. सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक-से-अधिक प्रयोग हो, इसको ध्यान में रखते हुए हिन्दी में सबसे अधिक काम करने वाले अनुभाग/कर्मचारी को प्रोत्साहित करने की योजना का सभी सदस्यों ने स्वागत किया। निर्णय हुआ कि जो अनुभाग तिमाही में सबसे अधिक हिन्दी में काम करेगा उसे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में वैजयन्ती (ट्राफी) दी जाए। यह वैजयन्ती चल वैजयन्ती होनी चाहिए और हर तिमाही के कार्य के आधार पर संबंधित अनुभाग को दी जाए।

3. हिन्दी में सबसे अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देने के बारे में यह निर्णय लिया गया कि इस बारे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव अध्यक्ष के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए।

### 4. क्षेत्रिय कार्यालयों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा

(क) समिति ने क्षेत्रीय कार्यालयों की 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति रिपोर्ट की विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों का अभी भी कुछ कार्यालय में शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं हो रहा है। इसका कारण इन कार्यालयों में अभी भी काफी संख्या में ऐसे कर्मचारियों का होना है जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके साथ ही कुछ कार्यालयों अर्थात् कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हिन्दी अधिकारियों के न होने के कारण हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की गति धीमी है। समीक्षा के दौरान यह भी देखा गया कि हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों से हिन्दी का काम नहीं लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले सभी कागजात अनिवार्य रूप से दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं। इसी प्रकार हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर केवल हिन्दी में ही दिए जाएं। इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित अधिकारी की होगी और वही किसी प्रकार की चूक के लिए सीधे जिम्मेवार होगा। प्राधिकरण के अधिकांश कार्यालय "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित हैं और इन कार्यालयों के बीच राजभाषा नियमों के अनुसार अधिकांश पत्र-व्यवहार हिन्दी में किए जाने की अपेक्षा की जाती है। अतः समिति ने इस बात पर जोर दिया कि प्राधिकरण के मुख्यालय तथा दिल्ली और बम्बई क्षेत्रों के कार्यालयों में अधिक से अधिक मूल काम हिन्दी में किया जाए।

प्राधिकरण के जिन क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन हो गया है उन कार्यालयों में समिति की नियमित रूप से बैठकें न होने पर अप्रसन्नता प्रकट की गई और अध्यक्ष ने क्षेत्रीय निदेशकों को निदेश दिया कि आगे से यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन कार्यालयों में इस प्रकार की समितियां गठित हों उनकी हर तिमाही में एक बैठक तथा साल भर में चार बैठकें अवश्य हों। इसके साथ ही जिन कार्यालयों में इस प्रकार की समिति गठित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध हों, वहां भी शीघ्र समिति का गठन किया जाए। इसी प्रकार, भारत सरकार राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के अनुसरण में प्रत्येक कार्यालय कार्यशालाओं का आयोजन करें ताकि जिन कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान तो है, परन्तु वे किसी झिझक के कारण हिन्दी में काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इन कार्यशालाओं के माध्यम से झिझक दूर की जा सके और राजभाषा का प्रगामी प्रयोग हो सके।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालयों के कुछ प्रमुखों ने अपने कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि के प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में अनुभव की जा रही कठिनाइयों का जिक्र किया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र हवाई अड्डों से बहुत दूर होते हैं और इन केन्द्रों पर अपने कर्मचारियों को भेजने में समय की काफी बरबादी होती है। अतः यह निर्णय लिया गया कि इस बात की जांच की जाए कि क्या हम अपने ही प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा अपने शेष कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं या नहीं?

5. हिन्दी प्रशिक्षण : सदस्य सचिव ने सूचित किया कि मुख्यालय में इस समय मुख्यालय के 80 कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है। इसी प्रकार 41 आशुलिपिकों और 26 अवर श्रेणी लिपिकों को हिन्दी टाइप/आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाना है। जनवरी-जुलाई 1987 के सत्र में 11 कर्मचारी हिन्दी कक्षाओं के लिए, तथा 5 कर्मचारी हिन्दी टाइपिंग तथा 2 कर्मचारी हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए भेजे गए थे। लेकिन 9 कर्मचारियों ने हिन्दी कक्षा में प्रवेश नहीं लिया। अध्यक्ष ने नामित कर्मचारियों द्वारा कक्षाओं में प्रवेश न लेने को गम्भीरता से लिया और निदेश दिया कि जिन कर्मचारियों को हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित किया जाता है, वे अवश्य हिन्दी कक्षाओं में जाएं और सत्र के अन्त में परीक्षा दें।

इसके साथ ही उन्होंने ऐसे कर्मचारियों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित कर्मचारियों को कक्षाओं में जाने से न रोकें और यह देखें कि उनके अधीन काम कर रहे जिस कर्मचारी को हिन्दी कक्षा के लिए नामित किया गया है वह कक्षा में अवश्य जाए। ऐसा न होने पर संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्राधिकरण के सभी कार्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जाएं कि जिन कर्मचारियों को हिन्दी का किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना है, उनको 3 वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण दे दिया जाए।

## 6 बामर लारी एंड कं लि० मथुरा

बामर लॉरी एण्ड कं० लि० मथुरा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 7-11-87 को उप महा प्रबन्धक, श्री एन० पी० सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते समय पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई; बताया गया कि हिन्दी कार्यान्वयन कार्य के लिए अधिकारी (हिन्दी कार्यान्वयन) के पद का सृजन किया गया है और इस पद के साक्षात्कार आगामी 14-11-87 को होने जा रहे हैं। राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) डॉ० महेश चन्द्र गुप्त ने सुझाव दिया कि इस पद के लिए चयन-सूची में कम से तीन व्यक्तियों को पैनल में रखा जाए ताकि यदि अग्रिम वरीयता का अभ्यर्थी कार्यग्रहण न कर सके तो उससे अगली वरीयता क्रम के अभ्यर्थी को बुलाया जा सके। समिति ने सुझाव मान लिया।

यह भी बताया गया कि मथुरा में आशुलिपि/टाइप से सम्बद्ध व्यक्तियों की संख्या फिलहाल 4 है और उनमें से एक हिन्दी टाइपिंग जानते हैं। डॉ० गुप्त ने यह जानना चाहा कि हिन्दी के मौजूद टाइपराइटर का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि जब तक कोई स्थायी व्यवस्था न हो, तब तक कोई अस्थायी व्यवस्था की जाए ताकि हिन्दी के टाइपराइटर का उपयोग हो और हिन्दी में काम भी हो सके।

मथुरा यूनिट में अक्टूबर माह से प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह को "हिन्दी सप्ताह" के रूप में मनाना प्रारम्भ कर दिया गया है। इस सप्ताह के संबंध में डॉ० गुप्त को सभी विभागाध्यक्षों से बारी बारी से इस सप्ताह के दौरान उनके विभागों में होने वाले कामों में हिन्दी के प्रयोग का ब्यौरा दिया गया।

निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार के रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जाएं। लैजर, कार्ड तथा अन्य स्थायी प्रकृति के रिकार्डों में हिन्दी में प्रविष्टियां की जाएं।

बैठक में जांच बिन्दुओं के बारे में सदस्यों को विस्तार से बताया गया। निर्णय लिया गया कि वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित जांच बिन्दुओं को एक बार पुनः एक सभी विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराये जाएं। यह भी निर्णय लिया गया कि रबर की मोहरें, परिचय पत्र तथा अन्य स्टेशनरी की मदें अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में तैयार कराई जाएं।

निर्माण उत्पादन पर हिन्दी में भी विवरण अंकित करने के संबंध में बताया गया कि एल पी जी सिलिन्डरों पर कम्पनी का जो लोगो लगता है वह द्विभाषी है।

### हिंदी कार्यशाला

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आज अर्थात् 7-11-87 को प्रथम हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। निर्णय लिया गया कि द्वितीय हिन्दी कार्यशाला 9-1-88 को आयोजित की जाए।

### हिंदी प्रशिक्षण

सुझाव दिया गया कि हिन्दी न जानने वालों को पत्राचार के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण दिलाया जाए। हिन्दी टंकण/आशुलिपि के संबंध में निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी के आशुलिपिकों/टंककों को हिन्दी आशुलिपि/टंकण सीखने के लिए, इस वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित नियम के अनुसार प्राइवेट रूप में प्रशिक्षण की अनुमति दी जाए। नियम के अनुसार हिन्दी आशुलिपि के लिए 500/—रु० तथा टंकण के लिए 200/—रु० प्रोत्साहन की व्यवस्था है। हिन्दी आशुलिपि/टंकण के लिए क्रमशः 200/—/100/—रु० की अग्रिम देने की भी व्यवस्था है।

### धारा (33) का पालन सुनिश्चित करना

इसके बारे में श्री बी० डी० खुराना ने सभी सदस्यों को धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले 14 दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराई। साथ ही इसे सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

## 7 नई दिल्ली : इंडियन आयल कार्पोरेशन

रिफाइनरी व पाइपलाइन मुख्यालय (अध्यक्ष-कार्यालय तथा अनुसंधान तथा विकास केन्द्र सहित) की राजभाषा समिति की बैठक श्री जे०एल० जुत्शी, जी०एम० (पी) की अध्यक्षता में दिनांक 3 अगस्त, 1987 को हुई।

सचिव ने समिति को बताया कि रिफाइनरी व पाइपलाइन मुख्यालय को अधिसूचित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 8(4) के अन्तर्गत मुख्यालय के विभिन्न विभागों के कुछ ऐसे

अनुभागों को आंतरिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा जहां नियमित रूप से हिन्दी में कार्य करना संभव है। सचिव ने यह भी बताया कि पाइपलाइन कार्यालय नई दिल्ली को अधिसूचित करने के लिए भी अनुरोध प्राप्त हो चुका है और मंत्रालय से अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया जा रहा है।

हर सप्ताह के प्रथम कार्य–दिवस को हिन्दी दिवस के रुप में मनाने के बारे में सचिव ने समिति को बताया कि इस सम्बन्ध में फिर से अनुदेश जारी किए जा रहे हैं ।

यूनिटों में चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ पाठ्य सामग्री भी हिन्दी में तैयार की गई है । वर्ष 1986-87 के दौरान कुल मिलाकर 29 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें कुल 517 अधिकारियों /कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। हिन्दी पत्राचार गाइड की प्रतियां वितरित करने के पश्चात् मुख्यालय सहित सभी यूनिटों में मूल हिन्दी पत्राचार में गति आई है।

हिन्दी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से यूनिटों में विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं और विजेताओं को कुल मिलकार 21730 रुपए की राशि के पुरस्कार वितरित किए गए ।

मुख्यालय सहित लगभग सभी यूनिटों में हिन्दी तथा द्विभाषिक पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही हैं। विभिन्न यूनिटों में वर्ष के दौरान कुल मिलाकर लगभग 47,000/–रुपए की हिन्दी पुस्तकें खरीदी गईं। चालू वर्ष के दौरान मुख्यालय में और पुस्तकें खरीदने का प्रस्ताव है।

सचिव ने समिति को बताया कि पत्राचार में और गति लाने के उद्देश्य से मानक मसौदों का एक और द्विभाषिक संकलन प्रकाशित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए मुख्यालय में 35 और मथुरा रिफाइनरी में 27 अतिरिक्त मानक मसौदे पहले से ही तैयार किए जा चुके हैं। शेष यूनिटों से यह सूचना अभी अपेक्षित है। वर्ष के दौरान सभी यूनिटों में कुल मिलाकर 27 हिन्दी टाइपराइटर खरीदे गए ।

हिन्दी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार सभी यूनिटों में या तो हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत या विभागीय तौर पर हिन्दी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। सभी यूनिटों में (मुख्यालय सहित) कुल मिलाकर 3753 अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं और 5442 कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण दिया जाना बाकी है (ए०ओ०डी० सहित) इस समय कुल मिलाकर 43 स्टेनोग्राफर हिन्दी स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और 105 टाइपिस्ट हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण ले चुके हैं। कुल मिलाकर 1217 फार्मों का अनुवाद किया जा चुका है और शेष सभी का अनुवाद तथा द्विभाषिक छपाई चालू वर्ष के दौरान पूरी कर दी जाएगी।

समिति को बताया गया कि हिन्दी में चैक जारी करने स संबंधित निर्णय मैनेजमेंट द्वारा काफी पहले लिया जा चुका जैसा कि वित्त विभाग द्वारा मांग की गई थी । हिन्दी चैक राइटर भी उन्हें मंगाकर दे दिया गया हैं और हिन्दी सेल द्वारा आवश्यक सहायता भी वित्त विभाग को समय समय पर दी जाती रहेंगी। वित्त विभाग ने एक नियमित हिन्दी टाइपिस्ट की तैनाती की मांग भी की थी जिसके लिए कार्मिक विभाग को एक नोट भेज दिया गया था।

समिति के अध्यक्ष श्री जे०एल० जुत्शी ने जोर देकर कहा कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निजी फार्म आदि हिन्दी में भरने चाहिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि जो टी०ए० बिल, आकस्मिक छुट्टी आदि के फार्म भरकर उनके पास भेजे जाएं वे अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही होने चाहिएं। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि उपस्थित अधिकारी भी यह सुनिश्चित करें कि उन्हें '(उपस्थित अधिकारियों को) भी टी०ए० बिल और आकस्मिक छुट्टी के फार्म आदि हिन्दी में भरकर प्रस्तुत किए जाएं।

# राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां

## विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र तिरुअनंतपुरम में आन्तरकेन्द्र संगोष्ठी एवं कार्यशाला

अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे जटिल तकनीकी विषयों में हिन्दी में प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वी. एस. एस. सी. में 21 से 22, जुलाई, 1987 तक "अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास" पर एक आन्तरकेन्द्र संगोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित की गई । अंतरिक्ष विभाग के केन्द्रों/यूनिटों में संगोष्ठियों एंव कार्यशालाओं का आयोजन नया नहीं है, परन्तु तकनीकी विषयों पर हिन्दी में व्यापक विचार-विमर्श के लिये यह अद्वितीय प्रयास है। पहला प्रयास भी इसी विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद ने जनवरी 1986 में किया था ।

इस संगोष्ठी एवं कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए केरल के महामहिम राज्यपाल श्री पी. रामचन्द्रन् ने अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रभाषा के विकास को बढ़ावा देने के महत्व का उल्लेख करते हुए देश के अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में ऐसी संगोष्ठियों की उपयोगिता पर व्यापक प्रकाश डाला । डॉ. एस. सी. गुप्ता, निदेशक, वी. एस. एस. सी. ने अपने अध्यक्षीय भाषण में वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिन्दी शब्दावली के निर्माण, तथा विकास-कार्य संस्कृत भाषा द्वारा कैसे संभव हैं, पर विशद विवरण दिया । उन्होंने कहा कि हिन्दी के प्रचार के लिए आम बोलचाल के साधारण शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए और दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का उपयोग करने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए। श्री के. बालकृष्ण पिल्लै, नियंत्रक और अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने इस संगोष्ठी एवं कार्यशाला में भाग लेने वाले 120 प्रतिनिधियों का स्वागत किया । डॉ. पी. वी. मनोरंजन राव, अध्यक्ष, संगोष्ठी संयोजन समिति, ने कृतज्ञता प्रकट की ।

पांच तकनीकी सत्रों द्वारा 50 लेख प्रस्तुत किए गए। संगोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई : प्रमोचन यान प्रौद्योगिकी, उपग्रह प्रौद्योगिकी, दूरमिति, अनुवर्तक एवं दूरादेश को सम्मिलित कर भू-केन्द्र एवं परासर का विकास, प्रदायभार विभाग/अंतरिक्ष उपयोग और "स्पिन आफ" अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास विशेष परिचर्चा । इसके अलावा डॉ. डी. के. गुप्त, उप-निदेशक, हिन्दी प्रकाशन बोर्ड, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, प्रोफ. के. किशोर, अकार्बनिक रसायन विभाग, नई दिल्ली जैसे विशेष आमंत्रित विशेषज्ञों के भाषण भी थे। उन्होंने अपने जोशीले भाषणों में यह विचार व्यक्त किये कि हिन्दी के प्रचार से हुई उपलब्धियों को हम कैसे संग्रहीत करें तथा अपने कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएं ।

कार्यशाला में तकनीकी क्षेत्रों में हिन्दी भाषा का विकास, हिन्दी में इंजीनियरी और तकनीकी शिक्षा, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में हिन्दी का उपयोग जैसे हिन्दी भाषा के तीन पहलुओं पर चर्चा हुई। उक्त विषयों के आधार पर 10 लेख प्रस्तुत किए गए ।

समापन सत्र में डा. डी. के. गुप्त, उप निदेशक, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने इस संगोष्ठी एवं कार्यशाला की आश्चर्यजनक सफलता पर प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आवधिक रूप में अन्य केन्द्रों में भी आयोजित करके उत्साह को बनाये रखें तथा तकनीकी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को हर सम्भव बढ़ावा दिया जाये। सभी प्रतिनिधियों ने एकमत से यह विचार व्यक्त किया कि इस संगोष्ठी एवं कार्यशाला के सफलतापूर्वक आयोजन से यह प्रमाणित हुआ है कि संगठन के दैनिक क्रियाकलापों में हिन्दी का प्रयोग करना सम्भव है। उन्होंने बताया कि अन्य केन्द्रों में भी इस प्रकार की संगोष्ठी एवं कार्यशालाएं आयोजित करने के बारे में विचार करना है ।

## के० रि० पु० बल, हैदराबाद में हिन्दी सम्मेलन

दिनांक 13-7-87 को पुलिस महानिरीक्षक (दक्षिणी सैक्टर), हैदराबाद में श्री सी. सुब्रमण्यम् की अध्यक्षता में हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया । सम्मेलन से पूर्व दिनांक 6-7-87 से 11-7-87 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया जिसके अंतर्गत हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता व हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । दिनांक 11-7-87 को महानिदेशालय के हिन्दी अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र धस्माना ने हिन्दी कार्यशाला में सभी क्षेत्रों के कार्मिकों को राजभाषा नीति विषयक पाठ पढ़ाए व अभ्यास कराया । सम्मेलन में दक्षिणी सै. के अधिकारियों ने भाग लिया जिसमें नीमच, नागपुर, पल्लीपुरम, आवडी आदि क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

2. पुलिस महानिरीक्षक ने सम्मेलन का विधिवत् उद्घाटन किया । डॉ. कृष्ण मोहन माथुर, अपर पुलिस उप-महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र हैदराबाद ने स्वागत भाषण दिया। सम्मेलन का संचालन करते हुए हिन्दी अधिकारी श्री धस्माना ने सम्मेलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और समारोह के

आयोजन के प्रति पुलिस महानिरीक्षक (द.सै.) के प्रयासों तथा महानिदेशक, श्री सतीश दत्त पाण्डेय से प्राप्त प्रोत्साहन की सराहना की। बल के राजभाषा नीति के प्रति निष्ठावान् अधिकारियों की एवं अपने अनुभवों की चर्चा करते हुए निम्न प्रकार मदवार परिचर्चा में सदस्यों से सलाह-मशविरा किया :–

3. बैठक में हैदराबाद ग्रुप केन्द्र के अपर पुलिस उप-महानिरीक्षक डा. कृष्ण मोहन माथुर ने हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत दक्षिण भारतीय कर्मचारियों को परीक्षा पास करने पर विभाग की ओर से नकद इनाम देने की, महानिरीक्षक की ओर से घोषणा की।

4. श्री आर. के. रागाला, पुलिस उप-महानिरीक्षक, हैदराबाद का मत था कि जिस प्रकार भारतीय प्रशासनिक व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जिस राज्य के केडर में होते हैं, वहां की भाषा सीख लेते हैं और काम भी करते हैं उसी प्रकार केन्द्र में भी हिन्दी में काम करना मुश्किल नहीं है। वर्तमान युग एक इलैक्ट्रानिक युग है। आज टी. वी., वीडियो आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं, अतः हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग के कैसेट बनाए जाएं तो कर्मचारियों को इनका अभ्यास कराने में काफी सुविधा होगी।

5. हिन्दी अधिकारी ने सूचित किया कि अब बल के सभी ग्रुप केन्द्रों में आदेश हिन्दी में जारी किए जा रहे हैं।

6. श्री इन्द्र सिंह, पुलिस उप-महानिरीक्षक, नीमच का मत था कि इस उपबन्ध को लागू करने के लिए हिन्दी टाइपिस्ट व हिन्दी अनुवादकों के पद बनवाएं जाएं। साथ ही भर्ती करते समय केवल हिन्दी टाइपिंग जानने वाले कर्मचारी भर्ती किए जाएं।

7. पल्लिपुरम (तिरूवंदुरम) ग्रुप केन्द्र के अपर पुलिस उप-महानिरीक्षक श्री आर. सन्तानम् का प्रस्ताव था कि दक्षिण भारत के कार्यालयों में हिन्दी व अहिन्दी भाषी कार्मिकों का सन्तुलन बनाए रखने के लिए स्थानांतरण की स्थिति में अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के बदले हिन्दी भाषी कर्मचारी को हिन्दी भाषी क्षेत्र से तैनात किया जाना चाहिए।

8. हिन्दी टाइपिंग के प्रशिक्षण के संबंध में हिन्दी अधिकारी ने बताया कि ग्रुप केन्द्र बनतलाब में समय-समय पर हिन्दी टाइपिंग कोर्स चलाया जाता है जिसमें 5 या 6 कर्मचारी प्रशिक्षित किए जाते हैं। पुलिस महानिरीक्षक श्री इन्द्र सिंह ने इस प्रकार का कोर्स चलाए जाने की पुष्टि की। अन्य रेंज में भी ऐसे कोर्स चलाने की अपेक्षा की गई।

9. श्री पी. सी. जोशी, प्रिंसिपल, के. प्र. का. नीमच का सुझाव था कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में न हिन्दी टाइपिस्ट हैं और न ही हिन्दी अनुवादक। अतः प्रशिक्षण प्रेसी व साहित्य हिन्दी में तैयार करने में कठिनाई होने से कभी-कभी अंग्रेजी में प्रेसी छापी जाती है। प्रशिक्षण संस्थाओं में हिन्दी पद होने की सभी सस्थों ने सिफारिश की। हिन्दी अधिकारी ने बताया कि कुछ सैद्धांतिक अड़चनें अभी भी हिन्दी पद बनाने में हमारे सामने हैं, अतः व्यवस्था होने तक अनूदित सामग्री महानिदेशालय के हिन्दी अनुभाग को भेज सकते हैं।

10. सरकारी काम-काज में मूल टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन के विषय में अपर पुलिस उप-महानिरीक्षक पल्लिपुरम का सुझाव था कि पुरस्कार योजना में अहिन्दी भाषियों के लिए वर्ष में प्रयुक्त 50,000 शब्दों की सीमा संख्या घटाकर 15,000 शब्द कर दी जाय। हिन्दी अधिकारी ने इस सुझाव को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भिजवाने का आश्वासन दिया।

11. अन्त में हिन्दी सप्ताह के दौरान हुई हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता व हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता के विजयी प्रतियोगियों को पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने प्रशस्तिपत्र, नकद पुरस्कार व उपहार स्वरूप पुस्तकें वितरित कीं।

12. हिन्दी टाइपिंग में 15 प्रतियोगियों ने भाग लिया तथा सहायक उप-निरीक्षक वी. एस. पाटिल (मराठी भाषी) पुलिस उप-महानिरीक्षक का कार्यालय, हैदराबाद ने 43.8 श. प्र. मि. की गति से टाइप पर प्रथम स्थान अर्जित किया। हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता में तेलगू भाषी ग्रुप केन्द्र, हैदराबाद के स. उ. नि. श्री निवास राव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा हिन्दी नोटिंग/ड्राटिंग प्रतियोगिता में कन्नड़ भाषी श्री जी० जी० भट्ट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों का धन्यवाद कर सभा समाप्ति की घोषणा की।

## भारतीय स्टेट बैंक जयपुर में विचार गोष्ठी

16 सितम्बर, 1987 को उप महाप्रबंधक श्री पुणताम्बेकर की अध्यक्षता में "देश के सांस्कृतिक व आर्थिक विकास में भाषा की भूमिका" विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी का प्रारम्भ करते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के राजभाषा अधिकारी श्री अश्विनी कुमार ने आजादी के पूर्व भाषा और संस्कृति की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसके बारे में श्री अरविन्द घोष और जॉन वुडसन के उद्धरण देते हुए बताया कि यूरोप और एशिया का सांकृस्तिक युद्ध अनिवार्य है और यदि यूरोप एशिया के राष्ट्रों की संस्कृति और भाषाओं पर हावी हो गया तो तीसरे विश्व युद्ध के पश्चात बनी रहने वाली मानव जाति के लिए कोई आशा का केन्द्र नहीं बचा रह जाएगा। इस दृष्टि से भारत को अपनी सम्पूर्ण धरोहर की छानबीन करते हुए संस्कृति के साथ सभी भारतीय भाषाओं की वैचारिक समृद्धि करते हुए आगे बढ़ना होगा।

श्री कलानाथ शास्त्री ने भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत के योगदान की बात करते हुए बहुत सरल ढंग से बताया कि सभी भारतीय भाषाओं की विशेषताओं को ग्रहण करते हुए जब हिन्दी व्यापक फलक पर प्रयुक्त होगी तब वह आर्थिक विकास का भी सही कारण बनेगी। वर्तमान में तथ्य यह है कि जैसा भी विकास हुआ है वह हमारी जनता की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और विषमताकारी हो गया है।

बैंक आफ बड़ौदा की विजया श्रीवास्तव ने खेद प्रकट किया कि हिन्दी माध्यम से काम करने की इच्छा रखने वाले चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे इंजीनियर हों, अथवा डाक्टर वे अस्तित्व की लड़ाई के साथ हिन्दी में काम करने का विचार कर सकते हैं। क्योंकि गोबर गैस जैसे उपयोगी विषय पर भी शोध ग्रंथ भारतीय भाषाओं के माध्यम से नहीं लिखने दिया जाता। राजस्थान ग्रंथ अकादमी के निदेशक डा. राघव प्रकाश ने बहुत सुन्दर ढंग से समझाया कि किस प्रकार अंग्रेजी के माध्यम से जो कुछ भी तकनीकी विकास देश में हुआ है वह आयातित शोध और विचारधारा का अनुवाद मात्र बनकर रह गया है। भौतिक शोध नहीं कर पाने के कारण हमारे ऊंचे से ऊंचे वैज्ञानिक भी वह स्थान नहीं पा रहे हैं जो रूसी, जर्मनी, फ्रेंच, जापानी जैसी भाषाओं में काम करने वाले शोधकर्ता पाते हैं और यह भारतीय भाषाओं के अप्रयोग की स्थिति के कारण ही हुआ है।

कर्नाटक के गांधीवादी विद्वान डा. सदाशिव रामभट्ट ने बहुत सरल एक बात समझाई कि यदि हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्त के लोग भारत की अन्य भारतीय भाषाएं सीखें तो हिन्दी को तो समृद्ध करेंगे ही, साथ-साथ उन प्रांतों के व्यापक क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रवेश कर पाएंगे।

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री गुमानमल लोढ़ा ने भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र और मैथिलीशरण गुप्त के काव्यों से उद्धरण देते हुए भावात्मक अपील की कि यदि हम विषमताकारी आर्थिक विकास को हटाना चाहते हैं और आर्थिक विकास को जनता के हित में लाना चाहते हैं तो हमें अपने सांस्कृतिक स्वाभिमान द्वारा सही आर्थिक विकास के लिए भारतीय भाषाओं के उद्धार के साथ साथ व्यापक स्तर पर हिन्दी को अंगीकार करना होगा। उन्होंने यह अपील भी की कि देश में बहुमत का अनादर करना अब छोड़ा जाए।

मुख्य वक्ता देश के प्रख्यात कथाकार श्री राजेन्द्र यादव ने बताया कि किस प्रकार शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय बजट का 50.5 प्र. पांच आई. आई. टी. खा जाते हैं, जिनमें तकनीकी का प्रायोगिक विज्ञापन की शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी विदेशों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि इन विद्यार्थियों का उपयोग हमारे आर्थिक विकास के लिए हो तो हमें हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार करना होगा।

गोष्ठी का समापन भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक पदमाकर जे. पुण्तांबेकर ने सभी वक्ताओं के धन्यवाद ज्ञापन के साथ यह प्रतिज्ञा करके किया कि अगले वर्ष वे हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर गोष्ठी में आएंगे, जिसे सभी मनीषियों ने सराहा। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में हिन्दी के बढ़ते प्रयोग की स्थिति को सभी श्रोताओं को अवगत कराते हुए अपनी यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि बैंक अपनी योजनाओं को दूरदराज तक ले जाने के लिए इस हिन्दी भाषी प्रदेश में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में अपनी सारी शक्ति लगा देगा।

## स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर प्रधान कार्यालय जयपुर में राजभाषा समारोह

बैंक में गत कुछ वर्षों से यह समारोह उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस वर्ष 15 अगस्त 1987 से 14 सितम्बर, 1987 तक राजभाषा मास मनाया गया। इस मास के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा नियम 1976 के प्रावधानों तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम की क्रियान्विति करने पर विशेष बल दिया गया। इसी दृष्टि से बैंक में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस वर्ष प्रधान कार्यालय में आयोजित आशुभाषण प्रतियोगिता की विशेषता यह थी कि वक्ता को मंच पर पहुंचने के बाद वहां रखे लिफाफों में से एक लिफाफा उठा कर उसमें अंकित विषय पर तत्काल अपना भाषण शुरू करना था। यह प्रतियोगिता बहुत ही रोचक रही। प्रधान कार्यालय में आयोजित अन्य प्रतियोगिताओं में (1) जयपुर स्थित सभी बैंकों के कर्मचारियों के बीच अन्तर बैंक वाक् प्रतियोगिता (2) बैंक के विभिन्न अंचलों के कर्मचारियों के बीच अन्तर अंचल निबन्ध प्रतियोगिता, (3) हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता, (4) टंकण प्रतियोगिता, (5) अहिन्दी भाषी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से आयोजित प्रश्न पहेली (क्विज) तथा (6) बैंकिंग शब्दावली प्रतियोगिताएं विशेष उल्लेखनीय हैं।

प्रधान कार्यालय में मुख्य समारोह दिनांक 14-9-87 को श्री तारा कुमार सिन्हा प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस समारोह में सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए तथा बैंक के कर्मचारियों द्वारा एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री सिन्हा ने बैंक में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि बैंकों का अपना काम काज तो निरपवाद रूप से हिन्दी में होना ही चाहिए किन्तु हिन्दी अच्छे साहित्य की रचना हेतु प्रोत्साहन देना भी बैंक का दायित्व है।

बैंक द्वारा इस वर्ष से शुरू की जा रही "हिन्दी साहित्य प्रोत्साहन योजना" की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बैंक प्रतिवर्ष हिन्दी साहित्य के गगन में एक नया सितारा जोड़ने हेतु प्रोत्साहन देगा। उन्होंने कहा कि अनेक उत्तम लेखक एवं साहित्यकार जो अर्थाभाव के कारण अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाने में असमर्थ हों, उन्हें वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। इसी क्रम में उक्त योजना के अंतर्गत इस वर्ष बैंक एक नवोदित कलाकार को प्रोत्साहन देगा, जिसकी कोई रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हो। चयनित उपन्यास के लेखक को 2500/- रुपए का नकद पुरस्कार, उपन्यास के प्रकाशन हेतु आसान किश्तों पर वित्त-पोषण तथा प्रकाशित उपन्यास की 700 प्रतियां बैंक की विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों के पढ़ने हेतु क्रय की जाएंगी।

इस वर्ष राजभाषा मास के दौरान बैंक के संयोजकत्व में जयपुर में कार्यरत विभिन्न बैंकों, केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालयों तथा उनके उपक्रमों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी स्थानीय सूचना केन्द्र जयपुर पर एक भव्य प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसका उद्घाटन श्री दामोदर दास आचार्य, शिक्षा एवं भाषा मंत्री राजस्थान ने दिनांक 14-9-87 को किया। यह प्रदर्शनी तीन दिन तक जनता के अवलोकन हेतु खुली रही। इसी अवसर पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसका विषय था—"स्वतन्त्रता संग्राम एवं हिन्दी"। गोष्ठी में श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट, श्री गोपाल दास एवं श्री आर. सी. मेहरोत्रा ने भाग लिया। बैंक के महाप्रबन्धक श्री चन्द्र किशोर महरोत्रा ने इस अवसर पर भाषा विभाग, राजस्थान की विशेष प्रचार सामग्री का भी विमोचन किया।

## बिहार सरकार: हिन्दी सेवी सम्मान समारोह

"हिन्दी राष्ट्रीय एकता की कड़ी और अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। हिन्दी के रचनात्मक विकास के लिए हिन्दी सेवी सम्मान योजना शुरू की गई है। हम उन मनीषी विद्वानों एवं चिन्तकों के ऋणी हैं, जिन्होंने हिन्दी भारती की निःस्वार्थ और निष्ठापूर्वक सेवा की है। हमने हिन्दी की प्रगति के लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी अभी बहुत कुछ करना है। हिन्दी में मौलिक पुस्तकों का भी प्रणयन तो होना ही चाहिए, अनुवाद और हिन्दी की सरलता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हम राजभाषा हिन्दी की सेवा में लगे लोगों के सहयोग से सारे राज्य में हिन्दी को राजभाषा के पद पर सुप्रतिष्ठित करने में समर्थ हो सकेंगे।" —ये उद्गार हैं बिहार के मुख्य मंत्री श्री विन्देश्वरी दूबे के जो उन्होंने बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा 18 एवं 19 जुलाई, 1987 को पटना में आयोजित 'द्वि-दिव हिन्दी सेवी सम्मान समारोह' के अवसर पर प्रकट किए। उक्त अवसर पर मुख्य मंत्री जी ने राज्य तथा राज्य के बाहर के अनेक हिन्दी सेवियों को पुरस्कृत किया। मुख्य मंत्री ने इसी अवसर पर इसी वर्ष से एक लाख रुपए के एक पुरस्कार के सरकारी निर्णय की घोषणा की।

प्रथम दिन (18-7-87) का समारोह राजभाषा—निदेशक डा. भगवती शरण मिश्र के स्वागत भाषण तथा राजभाषा के आयुक्त एवं सचिव श्री भास्कर बैनर्जी के प्रतिवेदन और विशिष्ट व्यक्तियों को माल्यार्पण के पश्चात्, आरम्भ हुआ। मुख्य मंत्री द्वारा चार हिन्दी सेवियों सर्वश्री प्रफुल्लचन्द्र ओझा "मुक्त" (अनुवाद), शिवेन्द्र नारायण (प्रचार-प्रसार), प्रभाशंकर मिश्र (न्याय एवं प्रशासन) एवं डा. लाल साहब सिंह (विज्ञान) को पन्द्रह-पन्द्रह हजार रु. और दो सेवियों श्री शरदचन्द्र मिश्र एवं अरुण कुमार वर्मा को संयुक्त रूप से पत्रकारिता की सेवा के लिए साढ़े सात-सात हज़ार रु. से तथा तीन हिन्दीतर भाषी हिन्दी सेवियों सर्वश्री विधु भूषण दास गुप्ता, पंडित श्री निवास ए. राघवन एवं डा. आई. पांडुरंग राव को ग्यारह-ग्यारह हजार रु. से सम्मानित किया गया। डा. कामिल बुल्के पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दो हिन्दी सेवियों में उत्तर प्रदेश के डा. त्रिभुवन नाथ शुक्ल को 15 हजार रु. के पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा डा० बचनदेव कुमार को दस हजार रु. के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही, अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्री गुलाब खंडेलवाल, डा. श्याम सिंह "शशि", डा. अमरनाथ सिन्हा, आनन्द शंकर माधवन एवं डा. प्रभुदयाल मित्तल, नामित पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्री प्रो. सिद्धेश्वर प्रसाद, हिमांशु श्रीवास्तव, राबिन शा पुष्प, डा. मधुकर गंगाधर, डा. निशांतकेतु, डा. अभिलाषी आदि 15 व्यक्तियों को, तथा बिहार विषयक ग्रंथ पुरस्कार के अंतर्गत डा. विनोद कुमार सिंह को उनकी पुस्तकों पर पांच पांच हाजर रुपए के 21 पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बिहार की नई पीढ़ी को प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत श्री विजय प्रकाश एवं डा. मंजू दूबे को दो दो हजार के दो पुरस्कार दिए गए। जनजातीय ग्रंथ पुरस्कार के अंतर्गत सात आदि वासी (वनवासी) साहित्यकारों को चार चार हजार रु. की पुरस्कार राशि तथा जनजातीय पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना के अंतर्गत छह आदिवासी (वनवासी) साहित्य सेवियों को चार-चार हजार रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई। सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत सचिवालय, प्रमंडल एवं जिला स्तर पर कुल 63 राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों, पदाधिकारियों, आशुलिपिकों एवं टंककों को हिन्दी में कामकाज के लिए तीन सौ रु. से दो हजार रु. की राशि से पुरस्कृत किया गया।

उक्त अवसर पर पुरस्कार-चयन समिति (1985-86) के अध्यक्ष आचार्य देवेन्द्र नाथ शर्मा, भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता के निदेशक डा. पांडुरंग राव और साप्ताहिक

हिन्दुस्तान' एवं 'कादम्बिनी' के संपादक श्री राजेन्द्र अवस्थी ने भी अपने विचार प्रकट किए। राजभाषा मंत्री श्री लोकेश नाथ झा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिन्दी के विकास-विस्तार के लिए सक्षम एवं सुदृढ़ कार्यक्रम बनाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर हिन्दी हमारे देश की एकता-अखंडता का आधार है। हिन्दी के व्यापक व्यवहार के लिए, धनराशि के बिना, हिन्दी के विकास के लिए कोर-कसर नहीं रखी जाएगी। राज्य सरकार इस वित्त वर्ष (1987-88) में एक व्यक्ति को एक लाख रु. के पुरस्कार देने की योजना शुरू करने जा रही है और अब पुरस्कार योजना की मद में छह लाख रु. खर्च करने का प्रावधान रख रही है। उर्दू प्रगति समिति के अध्यक्ष श्री शमायले नबी के कृतज्ञता ज्ञापन के बाद प्रथम दिन का समारोह सम्पन्न हुआ।

दूसरे दिन का समारोह राजभाषा निदेशक, डा. भगवती शरण मिश्र के स्वागत भाषण से शुरु हुआ। पुरस्कार वितरण मुख्य मंत्री द्वारा किया गया। सर्वश्री आचार्य देवेन्द्र नाथ शर्मा (प्रचार-प्रसार), रामजी मिश्र "मनोहर" (पत्रकारिता) डा. नन्दलाल सिंह (विज्ञान), एवं वी. आर. नारायण (अनुवाद) को विशिष्ट हिन्दी सेवी सम्मान योजना के अंतर्गत पन्द्रह पन्द्रह हजार रु. से तथा भा. प्र. से. के तीन पदाधिकारियों सर्वश्री भास्कर बैनर्जी, वी. बी. लाल एवं जियालाल आर्य को संयुक्त रुप से न्याय एवं प्रशासन में हिन्दी सेवा के लिए सम्मानित किया गया। सर्वश्री डा. मलिक मोहम्मद मन्मथनाथ गुप्त एवं अरविन्द विष्णु गोखले को हिन्दीतर-भाषी हिन्दी सेवी सम्मान के अंतर्गत ग्यारह-ग्यारह हजार से तथा बाबा कामिल बुल्के रामकथा विषयक पुरस्कार के अंतर्गत दो महिलाओं डा. सुधा वर्मा एवं डा. सरोजिनी प्रीतम को क्रमशः पन्द्रह एवं ग्यारह हजार रु. से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार के अंतर्गत तीन व्यक्तियों को नामित पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्री डा. जयन्त विष्णु नार्लीकर, डा. अम्बा प्रसाद 'सुमन", राजेश्वर प्र. ना. सिंह, विष्णु प्रभाकर, डा. कैलाश चन्द्र भाटिया, डा. बालेन्दु शेखर तिवारी आदि 12 व्यक्तियों को और बिहार विषयक ग्रंथ पुरस्कार के अंतर्गत एवं व्यक्ति को पांच-पांच हजार रु. के 16 पुरस्कार तथा नवलेखन पुरस्कार के अंतर्गत दो महिलाओं को दो-दो हजार रु. के दो पुरस्कार दिए गए। जनजातीय ग्रंथ पुरस्कार के अंतर्गत पांच आदिवासी लेखकों को चार-चार हजार रु. की पांच पुरस्कार राशि और जनजातीय पुस्तक प्रकाशन अनुदान के अंतर्गत सात आदिवासी साहित्य-सेवियों को चार-चार हजार रु. की अनुदान राशि प्रदान की गई। पुस्तक प्रकाशन अनुदान में चार हिन्दी लेखकों को दो से तीन हजार रू. की चार अनुदान राशि दी गई।

आर्शीवचन के रुप में मुख्य मंत्री जी ने राष्ट्र की एकता के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी को उपयोग करने तथा विज्ञान, चिकित्सा, न्याय आदि विषयों में हिन्दी के अधिकाधिक उपयोग के लिए साहित्यकारों से जनजीवन में व्याप्त सरल एवं प्रचलित शब्दों को उदारतापूर्वक अपनाने का आग्रह किया, साथ ही, उन्होंने भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अपनी मातृभाषा की सेवा का व्रत लेने की अपील की।

उक्त अवसर पर राजभाषा मंत्री ने भाषा विकास-निदेशालय की स्थापना की घोषणा की। पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार ब्रह्मचारी ने कृतज्ञता ज्ञापन के बाद द्वि-दिवसीय हिन्दी सेवी सम्मान समारोह सप्ताह सम्पन्न हुआ।

दोनों दिनों के समारोह का विधिवत संचालन हिन्दी के कथाकार राजभाषा निदेशक डा. भगवती शरण मिश्र ने किया।

## नराकास, पटना द्वारा आयोजित संगोष्ठी

पटना नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की ओर से दिनांक 19-10-1987 को पटना स्थित केन्द्रीय कार्यालयों/बकों/निगमों आदि के हिन्दी अधिकारियों की एक राजभाषा संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी में राजभाषा अधिनियम, 1968, राजभाषा नियम 1976 एवं 1987-88 के वार्षिक कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संगोष्ठी में राजभाषा विभाग के सेवा निवृत्त उप सचिव श्री हरि बाबू कंसल मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित थे। श्री कंसल ने राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम, 1986 के महत्व एवं उसके कार्यान्वियन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि राजभाषा नीति के कार्यान्वियन में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। हिन्दी अधिकारी की भूमिका निरीक्षक की नहीं होनी चाहिए बल्कि हिन्दी में काम करने वालों के प्रति उन्हें पूरी सहानुभूति होनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि काफी अरसे तक अंग्रेजी में काम करने में अभ्यस्त अधिकारी/कर्मचारी जब हिन्दी में काम शुरू करेंगे तो उनमें एक स्वाभाविक झिझक होगी। इस झिझक को उदारता-पूर्ण व्यवहार से ही दूर किया जा सकता है। कार्यालयीन हिन्दी में अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होंगे तो वह और भी ग्राह्य होगी। व्याकरणिक अशुद्धियों एवं अटपटे प्रयोगों को भी शुरू में नजर अन्दाज करना उचित होगा।

विभिन्न कार्यालयों के हिन्दी अधिकारियों ने अपनी कठिनाइयों को प्रस्तुत किया जिसका व्यावहारिक निदान श्री कंसल ने बताया। बड़े ही जीवन्त माहौल में यह संगोष्ठी प्रायः तीन घंटे तक चली। संगोष्ठी का संचालन माइका ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के हिन्दी सलाहकार श्री ज.पा. युगल ने किया।

## दक्षिण रेलवे : मदुरै मण्डल में हिन्दी का प्रचार-प्रसार

1956 को गठित मदुरै मण्डल, तमिल नाडु के अधिकांश भाग और केरल राज्य के कुछ भागों में पड़ता है। मदुरै मण्डल के कई पर्यटक केन्द्रों पर, प्रमुख रूप से मदुरै और रामेश्वरम पर भारत भर से हजारों की संख्या में यात्री लोग आते हैं। मदुरै मण्डल "ग" क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु के स्कूलों में लगभग 20 साल पूर्व हिन्दी की पढ़ाई समाप्त की गयी थी। इसके अलावा तब पढ़ाई गई हिन्दी का स्तर भी बहुत ही कम था।

मदुरै मण्डल पर अक्तूबर 1980 को राजभाषा अनुभाग का गठन किया गया। यह अनुभाग राजभाषा अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। जुलाई 1982 को एक सहायक हिन्दी अधिकारी तैनात किया गया जिसके अधीन फिलहाल चार कर्मचारी काम करते हैं।

प्रशिक्षण (i) हिन्दी—तमिलनाडु के स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई न होने के कारण सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों में से एकाध को छोड़कर प्रायः सभी कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान नहीं होता। इसलिए हिन्दी प्रशिक्षण के अधीन प्रगति मन्दगति से हो रही है। समूचे मण्डल में 19 अधिकारीगण और 476 कर्मचारीगण प्रशिक्षित हैं। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मण्डल कार्यालय में एक पूर्णकालिक गृह मंत्रालय का वर्ग है और 8 स्टेशनों पर विभागीय अंशकालिक केन्द्र चालू हैं। विशेष अभियान चलाकर चालू लाइन कर्मचारियों को हिन्दी पत्राचार पाठ्यक्रम में शामिल करवाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बड़े-बड़े स्टेशनों पर, जहां से अधिक संख्या में कर्मचारी शामिल हुए हैं, राजभाषा अनुभाग के कर्मचारियों को भिजवाकर लघु संपर्क कार्यक्रम चलाया जाता है।

(ii) 24 टाइपिस्टों में से 5 टाइपिस्ट देवनागरी टाइपिंग में प्रशिक्षित हैं। (iii) 26 आशुलिपिकों में से 9 हिन्दी में प्रशिक्षित हैं। कोई भी हिन्दी आशुलिपिक प्रशिक्षित नहीं हैं। (iv) नाम पट्ट/सूचना पट्ट लिखनेवाले पेंटरों में से अब तक 7 पेंटरों को देवनागरी लिपि को शुद्ध व चित्रात्मक रूप में लिखने का प्रशिक्षण दिया गया है।

(v) मण्डल के 6 प्रमुख स्टेशनों पर कार्यरत घोषणा करनेवाले कर्मचारियों को जो बहुधा टिकट कलक्टर होते हैं, हिन्दी में घोषणा करने का प्रशिक्षण दिया गया।

(vi) ऐसे स्टेशनों पर जहां उत्तर भारत के यात्री अधिक संख्या में अते हैं, यात्रियों के संपर्क में आनेवाले विशिष्ट संवर्ग के स्टेशन कर्मचारियों को हिन्दी में वार्तालाप करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक 222 (30% कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। (vii) फाइलों पर टिप्पणी लिखने वाले एवं धारा 3(3) के अधीन कागजात जारी करने वाले कर्मचारियों को अब तक 232 बार टेबल ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

अनुवाद कार्य :

धारा 3(3) के अधीन वाले कागजात, नाम/सूचना पट्टों, नाम/पदनाम बैजों, रबड़ मुहरों, धातु के सीलों, फाइल कवरों/रजिस्टरों पर लिखे विषयों, सार्वजनिक शिकायतों, हिन्दी में प्राप्त पत्रों व उनके उत्तरों, सरकारी समारोहों के लिए निमंत्रणों, मूल पत्रों का हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया जाता है।

हिन्दी कार्यान्वयन :—(i) वर्ष 1983 में विभिन्न शाखा के कर्मचारियों को फाइलों पर टिप्पणी लिखने की दिशा में प्रेरित किया गया। परिणाम निम्न प्रकार हैं :—

| वर्ष | कर्मचारियों की संख्या | लिखे गये हिन्दी शब्दों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | फाइलों पर टिप्पणी | मानदेय (हजार शब्द पर दस रु.) पर धारा 3 (3) वाले कागजात जारी करके | कुल शब्द |
| 1983 | 6 | 2435 | — | 2435 |
| 1984 | 19 | 54745 | — | 54745 |
| 1985 | 23 | 120755 | 39820 | 160575 |
| 1986 | 41 | 135025 | 177964 | 312989 |

(ii) मूल पत्राचार :—"क" एवं "ख" क्षेत्रों को हिन्दी में भेजे गये पत्रों का विवरण नीचे दिया गया है।

| वर्ष | भेजे गए कुल पत्र | हिन्दी में भेजे गए | प्रतिशतता— |
|---|---|---|---|
| 1984 | 335 | 108 | 32% |
| 1985 | 336 | 234 | 70% |
| 1986 | 243 | 228 | 94% |

(iii) 1984-86 वर्षों के दौरान 437 हिन्दी पत्र (मूल पत्र से उत्तर) लिखे गए। हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का, जिसका उत्तर भेजना अपेक्षित हो, शतप्रतिशत हिन्दी में भेजा गया।

(iv) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की दिशा में काफी प्रगति की गई है।

(v) महत्वपूर्ण कार्य :—हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित कर्मचारियों को टेबल ट्रेनिंग देकर और टेलीफोन सेवा द्वारा प्रोत्साहित करके, द्विभाषी कागजात जारी करवाये गये।

(vi) 780 (100%) नामपट्ट और 1500 (75%) सूचनापट्ट त्रिभाषी रूप में प्रदर्शित किये गये।

(2) राजभाषा कार्यान्वयन समितियां :—मण्डल समिति के अलावा 8 स्टेशनों पर समितियां स्थापित हैं और इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से संपन्न होती हैं और कार्यवृत्तों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

देवनागरी टाइपराइटर :—5 देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध हैं जो उपलब्ध रोमन टाइपराइटरों का 10% है। इनमें से दो राजभाषा अनुभाग में, एक संकर्म शाखा में, एक जनरल शाखा में और एक रामेश्वरम् स्टेशन पर है। हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित टाइपिस्ट इनका उपयोग करने लगे हैं।

(3) प्रतियोगिताएं :—मण्डल स्तर पर हर साल विभिन्न प्रतियोगिताएं चलायी जाती थीं। जिनमें "हिन्दी टिप्पण प्रतियोगिता" "क्विज प्रतियोगिता" "नाम पट्ट लिखने की प्रतियोगिता", "हिन्दी आसूचना प्रतियोगिता" जैसी नूतन प्रतियोगिताएं भी शामिल थीं।

क्षेत्रीय स्तर पर एवं बोर्ड के स्तर पर चलायी जानेवाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए चुने गये मण्डल के कर्मचारी भेजे गये।

विविध :

(1) कार्यशालाएं :—सात कार्यशालाएं चलाई गईं। 20 अधिकारियों और 76 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(2) हिन्दी में काम करते समय उठनेवाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए टेलीफोन सेवा चालू है।

(3) अध्ययन मण्डल :—अध्ययन मण्डल कार्य कर रहा है। यह कर्मचारियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अभ्यास दिलाता है और हिन्दी में कार्य करनेवाले कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में मदद देती है।

**कैसेट और कैसेट प्लेयर व रिकार्डर** : जिन स्टेशनों से अधिक संख्या में चालू लाइन कर्मचारी पत्राचार पाठ्यक्रम में शामिल हुए हैं उन स्टेशनों पर आवश्यकतानुसार लघु संपर्क कार्यक्रम चलाया जाता है। ऐसे मार्ग दर्शक वर्गों में उच्चारण व्याकरण आदि वाले कैसेटों का सहारा लिया जाता है।

कर्मचारियों के बीच बोध पैदा करने के लिए हर साल हिन्दी सप्ताह मनाया गया जबकि विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल काफी संख्या के अधिकारियों और कर्मचारियों को नकद, पुस्कार, किताबें और प्रमाण-पत्र दिए गए। हिन्दी सप्ताह के सिलसिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

**हिंदी दिवस** : हिन्दी दिवस मनाया गया जबकि हिन्दी कार्य में अधिकाधिक लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न पुरस्कार वितरित किए गए।

**हिन्दी पुस्तकालय दिवस** : हिन्दी पुस्तकालय की ओर कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए अप्रैल 1986 को पहले-पहल हिन्दी पुस्तकालय दिवस मनाया गया। हिन्दी पुस्तकालय की विभिन्न विशिष्टिताओं को व्यक्त करते हुए राजभाषा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

श्री क. कृ. गोपाल राव, मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं आदि में सफलतापूर्वक भाग लिये। 23 अधिकारियों और 102 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए।

**राजभाषा प्रदर्शनियां** : हर साल हिन्दी सप्ताह समारोह के अवसर पर राजभाषा प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। हिन्दी पुस्तकालय दिवस के अवसर पर हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों व अन्य मेहमानों के आगमन के अवसर पर राजभाषा प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इन प्रदर्शनियों ने एक ओर कर्मचारियों के बीच में स्फूर्ति पैदा करके उनकी हिन्दी के कार्य में अधिकाधिक भाग लेने की दिशा में प्रोत्साहित किया तो दूसरी ओर इस मण्डल की उपलब्धियों से सबों को अवगत कराया।

**एक दिन एक हिन्दी शब्द** : मण्डल कार्यालय के प्रवेश द्वारा के निकट एक फलक लगाया गया है जिस पर रोज एक हिन्दी शब्द, रोमन लिपि में उसका उच्चारण और अंग्रेजी अर्थ लिखा जाता है। हिन्दी में ज्ञान रखनेवाले कर्मचारियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

प्रकाशन "मधुरैल ध्वनि" इस मण्डल की त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका सितंबर 1982 से साइक्लोस्टाइल करके निकाली गयी विभिन्न क्वार्टरों से इस पत्रिका की काफी प्रशंसा की गयी दिसंबर 1985 से यह पत्रिका मुद्रित होकर प्रकाशित की जाती है।

विशेष प्रकाशन : हिन्दी कार्यशालाएं चलाने की गतिविधि चलाते समय प्राप्त अनुभव, इन कार्यशालायों से कर्मचारियों पर पड़ा प्रभाव आदि-आदि के विवरण देते हुए दिसंबर 1984 1984 और जुलाई 1985 में कुल दो पुस्तिकायें प्रकाशित की गयीं।

सहायक साहित्य : विभिन्न कार्य-कलापों और आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे नीचे दिया गया है, 12 सहायक साहित्य प्रकाशित किये गये।

(1) वर्ष 1983 सूचना पट्टों पर लिखे विषयों का हिन्दी रूपांतर (पेंटरों के लिए)।

(2) वर्ष 1983 स्टेशन नाम पट्टों पर लिखे नामों का हिन्दी रूपान्तर (पेंटरों के लिए)

(3) वर्ष 1983 फाइलों पर लिखी जानेवाली टिप्पणियों के नमूने (कर्मचारियों के लिए)।

(4) वर्ष 1984 फाइलों पर अधिकारियों द्वारा लिखी जानेवाली टिप्पणियों के नमूने।

(5) वर्ष 1985 बार-बार उपयोग में आनेवाली चुनी गई नेमी टिप्पणियों वाला पोस्टर।

(6) वर्ष 1985 कर्मचारियों के लिए उपयोगी नेमी टिप्पणियां।

(7) वर्ष 1985 आदेशात्मक नेमी टिप्पणियोंवाला कार्ड। (अधिकारियों के लिए)।

(8) वर्ष 1985 वार्तालाप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (जनता के संपर्क में आनेवाले स्टेशन कर्मचारियों के लिए)

(9) वर्ष 1986 देवनागरी लिपि को लिखने में सहायक सामग्री (पेंटरों के लिए)।

(10) वर्ष 1986 मण्डल हिन्दी पुस्तकालय में उपलब्ध किताबों की लेखकवार सूची।

(11) वर्ष 1986 मण्डल हिन्दी पुस्तकालय में उपलब्ध किताबों की विषयवार सूची।

(हिन्दी पुस्तकालयों के प्रति कर्मचारियों की अभिरुचि बढ़ाने के लिए सहायक साहित्य 10 एवं 11 प्रकाशित किये गये)

(12) वर्ष 1987 स्टेशनों पर बार-बार प्रयोग में आनेवाले शब्दों वाली पुस्तिका (स्टेशन कर्मचारियों के लिए)

(10) पुरस्कार, मेडल, शील्ड—कठिन परिश्रम सुखद परिणाम में परिणत होता है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए इस मण्डल द्वारा किये गये कार्य की चारों ओर से प्रशंसा की गयी। प्रशंसा के पुलों के बाद पुरस्कार स्वरूप फल भी मिले। सर्वश्री जी. जयकुमार चिन्नदुरै प्लेटफार्म पर्यवेक्षक/तिरुनेलवेलि अभिरामन, व. लिपिक/कार्मिक शाखा/मण्डल कार्यालय टी.के. राममूर्ति व.लि./संकर्म शाखा/मण्डल कार्यालय व श्रीमती तिलोत्तमा पद्मनाभन, वलिपिक, मण्डल कार्यालय को बोर्ड के नकद पुरस्कार मिले।

मदुरै मण्डल के सहायक हिन्दी अधिकारी श्री आर. कृष्णाचारी को वर्ष 1985 में रेलवे सप्ताह के दौरान महाप्रबन्धक का पदक व नकद पुरस्कार मिले।

कार्य निष्पादन के लिए 1985 वर्ष में पहली बार स्थापित महाप्रबन्धक का "राजभाषा शील्ड" मदुरै मण्डल को प्रदान किया गया।

उपर्युक्त पुरस्कारादि के मुकुट के रूप में सु नटराजन मंरेप्र/मदुरै को श्री रा. बालकृष्ण, भूतपूर्व मदुरै को और श्री सु. रघुनाथन भूतपूर्व राजभाषा अधिकारी व अमंरेप्र/मदुरै को मई 1986 के दौरान बेंगलूर में आयोजित अखिल रेल हिन्दी सप्ताह के अवसर पर परिवहन मंत्री के पदक प्रदान किये गये।

## राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में केनरा बैंक की उपलब्धियां

"सर्वोत्तमता श्रेयस्साधनम्" सिर्फ केनरा बैंक का नारा ही नहीं बल्कि यही उसकी गौरवमयी परंपरा भी रही है। बैंकिंग के अन्य क्षेत्रों की भांति राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी यह बैंक सर्वोत्तकृष्टता के चरम शिखर पर विराजमान रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तित "रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना" के अंतर्गत वर्ष 1986 के लिये क्षेत्र "ख" व "ग" में प्रथम स्थान तथा क्षेत्र "क" में चतुर्थ स्थान हासिल कर केनरा बैंक ने अपनी गौरवमयी परंपरा बनाये रखी है। यह और भी सम्मान व गर्व का विषय है कि "रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना के अन्तर्गत क्षेत्र "ग" में लगातार चौथी बार व क्षेत्र "ख" में लगातार तीसरी बार, यह पुरस्कार जीत कर राजभाषा—कार्यान्वयन के क्षेत्र में न सिर्फ विजयी रुख बनाये रखा है बल्कि अपनी इन अभूतपूर्व उपलब्धियों द्वारा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 1986 की रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड व प्रमाणपत्र बंबई में दिनांक 9 अक्तूबर 1987 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित एक समारोह में बैंक के कार्मिक विभाग प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री आर० एस० पै ने रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री आर० एन० मलहोत्रा के करकमलों से स्वीकार किये।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1984, 1985 व 1986 में बैंक के मंडल कार्यालय आगरा ने "चल वैजयन्ती शील्ड" लगातार तीन वर्ष हासिल की है।

बैंक के अंचल कार्यालय त्रिवेंद्रम को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उत्कृष्ट संयोजक के रूप में वर्ष 1986 में ट्रोफी व प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन में बैंक के बढ़ते-चढ़ते चरण का और एक प्रमाण है केनरा बैंक के अंचल कार्यालय कलकत्ता को पश्चिम बंगाल राज्य में वर्ष 1985 के दौरान हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिये राजभाषा परिषद कलकत्ता की ओर से डा. श्रीमती राजेंद्र कुमारी बाजपेयी के करकमलों से दि. 26-4-1987 को "सचल राजभाषा बैजयंती शील्ड" प्रदान की गई।

बैंक के अंचल कार्यालय मंगलूर को भी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिये मंगलूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में गृह मंत्रालय के उप सचिव श्री वीर अभिमन्यु कोहली द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

बैंक के प्रधान कार्यालय को दक्षिण क्षेत्र में वर्ष 1986-1987 के दौरान संघ को राजभाषा नीति के सराहनीय योगदान के लिये गृह मंत्रालय की ओर से एक विशेष ट्राफी व प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया। यह ट्राफी व प्रमाण पत्र बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एन डी प्रभु ने आंध्र प्रदेश की गवर्नर महामहिम कुमारी कुमुदबेन जोशी के करकमलों से स्वीकार किये। इन सभी उपलब्धियों में, तथा केनरा बैंक द्वारा हासिल किये इस गौरव व सम्मान में निस्संदेह रूप से बैंक के उच्च कार्यपालकों का समर्थ, प्रभावशाली मार्गदर्शन, उनकी राजभाषा के प्रति गहरी अभिरुचि, सच्ची लगन तथा बैंक के सभी कर्मचारियों के निष्ठावान सतप्रयास व सोत्साह अंतर्ग्रस्तता का योगदान प्रशंसनीय है।

## आकाशवाणी केन्द्र रोहतक में हिन्दी के बढ़ते चरण

आकाशवाणी का रोहतक केन्द्र हिन्दी भाषी हरियाणा प्रदेश में स्थित होने के कारण "क" क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राजभाषा प्रचार-प्रसार की दृष्टि से चूंकि अन्य कई नगरों के अतिरिक्त रोहतक की गणना भी विशिष्ट नगरों में की गई है, इसलिए नगर में स्थित सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए यह दायित्व बनता है कि यहां के सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सरकारी कामकाज हिन्दी भाषा में ही सम्पन्न हों। इस दृष्टि से आकाशवाणी केन्द्र रोहतक के सभी कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। केन्द्र राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित है। केन्द्र पर 65 से 75 प्रतिशत प्रसारण हिन्दी में होता है। तार 50% के लगभग हिन्दी में जारी होते हैं। हिन्दी प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र पर एक सुदृढ़ राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी गठित है। केन्द्र निदेशक श्री रत्न सिंह हरयाणवी समिति के अध्यक्ष हैं व प्रत्येक अनुभाग का इसमें प्रतिनिधित्व है। समिति की प्रत्येक तिमाही में बैठक होती है।

कार्यालय में 12 अवर श्रेणी लिपिक व तीन आशुलिपिक हैं जिनके लिए क्रमश: हिन्दी टंकण व हिन्दी आशुलिपिक का प्रशिक्षण अनिवार्य है। इनमें से चार अवर श्रेणी लिपिक व दो आशुलिपिक हिन्दी टंकण सीख चुके हैं। शेष कर्मचारियों के लिए हिन्दी टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। कुल अठारह टंकण यंत्र हैं जिनमें से 12 रोमन तथा 6 देवनागरी (हिन्दी) के हैं। हिन्दी के इन टंकण यंत्रों में वर्ष 1985-86 में दो तथा 1986-87 में एक की खरीद की गई है। हिन्दी प्रोत्साहन योजना का लाभ भी कर्मचारियों को दिया जा रहा है। एक आशुलिपिक व दो लिपिकों को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में टंकण कार्य करने के लिए हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है।

केन्द्र पर 7 सितम्बर से 13 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह एवं 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया है। 12 सितम्बर 1987 को हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक हिन्दी कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। रेडियो के माध्यम से हिन्दी सप्ताह में हिन्दी के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम प्रसारित किए गए। 13 सितम्बर रात्रि के 7.45 बजे हिन्दी "में कार्य करना कितना आसान है" नामक विषय पर एक वार्ता का प्रसारण किया गया। इसी दिन प्रात: 7.30 बजे "हिन्दी एवं राष्ट्रीय एकता" नामक विषय पर वार्ता का प्रसारण हुआ। रेडियो प्रतिनिधि द्वारा दक्षिण भारत की एक महिला विद्यार्थी से "आपने हिन्दी कैसे सीखी" विषय पर भेंटवार्ता रिकार्ड की गई जिसका रेडियो के माध्यम से प्रसारण किया गया। 14 सितम्बर 87 को रात्रि के 9.15 बजे हरियाणा प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित हिन्दी कवि सम्मेलनों की रिकार्डिंग के अंश प्रसारित हुए। इसी दिन रात्रि में 10 बजे 12 सितम्बर के कवि सम्मेलन की रिकार्डिंग प्रसारित की गई। कार्यालय में पत्राचार में भी हिन्दी का ही प्रयोग हुआ।

सौभाग्य की बात है कि अपने भूतपूर्व एवं वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष के मार्गदर्शन में आकाशवाणी रोहतक पर हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ा है। जिस लगन एवं निष्ठा से यहां के सभी कर्मचारी हिन्दी को जन सम्पर्क की भाषा मानकर हिन्दी में ही अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। विश्वास है यह केन्द्र संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप कार्य करता हुआ हिन्दी सम्बंधी लक्ष्यों को शीघ्र ही हासिल कर पाएगा।

# हिन्दी दिवस/सप्ताह आयोजन

इस्पात और खान मन्त्री
भारत सरकार

## अपील

जैसा कि आप जानते हैं कि 14 सितम्बर को हमारे संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व हम सभी पर है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सरकारी कामकाज में हिन्दी को अधिक से अधिक प्रयोग में लायें। आम बोलचाल की हिन्दी का प्रयोग करें और यदि किसी अंग्रेजी शब्द का समुचित हिन्दी शब्द न मिलता हो तो उसे ज्यों का त्यों रखकर आगे बढ़ते जाएं। देखने में आता है कि लोग गलत अंग्रेजी बोलने और लिखने में गर्व अनुभव करते हैं लेकिन हिन्दी बोलने या लिखने से हिचकिचाते हैं। हमें इस भावना से छुटकारा पाना चाहिए। आज हर देश अपनी भाषा में विज्ञान की शिक्षा, उच्चतम अनुसंधान और सभी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, हम भी अपनी राष्ट्रभाषा में सब कुछ कर सकते हैं। इस दिशा में हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए।

आइये। हिन्दी दिवस के अवसर पर हम हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने का संकल्प लें।

माखन लाल फोतेदार

## दूरदर्शन केन्द्र : मद्रास

मद्रास के दूरदर्शन केन्द्र में 10 सितम्बर 1987 को "हिन्दी दिवस" समारोह सम्पन्न हुआ। दूरदर्शन महानिदेशालय की अपर महानिदेशिका कुमारी पी. एस. शकुन्तला तथा राजभाषा के सहायक निदेशक श्री सतीश चन्द्र शुक्ल विशेष रूप से इस समारोह में भाग लेने के लिए पधारे हुए थे। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान सचिव श्री रामदास नायर मुख्य अतिथि रहे। हिन्दी शिक्षण योजना, मद्रास के सहायक निदेशक श्री आर. राममूर्ति ने भी इस समारोह में भाग लिया। दूरदर्शन केन्द्र के कर्मचारीगण व अधिकारीगण भी बड़ी संख्या में समारोह में उपस्थित थे।

2. श्रीमती सीता रत्नाकर तथा कुमारी एच. कल्पगम द्वारा प्रार्थना गीत के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास की निदेशिका श्रीमती अखिला शिवरामन ने अपर महानिदेशक से अध्यक्षासन ग्रहण करने का निवेदन किया। अपने स्वागत भाषण में श्रीमती अखिला ने कहा कि समारोह में भाग लेते हुए उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि सन् 1986 में केन्द्र में मनाए गए सर्वप्रथम हिन्दी दिवस में भाग लेने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त था। उन्होंने केन्द्र में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र में किए गए प्रयत्नों की रूपरेखा दी। अपर महानिदेशक का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि वे हिन्दी की बड़ी प्रेमिका हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में भारत भर में अनेक सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना हुई है तथा सारे देश में सांस्कृतिक जागरण में भी उनका बड़ा हाथ रहा है। मुख्य अतिथि श्री रामदास नायर का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, हिन्दी के प्रकाण्ड पंडित हैं तथा उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने भारी प्रगति की है।

3. श्रीमती अखिला ने दूरदर्शन महानिदेशालय के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री सतीश चन्द्र शुक्ला का भी, उल्लेख किया।

4. अपने अध्यक्षीय भाषण में कु. शकुन्तला ने कहा कि खासकर मद्रास केन्द्र के हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर भाग लेने में उन्हें प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार यह चाहती है कि हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जाए ताकि हिन्दी को एकमात्र राजभाषा होने में कोई कठिनाई न हो। विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत पूर्ण रूप से विकसित एक शतदल कमल के समान है जिसका एक-एक दल एक-एक प्रान्तीय भाषा और उसकी साहित्य संस्कृति है। किसी एक दल को मिटा देने से उस कमल की शोभा ही नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रान्तीय भाषाएं जिनमें सुन्दर साहित्यसृष्टि हुई है, अपने-अपने क्षेत्र में रानी बनकर रहें और विचारधारा का प्रकाश करती रहें और हिन्दी आधुनिक भाषाओं के हार की मध्य मणि विराजती रहे।

5 अपर महानिदेशिका ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाईयां दीं और विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार वितरित किये। उन्होंने कहा कि इस वर्ष में नकद पुरस्कार की रकम 300/रु०—तक काफी बढ़ा दी गई है और आशा प्रकट की कि आगामी वर्षों में इन स्पर्धाओं में भाग लेने वालों की संख्या काफी अधिक होगी। संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के लिए उन्होंने केन्द्र को बधाईयां दीं।

6 समारोह के मुख्य अतिथि, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान सचिव श्री रामदास नायरजी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता और हिन्दी किस प्रकार जुड़ी थी। उत्तर और दक्षिण भारत को हिन्दी के माध्यम द्वारा एकात्मकता लाने के सोद्देश्य से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना करने की राष्ट्रपिता की दूरदर्शिता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दिनों में हिन्दी प्रचार सभा स्वतंत्रता के क्रियाकलापों की केन्द्र बिन्दु रही और इस राष्ट्रीय महत्व की संस्था जिसका विगतकाल भव्य रहा, की सेवा करते हुए उन्हें अत्यन्त हर्ष हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मांग पर ध्यान रखते हुए, हिन्दी प्रचार सभा न केवल साहित्यिक हिन्दी सिखा रही है बल्कि कार्यात्मक हिन्दी भी सिखा रही है।

हिन्दी शिक्षण योजना के श्री आर. राममूर्ति ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और एकात्मकता बढ़ाने में हिन्दी का बड़ा हाथ रहा है। दूरदर्शन महानिदेशालय के सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समारोह में भाग लेते हुए संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र से हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षा में बैठने वाले प्राय: सभी कर्मचारी नकद पुरस्कार प्राप्त करते रहे हैं और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम में केन्द्र के अनेक परिचालन कर्मचारी भर्ती होकर प्रशिक्षण पा रहे हैं। उन्होंने केन्द्र की हिन्दी अधिकारी की भी सराहना की जो स्वेच्छा से परिचालन कर्मचारियों के लाभार्थ केन्द्र में ही हिन्दी वर्ग चला रहे हैं। केन्द्र में हाल ही में शुरू की गई "रोज एक हिन्दी शब्द सीखिए" योजना की भी प्रशंसा की गई। केन्द्र के "घ" वर्ग के कर्मचारी भी हिन्दी सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। केन्द्र में राजभाषा के प्रयोग को और बढ़ाने तथा कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति उत्साह वर्द्धित करने के लिए निदेशिका महोदया का अभिनंदन किया।

**तिरुअनंतपुरम नगर का सब (बैंक)**

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 8 अक्तूबर 1987 को केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, तिरुअनंतपुरम के परिसर में हिन्दी दिवस मनाया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि थे, तृशूर गवर्मेन्ट कालेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं केन्द्रीय हिन्दी समिति के सदस्य प्रोफेसर सी. जी. राजगोपाल। समिति के अध्यक्ष श्री बी. ए. प्रभु ने अध्यक्षता की। यूनियन बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री रामनकुट्टी तथा केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, तिरुअनंतपुरम के सभी वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

समारोह का श्रीगणेश केनरा बैंक, की श्रीमती आर. गंगा के प्रार्थना गीत से हुआ। सिंडिकेट बैंक के श्री वाई. एम. भरवन्दी ने सभी का स्वागत किया। उसके बाद हिन्दी में सुगम संगीत प्रतियोगिता आयोजित की गई।

समारोह में बोलते हुए प्रोफेसर राजगोपाल ने राजभाषा के रूप में हिन्दी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और सभासदों से अनुरोध किया कि हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की कोशिश करें। डा. एच. परमेश्वरन, आचार्य, हिन्दी विभाग, महाराजास कालेज एरणाकुलम ने आशीर्वाद भाषण दिया। हिन्दी के प्रयोग का प्रचार-प्रसार करने में समिति के प्रयासों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलें।

केनरा बैंक के राजभाषा अधिकारी एवं समिति के सचिव श्री एम. पी. गोपालकृष्णन ने आभार-प्रदर्शन किया। समारोह के सिलसिले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता इस प्रकार हैं :

1. निबन्ध लेखन (हिन्दी में)

| पुरस्कार | बैंक | प्रतिनिधि |
|---|---|---|
| | | सर्वश्री |
| प्रथम | स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर | पी. जयश्री |
| द्वितीय | स्टेट बैंक आफ इंडिया | एस. विजयलक्ष्मी |
| तृतीय | बैंक आफ बडौदा | आर. मल्लिका |
| आश्वासन | कार्पोरेशन बैंक | एच० प्रकाश कृष्णन |
| आश्वासन | इंडियन ओवरसीज बैंक | रवीन्द्रकुमार सिंह |

2. प्रश्नोत्तरी (हिन्दी में)

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम | स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर | 1. पी. रमेश प्रभु |
| | | 2. के. आर. अनिल कुमार |
| द्वितीय | स्टेट बैंक आफ इंडिया | 1. एस. विजयलक्ष्मी |
| | | 2. मुहम्मद अबदुल्ला |
| तृतीय | नाबार्ड | 1. वी. एस. यदुनाथ |
| | | 2. एम. ताण्डवमूर्ति |

3. वाक्पटुता (हिन्दी में)

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम | केनरा बैंक | सर्वश्री सूसन जार्ज |
| द्वितीय | इंडियन ओवरसीज बैंक | रवीन्द्रकुमार सिंह |
| तृतीय | पंजाब व सिंध बैंक | के. सी. एस. नायर |
| आश्वासन | स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर | भूमा नरसिंहन |

4. सुगम संगीत (हिन्दी में)

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम | इंडियन ओवरसीज बैंक | गिरीश वी सुब्रमण्यम |
| द्वितीय | स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर | टी. आर. रामु |
| तृतीय | इंडियन ओवरसीज बैंक | एच. शंकरन नायर |

**मणिपाल: सिंडिकेट बैंक प्रधान कार्यालय (1)**

बैंक के प्रधान कार्यालय में "हिन्दी दिवस समारोह", उच्च स्तर पर मनाया गया। यह समारोह 16-9-1987 को प्रधान कार्यालय के गोल्डन ज्यूबिली भवन में आयोजित किया गया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री पी. एस. वी. मल्या ने समारोह की अध्यक्षता की।

सबसे पहले राजभाषा प्रभाग के उप प्रभागीय प्रबंधक श्री ए. लक्ष्मीनारायण ने, बैंक द्वारा आज तक हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्राप्त लक्ष्यों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर कार्मिक प्रबंधक श्री त. रमेश कामत ने राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। बाद में महाप्रबंधक श्री के. सी. पै ने राजभाषा के कार्यान्वयन की ओर ठोस कदम उठाने के लिए आग्रह किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने हिन्दी दिवस समारोह का महत्व प्रतिपादित करते हुए, राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन को और कारगर एवं प्रबल बनाने पर जोर दिया।

हिन्दी दिवस समारोह के अंतर्गत हिन्दी सप्ताह का भी आयोजन किया गया जिसमें हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के प्रति कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निम्नलिखित तीन प्रतियोगिताएं चलाई गई — (1) निबंध लेखन प्रतियोगिता 2) शब्दावली प्रतियोगिता 3) वाक प्रतियोगिता।

**विजेताओं की सूची**

**निबंध लेखन प्रतियोगिता (7-9-1987)**

1. श्रीमती सुमित्रा हेच नायक, प. अ. प्र.
2. श्री राघवेन्द्र हेब्बार, अध्यक्ष का सचिवालय
3. श्री पांडुरंग शानबाग, सं. से. वि. पी बी एस

सांत्वना पुरस्कार :

1. कु. निनाद दीक्षित, नि. नि. एवं प्रबंधन विभाग
2. श्री बी. बी. बालिगा, क. भ. नि. कक्ष

शब्दावली प्रतियोगिता (8-9-1987)

1. श्रीमती भारती सरकाया, सतर्कता कक्ष
2. श्रीमती शोभा एस आचार्य, ने. एवं सं. ऋ प्र–I
3. श्री के. मुरलीधर, नि. नि. एवं प्र. विभाग

सांत्वना पुरस्कार :

1. श्रीमती सुमित्रा हेच नायक, प. अ. प्र.
2. श्री नागेश गेगे, ने. एवं सं. ऋ. प्र–I

वाक् प्रतियोगिता : (9-9-1987)

1. श्रीमती उर्मिला शिवाराव, लेखा – अ. शा. स. प्र.
2. श्री हेच जनार्धन मल्या, सतर्कता कक्ष
3. श्री पांडुरंग शामबाग सं.से.प्र.—पी बी एक्स

सांत्वना पुरस्कार :

1. श्री ई. पी. सुधिर कुमार, ई. डी. पी. प्रभाग
2. कु. नलिना एल देसाई, का. वि. ओ. सं. अ.

विजेताओं को हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर महा-प्रबंधक श्री के. सी. पै. ने पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्रों से सम्मानित किया।

पुरस्कार वितरणोपरांत सिंडिकेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसी संदर्भ में गोल्डन ज्यूबिली भवन में एक प्रदर्शनी लगायी गई जिसमें विभिन्न मंडल/आंचलिक कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय के राजभाषा से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों एवं समारोहों की कतिपय तस्वीरें प्रदर्शित की गई। साथ ही बैंक द्वारा प्रकाशित सभी द्विभाषिक सामग्री जैसे, फार्म, पुस्तकें अनुदेश पुस्तकें, प्रचार सामग्री, और अन्य सामग्री भी प्रदर्शित की गई।

## भारत गोल्ड माईन्स लि० ऊरगाम

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड में इस वर्ष भी हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। हिन्दी दिवस समारोह 1987 के कार्यक्रमों के अंतर्गत 27 जुलाई, 1987 को एक अन्तर पाठशाला वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के लिए "भारत की प्रगति किसान से ज्यादा शिक्षक पर निर्भर है" नामक विषय चुना गया था। इस प्रतियोगिता में कोलार गोल्ड फील्ड की विभिन्न पाठशालाओं के छात्रों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का परिणाम निम्नप्रकार था :

सर्वोत्तम निष्पादन के आधार पर 'कप'

कु. सुमा,
केन्द्रीय विद्यालय, बीईएमएल नगर,
कोलार गोल्ड फील्ड

प्रथम पुरस्कार :

1. कु. सुमा,
केन्द्रीय विद्यालय, बीईएमएल नगर,
कोलार गोल्ड फील्ड

2. कु. शैलजा,
केन्द्रीय विद्यालय, बीईएमएल नगर,
कोलार गोल्ड फील्ड

द्वितीय पुरस्कार :

1. कु. कमला,
सेण्ट थेरीजाज गर्ल्स हाई स्कूल,
राबर्टसनपेट

2. कु. ए. पुष्पा,
सेण्ट थेरीजाज गर्ल्स हाई स्कूल,
राबर्टसनपेट

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य छात्रों का निष्पादन भी अच्छा रहा, अतः उन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित किए गए। श्री एच. सन्नमालिगे, कार्मिक प्रबन्धक ने पुरस्कार और प्रमाणपत्र वितरित किए।

3 अगस्त, 1987 को एक सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन दो वर्गों में किया गया। प्रथम वर्ग में 16 और इससे कम उम्र के बच्चे तथा द्वितीय वर्ग में 16 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति शामिल किए गए। इस प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार वितरित किए गए। दर्शकों की ओर से बोलते हुए श्री डी. सिंह, कार्यकारी प्रबन्धक, चम्पीयन रीफ माइन ने कार्यक्रम के स्तर की काफी प्रशंसा की जिसका आयोजन पहली बार किया गया था। श्री ई.एम.पी. चेट्टी, उप महा प्रबन्धक (उत्पादन) ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

वर्ग—1 (16 और इससे कम उम्र के बच्चे)

प्रथम पुरस्कार : श्री जयकृष्णन,
सुपुत्र श्री के. बालन,
मुख्य सर्वेक्षक, नन्दीदुग माइन।

द्वितीय पुरस्कार : कु. शालिनी,
सुपुत्री श्री एच. एस. द्वारकनाथ,
रसायनज्ञ, केन्द्रीय परीक्षण
रसानिक प्रयोग शाला ।

**वर्ग—2 (16 वर्ष स अधिक उम्र के व्यक्ति)**

प्रथम पुरस्कार : श्री चन्द्रप्पा,
लिपिक/टंकक,
वित्त विभाग ।

द्वितीय पुरस्कार : कु. संध्या,
सुपुत्री श्री बी. एस. पुरुषोत्मा,
वि.स. अधिकारी, वित्त विभाग ।

17 अगस्त, 1987 को हिन्दी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमें भजन, गजल, गीत, समूहगान, नृत्य, नाटक आदि शामिल थे । इस कार्यक्रम के अंतर्गत सत्तर कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया ।

14 सितम्बर, 1987 को आयोजित हिन्दी दिवस कार्यक्रम में डा. पी. के बालसुब्रह्मण्यम, सदस्य, हिन्दी सलाकार समिति, इस्पात और खान मंत्रालय को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया । श्री पी. ए. के. शेटिगार, प्रबन्ध निदेशक महोदय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की ।

इस कार्यक्रम में कम्पनी के अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारी संख्या में उपस्थित थे । कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व उपस्थित समूह ने खड़े हो कर दो मिनट के लिए मौन रह कर हिन्दी की महान कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की ।

डाक्टर बाल सुब्रह्मण्यम ने कहा कि कम्पनी राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में एक मार्गदर्शी कार्य कर रही है । कम्पनी के कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति इतना प्यार और ममता देख कर वे गद्गद् हुए हैं । उनका विचार था कि दक्षिण के लोग हिन्दी के प्रति काफी रुचि लेते हैं और भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड ने इस बात की पुष्टि की है । सभी लोग हिन्दी के प्रति रुचि लेते रहें, तभी हिन्दी की प्रगति होगी । एक और भाषा सीखने से किसी भी व्यक्ति को सुविधा ही होती है ।

**श्री पी. ए के. शेट्टिगार प्रबंध निदेशक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमारी कंपनी कर्नाटक में स्थित है जहां की प्रांतीय भाषा कन्नड़ है । के. जी. एफ. के अधिकांश लोग तमिल भाषी हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है । उन्होंने कहा कि वे हिन्दी धाराप्रवाहिक रूप से नहीं बोल सकते फिर भी वे इसलिए हिन्दी में बोल रहे हैं ताकि सब लोग उनकी ही तरह हिन्दी सीखने और हिन्दी में बोलने का प्रयास कर सकें क्योंकि प्रयास से ही हम सफलता पा सकते हैं । उन्होंने सभी विभाग-अध्यक्षों से अनुरोध किया कि वे हिंदी शिक्षण योजना को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें । उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सभी विभागाध्यक्षों की है । हिंदी विभाग आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।**

## हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार के उक्त उपक्रम में दि. 14-9-1987 को हिन्दी दिवस समारोह आयोजित किया गया । समारोह के अध्यक्ष श्री के.के. गुप्ता कर्मशाला प्रबन्धक थे तथा विशिष्ट अतिथि श्री वी. सुब्बाराव एवं डा. भीमसेन निर्मल प्रो. एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय थे । इस अवसर पर कर्मचारियों के लिए हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और हिन्दी परीक्षाओं व प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए । हिन्दी प्रदर्शिनी भी आयोजित की गई । मुख्य अतिथियों ने समस्त कर्मचारियों से निवेदन किया कि वे अपने दैनिक कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग अवश्य करें तथा इस राष्ट्र की एकता व अखण्डता बनाए रखने का मुख्य साधन समझें ।

## उडुपि (कर्नाटक) : भारतीय जीवन बीमा निगम

मण्डल कार्यालय में चौदह सितम्बर को "हिन्दी दिवस" मनाने का निश्चय किया गया। इसके वास्ते श्री एम.आर. सामक, प्रबन्धक (का.एवं औ. सं./रा.का) मण्डल प्रबन्धक) की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया ।

इसके निर्णय के अनुसार दो विभागों में हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । एक कर्मचारियों के लिए और दूसरा मण्डल क्षेत्र के विभिन्न कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए । निबन्ध का विषय था "राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए हिन्दी की भूमिका" । उल्लेखनीय है कि कुल 132 निबन्ध प्राप्त हुए—11 कर्मचारियों से और 121 कालेज के विद्यार्थियों से । तीन पुरस्कार हर विभाग में दिए गए ।

इसके अलावा कर्मचारियों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हिन्दी गीत तथा भाषण की प्रतियोगिता का प्रबन्ध भी किया गया । इसमें भी कई बच्चों ने भाग लिया ।

दिनांक 14-9-1987, "हिन्दी दिवस" का प्रधान समारोह सम्पन्न हुआ ।

श्री अ. कृष्ण राव, सिंडिकेट बैंक के निवृत्त अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक ने समारोह की अध्यक्षता की । श्री ए. वी. नर्ती, रीडर और हिन्दी विभाग के प्रमुख, एम. जी. एम. कालेज, उडुपि, मुख्य अतिथि रहे ।

श्रीमती जान्हवी डी. प्रभु, उडुपि शाखा कार्यालय की सहायिका की प्रार्थना के बाद राजभाषा कार्यान्वयन के सहायक प्रशासन अधिकारी श्री टी. रघुवीर राव ने सब का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जहां तक राजभाषा का सवाल है, 14 सितम्बर एक बहुत प्रमुख दिवस है, क्योंकि 14 सितम्बर, 1949 को भारत के संविधान सभा ने यह निर्णय किया कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा होगी और देवनागरी इसकी लिपि होगी। जब भारत का संविधान पारित किया गया तब हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया गया।

वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक श्री एन. के. वेणुगोपाल ने सभापति और मुख्य अतिथि को मालार्पण करके मण्डल कार्यालय की ओर से उन्हें यादगार का उपहार प्रदान किया। बाद में श्रीमती यु. नीलूबाई (अनुभाग प्रमुख, का एवं औ. सं.) ने इस अवसर पर समारोह की सफलता के लिए प्राप्त शुभ संदेश पढ़कर सुनाये। तत्पश्चात् श्रीमती कस्तूरी ना. नावलकर (भाषा सहायिका, राजभाषा कार्यान्वयन) ने मण्डल कार्यालय में हिन्दी के अनुष्ठान में किए गए कामकाज के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की।

श्री एन. के. वेणुगोपाल ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि मण्डल कार्यालय में पहली बार "हिन्दी दिवस" मना रहे हैं और कर्मचारियों को इस से प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए उन्होंने अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त की।

तदनन्तर हिन्दी भाषण प्रतियोगिता के विजेता, कर्मचारियों के दो बच्चों के छोटे भाषण हुए।

फिर सभापति ने उडुपि मण्डल के हिन्दी विभाग द्वारा प्रकाशित "जीवन रश्मि" नामक त्रैमासिक हिन्दी बुलेटिन के तीसरे अंक का विमोचन किया और हिन्दी निबन्ध, गीत और भाषण प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार-वितरण किया। विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं :—

1. कर्मचारीगण—हिंदी निबंध :

अ. श्री रामण्ण चडग, शाखा कार्यालय, कुन्दापुर —प्रथम

आ. श्री अनंतकृष्ण भट, मण्डल कार्यालय, उडुपि —द्वितीय

इ. श्री टी. एम. मुदलियार, शाखा कार्यालय, हिरियूर —तृतीय

ई. कुमारी अम्मणी कोची, शाखा कार्यालय, कार्कल —तृतीय

2. कालेज के विद्यार्थी—हिंदी निबंध

अ. श्री बृन्द कुमार, अंतिम बी. ई., के. आर. ई. कालेज, सुरत्कल —प्रथम

आ. कुमारी अमिता भंडारकार, जूनियर कालेज, शिमोगा —द्वितीय

इ. कुमारी सुमलता, एम.एस.आर.एस. कालेज, शिर्वा —तृतीय

ई. कुमारी वन्दना, सैंट अलोसियस कालेज, मंगलूर —तृतीय

कर्मचारियों के बच्चे—हिंदी गीत

अ. 12 वर्ष या उससे कम उम्र वाले

1. कुमारी जयमाला —प्रथम
2. कुमारी अश्विनी ए. —द्वितीय
3. कुमारी वीडा पिन्टो —तृतीय
4. मास्टर राजशंकर —तृतीय

आ. 12 वर्ष से अधिक उम्र वाले

1. कुमारी कृपा भट —प्रथम
2. कुमारी के. एन. प्रभा —द्वितीय
3. कुमारी क्षमा भट —तृतीय
4. मास्टर ब्रीयन पिन्टो —तृतीय

4. कर्मचारियों के बच्चे—हिंदी भाषण

अ. 12 वर्ष या उससे कम उम्र वाले

1. कुमारी शैलजा —प्रथम
2. कुमारी अश्विनि ए. —द्वितीय

आ. 12 वर्ष से अधिक उम्र वाले

1. कुमारी स्मिता —प्रथम
2. कुमारी स्नेह कामत —द्वितीय

मुख्य अतिथि श्री ए. वी. नर्ती ने अपने भाषण में बड़ा आनंद व्यक्त किया कि आजकल हिन्दी को व्यापक रूप से प्रोत्साहन मिल रहा है और केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक संस्थाओं में दैनिक कामकाज में ज्यादा हिन्दी का प्रयोग करने में प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी भारत देश को एक सूत्र में बांधने संपर्क भाषा बनने के लिए हर तरह से योग्य है, क्योंकि यह एक बहुत सरल और सुंदर भाषा है जिसे अधिकतम लोग बोलते और समझते हैं।

---

हिन्दी भारत देश को एक सूत्र में बांधने, सम्पर्क भाषा बनने के लिए हर तरह से योग्य है क्योंकि यह एक सफल और सुन्दर भाषा है। जिसे अधिकतम लोग बोलते और समझते हैं।

—ए० वी० नर्ती

---

सभापति श्री कृष्ण राव ने अपने भाषण में राष्ट्रभाषा और राजभाषा का मतलब और महत्व बड़ी मनोज्ञ रीति से सविस्तार बताया। उत्तर भारत के बहुत राज्यों की प्रादेशिक भाषा हिन्दी है। लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने इस भाषा पर ऐसी प्रभुत्ता पाई है कि उत्तर के लोग भी अचंभे में पड़ जाते हैं। हमें दूसरी भाषा सीखते समय अपनी मातृ-भाषा नहीं भूलनी चाहिए। पहले उसे अच्छी तरह सीखना चाहिए। कोई भी भाषा बड़े प्रेम से सीखनी चाहिए। उस पर श्रद्धा रहनी चाहिए। हिन्दी को इस तरह हमें अपनाना चाहिए। अपनी मातृ-भाषा और क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को भी सीखना बेहतर है।

"हिन्दी दिवस" के सभी कार्यकलापों का संचालन, मण्डल कार्यालय के प्रबन्धक (नया व्यवसाय/बीमांकन-मण्डल प्रबन्धक) श्री एस. नरसिंहन ने किया। श्री बी.एस. हेगड़े, (शाखा प्रबन्धक, डाईरेक्ट एजेन्ट्स शाखा, उडुपि) समारोह के कार्यक्रमों के निदेशक थे।

श्री सी. महाबल नायक ने (सहायक, मण्डल कार्यालय वी.) ने धन्यवाद समर्पण किया।

उसके बाद एक छोटा-सा मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जिसमें हिन्दी सुगम संगीत और हिन्दी प्रचार समिति, उडुपि छात्राओं द्वारा एक हिन्दी प्रहसन शामिल था।

राष्ट्रगीत के साथ समारोह का समापन हुआ।

## आकाशवाणी केंद्र सिलचर

आकाशवाणी सिलचर में दिनांक 14-9-1987 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिसमें आकाशवाणी तथा सिविल निर्माण स्कन्ध सिलचर के कर्मचारियों ने भाग लिया। माननीय अतिथि एवं आगन्तुक श्रोताओं का स्वागत करते हुए सहायक अभियंता श्री संतोष कुमार ने कहा कि राजभाषा हिन्दी के विकास की सभी के सहयोग से आवश्यकता है।

2. मुख्य अतिथि कछार कालेज के प्रोफेसर श्री एस. एन. सिंह ने हिन्दी की संवैधानिक स्थिति का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि अहिन्दी भाषी विद्वानों और मनीषियों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन किया है तो हम इसे मानने में हिचकिचाहट क्यों महसूस करते हैं। हिन्दी का सबसे बड़ा नुकसान हिन्दी भाषी करते हैं क्योंकि वे अपने अहिन्दी भाषी साथियों को हिन्दी सीखने में सहयोग नहीं देते हैं। हमें राष्ट्र भाषा के विकास में तन-मन से प्रयास करना होगा।

3. केन्द्र के राजभाषा अधिकारी श्री बी.के. उपाध्याय ने कहा कि राजभाषा हिन्दी का प्रयोग तो हर हालत में करना ही होगा। इसके लिए किसी बहाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप स्वेच्छा से करेंगे तो और भी अच्छा होगा। सरकार अपने कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन दे रही है।

## आकाशवाणी, बेंगलूर

हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा के आसन पर आसीन किया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह व्यवस्था की गई थी कि संघ की राजभाषा हिन्दी देवनागरी लिपि में होगी। राष्ट्रभाषा का तात्पर्य होता है कि राष्ट्र की वह भाषा जो बहुमत द्वारा स्वीकार हो अर्थात् जिसमें राष्ट्र की अधिक से अधिक जनता अपने विचार प्रकट करने में समर्थ हो तथा संघ के राजकाज की भाषा हो। इसी तारतम्य में 14 सितंबर, 1987 को हिन्दी दिवस के सुअवसर पर सभी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे कृपया हिन्दी दिवस के उपलक्ष में अपना संपूर्ण कार्य राजभाषा हिन्दी में करें और यदि किसी को ऐसा करने में कोई व्यावहारिक कठिनाई हो तो वह कृपया आज के दिन अपने हस्ताक्षर अवश्य हिन्दी में करें।

15 सितम्बर, 1987 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बेंगलूर में स्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन समस्त मीडिया कार्यालयों ने भाग लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन करें और इस अवसर पर उदाहरण स्वरूप लघु हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता लेखन एवं टिप्पण प्रतियोगिता अथवा अन्ताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन करके इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों का मनोबल बढ़ाने एवं हिन्दी के प्रति और अधिक अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से नकद पुरस्कार वितरित करें और इस कार्य के सम्पन्न करने में यदि कोई कठिनाई प्रतीत हो तो आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के हिन्दी अधिकारियों की सेवाओं का पूरा लाभ उठायें।

16 सितम्बर से 18 सितम्बर, 1987 तक दूरदर्शन केन्द्र बेंगलूर के तत्वाधान में तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन आकाशवाणी बेंगलूर के प्रांगण में किया गया। इस कार्यशाला को सुचारू रूप से चलाने एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र निदेशक ने सभी अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने अनुभागों से कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक संख्या में नामित करें।

हिन्दी सप्ताह समापन पर कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, उत्साह बढ़ाने तथा राजभाषा हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने के अभिप्राय से दिनांक 19-9-87 को एक लघु हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा प्रथम तीन विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

## ईस्टर्न कोल्डफील्ड्स लि०, सांकतोडिया (वर्धमान)

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्रतिवर्ष की भांति मुख्यालय के हिन्दी विभाग द्वारा 14-9-1987 को हिन्दी दिवस समारोह मनाया गया।

मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री मिलिन्द कश्यप ने कहा कि अंग्रेजी का व्यामोह लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। फिर भी भाषा का व्यवधान कहीं नहीं है एवं इसकी रचना शक्ति के प्रवाह में आने वाली रुकावटें स्वतः एक दिन मिट जायेंगी।

निदेशक (कार्मिक) श्री जगन्नाथ शरण ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि राजभाषा क्रियान्वयन हमारी संवैधानिक आवश्यकता एवं नैतिक जिम्मेदारी है। हिन्दी भाषी अपने अन्दर गुरुता की भावना का त्याग करें। अन्य भाषाओं का आदर करके ही हम अपनी मातृभाषा को आदरणीय बना सकते हैं।

समारोह का शुभारम्भ बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वन्दना "वर दे, वीणा वादिनी वर दे" से किया गया। हिन्दी दिवस के अवसर पर एक दिन पूर्व 12 सितम्बर 87 को आयोजित भाषण, स्वरचित कविता, आवृत्ति तथा कला (रंग चित्र एवं व्यंग चित्र) की प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगिताओं को उत्कृष्ट हिन्दी पुस्तकें, आकर्षक कलम सेट तथा प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। कविता प्रतियोगिता में सफल होने पर श्री एच.एन. राय प्रधान लिपिक संथाल परगना (प्रथम) श्री अशोक कुमार सिंह "अजय" भंडार लिपिक राजमहल (द्वितीय) तथा श्री मुरलीधर राय भू-अर्जन अधिकारी राजमहल (तृतीय) को एवं भाषण प्रतियोगिता में कुमारी आशा वेडेकर वरीय चिकित्सा अधिकारी मुख्यालय (प्रथम) श्री हरिमोहन झा लिपिक संथाल परगना तथा कुमारी कल्पना वर्मा सुपुत्री श्री के.एम.पी. वर्मा महाप्रबन्धक सुरक्षा (दोनों द्वितीय) एवं श्री जीतेन बनर्जी डी.पी.सी. मुख्यालय (तृतीय) को पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार आवृति प्रतियोगिता के कुमारी वसन्ती मुरमु सुपुत्री श्री लुईस मुरमु (प्रथम), श्री शिव कुमार राउत प्रशिक्षु प्रशासन विभाग (द्वितीय) तथा कुमारी मीना वेडेकर वरीय कार्मिक अधिकारी (तृतीय) ने पुरस्कार जीता।

कला प्रतियोगिता के रंगचित्र विभाग में श्री सिराज अनवर कल्याण अधिकारी सतांग्राम क्षेत्र (प्रथम), कुमारी ज्योत्सना वर्मा (द्वितीय) तथा कुमारी कल्पना वर्मा (तृतीय) ने पुरस्कार जीता। इसी प्रकार कला प्रतियोगिता के व्यंग चित्र विभाग में श्री लक्ष्मण खड़का (प्रथम) श्री टी.वी. राजू कल्याण अधिकारी, सतग्राम क्षेत्र (द्वितीय) तथा श्रीमती रीता सिन्हा वरीय कार्मिक अधिकारी मुख्यालय (तृतीय) ने पुरस्कार जीता। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के अंतर्गत क्रमशः रु. 150, रु. 100 तथा रु. 75 की पुस्तकें तथा प्रमाणपत्र एवं अन्य प्रशंसनीय प्रस्तुतिकरण वाले प्रतियोगियों को रु. 25/- का कलम सेट एवं प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

रंग चित्र तथा व्यंग चित्र प्रतियोगिता में प्राप्त प्रविष्टियों तथा महादेवी जी की रचनाओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर कोयला उद्योग की मासिक पत्रिका खनन भारती के नवीनतम अंक का विमोचन किया गया एवं उसकी प्रतियां उपस्थित लोगों में बांटी गई।

श्री राघव प्रसाद पाण्डेय ने समारोह का कुशल संचालन तथा अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

---

**कविता, भाषण, आवृत्ति, व्यंग्यचित्र जैसी अनेक प्रतियोगिताओं के आयोजन से राजभाषा हिन्दी का प्रचार अभिनव है।**

**संम्पादक**

---

## आकाशवाणी केन्द्र, कटक

आकाशवाणी केन्द्र, कटक में हिन्दी सप्ताह का आयोजन दिनांक 14-9-87 से 21-9-87 तक किया गया।

आकाशवाणी केन्द्र में 14-9-87 को हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में "राजभाषा हिन्दी के विविध आयाम" विषय पर हिन्दी अधिकारी द्वारा एक वार्ता का प्रसारण किया गया। दिनांक 15-9-87 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक बुलाई गई। जिसमें हिन्दी सप्ताह के बारे में विचार विमर्श हुआ। हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन चलाई जाने वाली कक्षाओं में हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण संबंधी विचार विमर्श हुआ। सर्वकार्यभारी अधिकारी का भार वहन करने के लिए केन्द्र निदेशक ने अपनी सहमति दी। हिन्दी सप्ताह के दौरान सभी कर्मचारियों को हिन्दी में यथा संभव टिप्पण देने पर विचार किया गया। 16-9-87 को हिन्दी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 17-9-87 को हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका विषय था—"राजभाषा हिन्दी और हमारा दायित्व"।

दिनांक 17-9-87 को हिन्दी वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका विषय था—"उड़िसा में सूखा"।

इस प्रतियोगिता में सभी कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लेकर सफल बनाया।

दिनांक 21-9-87 को हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। शहर के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया। जिसमें वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी गांधीजी के अनुयायी, हिन्दी के विद्वान तथा ओड़िसा के प्रसिद्ध विश्वकोष निर्माता श्री विनोद कानूनगो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

विख्यात हिन्दी लेखिका श्रीमती चन्द्रकान्ता को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

दूरदर्शन, कटक की निदेशिका श्रीमती वीणादेवी व राष्ट्रभाषा प्रचार सभा कटक की अध्यक्षा श्रीमती विनिता पाठक, इस समारोह में विशेष आमंत्रित थीं।

केन्द्र निदेशक श्री राजेन्द्र प्रसाद ने अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया एवं विद्वानों का परिचय कराया।

मुख्य अतिथि द्वारा प्रतियोगिताओं में विजेता कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण किया गया। जिसमें हिन्दी साहित्य की विशिष्ट पुस्तकें नकद एवं प्रशंसापत्र प्रदान किए गए।

### अहमदाबाद : विजया बैंक

"हिन्दी राजभाषा के रूप में अपना स्थान बनाती जा रही है। स्थापित होने में भी उसे अब अधिक देर नहीं लगेगी।"

ये विचार हमारे हिन्दी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि डा. अंबाशंकर नागर, प्रोफेसर एवं निदेशक, भारतीय भाषा विभाग, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ने प्रकट किए।

दिनांक 26-9-87 को हिन्दी दिवस समारोह, मेहदी नवाज़ जंग हाल में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि डा. नागर के अलावा गुजराती हिन्दी के समर्थ कवि एवं कहानी लेखक तथा गुजरात साहित्य संगम के संस्थापक श्री नरेन्द्र दवे भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समारोह के प्रारंभ में राजभाषा अधिकारी श्री भुवनचन्द्र जोशी ने सबका स्वागत करते हुए हिन्दी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। अतिथियों एवं निर्णायकों का परिचय देने के साथ-साथ उन्होंने विजया बैंक एवं अहमदाबाद प्रभाग के बारे में उल्लेखनीय जानकारी आमंत्रित महानुभावों को दी।

उसके बाद प्रभागीय वरिष्ठ प्रबंधक श्री ए.सी. त्रिवेदी ने मुख्य अतिथि डा. नागर का अभिनंदन किया। प्रबंधक श्री रजनीश कुमार पंड्या ने श्री नरेन्द्र दवे का सम्मान किया।

प्रभागीय वरिष्ठ प्रबंधक श्री ए. सी. त्रिवेदी ने अपने वक्तव्य में हिन्दी के प्रयोग का वातावरण बनाने के लिए प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं, हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था इत्यादि का उल्लेख करते हुए प्रभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों को संक्षेप में प्रस्तुत किया।

उसके बाद मुख्य अतिथि डा. नागर ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया और राजभाषा हिन्दी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी अपने वक्तव्य में दी। श्री नरेन्द्र दवे ने अपनी रोचक शैली में हिन्दी के जो विभिन्न रूप क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से विकसित हो रहे हैं उन्हें अपनाने पर ही हिन्दी की व्यापकता बढ़ने की बात कही।

बम्बई अंचल कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक श्री नैषध बी. शाह ने पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्रदान किये। इनका विवरण इस प्रकार है—

**1. राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 1986-87**

यह शील्ड प्रथम स्थान पाने वाली मछाड़ शाखा के शाखा प्रबंधक श्री के. रत्नाकर शेट्टी को प्रदान की गई। द्वितीय स्थान पाने वाली राजकोट शाखा और तृतीय स्थान पाने वाली काछियावाड़ी शाखा को प्रमाणपत्र प्रदान किये गये।

**2. हिंदी पत्र (प्रारूप) लेखन प्रतियोगिता :**

इस प्रतियोगिता में निम्नलिखित प्रतियोगी पुरस्कृत हुए—

1. श्री श्रीनिवास भट्ट, शाखा प्रबंधक, जूनागढ़ शाखा
2. श्री नागेश भट्ट, प्रभागीय कार्यालय, अहमदाबाद
3. श्री अमृत प्रजापति, प्रभागीय कार्यालय, अहमदाबाद
4. श्री बी.पी. तिवारी, रिलीफ रोड शाखा, अहमदाबाद

**3. हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता**

1. श्री नागेश भट्ट, प्रभागीय कार्यालय, अहमदाबाद
2. श्रीमती परेशा शाह, प्रभागीय कार्यालय, अहमदाबाद
3. श्री शांतिलाल ठक्कर, जामखंभालिया शाखा
4. कु. मीना पटेल, प्रभागीय कार्यालय, अहमदाबाद
5. श्री भालचन्द्र मेहता, राजकोट शाखा

**4. सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजयी कलाकार**

**(क) काव्य पाठ**

श्री बी.पी. तिवारी, रिलीफ रोड शाखा, अहमदाबाद

**(ख) गायन**

1. प्रथम : श्री हरेश देसाई, रिलीफ रोड शाखा, अहमदाबाद
2. द्वितीय : श्री नागेश भट्ट, प्रभागीय कार्यालय, अहमदाबाद

3. तृतीय : श्रीमती करूणा बागे, नवरंगपुरा शाखा, अहमदाबाद

4. सात्वंना : श्री संजय परीख, रिलीफ रोड शाखा, अहमदाबाद

अन्त में, प्रभागीय कार्यालय के प्रबंधक श्री चित्तरंजन शेट्टी द्वारा आभार ज्ञापन के साथ ही यह समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधिकारी श्री भुवनचन्द्र जोशी ने किया।

## आकाशवाणी, केन्द्र, भुज (कच्छ)

आकाशवाणी भुज द्वारा दिनांक 14-8-87 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए—

(क) हिन्दी टिप्पण एवं लेखन प्रतियोगिता का आयोजन

(ख) हिन्दी टंकण प्रतियोगिता (केवल द्वितीय श्रेणी लिपिक के लिए)

उपरोक्त प्रतियोगिता में हिन्दी भाषी व अहिन्दीभाषी क्षेत्र के 10 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

(1) कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (जिन्हें टेबल वर्क करना पड़ता है) को निर्देश दिए गए कि वे इस दिन अपना कार्यालय का सब कार्य हिन्दी में करें। स्टाफ के अन्य सदस्यों से भी अपेक्षा की गयी कि वे इस दिन जहां तक संभव हो बोल चाल में भी हिन्दी का प्रयोग करें।

प्रारुप लेखन और टिप्पण लेखन प्रतियोगिता में निम्नलिखित कर्मचारियों ने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया :

| | |
|---|---|
| 1. श्री रमेश जानी | गुजराती उद्घोषक |
| 2. श्री अमृतलाल गौर | प्रथम श्रेणी लिपिक |
| 3. श्री जयप्रकाश जोशी | द्वितीय श्रेणी लिपिक |

उपरोक्त व्यक्तियों को उचित पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किये गये। इस प्रतियोगिता में जिन अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया उन्हें हिन्दी के प्रति रुचि दर्शाने के प्रोत्साहन पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किये गये जिनमें तकनीकी विभाग से श्री रमेश काला और श्री बलजीत सिंघल के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

श्री एम.जी. जोशी, केन्द्र अभिनेता (अध्यक्ष) के हाथों विजेताओं का पुरस्कार व प्रमाणपत्र वितरण किया गया। पारितोषक एवं प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया गया जिसमें कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

अन्त में श्री जयन्ती जोशी कार्यक्रम निष्पादक ने हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सभी से राजभाषा हिन्दी के प्रगामी हेतु अपना पूर्ण सहयोग देते रहने की अपील की।

## दूरदर्शन केन्द्र: नागपुर

केन्द्र में दिनांक 7 से 13-9-1987 तक "हिन्दी सप्ताह" बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़ी निष्ठा एवं लगन से हिन्दी में कार्य किया। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 11-9-87 को एक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जिसमें प्रथम पुरस्कार रु. 300.00, द्वितीय पुरस्कार 200.00 तथा तृतीय पुरस्कार रु. 100.00 का रखा गया। इस प्रतियोगिता में कुल 12 कर्मचारियों ने भाग लिया।

दिनांक 16-7-1987 को "हिन्दी दिवस" समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता केन्द्र निदेशक श्री याकूब सईद ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में दूरदर्शन महानिदेशालय के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री सतीश चन्द्र शुक्ल ने भाग लिया। केन्द्र की गृह-पत्रिका "दर्शन" का भी विमोचन श्री शुक्ल ने किया

श्री शुक्ल ने कहा कि हिन्दी हमारी राजभाषा है, अतः हम सबको इसकी उन्नति में सहयोग देना चाहिए। हिन्दी पत्रिका "दर्शन" के प्रकाशन को उन्होंने प्रशंसनीय कदम बताया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव एवं आयकर विभाग के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री रामनारायण निखर ने दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर में हुई हिन्दी प्रगति की सराहना की। पत्र सूचना कार्यालय के सूचना अधिकारी श्री हरीश कांबले ने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला।

केन्द्र निदेशक श्री याकूब सईद ने कहा कि "हिन्दी-दिवस" केवल आज ही नहीं बल्कि पूरे साल होना चाहिए। कर्मचारियों को सरल हिन्दी में कार्य करना चाहिए ताकि उसे समझने में कठिनाई न हो। उन्होंने पत्रिका प्रकाशन पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

## सूरत : आयकर आयुक्त का कार्यालय

आयकर आयुक्त के कार्यालय, सूरत (गुजरात) में 16-9-1987 को हिन्दी दिवस मनाया गया। आयकर आयुक्त श्री एस. बी. पोतनीस ने सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर आयोजित हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में श्रीमती अंजनीश ओझा तथा श्री एन. एस. मांगले को पुरस्कृत किया गया। वाद-विवाद प्रतियोगिता में भी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर हिन्दी में काम करने के लिए श्री एन. के. शाह तथा श्रीमती अंजनीश ओझा के प्रयत्नों की सराहना की गई।

## पुणे : कर्मचारी राज्य बीमा निगम

क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 14-9-87 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में सभी आमंत्रितों का स्वागत करते हुए निगम के हिंदी अधिकारी श्री एच. एन. यादवाड ने कहा कि हमें हर दिवस हिंदी दिवस मानना चाहिए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वार्षिक पत्रिका 'राजभाषा सरिता' का विमोचन था। मुख्य अतिथि श्री सुमतिलाल शाह द्वारा इस पत्रिका का विमोचन किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदी इस देश के लिए अनमोल देन है। हम सब एक हैं, हमारी धारणा एक है, संस्कृति सभ्यता एक है, उसको बनाने रखने के लिए हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कि हर प्रांत के लोग इसे जानते हैं।

राजभाषा की महत्ता के बारे में बताते हुए निगम के वरिष्ठ अनुवादक श्री गुप्ता ने कहा कि भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी ही उल्लिखित है। यह सरल तथा सुगम भाषा है। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री ए. जी. देसाई, निदेशक ने अपने भाषण में कहा कि कार्यालय में काम कर रहे हिंदी कक्ष कर्मचारियों को हिंदी की ओर उनकी रुचि बढ़ाने की दिशा में हर संभव प्रयास करते आ रहे हैं। मुझे इस बात पर गर्व है और खुशी है कि 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालय से एक वार्षिक पत्रिका हम प्रकाशित कर रहे हैं।

कार्यक्रम के अंत में श्री लक्ष्मीकांत हेजीब के वंदनार्पण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

## बम्बई : इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड

प्रधान कार्यालय (मार्केटिंग डिवीजन) की हिन्दी कार्यान्वयन समिति के वरिष्ठतम सदस्य श्री सुबोध मित्तल, उप-महाप्रबंधक (विमानन) कार्यक्रम के अध्यक्ष थे और मुख्य महाप्रबंधक (विपणन प्रचालन) श्री जे. एस. ओबराय मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि श्री ओबराय ने अपने कर कमलों से गत वर्ष के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए। इन में हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी निबंध, वाद-विवाद और स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिताएं मुख्य हैं। इन प्रतियोगिताओं में प्रधान कार्यालय के कर्मचारी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। वर्ष भर में कुल 7 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनमें 168 कर्मचारियों ने भाग लिया। कुल 70 कर्मचारियों को रु. 3330/- का नकद पुरस्कार दिया गया।

इससे पूर्व प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों ने एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जिसके अन्तर्गत पूजा नृत्य, सामूहिक गीत, एक हास्य नाटिका और गढ़वाली सामूहिक नृत्य थे। गढ़वाली नृत्य पूरे कार्यक्रम का आकर्षण बना रहा। "भारत जननी एक हृदय हो" यह समूहगान पूरे सभागार में गूंज उठा।

अपने भाषण में श्री ओबराय ने कहा कि हिन्दी हमारी राजभाषा है, इसका अपने कामकाज में अधिकतम उपयोग करें। हमें देश के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करनी चाहिए। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कार्पोरेशन ने कर्मचारियों को बहुत सी सुविधाएं दी हैं। उन्होंने आह्वान किया कि सभी कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाएं।

## चण्डीगढ़ : कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंजाब

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंजाब के चण्डीगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 14-9-87 को "हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में निगम मुख्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री चन्द्रभान गर्ग ने क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ को राजभाषा ट्राफी भी प्रदान की। क्षेत्रीय कार्यालय को यह ट्राफी राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के प्रसंग में निगम के "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में दी गई। क्षेत्रीय निदेशक श्री एस. एस. अवरोल ने समारोह की अध्यक्षता की और हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। उन्होंने कर्मचारियों से अपना अधिकाधिक काम हिन्दी में निपटाने की अपील की।

क्षेत्रीय हिन्दी अधिकारी श्री टीकन लाल शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि कई शताब्दी पूर्व इंग्लैंड में फ्रैंच अंग्रेजी पर पूरी तरह हावी थी। पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी बोलना और लिखना अपनी शान के खिलाफ समझते थे लेकिन जैसे-जैसे राष्ट्रीय भावना बल पकड़ती गई अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भावना का तकाजा है कि हम भी हिन्दी को उसका उचित स्थान दें।

इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए पंजाब विश्व विद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष श्री अनिरुद्ध जोशी ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि संसार के सभी लोग और नेता अपनी-अपनी भाषा में बोलने और लिखने में गर्व अनुभव करते हैं लेकिन भारतवासी अंग्रेजी बोलने और लिखने में ही अपनी शान समझते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी काम जनता का काम है और इसलिए यह काम जनता की भाषा में ही निपटाया जाना चाहिए।

## लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर

लघु उद्योग विकास संगठन की हिन्दी संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर ने अपने कार्यालय प्रांगण में दिनांक 14 सितम्बर 1987 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर हिन्दी जगत के वयोवृद्ध पत्रकार एवम् स्वतंत्रता सेनानी तथा उद्योग मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के प्रांतीय सदस्य पं. युगल किशोर चतुर्वेदी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और अपने आशीर्वचनों से सभा को प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक श्री गिरवर प्रसाद अग्रवाल द्वारा की गई। हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर संस्थान द्वारा वर्ष 1986-87 के दौरान तैयार किए गए तकनीकी एवम् अन्य दस्तावेजों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री गिरवर प्रसाद अग्रवाल ने पं. चतुर्वेदी की उपस्थिति मात्र को प्रेरणा-स्रोत बताते हुए कहा कि उनके विचारों से हम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी के महत्व के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि यह साहित्य संस्थान के ही अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है, पर उन्हें आपस में इसकी पूर्ण-जानकारी नहीं है। अतः यह उनके लिए भी आवश्यक है कि एक दूसरे के द्वारा हिन्दी में तैयार की गई रिपोर्ट आदि के बारे में सब जानें। अतः उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की, कि यह प्रदर्शनी सभी देखें और प्रदर्शित रिपोर्टों के समान स्वयं भी रिपोर्टें मूल रूप से हिन्दी में तैयार करने की प्रेरणा प्राप्त करें। उन्होंने रिपोर्ट आदि मूल रूप से हिन्दी में तैयार करने की आवश्यकता पर अधिक बल देते हुए कहा कि वास्तविकता में हिन्दी को हम आगे तभी बढ़ा पाएंगे जबकि किसी रिपोर्ट को बनाते समय हम मौलिक रूप से हिन्दी में ही सोचें और हिन्दी में ही इसे बनाएं।

निदेशक के सम्बोधन के पश्चात् हिन्दी वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्थान के सहायक निदेशक (औ. प्र. प्र.) श्री चन्द्रहास सांवलानी ने हिन्दी वाक् प्रतियोगिता के विषय "हिन्दी की प्रगति में देश की प्रगति है" की भूमिका प्रस्तुत की। तत्पश्चात् वक्ताओं को एक-एक करके विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु बुलाया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 6 वक्ताओं ने भाग लिया। हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि श्री चतुर्वेदी जी के करकमलों से पुरस्कार वितरित किए गए। इन पुरस्कारों के अतिरिक्त वर्ष 1986-87 के दौरान इस संस्थान के आर्थिक अन्वेषण (द्वितीय) प्रभाग द्वारा हिन्दी में सर्वाधिक पत्राचार किए जाने के लिए उक्त प्रभाग को एक प्रशंसा पत्र भी जारी किया गया। यह प्रशंसा पत्र प्रभाग की ओर से प्रभागाध्यक्ष श्री पी. सी. जैन, सहायक निदेशक ने प्राप्त किया। श्री पी. सी. जैन एवम् उनके सहयोगियों की इस उल्लेखनीय कार्य के लिए विशेष सराहना की गई।

मुख्य अतिथि श्री चतुर्वेदी ने कहा कि स्वतंत्र होने पर हम भाषा की दृष्टि से पराधीन हो गए। इसे उन्होंने गंगा का उल्टी बहना बताया।

समारोह के अन्त में संस्थान के उप निदेशक श्री राम सेवक गुप्ता ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्रता से पूर्व हिन्दी कार्य के लिए पहले एक मंच था।

हिन्दी प्रतियोगिताएं : पुरस्कार विजेताओं की सूची

1. हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता

| | |
|---|---|
| 1. श्री आशीष कुमार सिंह | प्रथम पुरस्कार |
| 2. श्री पी. आर. मीना | द्वितीय पुरस्कार |
| 3. श्री प्रभाष चन्द्र गुप्ता | तृतीय पुरस्कार |

2. (क) हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता

| | |
|---|---|
| 1. श्री वीर सैन मलिक (1-1-87 से 30-6-87 तक प्रयुक्त कुल हिन्दी शब्द 46,400) | प्रथम पुरस्कार |
| 2. श्री गंगा दत्त जोशी (कुल शब्द 16,500) | द्वितीय पुरस्कार |

(ख) अहिन्दी भाषी को सान्त्वना पुरस्कार

1. श्री बलवन्त सिंह

3. हिन्दी वाक् प्रतियोगिता

| | |
|---|---|
| 1. श्री आशीष कुमार सिंह | प्रथम पुरस्कार |
| 2. श्री गंगा दत्त जोशी | द्वितीय पुरस्कार |
| 3. श्री प्रभाकर बराड़ | तृतीय पुरस्कार |

## जयपुर : महालेखाकार (लेखा एवं लेखापरीक्षा)

### संयुक्त-कार्यक्रम

दिनांक 14-9-87 को कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) एवं (लेखा व हकदारी) के संयुक्त तत्वाधान में कार्यालय प्रांगण में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री मोहन लाल श्रीमाल, लोकायुक्त, राजस्थान ने की। समारोह के मुख्य अतिथि श्री देवीशंकर जी तिवारी एवं अन्य विशिष्ट अतिथि श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, डा. राघव प्रकाश एवं श्री कलानाथ शास्त्री थे।

अतिथियों के स्वागत से प्रारंभ समारोह में अध्यक्ष महोदय द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती को माल्यार्पण किया गया तत्पश्चात् सरस्वती वन्दना की गई। तत्पश्चात् हिन्दी दिवस समारोह के लिये प्राप्त संदेश पढ़े गए। समारोह में कार्यालय की हिन्दी से संबंधित पिछले वर्ष की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

# चित्र समाचार–II

बैंक के प्रधान कार्यालय—मणिपाल में दीप प्रज्जवलित कर हिन्दी दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री पी. एस. वी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

मुख्य अतिथि श्री तीर्थ राम, महाप्रबन्धक, दक्षिण मध्य रेलवे भाषण करते हुए। साथ में (बाईं ओर से) सर्वश्री एस. एस. धुन्ने, काजी अतीस उल हक, केन्द्र निदेशक तथा श्री ए. वेंकटरामण बैठे है।

सभा को सम्बोधित करती हुई मुख्य अतिथि (श्रीमती) दुर्गा दीक्षित, आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पुणे विश्वविद्यालय

दूरदर्शन केन्द्र, जालन्धर में आयोजित हिन्दी सप्ताह में भाषण देते हुए मुख्य अतिथि श्री जी. एस. सिद्धू, आयकर आयुक्त। उनके बाईं ओर बैठे हैं, डा. पद्म गुरचरण सिंह तथा दाईं ओर दूरदर्शन निदेशक श्री एम. एल. पंडित।

कोलार गोल्ड फील्ड में समारोह की एक झलक। चित्र में बाएं से श्री ई० एम. पी. चेट्टी, उ. म. प्र. (उत्पाद) डा. पी. के. बालसुब्रमण्यम (भाषण देते हुए) श्री पी. ए. के. शेट्टिकरिगार, प्रबन्ध निदेशक

बैठक को सम्बोधित करते हुए केनरा बैंक के उ. म. प्रबन्धक श्री बी. ए. प्रभु। मंच पर (बाएं से) सर्व श्री एम. के बेलायुधननायर, सचिव, केरल हिन्दी प्रचार सभा, पी. के. एस. नायर (रिजर्व बैंक), डी कृष्ण पणिक्कर, आर. एस. एल. प्रभु तथा यु. पी. कामत (केनरा बैंक)

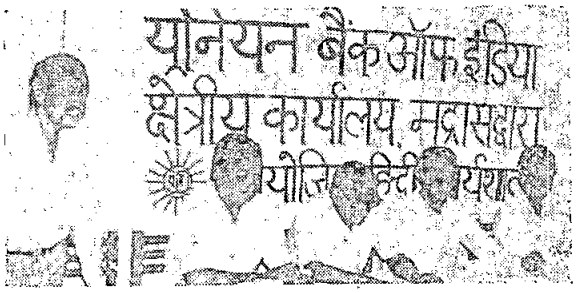


अतिथियों का स्वागत करते हुए राजभाषा अधिकारी श्री घनराज चोपड़ा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चण्डीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक श्री सुरजीत सिंह अबरोल राजभाषा ट्राफी ग्रहण करते हुए।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री आर. एन. मल्होत्रा, केनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री आर. एस. पं को राजभाषा शील्ड प्रदान करते हुए

स्वागत भाषण देत हुए केन्द्र अभियन्ता श्री बी. के. उपाध्याय

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए डा. शंभुनाथ

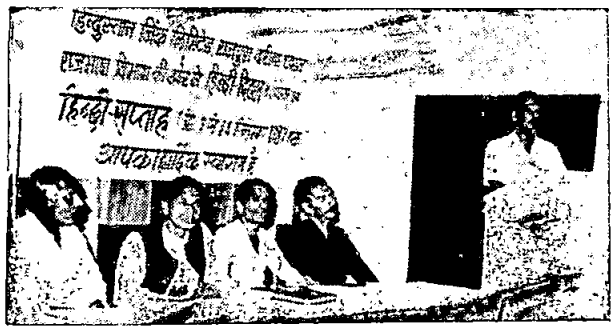

समारोह का समापन करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री पी. पी. काला

संघ लोक सेवा आयोग में हिन्दी दिवस समारोह की एक झलक चित्र में बाएं से सर्वश्री पी. सी. होता, मनीश बहल (सचिव), भाषाविद् डा. प्रभाकर माचवे तथा चन्द्रधर त्रिपाठी (अपर सचिव)

सभा को सम्बोधित करते हुए श्री उदयचन्द अग्रवाल, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

महाडाकपाल श्री जी. वी. एस. राव लेखा डाक कार्यालय-प्रमुख श्री आर. एस. सुमरा को पुरस्कार देते हुए।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम की एक झलक

बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री नारायण प्रसाद पाण्डेय

विजया बैंक अहमदाबाद में हिन्दी दिवस समारोह की एक झलक

बैंक आफ इंडिया जयपुर द्वारा आयोजित राजभाषा प्रदर्शनी की एक झलक

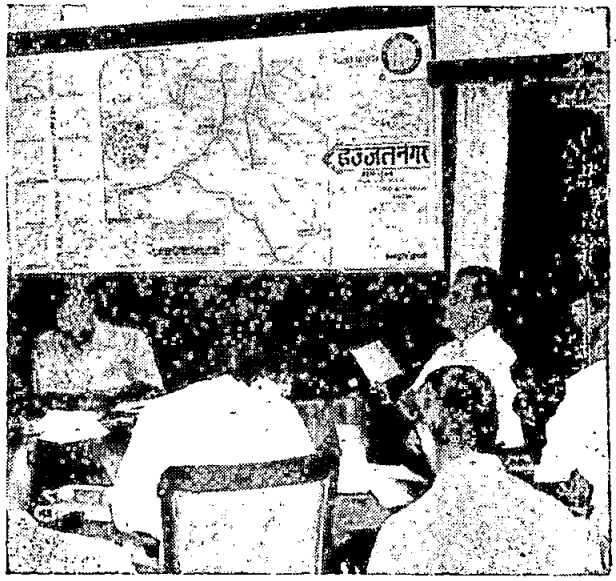


नराकास, इज्जतनगर की बैठक में चर्चा करते हुए अधिकारीगण

समारोह के दौरान बोलते हुए डा. राघव प्रकाश ने कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिये मातृभाषा ही उपयुक्त होती है। उन्होंने जर्मनी व जापान का उदाहरण देते हुए, मौलिकता के लिए हमारे देश में हिन्दी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। डा. राघव के अनुसार अंग्रेजी जो कि आयातित भाषा है, के स्थान पर हिन्दी लाने के लिये हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा।

विशिष्ट अतिथि श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी ने हिन्दी की समृद्धि के उदाहरण देते हुए बताया कि हमारी मातृभाषा, अंग्रेजी की अपेक्षा काफी विकसित एवं वैज्ञानिक भाषा है। उन्होंने इस बात पर दुःख व्यक्त किया कि राजस्थान जैसे हिन्दी भाषी प्रदेश में भी हिन्दी का काम 80 या 85 प्रतिशत होता है शत-प्रतिशत नहीं। उन्होंने अहिन्दी भाषी लोगों द्वारा हिन्दी के लिये किये गये कार्यों की सराहना की। इसके लिये महात्मा गांधी, स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशवचन्द्र सेन, सुभाष चन्द्र बोस एवं राजर्षि टंडन का उदाहरण दिया।

श्री कलानाथ शास्त्री ने बताया कि आज 39वां हिन्दी दिवस है जबकि अब तक गणतन्त्र दिवस मात्र 38 ही मनाए गए हैं। उनके अनुसार हिन्दी की प्रगति एक साथ तेजी से न होकर धीरे धीरे ही होगी जो कि इस समय सन्तोषजनक है। उन्होंने हिन्दी की उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करते हुए कार्यालय की त्रैमासिक पत्रिका "घूमर" की एवं इसी कार्यालय द्वारा समय समय पर आयोजित की जाने वाली हिन्दी की प्रगति के लिये प्रतियोगिताओं की सराहना की।

मुख्य अतिथि श्री तिवारी ने अपने भाषण में कहा चूंकि हिन्दी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया जा चुका है अतः अब इसकी कार्यरूप में परिणिति होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे देश का राष्ट्रध्वज हमारे लिये गौरव की बात है, उसी प्रकार हिन्दी भी हमारे लिये गौरव की बात है। हमें आशावादी होना चाहिए और अहिन्दी भाषी लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वे भी इसे अपनी मातृभाषा का स्थान द। श्री तिवारी ने यह भी कहा कि किसी देश के जीवन काल में पांच या दस वर्ष कोई बड़ी बात नहीं होती, हिन्दी के लिये भी हमें अभी संघर्ष करना होगा। हम अहिन्दी भाषी लोगों को नाराज करके हिन्दी को आगे नहीं ला सकते। उसके लिये हमें उनको प्रेरित करना होगा कि वे स्वतः ही हिन्दी को अपनायें।

समारोह के अध्यक्ष श्री मोहनलाल श्रीमाल ने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) ने हिन्दी में कार्य करने के लिये दी जाने वाली शील्ड सन् 1984-85 के लिए जीती। उन्होंने कहा कि अगर हमारी भाषा को समृद्ध बनाना है तो हमें आयातित शब्दों का प्रयोग करने से हिचकचाना नहीं होगा। देशवासियों के बीच तारतम्य बिठाने के लिए हिन्दी का ही सहारा लेना होगा तदुपरान्त महालेखाकार महोदय ने अपने समापन भाषण में सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया तथा विशेष रूप से उन गणमान्य व्यक्तियों की सराहना की जिन्होंने अपने संदेश भेजकर समारोह की सफलता की कामना की।

पंजाब नेशनल बैंक

मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश)

दिनांक 15-9-87 को पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फर नगर में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि डा. विश्वनाथ मिश्र, पूर्व प्रधानाचार्य सनातन धर्म कालिज थे तथा आयोजन की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री जय नारायण गुप्ता ने की।

इस अवसर पर हिन्दी के उत्थान एव समृद्धि के संबंध में बहुत से उपस्थित विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें प्रमुख थे, बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री बद्री प्रसाद, अधिकारी संघ के अंचल सचिव श्री जे.पी. गौड तथा कर्मचारी संघ के उप-महासचिव श्री सुरेन्द्र कुमार जैन आदि। सभी वक्ताओं ने तन मन से बैंक प्रणाली में हिन्दी का प्रयोग करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा काव्य गोष्ठी का आयोजन भी किया गया जिसमें बैंक के कर्मचारियों ने भाग लिया। काव्य गोष्ठी में बैंक कर्मचारियों के अतिरिक्त जनपद के सुप्रसिद्ध कवि श्री तुलसी नीलकंठ, सत्यदेव शास्त्री भौपू तथा डा. विश्वनाथ मिश्र ने अपनी सरस एवं सशक्त काव्य पाठ से श्रोताओं को भाव विभोर किया।

**प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली**

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में 14 सितम्बर, 1987 को "हिन्दी दिवस" समारोह मनाया गया और 14-9-87 से 18-9-87 तक "हिन्दी सप्ताह" मनाने की घोषणा की गई। समारोह की अध्यक्षता श्री अनिल सिन्हा, निदेशक ने की।

हिन्दी अधिकारी, विवेक चन्द्र शर्मा, ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिनन्दन किया। तत्पश्चात श्री रामदास, उपनिदेशक ने "हिन्दी दिवस" के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके फलस्वरुप देवनागरी लिपि में हिन्दी और भारतीय अंकों के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को संघ की राजभाषा के रूप में अपना लिया गया। तब से 14 सितम्बर को "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का हिन्दी का प्रयोग के संकल्प को दोहराया जाता है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री पूर्णानन्द जोशी ने संविधान की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करके हिन्दी की संवैधानिक स्थिति और भारत सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा अधिनियम और नियमों की विस्तृत जानकारी

देते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि हिन्दी के प्रयोग के बारे में भारत सरकार की नीति समझाने-बुझाने और प्रोत्साहन देने की है ताकि इसका प्रयोग स्वेच्छा से हो। उन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाए जा रहे विभिन्न निःशुल्क प्रशिक्षणों का लाभ उठाने पर भी बल दिया। उन्होंने वर्ष 1987-88 के वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने का अनुरोध किया।

हिन्दी अधिकारी ने निदेशालय में हिन्दी की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय में राजभाषा नियमों का यथासंभव पालन हो रहा है। यहां "प्रौशिनि समाचार" और "मेरा अखबार" नामक दो मासिक पत्र क्रमशः द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी) तथा केवल हिन्दी में निकाले जाते हैं। वर्ष 1986 के दौरान हिन्दी प्रोत्साहन योजना चलाई गई और तीन कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए गए।

इसके बाद श्री रामदास ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने में मंच का संचालन किया। श्री रमेश कुमार, डा. एस.पी. शर्मा और डा. डी.एस. मिश्रा ने हिन्दी में कविता पाठ किया। सबने एक स्वर से हिन्दी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर तमिल भाषी सर्वश्री मोहन कुमार और वी वेंकटशैषैया ने भी हिन्दी में बोल कर हिन्दी के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा अभिव्यक्त की।

भारत सरकार की हिन्दी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986 के दौरान किए गए काम के लिए इस निदेशालय के सर्वश्री लाल चन्द, शिव प्रसाद और हरी सिंह पाल द्वारा जीते गए। क्रमशः 400/- रु., 400/-रु. और 200/- रु. के पुरस्कारों के प्रमाणपत्र उन्हें अध्यक्ष महोदय ने प्रदान किए। विजेताओं को बधाई देने के बाद अपने अध्यक्षीय भाषण में निदेशक ने कहा कि "हिन्दी दिवस" और "हिन्दी सप्ताह" के दौरान हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के साथ-साथ सभी को भारतीय भाषाओं के प्रति अपना प्रेम भी बढ़ाना चाहिए। उन्होंने अपने निजी अनुभव के आधार पर कहा कि बंगला और तमिल भाषा बहुत ही मृदुल और समृद्ध हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि अनुवाद के माध्यम से दूसरी भाषाओं के मूल भावों तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए भारतीय भाषाएं ही नहीं अपितु विश्व की अन्य भाषाएं भी जैसे फ्रेंच, जर्मन आदि भी सीखनी चाहिएं क्योंकि प्रत्येक भाषा के माध्यम से उसके भाषा-जगत को जाना सकता है और इससे व्यक्ति को जिस आनन्द की अनुभूति होती है वह शब्दों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि "हिन्दी दिवस" को "भाषा दिवस" के रूप में मनाया जाना चाहिए।

### नई दिल्ली : डेसीडाक में हिन्दी दिवस

रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेख केन्द्र (डेसीडाक) में 14 सितम्बर, 1987 सोमवार को हिन्दी दिवस मनाया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सरकारी कामकाज के राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाना था। समारोह का शुभारंभ सरस्वती वन्दना से हुआ। फिर हिन्दी जगत की प्रसिद्ध छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा, देवराज दिनेश को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी ने 2 मिनट का मौन रखा। श्री एस.एस. मूर्ति, निदेशक डेसीडाक ने मुख्य अतिथि श्री राजेन्द्र अस्वथी, संपादक (कादंबिनी, साप्ताहिक हिन्दुतान) का स्वागत करते हुए अपना भाषण पढ़ा। मुख्य अतिथि श्री राजेन्द्र अवस्थी ने 14 सितंबर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाने के महत्व तथा सभी राष्ट्र भाषाओं के विकास के साथ हिन्दी को संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए सभी का आह्वाहन किया तथा सभी भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य को अन्य दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की अनिवार्यता पर बल दिया। समारोह का समापन मुख्य अतिथि द्वारा हिन्दी प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार देकर किया गया।

### केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली

निदेशक, श्री सी० सुधीन्द्र की अध्यक्षता में कार्यालय के व्याख्यान कक्ष में तीन दिन तक हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी निबंध टिप्पणी लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा भाषण प्रतियोगिताएं भी हुई। इन प्रतियोगिताओं में कई हिंदी तथा अहिंदी भाषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने सोत्साह भाग लिया तथा विजेताओं को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार भी दिए गए। इस अवसर पर करीब बीस प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए गए ताकि हिंदी में सरकारी काम करने के लिए अधिक से अधिक लोग अग्रसर हो सकें।

दिनांक 11-9-87 को निदेशक श्री सुधीन्द्र तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एक विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि पंडित सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा एवं श्री जय शंकर प्रसाद की रचनाओं का सस्वर गायन किया गया।

राजभाषा हिंदी की उपयोगिता उसके व्यापक प्रचार-प्रसार तथा उसके वैज्ञानिक पक्ष को लेकर की गई। वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए जिसमें अनुसंधानशाला के निदेशक श्री सुधीन्द्र, संयुक्त निदेशक श्री विजय मोहन शर्मा तथा उप निदेशक श्री रवीन्द्र सिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री मुरारी रत्नम्, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, श्री माणिक चन्द्र दास, श्री मदन गोपाल वांगा, श्रीमती अर्चना नवानी, श्रीमती अनिता धादरा एवं कु० प्रिम रोज ने भी धारा प्रवाह हिंदी में बोलकर अपने हिंदी ज्ञान का अच्छा परिचय दिया।

## संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग में पहली बार 18 सितम्बर, 1987 को "हिन्दी दिवस" का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रसिद्ध बहुभाषाविद डा० प्रभाकर माचवे तथा आयोग के सचिव श्री मनीश बहल ने अध्यक्षता की।

अपने स्वागत भाषण में आयोग के अपर सचिव श्री पूर्णचन्द्र होता ने कहा कि "हमारे संविधान में हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखना हम सभी का कर्तव्य है, अतः हमारा उत्तरदायित्व है कि सरकार की भाषा नीति के अनुसार हम राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें"।

विषय का प्रवर्तन करते हुए आयोग के निदेशक (रा० भा०) डा० पूर्णानंद पांचाल ने कहा कि हिन्दी के विकास में सदा से ही हिन्दीतरभाषियों का भारी योगदान रहा है। आज हिन्दी का जो परिनिष्ठित रूप है उसका विकास भी कदाचित दक्षिण के आदिलशाही और कुतुब शाही राज्यों में 'दक्खिनी हिन्दी' के रूप में हुआ था। उन्होंने आयोग में हिन्दी शाखा द्वारा किए गए कार्यों तथा आयोग के कार्यालय में हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही अनेक प्रतियोगिताओं का भी परिचय दिया।

मुख्य अतिथि डा० माचवे ने अपने भाषण में कहा कि हिन्दी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। अंग्रेजी तो भारत में लगभग 150 वर्ष पूर्व ही आई है। इससे पहले क्या भारतवासी आपस में किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करते थे ? हिन्दी को हमारे देश के साधु-सन्तों, व्यापारियों एवं आम जनता के व्यक्तियों ने सदैव एक सम्पर्क भाषा के रूप में आगे बढ़ाया है। उन्होंने अपने देश-विदेश के अनेक रोचक संस्मरण भी सुनाए। उन्होंने हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी का महत्व तथा राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी के विकास पर जोर दिया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की सेना में सभी प्रान्तों के लोग एवं महिलाएं भी थीं और वे सब मिलकर हिन्दी में गीत बोलते थे, "कदम-कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा"। डा० माचवे ने अपने प्रभावोत्पादक भाषण में आगे बताया कि जिस दक्षिण भारत में हिन्दी इल्लै, हिन्दी इल्लै अर्थात् 'हिन्दी नहीं' 'हिन्दी नहीं', के नारे लगाए हैं, वहीं के महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती ने दक्षिण से बनारस जाकर संस्कृत सीखी, इलाहाबाद में मैट्रिक की परीक्षा हिन्दी में पास की और उसके बाद सारे भारत में हिन्दी का प्रचार किया।

इसके पश्चात् आयोग के सचिव श्री मनीश बहल ने हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र बांटे।

इस समारोह के पहले सत्र में दृश्य-श्रव्य माध्यम से एक बहुत ही आकर्षक एवं अनूठे कार्यक्रम प्रश्न मंच (क्विज) का आयोजन किया गया, जैसे—दूरदर्शन पर दिखाया जाता है। आयोग के संयुक्त सचिव श्री सुबोध बिहारी लाल ने इसका निदेशन किया। इसमें आयोग के कर्मचारियों ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रथम तीन दलों को क्रमशः 150/— रु०, 75/— रु० और 50/— रु० के नकद पुरस्कार भी दिए गए। इस कार्यक्रम की बहुत सराहना की गई।

तदुपरान्त केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के सौजन्य से "हिन्दी के बढ़ते चरण" नामक एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया तथा संस्थान के निदेशक डा० धर्मवीर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

## सेन्टॉर होटल, नई दिल्ली

भारतीय होटल निगम के दिल्ली स्थित एककों में दिनांक 14 सितम्बर, 1987 को संयुक्त रूप मे हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया जिसमें सेन्टॉर एवं शैफेयर दोनों होटलों के लगभग सभी उच्चाधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरम्भ में महान हिन्दी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के दुखद निधन पर उन्हें श्रृद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। तत्पश्चात् श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, सहायक हिंदी अधिकारी ने एकत्रित कर्मचारियों को राजभाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने सरल एवं सुबोध हिंदी में काम करने पर बल दिया। दैनिक कार्यालयीन कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने पर भारतीय होटल निगम द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। अध्यक्ष पद से बोलते हुए क्षेत्रीय निदेशक व महाप्रबंधक श्री पी० ओ० थॉमस ने सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अपनी भाषा हिंदी में ही अधिक से अधिक सरकारी कार्य करें तथा हिंदी में ही सोचें और हिंदी में ही लिखें। अन्य वक्ताओं ने भी हिंदी का प्रयोग बढ़ाने एवं उसकी प्रगति में अधिक से अधिक योगदान देने के लिए अनुरोध किया। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने अपने विभिन्न गीत, गज़लें एवं रचनाएं भी प्रस्तुत कीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन करते हुए श्री अ० कु० मल्होत्रा, कार्मिक प्रबंधक, सेन्टॉर होटल, दिल्ली ने अपनी काव्यात्मक शैली एवं मधुर वाणी से श्रोताओं का मन मोह लिया। उन्होंने कर्मचारियों से राजभाषा की प्रगति में सहयोग देने की अपील की। इस प्रकार सौम्य एवं शालीन वातावरण में यह कार्यक्रम समाप्त हुआ।

**नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली**

निगम में 17 सितम्बर, 1987 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में हिन्दी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका मुख्य उद्देश्य निगम के सभी कर्मचारियों में हिन्दी लिखने की प्रेरणा जागृत करने से था। इसको बढ़ावा देने के लिए अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को 10 प्रतिशत अंक अनुगृह (ग्रेस) के रूप में दिए गए। निबन्ध प्रतियोगिता के लिए निम्न तीन विषय रखे गए :

(1) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को आपने सेवा के लिए क्यों चुना ?

(2) राष्ट्र की एकता और अखंडता में राजभाषा हिन्दी का योगदान।

(3) राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का योगदान।

निबन्ध के लिए कम से कम 200 शब्द और अधिक से अधिक 400 शब्द रखे गए। इसको लिखने के लिए एक घन्टे का समय दिया गया और उत्कृष्ट निबन्धों के लिए लिए क्रमशः 150/–, 125/–, तथा 100/– रुपए के प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीन नकद पुरस्कार रखे गए। इसके अलावा प्रत्येक विषय के लिए एक 50/— रुपए का सांत्वना पुरस्कार भी रखा गया। कुल मिलाकर 6 पुरस्कार रखे गए।

इस निबन्ध लेखन प्रतियोगिता में कर्मचारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। विशेषकर अहिन्दी भाषी कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा की भावना अधिक थी। 40 अधिकारियों/कर्मचारियों ने उपरोक्त विषयों पर निबन्ध लिखे। प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य प्रशासनिक प्रबंधक एवं सचिव श्री एस० सी० धवन ने कहा कि चूंकि हमारा कार्यालय "क" क्षेत्र में स्थित है और हमारे कार्यालय के 80 प्रतिशत से भी अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करें और उसे बढ़ावा दें।

समारोह की अध्यक्षता निगम के महा प्रबंधक श्री एम० एस० राव ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री राव ने अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने की अपील की और कहा कि जो लोग इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेकर विजयी घोषित होते हैं उसे उनकी गोपनीय रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए। प्रतियोगिता में विजयी प्रतियोगियों को उन्होंने पुरस्कार प्रदान किए तथा बधाई दी।

पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं :—

1. श्री मनोहर लाल, सहायक लेखापाल — प्रथम पुरस्कार
2. श्री प्रदीप कपूर, अधीक्षक लेखा — द्वितीय पुरस्कार
3. श्री राजसिंह शर्मा, का० सहा० ग्रेड-II — तृतीय पुरस्कार

इसके अलावा (1) श्रीमती सुनीता वर्मा, आशुलिपिक (2) श्री अरुण कुमार पतारी, कार्यालय सहायक तथा (3) श्री अशोक पुरस्वानी, सहायक अभियन्ता को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए।

**नई दिल्ली : केनरा बैंक (दिल्ली उत्तर अंचल)**

केनारा बैंक, दिल्ली उत्तर अंचल में 14-9-87 को हिन्दी दिवस समारोह धूमधाम से बनाया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री उदयचन्द अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इससे पूर्व 13-8-87 से 12-9-87 तक हिन्दी मास का आयोजन किया गया। इस अवधि में शाखाओं/कार्यालयों में अधिकतर कामकाज हिन्दी में किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे— टिप्पण एवं प्रारुप लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन, आशुभाषण, वाद विवाद, कविता-पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने अत्यधिक रुचि के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया।

14-9-87 को हिन्दी दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ तथा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। अंचल के अंतर्गत मंडल कार्यालय करनाल जयपुर, जालंधर, अमृतसर, चण्डीगढ़ में भी हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया तथा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

**सिंडिकेट बैंक आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली**

**बैंक और ग्राहकों का विशेष सम्मेलन**

सुप्रसिद्ध पत्रकार और हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान", के प्रधान सम्पादक श्री विनोद मिश्र ने देश की आम जनता का आह्वान किया है कि वह बैंकों के साथ अपने कारोबार संबंधी कार्यों में अधिकाधिक हिन्दी का ही प्रयोग करें। श्री मिश्र गत 14 सितम्बर 1987 को सिंडिकेट बैंक के दिल्ली आंचलिक कार्यालय द्वारा हिन्दी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित बैंक के हिन्दी-प्रेमी ग्राहकों के एक विशेष सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। गोष्ठी का विषय था—"बैंक में हिन्दी को आगे बढ़ाने में ग्राहकों की भूमिका।"

श्री मिश्र ने आगे कहा कि आज यह बडी विडम्बनापूर्ण स्थिति है कि आजादी के 40 वर्षों के बाद भी देश में हिन्दी दिवस मनाया जाता है। इससे ऐसा लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश की सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली और समझी जाने वाली जनभाषा हिन्दी में ही देश का कामकाज होना चाहिए। इसमें कहीं रुकावट नहीं है बल्कि केवल संकोच है, जिसको हमें छोड़ना होगा।

उन्होंने कहा कि सिंडिकेट बैंक ने अपने ग्राहकों से विचार-विमर्श करके जो नया प्रयास शुरू किया है वह निश्चय ही सराहनीय है। वास्तव में ऐसे ही प्रयासों से हिन्दी का रचनात्मक विकास हो सकता है।

इससे पूर्व सम्मेलन का संचालन करते हुए बैंक के राजभाषा अधिकारी डॉ. देशबंधु राजेश ने बताया कि हमारी यह स्पष्ट मान्यता है कि केवल राजभाषा नियमों एवं सरकारी नीतियों के एकतरफा अनुपालन से बैंकों में हिन्दी का प्रचलन नहीं हो सकता। इसके लिए ग्राहकों को भी प्रभावी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने बताया कि बैंक ने गत वर्ष भी इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित किया था और सम्मेलन की सिफारिशों को अपनी शाखाओं में कार्यान्वित भी किया है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में सिंडिकेट बैंक के महाप्रबंधक श्री टी. जे. ए. गानिगा ने कहा कि उनका बैंक हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग और राजभाषा नियमों के प्रभावी अनुपालन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस मामले में हम किसी भी अन्य बैंक से पीछे नहीं रहेंगे।

बैंक के उप महाप्रबंधक श्री बी. पी. बालिगा, सहायक महाप्रबंधक, श्री एस. पी. जैन एवं सहायक महाप्रबंधक श्री एस. सी. मेहरोत्रा ने ग्राहकों से अनुरोध किया कि वे सिंडिकेट बैंक के साथ अपना अधिकाधिक कारोबार हिन्दी के माध्यम से करें जिससे कि हिन्दी का प्रयोग इस बैंक में आगे बढ़ाया जा सके।

सम्मेलन में आमंत्रित बैंक के ग्राहकों—डॉ. पी. डी. शुक्ल, सरदार हरदयाल सिंह, श्री एन. सी. ग्रोवर, श्री राम चंदर, श्री ओ. पी. मिगलानी आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बैंक द्वारा आहूत इस सम्मेलन की प्रशंसा की। इन सभी ग्राहकों ने आश्वासन दिया कि वे पत्राचार तथा अन्य माध्यमों द्वारा सिंडिकेट बैंक के साथ हिन्दी में ही कार्य करेंगे।

### आकाशवाणी, पोर्ट ब्लेयर

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकाशवाणी, पोर्ट ब्लेयर में हिन्दी सप्ताह का आयोजन दिनांक 7-9-87 से 14-9-87 तक किया गया। इस अवधि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों से आग्रह किया गया कि वे अपना अधिकतम सरकारी कामकाज हिन्दी में ही करें।

दिनांक 9-9-87, को केन्द्र में हिन्दी भाषी राजपत्रित कर्मचारियों के लिए "सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग–समस्याएं और समाधान" अथवा "शिक्षा का माध्यम क्या हो" विषय पर हिन्दी में निबन्ध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें पांच राजपत्रित अधिकारियों ने भाग लिया।

इसी क्रम में दिनांक 11-9-87 को केन्द्र ने हिन्दी भाषी तथा अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग हिन्दी में टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं जिसमें कुल 8 प्रतियोगी सम्मिलित हुए।

दिनांक 14-9-87 को सन्ध्या समय केन्द्र में एक समारोह केन्द्र अभियन्ता श्री जय प्रकाश नाथानी की अध्यक्षता में हुआ जिसमें पोर्ट ब्लेयर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा क्षेत्रीय तट रक्षक मुख्यालय के कमांडर कैप्टन विमल कुमार मुख्य अतिथि थे। कैप्टन विमल कुमार ने केन्द्र में आयोजित प्रतियोगिता के 11 विभिन्न विजेयता प्रतियोगियों को आकाशवाणी केन्द्र पोर्ट ब्लेयर की ओर से नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

विजेता प्रतियोगियों का विवरण इस प्रकार है:

**हिन्दी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता**

केवल अहिन्दी भाषी राजपत्रित अधिकारियों के लिए

| | |
|---|---|
| 1. श्री सोमनाथ सान्याल | प्रथम पुरस्कार |
| 2. श्री एम. एच. खान | प्रथम पुरस्कार |
| 3. श्री डी. एल. सोलंकी | द्वितीय पुरस्कार |
| 4. श्री एल. मोसेस | द्वितीय पुरस्कार |
| 5. श्री के. वी. शंकरनारायणन् | " " |

**टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता**

(हिन्दी भाषी प्रवीणता प्राप्त वर्ग)

| | |
|---|---|
| 1. श्री अवधेश कुमार तिवारी | प्रथम पुरस्कार |
| 2. श्री मारकस बरनाबस | द्वितीय पुरस्कार |
| 3. श्री वेलिंगटन | तृतीय पुरस्कार |

**अहिंदी भाषी वर्ग** (कार्य साधक ज्ञान प्राप्त)

| | |
|---|---|
| 1. श्री एम. वी. आर० नायर | प्रथम पुरस्कार |
| 2. श्रीमती अनम्मा जोस | द्वितीय पुरस्कार |
| 3. श्री अशोक कुमार बनर्जी | तृतीय पुरस्कार |

नगर राज भाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कैप्टन विमल कुमार ने अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को और अधिक प्रोत्साहन देने पर बल दिया और हिन्दी भाषी कर्मचारियों से अपना अधिक से अधिक सरकारी काम काज हिन्दी में करने की अपील की। उन्होंने आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर में सरकारी काम काज में हो रहे हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और आशा व्यक्त की कि हिन्दी को द्वीपसमूह में आगे बढ़ाते रहने में आकाशवाणी केन्द्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसी प्रकार निभाता चलेगा।

इससे पूर्व केन्द्र अभियन्ता श्री जय प्रकाश नाथानी ने केन्द्र में हिन्दी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डाला।

तदनन्तर केन्द्र के हिन्दी अधिकारी श्री आनन्द बल्लभ शर्मा "सरोज" ने केन्द्र में अब तक आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं/कार्यशालाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए केन्द्र में हिन्दी प्रयोग से संबंधित उपलब्धियों की चर्चा की।

## केरल राज्य में हिन्दी सप्ताह समारोह

**केरल हिंदी के प्रचार में सदा अग्रणी रहा है। हिन्दी सप्ताह मनाने के मामले में भी केरल ने एक नया प्रयोग आरम्भ किया है।**

केरल हिन्दी प्रचार सभा ने यह संकल्प किया कि 14 से 20 सितंबर 1987 तक केरल स्थित सभी केन्द्र सरकारी कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के सक्रिय सहयोग से राज्य स्तर पर हिन्दी सप्ताह मनाया जाए। गत दो तीन वर्षों से यह प्रयोग चल रहा है। इस वर्ष इसे अभूतपूर्व सफलता मिली।

इस वर्ष का समारोह आयोजित करने के लिए केरल-हिन्दी प्रचार सभा ने जो सम्मेलन बुलाया उसमें केरल स्थित करीब 85 केन्द्र सरकारी कार्यालयों/बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन सब की एक हिन्दी सप्ताह समारोह समिति बनी। केरल परिमण्डल के पोस्टमास्टर जनरल एवं तिरूअनन्तपुरम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री सी. जे. मात्यु समिति के अध्यक्ष चुने गये। केरल हिन्दी प्रचार सभा के कर्मठ मंत्री एवं केन्द्रीय हिन्दी समिति के सदस्य श्री एम. के. वेलायुधन नायर समिति के प्रधान संयोजक चुने गये। एक कार्यकारिणी समिति भी गठित हुई।

समारोह में केन्द्र सरकार का ही नहीं, केरल सरकार तथा केरल की अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं/साहित्यकारों और नेताओं का पूर्ण सहयोग पाने में समिति सफल हुई।

14-9-1987 को उद्घाटन सम्मेलन स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर के मुख्य कार्यालय में आयोजित हुआ जिसमें केरल के माननीय राज्यपाल श्री पी. रामचन्द्रन ने समारोह का उद्घाटन किया। समारोह के सिलसिले में केन्द्र सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी में आलेखन, टिप्पण, अनुवाद, टंकण आदि प्रतियोगिताए और कर्मचारियों के बच्चों के लिए निबंध, वकतृता, कवितापाठ, प्रश्नोत्तरी आदि हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। एक भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें ग्यारह भारतीय भाषाओं के कवियों ने भाग लिया। हिन्दी के राजभाषा साहित्य की एक प्रदर्शनी आयोजित हुई जिस में केन्द्र सरकार के प्रकाशन विभाग ने पूरा सहयोग दिया। विविध भाषा-भाषी बच्चों की कलात्मक प्रस्तुति सांस्कृतिक संध्या के रूप में आयोजित हुई। समापन समारोह का उद्घाटन केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री एम. एम. जेकब ने किया। प्रतियोगिताओं ने विजेताओं को केरल के परिवहन मंत्री श्री के. शंकरनायायण पिल्ले ने पुरस्कार वितरण किया। सर्वाधिक अंक पाकर स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर ने प्रथम पुरस्कार पाया। द्वितीय पुरस्कार केरल के महालेखाकार के कार्यालय को एवं तृतीय पुरस्कार विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तुंबा को मिला। यह विशेष उल्लेखनीय है कि उक्त तीनों संस्थाओं के शीर्षस्थ अधिकारी स्वयं परस्कार ग्रहण करने आये और कर्मचारियों का गौरव बढ़ाया।

केरल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष एवं मलयालम के विख्यात समीक्षक प्रो. एस. गुप्तन नायर, केरल विश्वविद्यालय के उपकुलपति एवं विख्यात शिक्षाविद डा. ए. सुकुमारन नायर जैसे विद्वानों ने समारोह के विविध सम्मेलनों में हिन्दी का समर्थन किया।

आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र-सूचना कार्यालय आदि का और स्थानीय समाचार पत्रों का पूरा सहयोग समारोह को मिला।

इससे केन्द्र सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की प्रेरणा अवश्य मिली। साथ ही साथ केरल की साधारण जनता के हृदय में भी हिन्दी के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न हुई।

निश्चय ही केरल का यह प्रयोग ऐसे सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय है जो राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग करना चाहते हैं।

## कारपोरेशन बैंक (क्षे० का०), कोच्चिन

3 अगस्त से 17 अगस्त 1987 तक कार्पोरेशन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चिन ने हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया। आयोजन को सफल बनाने के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया ताकि पखवाड़े के बाद भी क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जा सके। बैंक के इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर था। जब किसी क्षेत्र ने हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया हो। इस पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताओं/प्रतिस्पर्द्धाओं/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

पखवाड़े का शुभारंभ 3 अगस्त 1987 को तिरूअनंतपुरम, कालिकट तथा कोचिन शाखाओं के स्टाफ द्वारा आयोजित बैठकों से आरभ हुआ। कोचिन शाखा के प्रबंधक श्री के. सी. शेषय्या ने कहा कि हम हिन्दी कार्यान्वयन की दिशा में व्यापक प्रयास करेंगे। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे हिन्दी का प्रयोग अपने

दैनिक काम में बिना किसी झिझक के करें। राजभाषा अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार धर ने सरकार की राजभाषा नीति तथा राजभाषा अधिनियम व नियमों पर विस्तृत चर्चा की। तिरूअनंतपुरम शाखा में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंकों के लिए) के सचिव श्री एम. पी. गोपालकृष्णन ने अपने उद्घाटन भाषण में कार्पोरेशन बैंक द्वारा हिन्दी के संदर्भ में किए गए कार्य की प्रशंसा की तथा उन्होंने राजभाषा अधिनियमों तथा नियमों पर चर्चा की। बैठक में सर्वश्री राधाकृष्णन तथा गोपी ने भी भाग लिया। श्री पाल पी. ऐसक ने मुख्य अतिथि के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी प्रकार कालिकट में भी बैठक आयोजित की गई। 4 अगस्त 1987 को हिन्दी हस्ताक्षर प्रतियोगिता, 5 अगस्त 1987 को हिन्दी हस्तलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसी क्रम में 7 अगस्त 1987 को हिन्दी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

कार्यक्रम का दूसरा दौर 10 तथा 11 अगस्त 1987 को अधिकारी वर्ग के लिए आयोजित एक हिन्दी कार्यशाला से आरंभ हुआ जिसमें क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं के 17 अधिकारियों ने भाग लिया। 13 अगस्त 1987 को प्रबंधकों के लिए "मूल हिन्दी पत्राचार करना तथा वार्षिक कार्य क्रम" पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें 28 शाखा प्रबंधकों, प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय प्रबंधक ने भाग लिया। 14 अगस्त 1987 को क्षेत्रीय कार्यालय में एक छोटा सा समारोह आयोजित कर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने वाले कर्मचारियों तथा हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत विभिन्न कक्षाएं पास करने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम के अंतिम चरण में, 17 अगस्त 1987 को एरणाकुलम नगर में स्थिति सभी सरकारी प्रतिष्ठानों तथा उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यपालकों के लिए आयोजित कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग तथा कार्यान्वयन की समस्या पर संगोष्ठी आयोजित की गई। उद्घाटन करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री सी. मार्टिस ने कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है इसका प्रयोग विभिन्न कार्यालयों द्वारा बिना झिझक से किया जाना चाहिए तथा राजभाषा अधिनियम तथा नियमों को भी क्रियान्वित करना चाहिए। विचार गोष्ठी में विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा पर्चे पढ़े/चर्चा की। इससे पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक श्री क. गो. प. कामत ने सभी सहभागियों का स्वागत किया। अपने समापन भाषण में प्रधान कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सहायक महाप्रबंधक श्री विजयनाथ भटट ने समापन भाषण देते हुए अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री वाई. एस. हेगड़े व महाप्रबंधक श्री के. आर. शेणै की तरफ से सभी का स्वागत किया। इसी के साथ सभी सहभागियों से अपील की कि वे हिन्दी का काम निष्ठा से करें। मंच संचालन राजभाषा अधिकारी देवेन्द्र कुमार धर ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने तथा गोष्ठी में भाग लेने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से प्रबंधक श्री के. जी. मुरलीधरन ने सभी का धन्यवाद किया। इसी दिन शाम को क्षेत्रीय कार्यालय में "हिन्दी राष्ट्रीय एकता का साधन है" पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इस आयोजन से कोच्चिन नगर में हिन्दी का माहौल बना है तथा विभिन्न केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों ने इस प्रकार के आयोजन करना आरंभ कर दिया है।

**महाडाकपाल (आंध्रप्रदेश परिमंडल) हैदराबाद**

महाडाक पाल आं० प्र० परिमंडल हैदराबाद के कार्यालय में दिनांक 14-9-87 से 18-9-89 तक हिन्दी -सप्ताह का आयोजन किया गया। दिनांक 14-9-87 को श्री एम० पी० राजन् निदेशक (सतर्कता) परिमंडल कार्यालय हैदराबाद ने हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने हिन्दी-दिवस मनाए जाने के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ श्री जी० प्रेमकुमार हिन्दी अधिकारी महाप्रबन्धक टेलीफोन्स हैदराबाद ने सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। इस अवसर में हिन्दी का प्रयोग विषय पर महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए। इस अवसर पर तकनीकी शब्दावली ज्ञान की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। 15-9-87 को हिन्दी में निबंध प्रतियोगिता तथा वाकप्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

दिनांक 18-9-87 को हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह संपन्न हुआ। समापन समारोह श्रीमान् एच० राजेंद्रप्रसाद महाडाक पाल आंध्र प्रदेश परिमंडल की अध्यक्षता में हुआ।

सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत श्री शेख अमीर, कल्याण अधिकारी ने किया।

श्री जी० प्रेमकुमार हिन्दी अधिकारी ने अपने व्याख्यान में राजभाषा-अधिनियम 1963 तथा 1976 के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला।

श्री वी० सुब्बाराव सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण ने योजना ने हिन्दी में कामकाज करने में कठिनाइयों, हिन्दी में प्रशिक्षण और हिन्दी में प्रारूपलेखन आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।

श्री एच० राजेंद्रप्रसाद महा डाक पाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भाषा, धर्म, वर्ग आदि के बारे में कोई वाद-विवाद नहीं है। सभी भारतीय भाषाओं को एक समान अधिकार है। हिन्दी सरकार की राजभाषा है। आं० प्र० में हिन्दी में सरकारी कार्य करने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को संबंधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी में छोटे-मोटे टिप्पणियां/प्रारूप अपने दैनिक कार्य में अपनाएं।

श्री के० गुलजाराम हिन्दी सहायक ने हिन्दी की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट दी। तीन प्रकार की प्रतियोगिताओं में विजयी कर्मचारियों को श्री एच० राजेंद्र प्रसाद महा डाकपाल द्वारा पुरस्कार वितरित किये गये।

1. तकनीकी शब्दों का ज्ञान

   प्रथम कु०वी०वी० रमणम्मा उ०श्रे०लि० रु० 100

   द्वितीय डी० मल्लीकार्जुन राव का०उ०अ० 75/—

   तृतीय मो०फजलूर रहमान उ०श्रे०लि० 50/—

2. निबन्ध प्रतियोगिता

   प्रथम स/श्री डी० मल्लीकार्जुन राव का०उ०अ० 100/—

   द्वितीय जी० नागराज राव उ०श्रे०लि० 75/—

   तृतीय कु० वी०वी० रमणम्मा उ०श्रे०लि० 50/—

3. वाक् प्रतियोगिता

   प्रथम स/श्री डी०मल्लीकार्जुन राव का०उ०अ० 100/

   द्वितीय एस०एम० इस्माईल उ०श्रे०लि० 75/—

   तृतीय एम०सी०वी० रमणा अ०पर्यवेक्षक 50/—

## दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में दिनांक 14-9-87 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

समारोह का उद्घाटन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारी श्री एच०आई० टेटे ने दीप जलाकर किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री टेटे ने कहा कि "हिन्दी तभी आगे बढ़ेगी जब वह क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपने साथ ले चलेगी"।

केन्द्र के निदेशक श्री काजी अनीस उल हक ने अपने भाषण में कहा कि "हिन्दी किसी एक प्रान्त की भाषा नहीं है वह समस्त भारत की भाषा है। इसके प्रचार के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की धारणा है कि हिन्दी में काम करना कठिन है, यह गलत है। हिन्दी इतनी सरल भाषा है कि कोई भी उसे बहुत आसानी से सीख सकता है। उन्होंने आगे कहा कि "आज हम यह संकल्प करें कि प्रतिदिन हम कुछ काम हिन्दी में ही करें।"

इस सप्ताह में चार प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, वे इस प्रकार थीं :—

1. दिनांक : 15-9-87 को हिन्दी टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता।
2. दिनांक : 16-9-87 को हिन्दी शब्दावली प्रतियोगिता।
3. दिनांक : 17-9-87 को हिन्दी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता
4. दिनांक : 18-9-87 को हिन्दी कार्य प्रतियोगिता।

समापन समारोह दिनांक 18-9-87 को आयोजित किया गया। कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री एस०एस० धुले ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष रूप से हिन्दी का प्रसार कर ही रहा है। इसके अतिरिक्त परोक्ष रूप से अपने कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए भी कार्य कर रहा है। उन्होंने कार्यालय में वर्ष भर हुए हिन्दी की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया।

हिन्दी सप्ताह के संदर्भ में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के बाद मुख्य अतिथि श्री तीर्थ प्रकाश, महाप्रबन्धक द०म० रेलवे ने दूरदर्शन केन्द्र में हिन्दी सप्ताह के संदर्भ में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताएं तथा कर्मचारियों द्वारा दिखायी गई दिलचस्पी की सराहना की। उन्होंने अपने भाषण में उपस्थित सज्जनों तथा कर्मचारियों से कहा कि वे अपने दैनंदिन कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

केन्द्र के निदेशक श्री काजी अनीस उल हक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि "हमारा देश 200 वर्ष तक अंग्रेजी का गुलाम रहा। अंग्रेज चले गए, मगर हम भी अभी तक अंग्रेजी को छोड़ नहीं सके। आजादी के चालीस साल बाद भी हम हिन्दी को पूरी तरह नहीं अपना पाए। यदि हम सही लगन से इस दिशा में कार्य करना शुरु करें तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हिन्दी पूर्ण रूप से भारत की राजभाषा बनेगी"।

श्री बी०आर०सी० रेड्डी, दर्शक अनुसंधान अधिकारी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ।

## भुवनेश्वर : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार विकास बैंक, भुवनेश्वर कार्यालय में दिनांक 17 अगस्त, से 21 अगस्त, 1987 तक "राजभाषा-सप्ताह" समारोह का आयोजन किया गया। उक्त समारोह के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गये।

डा० के० यू० माडा, महा प्रबन्धक, (पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता) ने भुवनेश्वर कार्यालय के सभाकक्ष में "हिन्दी-सप्ताह" समारोह का उद्घाटन किया। डा० माडा ने भुवनेश्वर कार्यालय की हिन्दी-गति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि इस प्रगति को आगे भी बनाए रखें। हिन्दी-सप्ताह के कार्यालयीन पांच दिनों के सप्ताहिक-कार्यक्रम को देख कर वे बहुत प्रभावित हुए और हिन्दी की पांच प्रतियोगिताओं—हिन्दी आशु भाषण-प्रतियोगिता, हिन्दी-कहानी/कविता पाठ् प्रति०, हिन्दी निबन्ध-लेखन प्रति०, हिन्दी पत्र लेखन प्रति०, अंग्रेजी-हिन्दी, हिन्दी-अंग्रेजी शब्दार्थ प्रति०, के आयोजन पर खुशी जाहिर की।

पटना कार्यालय के उपमहा प्रबन्धक श्री के० एन० चिटणीस ने हिन्दी में सम्बोधित किया। इसके पहले प्रबन्धक श्री आर० नारायणस्वामी ने भी संक्षेप में अपनी बातें रखीं। नारायण स्वामी के भाषणोपरान्त कार्यालय के हिन्दी अधिकारी तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य -सचिव श्री पी० सिंह ने अब तक हुई हिन्दी की प्रगति की एक रूपरेखा पेश की और "हिन्दी-सप्ताह" के भावी कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्रारम्भ में उप महाप्रबन्धक ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पदेन-अध्यक्ष के रूप में सभी आगत अतिथियों का स्वागत किया और अन्त में धन्यवाद-ज्ञापन भी।

## आयकर विभाग, अहमदाबाद

आयकर विभाग, अहमदाबाद में 14 से 18 सितम्बर 1987 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सप्ताह के दौरान हिन्दी निबन्ध लेखन, वाद-विवाद, काव्यपाठ तथा हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

(1) हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता

| | |
|---|---|
| 1. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल | प्रथम |
| 2. श्रीमती शांता बी. आयर | द्वितीय |
| 3. श्री पी. वी. जैन | तृतीय |
| 4. श्री एन. जे. डोरिया | सांत्वना |
| 5. श्री डी. जे. क्रिष्टी | सांत्वना |

(2) काव्य पाठ तथा गीत गायन

| | |
|---|---|
| 1. श्री शिवराज देशमुख | प्रथम |
| 2. श्री पी. एम. रावल | द्वितीय |
| 3. कुमारी दीप्ति जोशी | तृतीय |
| 4. श्री संजीव कुमार देव | सांत्वना |
| 5. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल | सांत्वना |

(3) निबन्ध लेखन-1 (पूर्व घोषित)

हिन्दी भाषी

| | |
|---|---|
| 1. श्री आर. एल. मीना | प्रथम |
| 2. श्री बाबूलाल सुथार | द्वितीय |
| 3. श्री सुभाष वशिष्ट | तृतीय |
| 4. श्री राकेश हर प्रसाद शर्मा | सांत्वना |

अहिन्दी भाषी

| | |
|---|---|
| 1. श्री एस. पी. जनाणी | प्रथम |
| 2. कुमारी हुसेना शेख | द्वितीय |
| 3. श्री एन. जे. डोरिया | द्वितीय |
| 4. श्री जी. एच. खान | द्वितीय |
| 5. श्री दिनेश कुमार क्रिष्टी | द्वितीय |
| 6. श्रीमती शांता बी. आयर | तृतीय |
| 7. श्रीमती लीलावती पटेल | तृतीय |
| 8. श्री पी. के. गोपालन | सां. पु. |
| 9. श्री जे. बी. जोषी | सां. पु. |
| 10. श्री डी. सी. श्रीमाली | सां. पु. |

(4) निबन्ध लेखन-2 (तत्क्षण घोषित)

हिन्दी भाषी

| | |
|---|---|
| 1 श्री संजीव कुमार देव | प्रथम |
| 2. श्री राकेश हर प्रसाद शर्मा | द्वितीय |
| 3. श्री आर. एल. मीना | तृतीय |
| 4. श्री यशवंत सिंह मीना | सां. पु. |

अहिन्दी भाषी

| | |
|---|---|
| 1. श्री शिवराज देशमुख | प्रथम |
| 2. श्री एन. जे. डोरिया | द्वितीय |
| 3. श्री दिनेश जे. क्रिष्टी | द्वितीय |
| 4. श्री जी. एच. खान | द्वितीय |
| 5. श्री एस. पी. जनाणी | तृतीय |
| 6. श्री आर. एम. रावल | तृतीय |
| 7. श्रीमती लीलावती पटेल | तृतीय |
| 8. श्री वसंत पी. आहूजा | तृतीय |
| 9. श्रीमती शांता बी. आयर | सां. पु. |
| 10. श्री विपिन गोयल | सां. पु. |

(5) हिन्दी टाइपिंग

| | |
|---|---|
| 1. श्रीमती वत्सला बी. एम. | प्रथम |
| 2 श्री जी. आर. शिकारी | द्वितीय |

प्रतियोगियों को पुरस्कार/प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में 25 सितम्बर, 1987 को विशेष समारोह आयोजित किया गया। हिन्दी सप्ताह समारोह समिति के अध्यक्ष तथा निरीक्षण उपनिदेशक (अनुसंधान) श्री हरिश्चन्द्र पारख ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार में गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी तथा सरदार पटेल ने बहुत पहले अनुभव किया था कि भारत को एकसूत्र में बांधने वाली कड़ी हिन्दी ही है। उन्होंने बताया कि गुजरात प्रभार सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए सतत सचेष्ट है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बहुत शीघ्र ही यह प्रभार न केवल हिन्दी के प्रयोग के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यांक प्राप्त कर लेगा, बल्कि उस से आगे बढ़ जाएगा।


87/1953 H.A.—10

मुख्य समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्य आयुक्त श्री पी. सी. हालाखण्डी ने सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे समरी निर्धारण तथा छोटे-छोटे अन्य आदेशों, नोटिसों, समन्स, आदि जैसे कार्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाएं ताकि वर्ष 1987-88 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ।

पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि श्री जी. आर. पटवर्धन ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित करते हुए इस प्रकार के समारोह के आयोजन पर खुशी व्यक्त की ।

अतिथि विशेष के रूप में पधारे हुए हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री गिरिराज किशोर ने कर्मचारियों को उद्बोधित करते हुए कहा कि वे अपने सरकारी कामकाज के साथ-साथ आपसी बातचीत में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाएं । उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में वे पहल करें । इससे उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पा सकेंगे ।

## राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे में दि. 9 सितम्बर से 14 सितम्बर, 1987 तक "हिन्दी सप्ताह" मनाया गया । इस दौरान हिन्दी निबन्ध तथा हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । मुख्य समारोह 14 सितम्बर, 1987 को सम्पन्न हुआ । समारोह में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रयोगशाला के सम्बन्धित वैज्ञानिकों/अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए ।

## हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स, पिम्परी (पुणे)

पुणे स्थित भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स में हिन्दी दिवस 14 सितंबर 1987 को मनाया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता पुणे विश्वविद्यालय के डा. अशोक कामत ने की । हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स के कर्मचारियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए डा. कामत ने कहा कि हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक नागरिक को न केवल हिन्दी भाषा ही सीखनी चाहिए अपितु दूसरी प्रांतीय भाषाएं भी सीखनी चाहिए । कम्पनी के प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, श्री ए. के. बसु ने हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन करते हुए बताया कि एच. ए. परिवार में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए पिछले महीने कम्पनी में आन्तरविद्यालय देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें कुल मिलाकर 11 विद्यालयों ने भाग लिया । प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों को शील्ड और सभी छात्रों को कप और प्रमाणपत्र वितरित किए गए । इसके साथ-साथ भविष्य में भी इस प्रकार के कवि सम्मेलन आयोजित करने का उल्लेख किया। हिन्दी शिक्षण योजना की श्रीमती अभयंकर ने इस अवसर पर भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम और नियमों की जानकारी बहुत ही सरल भाषा में दी।

हिन्दी दिवस के साथ-साथ कम्पनी में 14 से 18 सितंबर 1987 को हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इसमें कम्पनी के बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया । हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह 18 सितंबर को किया गया । इस अवसर पर घोष वाक्य प्रतियोगिता में प्रथम 12 स्थान पाने वाले स्लोगनों को प्रदर्शित किया गया । हिन्दी सप्ताह समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में विख्यात साहित्यकार डा. साने ने कहा कि हमें भाषा का अहंकार छोड़कर सरल शब्दों में अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए । कार्यक्रम के दौरान हिन्दी कविता प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कर्मचारियों ने अपनी कविताएं पेश कीं ।

कंपनी के राजभाषा विभाग के प्रमुख श्री श्रीनिवास देवगांवकर ने हिन्दी के सम्बन्ध में कंपनी में हो रहे कार्यों की सराहना की और अनुरोध किया कि जिन कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने हिन्दी की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर नकद पुरस्कार और वेतन वृद्धि प्राप्त की है उन्हें अपना कुछ काम हिन्दी में करना चाहिए । कंपनी में प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए एक केन्द्र भी स्थापित किया गया है । सम्पूर्ण भारत में अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में विशिष्ट स्थान पाने वाले कर्मचारियों को कंपनी के महाप्रबंधक श्री पी. आर. भागवत ने पुष्पगुच्छ दे कर सम्मान दिया । हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले कर्मचारियों को भी आकर्षक पुरस्कार भेंट किए गए ।

## केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय इन्दौर (म० प्र०)

**राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में हिंदी का प्रमुख स्थान है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है । इसका साहित्य हमें आनंदित करता है। अंग्रेजी मानसिक गुलामी है। रूस, जापान जैसे विकसित देश अपनी भाषा बोलते हैं, उनका तकनीकी विकास उनकी अपनी भाषा में है। हम भी हिंदी के व्यापक प्रसार के लिए पूरी कोशिश करें और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे दफ्तरों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग होगा।**

**—ना. राजा**

उपर्युक्त उद्गार माणिकबाग पैलेस, स्थित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय में "हिन्दी सप्ताह" की प्रतियोगिताओं के नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान करते हुए कलेक्टर श्री ना. राजा ने व्यक्त किए ।

समारोह के अतिथि, दैनिक भास्कर के श्री हीरालाल शर्मा ने आह्वान किया कि देश की कोई एक भाषा जरूर सीखें, अन्य भाषाओं की निधि से वंचित न हों, अपना वैभव बढ़ाएं। आज तुर्की के कमाल पाशा के दृष्टिकोण की जरूरत है, देश में विघटन को हटाने के लिए भाषायी योगदान जरूरी है। हिन्दी के विकास में अहिन्दी भाषियों का योगदान सराहनीय है। उन्हें सम्मान दें। भाषायी सौहार्द बढ़ाएं।

दैनिक "नवभारत" के श्री जगन्नाथ चौधरी ने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं सम्माननीय हैं। हिन्दी दिवस की महत्ता प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज, न्याय और तकनीकी कामों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जाए।

विभाग में आयोजित हिन्दी-सप्ताह के विभिन्न कार्यक्रमों की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए समारोह का संचालन और आभार-प्रदर्शन श्री राज़ केसरवानी, हिन्दी अधिकारी ने किया।

श्री राहुल गोयल, अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में सम्पन्न, हिन्दी भाषण प्रतियोगिता में सर्वश्री अरूण जैन, के. जी. देशपाण्डे, आर. एन. भारद्वाज ; हिन्दी टिप्पण आलेखन में (हिन्दी भाषी) दीपक रस्तोगी, शरद शर्मा, राकेश श्रीवास्तव, (अहिन्दी भाषी) मोहन आरीजा, सी. के. पटेल, अनिल चिटनिस ; हिन्दी सामान्य ज्ञान में (हिन्दी-भाषी) शरद शर्मा, दीपक रस्तोगी, हर्षवर्धन शर्मा व केशव नेमा, (अहिन्दी भाषी) मोहन आरीजा, सी. के. पटेल, चारूदन्त रावेरकर तथा हिन्दी टाइपिंग में कैलाश वर्मा, राकेश श्रीवास्तव व प्रबोध देशभ्रतार क्रमश : प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे।

### दूरदर्शन केन्द्र : जालन्धर

दूरदर्शन केन्द्र पर दिनांक 7-9-87 से 11-9-87 तक सातवीं हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें इस केन्द्र की विभिन्न शाखाओं के 8 कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। 10-9-87 को केन्द्रीय के निदेशक, श्री एम. एल. पण्डित ने कार्यशाला में भाग ले रहे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्हें हिन्दी का प्रयोग करने के लिए आग्रह किया। आयोजन में केन्द्र के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी प्रशिक्षण अधिकारियों ने भी भाग लिया।

### हिन्दी सप्ताह

केन्द्र पर दिनांक 13-9-97 से 19-9-87 तक "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किया गया। दिनांक 27-8-87 को एक परिपत्र जारी करके सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि वे हिन्दी सप्ताह के दौरान राजभाषा संबंधी नियमों/आदेशों का अनुपालन करें। हिन्दी सप्ताह का शुभारम्भ कार्यालयाध्यक्ष श्री एम. एल. पण्डित द्वारा जारी हिन्दी दिवस /हिन्दी सप्ताह अपील से किया गया जिसमें उन्होंने सभी स्टाफ सदस्यों से आग्रह किया कि वे हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करें और अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करें।

हिन्दी सप्ताह के दौरान केन्द्र के प्रसारणों में राजभाषा संबंधी परिचयांकन (कैप्शन) दिखाए गए। इसी उपलक्ष्य में इस केन्द्र से एक परिचर्चा "राजभाषा प्रशिक्षण : समस्याएं व समाधान" शीर्षक से दिनांक 17-9-87 को प्रसारित की गई।

"हिन्दी सप्ताह" का समापन समारोह दिनांक 19-9-87 को निदेशक, श्री एम. एल. पण्डित की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। हिन्दी अधिकारी श्री विश्वमित्र धीर ने इस कार्यालय में हो रहे राजभाषा कार्य का विवरण प्रस्तुत किया और सरकार की राजभाषा नीति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग व हिन्दी आशुलिपि सीखने के लिए सरकार द्वारा दिये जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन पुरस्कारों का भी वर्णन किया और कर्मचारियों से उनका लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया कि इस केन्द्र पर राजभाषा हिन्दी में काम करने हेतु पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं, अतः कर्मचारियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

केन्द्र पर 10 जून, 1987 को हुई हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का ब्यौरा देते हुए हिन्दी अधिकारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अहिन्दी भाषी श्रेणी से सम्बद्ध श्री मदन गोपाल गौतम कार्यक्रम निष्पादक ने प्रतियोगिता में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये और वे अहिन्दी भाषी श्रेणी में प्रथम रहे। हिन्दी भाषी श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके श्री सुशील कुमार सिंह, प्रस्तुतकर्ता प्रथम रहे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 14 कर्मचारियों में से 11 ने नकद पुरस्कार जीते।

समारोह के मुख्य अतिथि जालन्धर के आयकर आयुक्त व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री जी. एस. सिद्धू ने अपने संबोधन में कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे अपने ही हित में राजभाषा संबंधी नियमों का पालन करें और इस दिशा में यदि उन्हें किसी प्रकार के भी मानसिक अवरोध का सामना करना पड़ता हो तो उसे दूर करने का प्रयास करें। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी का किसी भी क्षेत्रीय भाषा के साथ कोई विरोध नहीं है, हिन्दी को तो सभी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर आगे बढ़ना है। श्री सिद्धू ने केन्द्र में आयोजित हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता तथा सातवीं हिन्दी कार्यशाला में सफलतापूर्वक भाग लेनेवाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र /पुरस्कार प्रदान किये।

समारोह में विशेष आमंत्रित डा. पद्म गुरचरण सिंह, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज, जालन्धर ने भाषण में हिन्दी भाषा का महत्व पर बोलते हुए कहा कि यह न केवल वैज्ञानिक अपितु साहित्य के आधार पर भी एक समृद्ध भाषा है। भारत में ही 35 करोड़ के लगभग लोग हिन्दी जानते हैं। उन्होंने भाषा का सम्बन्ध स्व, संस्कृति और राष्ट्रीयता के साथ जोड़ते हुए सभी को निष्ठा पूर्वक हिन्दी भाषा सीखने व इसका प्रयोग करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दी ने अंग्रेजी का स्थान लेना है न कि अन्य भारतीय भाषाओं का।

अपने अध्यक्षीय भाषण में निदेशक, श्री एम. एल. पंडित ने पुरस्कार/प्रमाण पत्र पाने वाले सभी कर्मचारियों को बधाई दी।

## मध्य प्रदेश डाक परिमण्डल भोपाल

मध्य प्रदेश के पोस्टमास्टर जनरल श्री जी. वी. एस. राव ने हिन्दी सप्ताह के समापन अवसर पर दिनांक 21 सितम्बर 1987 को कहा कि आज के इस प्रगतिशील युग में जबकि तकनीकी विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है अधिकांश परिवारों के बच्चे अपनी मातृभाषा भी ठीक से नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसका प्रयोग करने में गर्व का अनुभव करना चाहिए। मध्य प्रदेश में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी तो मातृभाषा ही हिन्दी है और वे ऐसे हिन्दी भाषी क्षेत्र में कार्यरत हैं जहां बिना किसी झिझक के आसानी से सरकारी कामकाज में हिन्दी का ज्यादा से प्रयोग किया जा सकता है। हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरित करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि मध्य प्रदेश में डाक विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग प्रसार करेंगे तथा जिन कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है वे अपने अन्य साथियों को भी हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

**हमें अपनी मातृभाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसका प्रयोग करने में गर्व का अनुभव करना चाहिए।**

**—जी.वी. एस. राव**

इस वर्ष हिन्दी सप्ताह के दौरान भोपाल स्थित सभी डाक कार्यालयों को एक यूनिट मानकर निम्नलिखित प्रतियोगताएं आयोजित की गईं ;

1. राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता : भोपाल स्थित छः कार्यालयों में 15-9-87 को एक ही समय आयोजित की गई थी। इसमें 152 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रथम पुरस्कार पाने वालों में परिमंडल कार्यालय के श्री जे. डी. राऊत उपनिदेशक लेखा डाक कार्यालय के श्री हरिश्चन्द्र सूरी, डाक वस्तु भंडार की श्रीमती अंजली शुक्ला/परिमंडल डाक टिकट भंडार के श्री एस. ए. खान, प्रवर अधीक्षक डाकघर कार्यालय के श्री यू. एस. श्रीवास्तव और रेल डाक सेवा अधीक्षक कार्यालय के श्री भगवती प्रसाद व्यास थे।

2. हिन्दी पत्र पठन प्रतियोगिता का आयोजन केवल तमिल, तेलगु, कन्नड़ मलयालम और उड़िया भाषी कर्मचारियों के लिए किया गया था। इसमें किसी कर्मचारी द्वारा लिखा गया एक हस्तलिखित हिन्दी पत्र उन्हें पढ़ने के लिए दिया गया था। पत्र पढ़ने की गति, उच्चारण की शुद्धता और समय को ध्यान में रखकर प्रतियोगिता का मूल्यांकन किया गया था। यह प्रतियोगिता परिमंडल कार्यालय और लेखा (डाक) कार्यालय में आयोजित की गई थी। अहिन्दी भाषी कर्मचारियों में यह काफी लोकप्रिय रही। इसमें पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों में परिमंडल कार्यालय के श्री जी. जे. राव (कार्यालय अधीक्षक) और लेखा (डाक) कार्यालय के श्री वी. एन. रेड्डी (कनिष्ठ लेखापाल) थे।

3. हिंदी निबंध प्रतियोगिता प्रधान डाकघर में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय एकता और हिन्दी विषय पर प्राप्त निबंधों में प्रथम पुरस्कार प्रधान डाकघर की श्रीमती रश्मि पागे को प्राप्त हुआ।

4. हिन्दी वाक् प्रतियोगिता का आयोजन परिमंडल कार्यालय और डाक वस्तु भंडार कार्यालय में किया गया था। "हिन्दी के प्रति मेरा दायित्व' विषय पर 18 कर्मचारियों ने अपने विचार व्यक्त किये। परिमंडल कार्यालय के श्री जी. सी. तिवारी एवं डाक वस्तु भंडार के श्री पी. के. जैन को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

5. सुलेख प्रतियोगिता—भोपाल स्थित चार कार्यालयों में आयोजित की गई। लेखा (डाक) कार्यालय के श्री भुवनेश्वर फुंकवाल, परिमंडल डाक टिकट भंडार के श्री ए. एस. गीते और सेंट्रल टी. टी. नगर मुख्य डाकघर के श्री के. एल. सोनी प्रथम पुरस्कार पाने वालों में थे।

6 श्रुतलेखन प्रतियोगिता—उपनिदेशक लेखा (डाक) कार्यालय में आयोजित की गई थी। हिन्दी और अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए यह एक मिली जुली प्रतियोगिता थी। इस प्रतियोगिता में श्री सत्यनारायण जोगी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

परिमंडल स्तर पर निबंध प्रतियोगिता—प्रति वर्ष हिन्दी सप्ताह के दौरान एक ऐसी प्रतियोगता का आयोजन करता है जिसमें पूरे म. प्र. के डाक कर्मचारी एवं अधिकारी भाग ले सकते ह। पिछले वर्षों में नारा प्रतियोगिता और लघु कहानी प्रतियोगिता जैसे आयोजन की सफलता से प्रेरित होकर इस वर्ष परिमंडल स्तर पर एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई। इसका विषय है, "राष्ट्रीय एकता और अखंडता में हिन्दी का योगदान"। निबंध प्राप्ति की अंतिम तिथि (30-9-87) की 150 निबंध प्राप्त हो चुके हैं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है और परिणाम अक्टूबर के अंत में घोषित किए जायेंगे।

## क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय इन्दौर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र., इन्दौर में, हिन्दी सप्ताह के दौरान केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त आदेशानुसार इस वर्ष भी टिप्पण आलेखन तथा निबंध (राष्ट्रोत्थान में नैतिकता का महत्व एवं योगदान) प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्णयानुसार संगीत (गायन एवं वादन) प्रतियोगिता तथा अंतर कार्यालयीन वाद-विवाद (देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में युवा वर्ग सार्थक है) प्रतियोगिता आयोजित की गई।

सप्ताहांत अर्थात् 21 सितम्बर को आकाशवाणी इन्दौर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत हास्य झलकियों के साथ समापन समारोह हुआ, जिसमें सप्ताह के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए गए और केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिष की कार्यालयीन शाखा ने वादविवाद (वर्तमान परिस्थितियों में देश के लिए प्रजातांत्रिक प्रणाली उपयोगी है) प्रतियोगिता के और गणेश उत्सव समिति (चौधरी भवन) ने खेल-कूद के लिए पुरस्कार वितरित किए।

सफल प्रतियोगियों सहित प्रत्येक प्रतियोगी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि मध्य भारत साहित्य समिति के अध्यक्ष डॉ. श्यामसुन्दर व्यास ने पुरस्कारों का वितरण किया।

हिन्दी अनुभाग के सघन प्रयासों से हिन्दी सप्ताह सुनियोजित ढंग से तथा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

## हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर

प्रधान कार्यालय में 14 से 19 सितम्बर, 1987 तक हिन्दी सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

### विचार गोष्ठी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता

14 सितम्बर, 1987 को एक विचार गोष्ठी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कम्पनी के समूह महाप्रबन्धक (कार्मिक) श्री अनुपम कुमार चौधरी ने की। इस अवसर पर इस्पात और खान मंत्रालय के निदेशक श्री बी. दासगुप्ता एवं उप निदेशक (राजभाषा) श्री जयवीर सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री दासगुप्ता ने हिन्दी प्रतियोगिता के आयोजन की महत्ता बताते हुए कहा कि इससे हिन्दी में कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक बहु भाषा-भाषी देश है, फिर भी हिन्दी भाषा किसी क्षेत्र या वर्ग विशेष की थाती न होकर सभी भारतीयों के बीच सम्प्रेषण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किये। अध्यक्ष श्री चौधरी ने अपने भाषण में कार्यालय कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री छंमाणी ने किया।

### निबंध प्रतियोगिता

15 सितम्बर, 1987 को एक निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और निबन्ध का विषय था—"शिक्षा का माध्यम"। इस प्रतियोगिता में 9 कर्मचारियों ने भाग लिया। इसका परिणाम इस प्रकार रहा: सर्वश्री सुन्दर लाल सेठ—प्रथम, ललित प्रसाद माहेश्वरी, द्वितीय, एवं श्री कमल कुमार जुनेजा ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। श्री कुमुद चन्द्र पण्ड्या एवं श्रीमती सुन्दरी छतवानी को सान्तवना पुरस्कार मिला।

### हिंदी कार्य शाला

17 सितम्बर, 1987 को अधिकारी वर्ग के लिए एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 20 अधिकारियों ने भाग लिया। वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी ने राजभाषा संबंधी सरकारी नियमों आदि की जानकारी दी। इस अवसर पर अधिकारियों के लिए कार्यशाला अभ्यास-कार्य प्रतियोगिता भी रखी गई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए: सर्वश्री हरकेश सिंह, डी.पी. खण्डेलवाल यू.के. मीरचन्दानी, डी.एल. माथुर, ललित गुर्जर, ए. मित्रा, आगष्टिन पी.जे. एवं श्रीमती ललिता आर.के.।

### टंकण प्रतियोगिता

18 सितम्बर, 1987 को हिन्दी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छह कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार रहा: सर्वश्री सुन्दर लाल सेठ, श्रीमती सुन्दरी छतवानी एवं कमल जुनेजा क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने में सफल रहें, जबकि श्री राजेन्द्र प्रसाद सनाढ्य ने सान्तवना पुरस्कार प्राप्त किया।

### हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता

19 सितम्बर, 1987 को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 8 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के विजेता कर्मचारियों के नाम इस प्रकार है: श्री सुन्दर लाल सेठ प्रतियोगिता में प्रथम तथा सर्वश्री कुमुद चन्द्र पण्ड्या एवं

मलय चक्रवर्ती ने क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। श्रीमती इन्दुलता प्रसाद ने सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त किया।

इसी दिन सायं काव्य गोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता मुख्य प्रबन्धक (आर.एम.टी.सी.) श्री आर.एन. तिवारी ने की। राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डा. प्रकाश आतुर के अतिरिक्त उदयपुर के जाने माने कवि श्री माधव दरक, श्री प्रकाश नागोरी, और श्री भगवती लाल वर्मा ने काव्य गोष्ठी में अपनी श्रेष्ठ रचनाओं का पाठ किया जिसे श्रोताओं ने खूब पसन्द किया। इससे पूर्व श्री तिवारी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठापित करने हेतु आह्वान किया। काव्य गोष्ठी के बाद डा. प्रकाश आतुर ने हिन्दी प्रतियोगिताओं में सफल रहे कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किये। मुख्य प्रबन्धक (लागत) श्री पी.एल. पोरवाल ने धन्यवाद ज्ञापन की रस्म अदा की।

## हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा खान

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, राजपुरा दरीबा खान में दिनांक 9-9-1987 से 14-9-1987 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में राजभाषा गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर खान अधीक्षक श्री अशोक अग्रवाल व इकाई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री पी.पी. काला ने कर्मचारियों को कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में करने पर बल दिया तथा उनके हस्ताक्षरों से एक संयुक्त संदेश कर्मचारियों के लिए जारी किया गया, जिसमें अधिक-से-अधिक काम हिन्दी में करने की अपील की गई। राजपुरा दरीबा मजदूर संघ के वरिष्ठ सचिव श्री कल्याण सिंह शक्तावत ने समापन समारोह पर बोलते हुए सभी कर्मचारियों से हिन्दी में कार्य करने का आह्वान किया।

दिनांक 10-9-1987 को श्रुतलेख प्रतियोगिता, 11 सितम्बर 1987 को निबन्ध प्रतियोगिता, 12-9-1987 को एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन तथा अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

एक दिवसीय कार्यशाला में खान मंत्रालय के उप निदेशक (राजभाषा) श्री जयवीर सिंह चौहान मुख्य वक्ता थे। आरंभ में हिन्दी की सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा के देहांत पर दो मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिनांक 13-9-1987 को टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिनांक 14-9-1987 को आशुभाषण प्रतियोगिता के साथ पुरस्कार वितरण व समापन समारोह संपन्न हुआ। हिन्दी सप्ताह समारोह के दौरान लगभग 200 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया तथा करीब 30 कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए गए।

## हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, खेतड़ी नगर

खेतड़ी नगर स्थित हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की इकाई खेतड़ी कॉपर कॉम्पलैक्स में सितम्बर माह में 8वें वार्षिक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान कर्मचारियों, स्कूली बच्चों तथा कॉम्पलैक्स के नागरिकों के लिए हिन्दी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जैसे—निबन्ध, भाषण, सुलेख एवं हस्ताक्षर, हिन्दी टंकण, राजभाषा हिन्दी-संबंधी नारों आदि की प्रतियोगिताएं, स्कूली बच्चों के लिए अंत्याक्षरी एवं काव्य-पहेली की प्रतियोगिताएं एक नए प्रयोग के रूप में आयोजित की गईं जो अत्यन्त सफल सिद्ध हुईं। इन प्रतियोगिताओं से यह तथ्य उभरकर आया कि कर्मचारी, नागरिक एवं बच्चे हिन्दी में बहुत अच्छी तरह भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं तथा जटिल से जटिल प्रश्नों का विवेचन कर सकते हैं।

सप्ताह के प्रारम्भ में के सी सी के कार्यपालक निदेशक श्री मणि चरण दत्त ने हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन किया तथा केन्द्रीय विद्यालय-1 के बच्चों एवं "इप्टा" के कलाकारों ने प्रेरक गीत प्रस्तुत किए। इसके साथ ही सप्ताह के विभिन्न गतिविधियां/प्रतियोगिताएं आदि प्रारम्भ हो गईं। सप्ताह के दौरान "भाषा का स्वरूप एवं समस्याएं" विषय पर विख्यात लेखक—श्री राजेन्द्र यादव का भाषण भी आयोजित किया गया।

स्थानीय रामलीला मैदान में समापन समारोह सम्पन्न हुआ। जिसमें श्रीमती छाया दत्ता ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं हिन्दी में अधिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर विशेष अतिथि श्री राकेश वर्मा, जिला कलेक्टर, झुन्झुनू भी सपत्नीक उपस्थित थे। समारोह के मुख्य अतिथि, कार्यपालक निदेशक, श्री मणि चरण दत्ता ने कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के प्रयोग पर संतोष व्यक्त किया तथा आगे और अधिक उत्साह से राजभाषा नीति के अनुपालन पर बल दिया। उन्होंने हिन्दी सप्ताह के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। औपचारिक समारोह के बाद कवि-सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। खेतड़ी नगर के हजारों निवासियों ने अत्यन्त तल्लीनता से यह कवि-सम्मेलन सुना तथा कवियों की मुक्त कंठ से सराहना की।

## बैंक ऑफ इंडिया (क्षे० का०) जयपुर

बैंक आफ इंडिया के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा कक्ष के तत्वावधान में राजस्थान में स्थित बैंक आफ इंडिया की समस्त 28 शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालय में 8 सितम्बर 87 से 22 सितम्बर 87 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान न केवल शाखाओं ने हिन्दी पखवाड़ा मनाए जाने का बैनर प्रदर्शित किया, बल्कि आंतरिक कामकाज में हिन्दी का अधिकतम प्रयोग किया एवं उनके लिए निर्धारित मूल हिन्दी पत्राचार के लक्ष्यों को पाने का पूरा प्रयास किया। हिन्दी पखवाड़े में यह सुनिश्चित किया गया कि राजभाषा नियमों की सभी अपेक्षाओं का शाखाओं में पूरी तरह से पालन हो रहा है एवं किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है।

हिन्दी पखवाड़े में सम्पन्न कुछ विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

### 1. राजभाषा दिग्दर्शन प्रदर्शनी में सहभागिता

स्थानीय स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर के प्रधान कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा भाषा विभाग के सौजन्य से आयोजित राजभाषा दिग्दर्शन प्रदर्शनी में बैंक का प्रतिनिधित्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा कक्ष ने किया। इस प्रदर्शनी में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, विभागों, उपक्रमों एवं बैंकों ने भाग लिया था। बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रदर्शित सामग्री की हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की, विशेषतः क्षेत्र की हिन्दी संबंधी उपलब्धियों की विशिष्ट आगन्तुकों ने भूरि-भूरि सराहना की।

### 2. हिन्दी शब्दावली प्रतियोगिता

क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा कक्ष ने अपनी जयपुर मुख्य शाखा में बैंक-कर्मियों के लिए एक हिन्दी शब्दावली प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बैंक की जयपुर मुख्य, जौहरी बाजार एवं सांगानेर शाखाओं व क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ सदस्यों ने भारी संख्या में बड़ी रूचि के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में शब्दावली संबंधी विभिन्न प्रश्न पूछे गए।

### 3. बांसखो शाखा में अन्तर विद्यालय हिन्दी वाद विवाद प्रतियोगिता

बैंक की बांसखो शाखा ने बांसखो ग्राम में अन्तर विद्यालय हिन्दी वादविवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में काफी छात्र-छात्राओं ने इस सदन की राय में 'राष्ट्र की भाषा हिन्दी हो' विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। पुरस्कार वितरण बांसखो ग्राम पंचायत समिति के प्रधान द्वारा किया गया। इस समारोह में पांच सौ से अधिक छात्र-छात्राओं एवं ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया एवं कार्यक्रम को सफल बनाया।

पुरस्कार की राशि विजेताओं के नाम बचत खाते खोल कर खातों में डाल दी गई।

### 4. नाबार्ड हिन्दी प्रश्न पहेली प्रतियोगिता में सहभागिता

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के जयपुर कार्यालय द्वारा आयोजित हिन्दी प्रश्न पहेली प्रतियोगिता में बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा कक्ष के प्रभारी अधिकारी श्री एस पी गर्ग 'सुमन' के मार्गदर्शन में बैंक की टीम ने भाग लिया एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। टीम का प्रतिनिधित्व बैंक की जयपुर मुख्य शाखा के लिपिक श्री नरेन्द्र गर्ग एवं क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिक श्री विमल जैन ने किया। बैंक के सहायक महा प्रबन्धक श्री अनंत आराध्ये ने भी बैंक के विजेताओं को बधाई देकर उनका उत्साहवर्धन किया।

## सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, दिल्ली अंचल

सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, दिल्ली की ओर से हिन्दी पखवाड़े का शुभारम्भ हिन्दी दिवस के अवसर पर दिनांक 14-9-87 को किया गया। उक्त अवसर पर दिल्ली के प्यारे लाल भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम एन गोईपोरिया ने की। **कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अथिति श्री बी बी महाजन, सचिव, राजभाषा विभाग ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया।** उन्होंने अपने भाषण में भारत सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला और बैंक कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे अपने दैनिक कामकाज में सरल और बोलचाल की हिन्दी का प्रयोग करें। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि हर शब्द का हिन्दी अनुवाद ढूंढा जाए। अगर जरूरत पड़े तो अंग्रेजी शब्दों को भी देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि सैन्ट्रल बैंक में हिन्दी के प्रयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी भी रूचि ले रहे हैं। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सिर्फ मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। यदि हम अपनी मानसिकता और हीन भावना हिन्दी में काम करने के प्रति छोड़ दें तो निश्चित रूप से कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा।

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम. एन. गोईपोरिया ने श्री महाजन का स्वागत करते हुए इस बात पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की कि दिल्ली के कर्मचारी हिन्दी के प्रयोग में इतनी रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा हिन्दी हमारे देश की राजभाषा ही नहीं बल्कि पूरे देश में एकता के लिए एक मजबूत कड़ी है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं, बल्कि देश की सेवा के लिए एक सशक्त

माध्यम भी है और बैंक में हिन्दी का प्रयोग भी देश की सेवा है। उससे ग्राहकों की सेवा के साथ-साथ हमारे देश की एकता भी मजबूत होती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस समारोह के बाद दिल्ली के कर्मचारी अपने काम में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे।

अतिथियों का स्वागत करते हुए दिल्ली अंचल के उप महाप्रबंधक श्री एस के गाबा ने कहा कि आदरणीय महाजन जी और श्री गोईपोरिया जी के पधारने से बैंक कर्मचारियों में हिन्दी में काम करने के लिए उत्साह बढ़ेगा और इनके मार्गदर्शन से कर्मचारीगण और अधिक सक्रियता से भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू कर सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली अचंल की सभी शाखाओं को तथा आंचलिक कार्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 की धारा 10.4 के अधीन नामित किया गया है और इनमें से 79 शाखाओं को राजभाषा नियम 1976 की धारा 8.4 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है। इन सभी शाखाओं में स्क्रोल, डे-बुक, डिटेल-बुक, वाऊचर तथा "क" क्षेत्र में भेजे जाने वाले ड्राफ्ट, पे-आर्डर हिन्दी में बनाए जाते हैं। इस अवसर पर दिल्ली महानगर की 5 और शाखाओं को धारा 8.4 के अधीन विनिर्दिष्ट करने की घोषणा की गई हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालय में भी लगभग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किये जाने की जानकारी उन्होंने दी।

## सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया दिल्ली अंचल की 79 शाखाएं हिन्दी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट

श्री एम के वेंकटेश्वरन, उप महाप्रबंधक ने अतिथियों को धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उसे दिल्ली अंचल में पूरी तरह से लागू करने का प्रयास किया जायेगा।

सचिव (राजभाषा) श्री महाजन ने दिल्ली में वर्ष 1986–87 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार तथा वर्ष के दौरान हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र वितरित किए। केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त प्रशंसा-पत्र, श्री एम एन गोईपोरिया, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ने कोटा क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक श्री ए के चिमोटे, स्टाफ प्रशिक्षण कालेज के प्रिंसिपल श्री एस ए बाषा, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक श्री हरी राम शर्मा और गोल मार्केट शाखा के श्री तीर्थ राम खत्री को हिन्दी में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए प्रदान किए।

## भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली

संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में दिनांक 7 से 11 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया जिसके उद्घाटन स्वरूप परिषद् के महानिदेशक डा. औतार सिंह पेंटल ने एक अपील जारी की। इस अपील में उन्होंने परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा को उसका उचित स्थान देने की बात पर बल दिया। सप्ताह के दौरान कार्यालय में निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया (1) हिन्दी टंकण 2. हिन्दी टिप्पण और मसौदा लेखन 3. हिन्दी निबंध लेखन 4. हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी में किए गए कार्य।

परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी दिवस समारोह में पुरस्कृत किया गया।

14 सितम्बर को हिन्दी दिवस समारोह हुआ जिसकी अध्यक्षता परिषद के महानिदेशक डा. औतार सिंह पेंटल ने की और श्री भैरव नाथ सिंह, निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अतिरिक्त परिषद के वित्त सलाहकार श्री बी. भट्टाचार्य, उप महानिदेशक श्री एन. डी. दत्त बनिक तथा वैज्ञानिक डा. सी. आर. रामचन्द्रन भी उपस्थित थे। इस अवसर पर भी निम्नलिखित दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया :—

1. हिन्दी वाक्
2. हिन्दी कविता पाठ

हिन्दी वाक प्रतियोगिता के प्रथम प्रतियोगी के रूप में डा. एन. डी. दत्त बनिक (उप महानिदेशक) ने हिन्दी के प्रति अपने लगाव से उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्तब्ध कर दिया।

मुख्य अतिथि के रूप में अपना भाषण देते हुए श्री भैरव नाथ सिंह ने कार्यालय के नेमी प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने पर बल दिया और बताया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी का अधिक ज्ञान रखे बिना भी दैनिक बोल-चाल की भाषा में काम प्रारम्भ कर सकते हैं।

हिन्दी सप्ताह के दौरान तथा हिन्दी दिवस को आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को श्री भैरव नाथ सिंह ने पुरस्कार वितरित किए। अंत में श्री सिंह का धन्यवाद करते हुए परिषद् के वरिष्ठ उप महानिदेशक डा. ब्रदी नाथ सक्सेना ने यह आशा व्यक्त की कि इस प्रकार के आयोजनों से कर्मचारियों में हिन्दी माध्यम से सरकारी कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय, फोटो प्रभाग, नई दिल्ली

फोटो प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में दिनांक 5–9 अक्तूबर, 87 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया और दिनांक 14-10-87 को इस सप्ताह के दौरान

आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरण किए जाने हेतु एक समापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का संचालन निदेशक, फोटो प्रभाग श्री वसन्त नारायण माजगांवकर ने किया और अध्यक्षता निदेशक, प्रकाशन विभाग डा. श्यामसिंह शशि ने की। समारोह के विशिष्ट अतिथि थे डा. अशोक कुमार भट्टाचार्य संयुक्त निदेशक हिन्दीशिक्षण योजना। इनके अतिरिक्त अहिन्दी भाषी क्षेत्र बम्बई में हिन्दी सेवा और इसके प्रचार/प्रसार में लगे "भारत किरण" पत्रिका के मुख्य सम्पादक श्री के.पी. जैन और डा. कुमारी विजयमाला पंडित, हिन्दी अधिकारी, दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली इत्यादि कई अन्य सम्माननीय अतिथि उपस्थित थे।

हिन्दी सप्ताह में प्रभाग के सभी अनुभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सम्पूर्ण कार्य यथासंभव हिन्दी में निष्पादित करने के निर्देश दिए गए और हिन्दी में मूल पत्राचार करने के लिए प्रेरित किया गया।

हिन्दी 6-10-87 और 7-10-87 को क्रमशः निबन्ध, "छायाचित्र अभिव्यक्ति एवं शीर्षक" और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, निबन्ध के विषय थे:—

1. राष्ट्रीय एकता में हिन्दी का योगदान।
2. छायाचित्र : भावाभिव्यक्ति का अनूठा माध्यम।
3. सरकारी कामकाज में हिन्दी की सक्षमता।

100 रु. का प्रथम पुरस्कार श्रीमती ओमवती, लिपिक प्रशासनिक अनुभाग, 75 रु. का द्वितीय पुरस्कार श्री रमेश पंवार, डार्क रूम सहायक, तकनीकी अनुभाग और 50 रु. का तृतीय पुरस्कार श्री संतन सिंह, डार्क रूम सहायक को प्रदान किया गया।

छायाचित्र अभिव्यक्ति में प्रतियोगियों को दिए गए दो में से एक चित्र के संबन्ध में अपने विचार व्यक्त करने और कोई समुचित शीर्षक देना था। इसमें सिर्फ तकनीकी कर्मचारियों को भाग लेना था। इसमें प्रथम पुरस्कार ओ.पी. जोरा, उप निदेशक (उत्पादन) द्वितीय पुरस्कार श्री संतन सिंह, डार्क रूम सहायक और तृतीय पुरस्कार श्री रमेश पंवार ने प्राप्त किया।

तीसरी प्रतियोगिता वाद-विवाद में थी जिसके विषय थे :

1. क्या विदेशी भाषा में सहज भावाभिव्यक्ति संभव है?

2. हिन्दी जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, हिन्दी सिनेमा देखते हैं, रेडियो/दूरदर्शन पर अधिकाधिक सुनना चाहते हैं फिर क्या कारण है हिन्दी लिखते समय हमारे हाथ अटकनें/झिझकनें लगते हैं, क्या हिन्दी कमजोर भाषा है?

इन दोनों में से किसी एक विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में विचार व्यक्त करने थे। कुल सात प्रतियोगियों ने भाग लिया जिनमें से प्रथम पुरस्कार श्री रमेश पंवार को, द्वितीय पुरस्कार श्रीमती ओमवती को और तृतीय पुरस्कार श्री विनय भूषण शर्मा, डार्क रूम सहायक ने प्राप्त किया।

इन सब के अतिरिक्त बंगला भाषी श्री सुकुमार साहा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) का तीनों प्रतियोगिताओं में प्रयास सराहनीय था और छायाचित्र अभिव्यक्ति में श्री सुखेन्द्र सिंह, फिनिशर और वाद-विवाद में श्री तुलसीदास, लाइब्रेरियन, मूल्य एकांश और श्री अशोक कुमार, डार्क रूम सहायक के वाद-विवाद में प्रयास अच्छे थे, अतः इन सबको प्रोत्साहन स्वरूप एक-एक सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।

समारोह का मुख्य आकर्षण रहा—एक लघु सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें श्री रमेश पंवार, डा. कुमारी विजयमाला पंडित और श्रीमती सत्यवती शर्मा ने स्वरचित कविताओं का पाठ किया। सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति थी प्रभाग के मूक-बधिर कर्मचारी श्री केश कुमार, डार्क रूम सहायक द्वारा प्रस्तुत मूक अभिनय (माइम्स) की आकर्षण झलकियां बहुत ही मोहक रूप में अपनी मूक वाणी में उन्होंने अपनी अभिनय कला का परिचय दिया और अपनी मूकता को अंग-प्रत्यंग के संचालन से वाणी देते हुए मनोरंजन कराया जिसकी मुक्त कंठ से सभी उपस्थित अतिथियों एवं व्यक्तियों ने सराहना की। इसके लिए उन्हें विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरान्त श्री वसन्त नारायण माजगांवकर ने मुख्य अतिथि डा. श्यामसिंह शशि को श्रोताओं को संबोधित करने का आग्रह किया। कविताओं के वातावरण से अभिभूत डा. शशि ने भी अपनी दो लघु कविताएं सुनाई और प्रभाग के प्रथम प्रयास की सराहना की और भविष्य में सफलता की शुभकामना की।

डा. अशोक कुमार भट्टाचार्य, संयुक्त निदेशक हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही गहन मुद्दे उठाए और कहा कि हिन्दी भाषा तो अपने आपमें समर्थ है लेकिन इसे भाषाई शत्रुता से बचाना होगा और इसके भंडार को आधुनिक अपेक्षाओं के अनुरूप अन्य देशी-विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर और समृद्ध बनाना होगा तभी यह उनके जैसे करोड़ों अहिन्दी भाषियों को इसे अपनाने का साहस देगी और यह उदाहरण निराशा के स्वर को त्याग कर हिन्दी भाषियों को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने संकेत किया भाषाई विवाद के स्थान पर भाषाई सौहार्द एवं स्नेह का वातावरण पैदा करना होगा—यही हमारा राष्ट्र प्रेम होगा।

अन्त में पुरस्कारों का वितरण डा. शशि ने किया श्री वसन्त नारायण माजगांवकर, निदेशक फोटो प्रभाग ने सभी आमंत्रितों का धन्यवाद किया और हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प एवं आह्वान किया और समारोह समापन की घोषणा की ।

## बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दिल्ली) द्वारा 18 अगस्त से 24 अगस्त, 1987 तक श्री अमिय भूषण मलिक, अध्यक्ष बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दिल्ली) ने हिन्दी सप्ताह का विधिवत् उद्घाटन किया । अध्यक्ष श्री मलिक ने कहा कि देश के संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, अतः हम सबका यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करें। देश की एकता के लिए हिन्दी का विकास आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वह दिन शीघ्र ही आएगा जब बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दिल्ली) में शत्-प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा होगा ।

श्री रामेश्वर प्रसाद मालवीय ने भाषा की महत्ता को समझाते हुए हिन्दी के प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने जापान जैसे देश का वर्णन करते हुए कहा, जब छोटे-छोटे देश भी अपनी भाषा में कार्य करके उच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं तो हमें भी ऐसे ही प्रयास करने चाहिएं। अन्य वक्ताओं ने भी हिन्दी में कार्य करने पर काफी बल दिया । इस अवसर पर प्रथम चरण में तीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

1. सुपठन प्रतियोगिता
2. कविता पाठ प्रतियोगिता
3. वाद-विवाद प्रतियोगिता

प्रतियोगिताओं में स्टाफ के सदस्यों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया । प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की घोषणा की गई ।

प्रतियोगिताओं के द्वितीय चरण में दिनांक 20-8-87 को निम्न चार प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया :—

1. श्रुतलेख प्रतियोगिता
2. सुलेख प्रतियोगिता
3. बैंकिंग शब्दावली प्रतियोगिता
4. निबन्ध प्रतियोगिता

उपरोक्त चारों प्रतियोगिताओं में स्टाफ के लगभग सभी सदस्यों ने अत्याधिक उत्साह के साथ भाग लिया ।

दिनांक 24-8-87 को हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह मनाया गया । सचिव, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दिल्ली) ने अतिथिगण का स्वागत करते हुए विजेताओं को बधाई के साथ ही उनके नामों की घोषणा की । अध्यक्ष ने सभी विजेताओं को बधाई के साथ ही पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र वितरित किये । अधिकतम पुरस्कार पाने वाले तीन प्रतियोगियों श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा (दो प्रथम एक द्वितीय) श्रीमती सुदेश नारायणी (एक प्रथम दो तृतीय) श्री भरत राज (दो द्वितीय एक तृतीय) को विशेष रूप से बधाई दी गई । सभी प्रथम पुरस्कार पाने वालों ने अपने अनुभव भी बताए । तत्पश्चात् सचिव ने बोर्ड की हिन्दी की गतिविधियों पर विशेष चर्चा की और उन्होंने कहा कि बोर्ड, पंजाब नेशनल बैंक की उन गिनी चुनी इकाईयों में है जहां अधिकतम कार्य हिन्दी में किया जाता है ।

श्री तालुकदार सदस्य, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दिल्ली) ने हिन्दी भाषा जानने वालों से देश की अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को सीखने का अनुरोध किया कि हिन्दी का यदि सही अर्थों में विकास, प्रचार करना है तो हमें देश की अन्य भाषाओं को भी सीखना होगा तभी हमारा संकल्प पूरा होगा । इससे अहिन्दी भाषा के लोगों में हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ेगी। तत्पश्चात् प्रबन्धक श्री बृजभूषण मल्होत्रा ने सभी का धन्यवाद किया ।

# हिन्दी कार्यशालाएं

## मद्रास यूनियन बैंक आफ इंडिया

यूनियन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास अपने स्टाफ सदस्यों के लाभार्थ समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित करता रहा है। मद्रास के अलावा कोयम्बतूर तथा पांडचेरी में एक-एक हिन्दी कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से हिन्दी का कार्य साधक रखने वाले कर्मचारियों को हिन्दी नोटिंग, ड्राफ्टिंग के साथ-साथ इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अपना अधिकाधिक कार्य हिन्दी में कर सकें। इसी कड़ी में क्षेत्र की नवीं हिन्दी कार्यशाला मद्रास में आयोजित की गई। कार्यशाला में हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान रखने वाले 17 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षत किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता हिन्दी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उप निदेशक श्री शशि भूषण प्रसाद ने की। उन्होंने भारत सरकार की राजभाषा नीति के सम्बन्ध में बैंकों से की जाने वाली अपेक्षाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने यूनियन बैंक द्वारा तमिलनाडु जैसे अहिन्दी भाषी राज्य में लगातार 9 हिन्दी कार्यशालाओं के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए बैंक के संबंधित अधि-अधिकारियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। कार्यशाला के समापन समारोह के दौरान सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

## सिकन्दराबाद : दक्षिण मध्य रेलवे

गुंतकल मण्डल कार्यालय में दिनांक 15 से 29 सितम्बर 1987 तक दस (दिवसीय) कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न अनुभागों—कार्मिक इंजीनियरी, सिगनल, दूर संचार, लेखा आदि के बीस कार्मिकों ने भाग लिया।

श्री एल०एन० राव, मण्डल रेल प्रबन्धक ने कर्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सुदर्शन खन्ना (व.रा.अ.) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री राव ने बताया कि गुतकल मण्डल में आयोजित की जाने वाली यह तीसरी कार्यशाला है।

दस दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न वक्ताओं ने वेतन पत्रक तथा अदायगी, प्रशासनिक शब्दावली, अग्रिम भुगतान, पदोन्नति-स्थानान्तरण, आदेश, छुट्टियां, सेवा पंजिका में इन्दराज, लेखा आपतियां आदि विषयों पर विचार प्रस्तुत किए तथा इनसे सम्बन्धित पत्राचार। टिप्पण-आलेखन का अभ्यास करवाया गया।

दिनांक 29-9-87 को आयोजित समापन समारोह के अवसर पर श्री उमा महेश्वर राव अमरेप्र/उप-मुराधि ने "राजभाषा नीति–हमारी जिम्मेदारियां" नामक विषय पर व्याख्यान दिया। तदुपरान्त कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले बीस कर्मचारियों को श्री राव ने प्रमाण पत्र तथा सहायक साहित्य प्रदान किया।

## हैदराबाद : प्रागा टूल्स

उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम प्रागा टूल्स लिमिटेड के कुतुबल्लापुर, हैदराबाद स्थित गढ़ाई व ढलाई प्रभाग में कनिष्ठ प्रबन्धक से लेकर उप महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारियों के लिए पांच-पांच दिन की दो हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई। प्रथम कार्यशाला दिनांक 13-10-1987 से 17-10-1987 तक चली जिस में दस अधिकारियों ने भाग लिया। दूसरी कार्यशाला दिनांक 19-10-1987 से 24-10-1987 तक चली, जिस में पन्द्रह अधिकारियों ने भाग लिया।

दिनांक 24-10-1987 को आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि डा० विजेन्द्र नारायण सिंह, प्रो० एवं विभागाध्यक्ष हिन्दी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद थे और अध्यक्षता कार्यवाहक उप-महाप्रबन्धक श्री बी० सत्यनारायण राजू ने की।

हिन्दी अधिकारी श्रीमती एस० लक्ष्मी कुमारी ने प्रभाग में हुई हिन्दी प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मुख्य अतिथि, डा० विजेन्द्र नारायण सिंह ने अपने धाराप्रवाह एवं ओजस्वी भाषण में हिन्दी की गौरव गरिम पर प्रकाश डालते हुए सैकड़ों उदाहरण देकर यह प्रणाकित किया कि हिन्दी अंग्रेजी से सौ गुना सरल है, केवल आवश्यकता है, उसमें कलम चलाने की। प्रो० सिंह ने बताया कि सुप्रसिद्ध बंगला साहित्यकार स्व० श्री सुनीति कुमार चटर्जी ने अपनी पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है कि हिन्दी की व्याकरण के नियम एक पोस्टकार्ड पर ही लिखे जा सकते

हैं। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने न केवल राजनैतिक दृष्टि से हमें पराजित किया बल्कि इस देश की सांस्कृतिक अस्मिता को समाप्त करने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। उनके प्रयत्नों में एक प्रयत्न भाषा के क्षेत्र में था और दूसरा था धर्म के क्षेत्र में। दोनों क्षेत्रों में उन्होंने यूरोप की भाषा, संस्कृति और धर्म को लादने की कोशिश की।

अध्यक्षीय भाषण में कार्यवाहक उप-महाप्रबन्धक श्री राजू ने कहा कि कार्यशालाओं के माध्यम से अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिए जाने से निश्चित ही प्रभाग में हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा। श्री राजू ने कार्यशालाओं के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की एवं हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता दिये जाने का आश्वासन दिया।

कार्यशाला के एक प्रतिभागी श्री एस० चेन्नय्या, कनिष्ठ प्रबन्धक, भण्डार ने भी कार्यशाला की उपादेयता पर अपने विचार प्रस्तुत किए और यह वचन दिया कि वे कार्यालयीन कार्य में हिन्दी का प्रयोग करेंगे।

प्रतिभागियों को कार्यालय सहायिका, डा० भोलानाथ तिवारी का हिन्दी-अंग्रेजी कोष, डा० हरदेव बाहरी की शुद्ध हिन्दी नामक पुस्तक एवं प्रमाण-पत्र मुख्य अतिथि प्रो० डा० सिंह ने प्रदान किए। श्री गजानन्द गुप्त ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

## आंध्र बैंक बल्लारी (कर्नाटक)

आन्ध्रा बैंक की बल्लारी शाखा में दिनांक 20-8-87 से 22-8-1987 तक तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री के०एस० कुन्दर, मण्डल प्रबन्धक, सिंडिकेट बैंक, बल्लारी ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और श्री के० जी० सुकुमार दास, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, वीर सेवा कालेज, बल्लारी संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित किए गए। श्री शेख जाफर साहेब, राजभाषा अधिकारी, आन्ध्रा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर ने कार्यशाला का संचालन किया। हिंदी में पत्राचार करने के लिए बल्लारी, गंगावती रायचूर, गुलबर्गा, होस्पेट शाखाओं से सम्पर्क अधिकारियों के रूप में नामित अधिकारियों को इस कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया है।

## आकाशवाणी, पोर्टब्लेयर

आकाशवाणी, पोर्टब्लेयर में वर्ष 1987 की पहली हिन्दी कार्यशाला का पांच दिवसीय आयोजन दिनांक 10-8-87 से 14-8-87 तक किया गया गया। कार्यशाला परियोजना के अन्तर्गत केन्द्र में आयोजित यह चौथी कार्यशाला थी जिसमें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 20 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला में कार्यक्रम अनुभाग प्रशासन तथा लेखा अनुभाग, इंजीनियरी अनुभाग के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

मुख्य अतिथि क्षेत्रीय तटरक्षक मुख्यालय के कमांडर केप्टिन विमल कुमार का स्वागत करते हुए केन्द्र निदेशक श्री रामकृष्ण अग्रवाल ने केन्द्र में अब तक हुए हिन्दी के कामकाज की प्रगति का विवरण दिया। श्री आनन्द वल्लभ शर्मा "सरोज" ने कार्यशाला आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए उसके महत्व को प्रतिपादित किया और अनुरोध किया कि इसमें अधिक से अधिक कर्मचारी भाग लें।

उद्घाटन भाषण में कैप्टिन बिमल कुमार ने प्रशिक्षार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की अपनी भाषा उस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। हिन्दी हमारी राजभाषा भी है। अतः सरकारी कामकाज में लोगों को हिन्दी का उपयोग निःसंकोच होकर करना चाहिए। प्रचार का सशक्त माध्यम होने के कारण आकाशवाणी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आकाशवाणी पोर्टब्लेयर ने इसे बखूबी निभाया है, यह हर्ष की बात है। समारोह के अन्त में सहायक केन्द्र निदेशक श्री हेमचन्द शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

प्रथम सत्र में केन्द्र के हिन्दी अधिकारी ने प्रशिक्षार्थियों को हिन्दी सम्बन्धी आदेशों, राजभाषा अधिनियम, 1976 तथा वर्ष 1987-88 के वार्षिक कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी करायी। इस कार्यशाला में इंजीनियरी अनुभाग के कर्मचारी भी शामिल हुए। दूसरे सत्र में केन्द्र के कार्यक्रम अधिकारी श्री सतीश चन्द्र माथुर ने प्रशिक्षार्थियों को आकाशवाणी से संबंधित तकनीकी शब्दावली तथा पदनामों की जानकारी दी। इस संबंध में केन्द्र के हिन्दी कक्ष द्वारा तैयार की गयी सहायक सामग्री भी प्रशिक्षार्थियों को सुलभ कराई गई। साथ ही कार्यक्रम संबंधी टिप्पण-आलेखन का अभ्यास भी कराया गया। कार्यशाला में केवल कार्यक्रम अनुभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

तीसरे सत्र में केन्द्र के सहायक केन्द्र निदेशक श्री हेमचन्द्र शर्मा ने प्रशासनिक और लेखा अनुभाग के कर्मचारियों को पदों के सृजन, भर्ती, नियुक्ति, डाक्टरी परीक्षा चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन, आरक्षण, पदोन्नति, स्थायिकता, पेशगियां, भत्ते तथा बिलों से संबंधित कार्रवाई के संबंध में प्रशिक्षण दिया।

चौथे और अन्तिम दिन हिन्दी शिक्षण योजना के हिन्दी प्राध्यापक श्री लेखराज कपूर ने प्रशिक्षार्थियों को पत्र, आवेदन-पत्र, आदेश, तार लेखन, लेखन सामग्री, फर्नीचर, छुट्टियों तथा सरकारी बैठकों से संबंधित टिप्पण/प्रारूपण का अभ्यास कराया।

इसी दिन केन्द्र में सन्ध्या समय हिन्दी कार्यशाला का समापन समारोह आयोजित हुआ। जिसमें अण्डमान निकोबार प्रशासन के राजभाषा सचिव श्री गोपाल कृष्ण दीक्षित मुख्य अतिथि थे। श्री दीक्षित ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण में कार्यशाला के आयोजन पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए हिन्दी के संबंध में अपनी जापान यात्रा के संस्मरण सुनाए और बताया कि वहां अंग्रेजी की बजाय हिन्दी में वार्तालाप करने पर जापानियों ने उसे न समझते हुए भी उस पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। यही नहीं हिन्दी उन्हें सुनने पर इतनी प्रिय लगी कि श्री दीक्षित से वहां जापानी बन्धुओं ने हिन्दी में कुछ छोटे-छोटे वाक्य उन्हें सिखा देने का आग्रह किया भी और श्री दीक्षित ने उन्हें दो चार वाक्य बोलना सिखाया भी। स्वभाषा की इस महता की ओर इंगित करते हुए श्री दीक्षित ने कर्मचारियों को निःसंकोच होकर अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने की प्रेरणा दी और हर्ष प्रकट किया कि द्वीप समूह में बहुभाषा भाषी जनसंख्या के बावजूद यहां लोगों ने स्वेच्छा से हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में अपना लिया है और सरकारी कर्मचारियों में भी इसके प्रयोग के प्रति अभिरूचि विद्यमान है।

## मुरगांव पत्तन न्यास

मुरगांव पत्तन न्यास के तत्वावधान में दिनांक 9 और 10 सितम्बर 1987 को कर्मचारियों के लाभ के लिए दो दिन की हिन्दी कार्यशाला चलाई गई। इस कार्यशाला में कुल 27 कर्मचारियों ने भाग लिया।

पत्तन न्यास के कार्यकारी, अध्यक्ष श्री एम० बालसुब्रमणियन ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कर्मचारियों से अपील की कि वे इस कार्यशाला में सक्रिय भाग लें और भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यालय के दैनिक काम में कार्यान्वित करें। सत्र शुरू होने से पहले पत्तन न्यास के हिन्दी अधिकारी श्री एस० ई० राव ने राजभाषा के रूप में हिन्दी के महत्व को बताया। दिनांक 9-9-87 का सत्र आरम्भ करते हुए श्री त्रवाडी ने कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान दिया, जिसमें शब्दों को सही तरीके से लिखना तथा वाक्य-रचना करना भी शामिल था। श्री के० के० शर्मा ने अपने व्याख्यान में राजभाषा के कार्यान्वयन में बनाये गये 3 क्षेत्रों के बारे में सविस्तार अपने विचार प्रकट किये तथा कहा कि गोवा राज्य अहिन्दी क्षेत्र में आता है।

समापन समारोह के समय पत्तन न्यास के उप सचिव श्री अरविंद गाडगील ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि जिस विभाग में सबसे पहले हिन्दी में टिप्पण व प्रारूप किया जायेगा उस विभाग के संबंधित कर्मचारी को रु० 101/- दिये जायेंगें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि हिन्दी में टिप्पण और प्रारूप का काम बढ़ जाएगा तो प्रत्येक विभाग में एक हिन्दी लिपिक व टाइपिस्ट की नियुक्ति की जायेगी।

इस कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारियों, सर्वश्री टी० एम० त्रवाडी, के० के० शर्मा और जे० जे० पिटर्स, को दो दिन की हिन्दी कार्यशाला को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए श्री एस० ई० राव का आभार प्रकट किया।

## कलकता : सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार, कलकत्ता-22 में तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आरम्भ श्री समीर चौधरी, उप सहायक महानिदेशक ने आगन्तुकों का स्वागत करते हुए कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में प्रगति का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमें हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।

कार्यशाला में राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना, कलकत्ता के उप निदेशक (पूर्व) श्री धनीराम कोष्टी ने संघ की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला। श्री ओमप्रकाश, हिन्दी अनुवादक ने चिकित्सा के क्षेत्र में हिन्दी के बढ़ते चरण की जानकारी दी। 30 कर्मचारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

समापन समारोह की अध्यक्षता कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक शंभुनाथ ने की। डा० शंभुनाथ ने अपने समापन भाषण में बताया कि हिन्दी को राजभाषा के साथ-साथ भारत की एकता की भाषा के रूप में भी लेना चाहिए।

## बम्बई (अन्धेरी) : स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की अंधेरी बम्बई शाखा में दिनांक 12 तथा 13 अक्तूबर 1987 तक दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन श्री नारायण प्रसाद पाण्डेय उप मुख्य अधिकारी (हिन्दी) भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ने किया। कार्यशाला में भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा नियमों तथा राजभाषा अधिनियम की जानकारी के साथ-साथ बैंक के आन्तरिक कार्यों को हिन्दी में निष्पादित करने का प्रशिक्षण दिया गया तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों तथा उनके निवारण पर भी विचार-विमर्श किया गया।

श्री कपिलदेव पाण्डेय, सम्पादक, "देवदीप" ने समापन समारोह पर सहभागियों को हिन्दी की व्यावहारिकता तथा उपयोगिता के महत्व पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन श्री प्रभुदयाल मंढ़ईया प्रभारी अधिकारी, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली अंचल ने किया तथा श्री आर. श्रीवत्स शाखा प्रबन्धक, (अंधेरी शाखा) ने आभार व्यक्त किया।

### पुणे : कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में दिनांक 6-10-87 से 9-10-87 तक एक पूर्णकालिक 5 दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में 20 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए स्थानीय कार्यालय प्रबन्धक, अन्य केन्द्र सरकार के कार्यालयों के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला के अंतिम दिवस दिनांक 9-10-87 को समापन समारोह किया गया। कार्यक्रम आरम्भ में निगम के हिन्दी अधिकारी श्री एच. एन. यादवाड ने कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि श्री एम. सी. खांडे, उप क्षेत्रीय निदेशक ने हिन्दी की महत्ता तथा सरलता के बारे में बताते हुए कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे ज्यादा से ज्यादा काम हिन्दी में करें। कार्यक्रम के अन्त में वरिष्ठ अनुवादक श्री गुप्ता के वंदनार्पण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

### पुणे प्रदेश में न्यू इंडिया एश्युरेन्स की सातवीं कार्यशाला

3 से 4 सितम्बर, 1987 को पुणे प्रदेश की सातवीं हिन्दी कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर पुणे प्रदेश के उपप्रबन्धक श्री सातारकर ने कार्यशाला को परिणाम मूलक बनाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।

विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी/सहायकों को कार्यशाला के दौरान 3 और 4 सितम्बर, को कार्मिक, लेखा, स्थापना, डाकतार आदि विभागों में हिन्दी का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों के रूप में कु. रामपाल, श्री सोनवणे, श्रीमती दुनाखे, श्रीमती देखणे उपस्थित थे।

4 सितम्बर को प्रादेशिक प्रबन्धक श्री विनायक दातेजी की अध्यक्षता में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के राजभाषा विभाग में संयुक्त सचिव श्री शंभुदयाल उपस्थित थे।

न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी के पुणे प्रदेश के सभी कार्यालयों में हो रही राजभाषा कार्यान्वयन विषयक प्रगति का सारांश प्रस्तुत करते हुए प्रादेशिक हिन्दी अधिकारी ने कहा कि यद्यपि बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण बैंकों और अन्य सरकारी उपक्रमों की तुलना में देर से हुआ, फिर भी बीमा व्यवसाय विशेषकर साधारण बीमा निगम की न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी गंभीरतापूर्वक प्रयासशील हैं।

यह भी सूचित किया गया कि पुणे प्रदेश के मुख्य और मंडल कार्यालयों में लगभग 50 से भी अधिक (23 हिन्दी अनुवादक +23 हिन्दी टाइपिस्ट+1 हिन्दी सहायक 3 हिन्दी अधिकारी) हिन्दी विषयक स्टाफ के पद "सृजित" किए जा चुके हैं. इसी तरह इस वर्ष में लगभग दस हिन्दी टाइपराइटर खरीदे गए हैं। उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में प्रदेश के मुख्य कार्यालय में एक द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर की खरीद की जा चुकी है। पुणे प्रदेश के विभिन्न शाखा और मंडल कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन में हो रही प्रगति का खुलासा करते हुए हिन्दी अधिकारी ने राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव से अनुरोध किया कि नासिक, लातूर जैसे कार्यालयों का यदि वे निरीक्षण कर सकें तो हमारे सहयोगियों द्वारा हिन्दी में किए गए प्रशंसनीय कार्य के उदाहरण प्राप्त होंगे। इसी तरह मंडल-3 में हो रही राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति को सहायक श्रीमती कुलकर्णी ने संक्षेप में प्रस्तुत किया। मंडल-4 के हिन्दी अनुवादक श्री अजय प्रसाद शर्मा ने अपने मंडल में हिन्दी की प्रगति का सारांश प्रस्तुत किया।

मुख्य अतिथि संयुक्त सचिव, भारत सरकार के श्री शंभुदयाल ने कार्यशाला में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी के पुणे प्रदेश में राजभाषा कार्यान्वयन पर हो रहे प्रयासों से संतुष्ट हैं। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को सुझाव दिया कि भविष्य में कार्यशालाओं का आयोजन एक हफ्ते का होना चाहिए। भारत सरकार की राजभाषा विषयक नीति को स्पष्ट करते हुए श्री दयाल ने इस बात का आग्रह किया कि केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों को राजभाषा कार्यान्वयन के अधिक प्रयास करने चाहिए।

अध्यक्षीय भाषण के दौरान प्रादेशिक प्रबन्धक श्री विनायक दाते ने संयुक्त सचिव श्री शंभुदयाल द्वारा दिए गए निर्देशों और सुझावों को नोट करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि पुणे प्रदेश में भविष्य में आयोजित हिन्दी कार्यशालाएं कम से कम पांच दिन की होंगी। श्री दाते ने बीमा विषयक साहित्य के अधिकांशतः अंग्रेजी में होने की मुश्किल का उल्लेख करते हुए यह आशा व्यक्त की कि इन मुश्किलों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

### चण्डीगढ़ : भारतीय सर्वेक्षण विभाग

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चण्डीगढ़ के उत्तर पश्चिमी सर्कल में वर्ष 1987 की द्वितीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

दिनांक 9-7-87 और 10-7-87 को किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री गुरबक्श सिंह उबेराय ने दीप प्रज्जवलन के साथ किया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री उबेराय ने कहा कि हमें हिन्दी तो आती है परन्तु कार्यालय भाषा में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी हिन्दी का हमें अभ्यास नहीं है। कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए पारंगत बनाना नहीं है बल्कि इसका लक्ष्य कर्मचारियों की हिचकचाहट दूर करना है। इस संबन्ध में अधिकारी वर्ग को पहल करनी होगी। उन्होंने श्री लूथरा उप निदेशक (उपस) की सराहना की कि उन्होंने निर्णय लिया है कि सरकार के आदेशानुसार हर तिमाही में सर्कल कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

श्री उबेराय ने "मानचित्र कला" में भौगोलिक नाम–देवनागरी से रोमन में लिप्यंतरण" विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने प्रोजेक्टर और स्लाइडों के माध्यम से देवनागरी लिपि और उसकी ध्वनियों का अत्यन्त सुस्पष्ट और रुचिकर परिचय दिया और कहा कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता है कि यह ध्वन्यात्मक है। अंग्रेजी से हिन्दी में लिप्यंतरण पद्धति को भी स्कूल विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे नक्शे अंग्रेजी में छपते हैं, इन्हें हिन्दी में छपवाया जाना चाहिए, प्रत्येक स्थान के नाम का महत्व होता है इसलिए हरेक नाम अद्वितीय होना चाहिए।

कार्यशाला के समापन समारोह में निदेशक (उपस) ने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए।

### जालन्धर : आयकर आयुक्त प्रभार

आयकर आयुक्त, जालन्धर, प्रभार द्वारा दिनांक 27 से 28 अक्तूबर 1987 तक 2 दिन की हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जालन्धर स्थित आयकर विभाग के स्टाफ के विभिन्न संवर्गों के 11 कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन, आयकर विभाग जालन्धर की राजभाषा अधिकारी श्रीमती सुधा शर्मा ने किया। उन्होंने कार्यशाला के प्रयोजन का ब्यौरा देते हुए बताया कि इस कार्यशाला में देवनागरी लिपि या अनुवाद के प्रशिक्षण की बजाय सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाने वाली व्यावहारिक हिन्दी का अभ्यास करवाया जाना है।

कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता सर्वकार्यभारी अधिकारी हिन्दी शिक्षण योजना, जालन्धर केन्द्र तथा निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त (निर्धारण) श्री दलीप सिंह ने की। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से, कार्यशाला में दिए गए प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कर्मचारियों को, इस कार्यशाला से अधिकाधिक लाभ उठाते हुए, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति लाने का सुझाव दिया।

### पटना : स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर

बैंक कर्मचारियों को उनको हिन्दी में कार्य करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने हेतु अंचल में द्वितीय विशेष हिन्दी कार्यशाला दिनांक 21 व 22 अगस्त 1987 को बैंक की अशोक राजपथ पटना शाखा में आयोजित की गई। इस दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला में अंचल की उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम तथा उड़ीसा राज्यों में अवस्थित शाखाओं के 32 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय, जयपुर द्वारा हिन्दी कार्यशालाओं हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम यथा: राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 बैंक की खाता बहियों/रजिस्टरों में हिन्दी में प्रविष्टियां, वाउचर आदि तैयार करने के अतिरिक्त टिप्पण एवं प्रारूप लेखन तथा पत्राचार का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यशाला का आयोजन अत्यन्त सफल रहा। कर्मचारियों ने स्वयं अपने हाथों हिन्दी में कार्य करने का अवसर पाकर नव चेतना का अनुभव किया तथा हिन्दी में कार्य करने की उनकी झिझक दूर हुई।

इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय ने किया और उन्होंने अपने भाषण में कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने का आह्वान किया। शीर्ष स्तर से हिन्दी के प्रयोग की प्रेरणा पाकर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा।

### स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर (उदयपुर अंचल)

बैंक के उदयपुर अंचल कार्यालय द्वारा दिनांक 15-8-87 से दिनांक 14-9-87 तक हिन्दी मास मनाया गया जिसके दौरान शाखाओं की विभिन्न रजिस्टरों एवं बहियों को हिन्दी में लिखने, वाउचर आदि हिन्दी में बनाने, पासबुकों में प्रविष्ठियां हिन्दी में करने आदि के लिए गश्ती पत्र जारी किया गया।

उदयपुर अंचल की निम्बाहेड़ा एवं पिण्ड़वाड़ा शाखाओं ने हिन्दी मास के दौरान स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के मध्य हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया तथा प्रतियोगिताओं में प्रथम एवं द्वितीय आने वाले छात्रों को पुरस्कार दिये। अंचल कार्यालय द्वारा उदयपुर में स्थित बैंक की सभी शाखाओं एवं अंचल कार्यालय के स्टाफ हेतु भी एक निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

अंचल कार्यालय परिसर पर दिनांक 14-9-87 को हिन्दी दिवस समारोह राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर के उप कुलपति पण्डित जनार्दन राय नागर की अध्यक्षता में मनाया गया। पण्डित नागर ने बैंक द्वारा द्विभाषिक रूप से मुद्रित कराये गये प्रपत्रों तथा प्रलेखों एवं बैंक द्वारा प्रकाशित की जाने वाली

प्रतिकाओं का अवलोकन किया। श्री कुमार सिंह बघेल, क्षेत्रीय प्रबन्धक (तृतीय) ने श्री नागर तथा समारोह के मुख्य अतिथि डा. पुरूषोतम लाल मेनारिया, मानद निदेशक, महाराणा मेवाड़ शोध प्रतिष्ठान, उदयपुर को स्मृति चिह्न भेंट कर अभिनन्दन किया।

स्टाफ के सदस्यों ने कविता पाठ किया। जिन्हें प्रेरणा स्वरूप एक-एक पेन तथा प्रमाण पत्र दिये गये। अंचल कार्यालय स्थित राजभाषा अनुभाग के प्रभारी अधिकारी श्री माणक चन्द सुराणा ने बैंक द्वारा हिन्दी में किये गये कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया।

श्री मुरारी लाल वर्मा, क्षेत्रीय प्रबन्धक-प्रथम ने अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि एवं स्टाफ के सदस्यों को समारोह में पधारने एवं इसे सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया।

### कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर

दिनांक 24-8-87 को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने कार्यालय के समस्त समूह अधिकारियों, प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति में वर्ष 1987-88 को द्वितीय हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन किया। महालेखाकार ने इस कार्यशाला में जयपुर नगर स्थित अन्य केन्द्रीय कार्यालयों, भारतीय मानक ब्यूरो व लघु उद्योग सेवा संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की और हिन्दी में कार्य करने हेतु सरल व सीधे हिन्दी शब्दों को अपनाने पर बल दिया।

इस कार्यशाला में राजभाषा विभाग द्वारा प्राप्त 18 पाठों के अतिरिक्त इस कार्यालय के विभिन्न अनुभागों व अलग-अलग खंडों की लेखा परीक्षा से संबंधित सामग्री के 12 पाठों का प्रशिक्षण दिया गया जिससे हिन्दी में कार्य करने के प्रोत्साहन के साथ-साथ कार्यालय के सभी अनुभागों की कार्यपद्धति की भी जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी गई। कार्यशाला में कुल 22 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया जिसमें मुख्यालय के 14 कर्मचारियों व 3 अधिकारियों, निवासी समवर्ति लेखा परीक्षा अधिकारी, बीकानेर से 2 कर्मचारी भी शामिल हुए। कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी इससे बहुत प्रभावित हुये तथा इन कार्यशालाओं को, राजकार्य हिन्दी करने के लिये उपयोगी बताया।

कार्यशाला के समापन पर प्रशिक्षणार्थियों ने राजकार्य हिन्दी में करने का संकल्प लिया।

### इलाहाबाद : पंजाब नेशनल बैंक

दिनांक 25, 26 एवं 27 अगस्त 1987 को लखनऊ क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए इलाहाबाद में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कुल 24 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुए। इस कार्यशाला के अतिथि वक्ता थे—डा. प्रभात शास्त्री डीलिट। इनके अतिरिक्त श्री नन्दलाल मिश्र और श्री शीलेन्द्र कुमार वशिष्ठ ने भी राजभाषा नीति, प्रोत्साहन योजनाएं आदि विषयों की जानकारी देकर प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित कराया।

### आयकर विभाग, हापुड़

आयकर कार्यालय, हापुड़ में दो दिनों की पूर्ण दिवसीय हिन्दी कार्यशाला चलाई गई। सभी कर्मचारियों ने पूर्ण उत्साह तथा लगन के साथ कार्यशाला में भाग लिया। इसका उद्घाटन निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, गाजियाबाद रेंज ने किया तथा प्रभार के राजभाषा अधिकारी, जनसम्पर्क अधिकारी और सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कक्षाओं को संबोधित किया। संघ सरकार की राजभाषा नीति, पुरस्कार योजनाएं एवं वार्षिक कार्यक्रम, प्रशासनिक एवं विभागीय, टिप्पण व प्रारूप लेखन का अभ्यास, कर निर्धारण आदेश हिन्दी में लिखना, हिन्दी में तार तथा विभिन्न प्रकार के पत्र लिखना, विभागीय शब्दावली का अभ्यास आदि विषयों का व्यावहारिक ज्ञान कराया गया। कार्यशाला की समाप्ति पर प्रमाण-पत्र दिए गए।

कार्यशाला के आयोजन से हिन्दी में काम करने की झिझक तथा परेशानी दूर हुई एवं लोगों ने निष्ठापूर्वक हिन्दी में सरकारी कामकाज करने का संकल्प लिया।

### आयकर विभाग, देहरादून

### देहरादून में एक दिन की पूर्ण दिवसीय हिन्दी

कार्यशाला देहरादून स्थित आयकर विभाग के कार्यालयों के ग्रुप "ग" के कर्मचारियों के लिए चलाई गई। कार्यशाला में नामित कर्मचारियों ने पूर्ण उत्साह तथा लगन के साथ भाग लिया। इस हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, देहरादून रेंज ने किया। प्रभार के अन्य वक्ताओं ने संघ सरकार की राजभाषानीति, पुरस्कार योजनाएं, वार्षिक कार्यक्रम, विभागीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग तथा कर-निर्धारण आदेश हिन्दी में लिखना, प्रशासनिक टिप्पण तथा आलेखन आदि विषयों पर व्याख्यान के साथ-साथ अभ्यास कराया। कार्यशाला की समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए गए।

### इंजीनियर्स इंडिया लि० नई दिल्ली

### वरिष्ठ प्रबंधकों का हिंदी प्रयोग में योगदान

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अपने निदेशकों और महाप्रबंधकों की बैठक में भारत सरकार की राजभाषा नीति का निवेचन करने के लिये राजभाषा विभाग के निदेशक डा० महेशचन्द्र गुप्त को आमंत्रित किया। डा० गुप्त ने संविधान में राजभाषा के प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए वैदिक संस्कृति से लेकर बोल-चाल की हिन्दी तक के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समस्त भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक धर्माचार्यों के आवागमन में संस्कृत के बाद हिन्दी का ही सहारा लिया गया। अंग्रेजी शासन में डा० ग्रियर्सन जैसे अंग्रेजी विद्वानों ने भी लिंग्वा-फ्रांका शब्द हिन्दी के लिये इस्तेमाल किया और बाद में बालगंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, डा० राजेन्द्र प्रसाद प्रभृति स्वतन्त्रता सेनानियों ने इसे राष्ट्रभाषा का पद दे दिया था।

संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया था। 14 सितम्बर, 1949 का दिन देश के इतिहास में इसलिए याद किया जाता रहेगा कि इस दिन भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से संविधान के भाषा प्रावधानों को स्वीकार किया और हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा की गरिमा प्रदान की। 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। डा०गुप्त ने नियमों की संक्षेप में सभी को जानकारी दी और बताया कि नियम 12 के अनुसार इनके लागू करने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की है।

डा० गुप्त ने अनुरोध किया कि ईआईएल में हिन्दी का प्रयोग जहां अभी कम हो रहा है, वहां बढ़ाया जाए। हिन्दी में कार्य करने वाले कर्मचारी तैयार किए जाएं। हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी अधिक लोगों को सिखाई जाए। उन्होंने उपस्थित व्यक्तियों से अनुरोध किया कि वे स्वयं हिन्दी में कुछ न कुछ कार्य करना शुरू करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी कराएं। हिन्दी में काम करने वालों को पुरस्कार योजना से लाभान्वित व प्रोत्साहित किया जाए। दो-दो प्रभागों में एक अनुवादक और एक हिन्दी टाइपिस्ट रखा जाए। हिन्दी स्टाफ आवश्यकतानुसार रख कर हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करके अन्य उपक्रमों/निगमों की बराबरी में अपने को लाने का प्रयास किया जाए। चर्चा में उपस्थित निदेशक (वित्त) से विशेष आग्रह किया गया कि वे आर्थिक स्वीकृति देकर मार्ग प्रशस्त करें। उन्होंने अति उत्तम सुझाव यह भी दिया कि सभी महाप्रबंधक अपने व्यस्त समय में से एक महीने में केवल एक घंटा हिन्दी के लिए दें, जिससे वातावरण निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा।

महाप्रबन्धक (कार्मिक व प्रशासन) ने डा० गुप्त का धन्यवाद करते हुए आश्वासन दिया कि हिन्दी की बढ़ोतरी के लिए गहन प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक महीने में एक घंटा हिन्दी कार्य के लिए रखा जाना चाहिए।

## स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली

कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के निगमित कार्यालय इस्पात भवन, नई दिल्ली में दिनांक 2 जून से 5 जून 1987 तक एक प्रयोजनमूलक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन "सेल" के हिंदी कक्ष और केंद्रीय हिंदी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

कार्यशाला को अधिक उपयोगी और व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से विभिन्न विभागों से कार्यपालक संभागी नामित किए गए। कुल 24 कार्यपालकों ने इसमें भाग लिया। तारतम्य बनाए रखने के प्रयोजन से शिक्षण के लिए केवल केंद्रीय हिंदी संस्थान के प्राध्यापक ही बुलाए गए थे।

कार्यशाला का उद्घाटन "सेल" के उपाध्यक्ष श्री शिवराज जैन ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्मिकों का आह्वान करते हुए आशा व्यक्त की कि समस्त संभागी कार्यशाला से भरपूर लाभ उठाएंगे और भविष्य में अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करेंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ऐसी कार्यशालाएं कार्मिकों को हिंदी में काम करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी।

केंद्रीय हिंदी संस्थान का परिचय देते हुए संस्थान के प्राध्यापक डा० कृष्ण कुमार गोस्वामी ने बताया कि केंद्रीय हिंदी संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के अंतर्गत है जिसमें 3 स्तरों पर हिंदी शिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता है। 1. हिंदी भाषियों के लिए; 2. अहिंदी मातृभाषियों के लिए; 3. विदेशी भाषा-भाषियों के लिए। तीनों प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। संस्थान के सभी केंद्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था है। साथ ही संस्थान के अध्यापकगण स्थानीय कार्यालयों में भी कक्षाओं का संचालन करते हैं।

प्रो० माणिक गोबिन्द चतुर्वेदी ने प्रयोजनमूलक कार्यशाला की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए बताया कि कार्यालयीन हिंदी के स्वरूप के विषय में पहली बार सन् 1967-68 में भाषाविदों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। इससे पूर्व सामान्यतः हिंदी भाषा का अर्थ साहित्यिक हिन्दी भाषा ही समझा जाता था।

डा० कृष्ण कुमार गोस्वामी ने संभागियों को सरकार की राजभाषा नीति और हिन्दी की संवैधानिक स्थिति से अवगत कराया। साथ ही संभागियों की शंकाओं का समाधान किया।

श्री मनमोहन चंद्र मिश्र, वरिष्ठ प्रबन्धक (हिन्दी) ने "सेल" के कार्यकलापों के संदर्भ में हिन्दी की विवेचना की। उन्होंने "सेल" में हिन्दी के प्रयोग की अनिवार्यता की ओर संभागियों का ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही राजभाषा अधिनियम, वार्षिक कार्यक्रम आदि से संभागियों को भली प्रकार परिचित कराने के उद्देश्य से पारिभाषिक शब्दों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की और संभागियों का ध्यान उन क्षेत्रों की ओर भी आकृष्ट किया जिनमें तत्काल हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ किया जा सकता है। साथ ही प्रयोग के उपाय भी बताए।

प्रो० अशोक कालरा ने हिन्दी और अंग्रेजी के शैलीगत भेद की ओर संभागियों का ध्यान आकृष्ट किया।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के निदेशक डा० बाल गोबिंद मिश्र ने इस चार दिवसीय कार्यशाला के क्रियाकलापों के प्रति संतोष व्यक्त किया और संभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

संभागियों के प्रतिनिधि श्री यू० एस० ठाकुर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यद्यपि "सेल" के बहुत से कार्यपालक हिन्दी में काम करने में सक्षम हैं तथापि वरिष्ठ अधिकारियों के रवैये के प्रति आश्वस्त न होने के कारण वे पहल करने में झिझकते हैं।

संभागियों के प्रतिनिधि श्री एस० एस० गुप्ता ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजी के कृत्रिम मोह से छुटकारा पाना ही होगा। अपनी भाषा का प्रयोग होना ही चाहिए। वह हमारी पहचान की भाषा है। "सेल" में हम उस चरण में आ गए हैं जब उत्पादन के अतिरिक्त जनमानस को संस्कृत करना भी आवश्यक हो गया है और हिन्दी का प्रयोग इस दिशा में पहला कदम है।

सभी संभागियों को "देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी" तथा "समेकित प्रशासनिक शब्दावली" शीर्षक पुस्तकों की एक-एक प्रति भेंट की गई।

## विभागीय समाचार

### केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली

संस्थान में अक्तूबर-दिसम्बर 1987 तिमाही के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए :—

| क्रम सं० | पाठ्यक्रम का नाम | कार्य दिवस | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | कनिष्ठ अनुवादकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम | 5 | 12-10-87 से 16-10-87 |
| 2. | वरिष्ठ अनुवादकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम | 5 | 26-10-87 से 30-10-87 |
| 3. | प्राज्ञ पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम | 15 | 19-10-87 से 10-11-87 |
| 4. | हिन्दी अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम | 5 | 9-11-87 से 13-11-87 |
| 5. | उप सचिव/अवर सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम (अर्ध कार्य दिवस) | 5 | 9-11-87 से 13-11-87 |
| 6. | प्रबोध पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम | 20 | 16-11-87 से 11-12-87 |
| 7. | बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला | 5 | 23-11-87 से 27-11-87 |
| 8. | पुराने हिन्दी आशु लिपिकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम। | 5 | 21-12-87 से 28-12-87 |
| 9. | राजभाषा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए गोष्ठी | 1 | 28-12-1987 |

## विशेष सूचना

राजभाषा विभाग के दिनांक 6-10-1987 के अ०शा०पत्र सं० 21034/24/87-रा०भा० (घ) के अनुसार विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टाइपलेखन परीक्षा में टाइपराइटरों के बारे में निर्णय लिया गया है कि :—

(1) निजी प्रयासों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपना टाइपराइटर लाने के लिए बाध्य न किया जाए। यदि ऐसे प्रशिक्षार्थी स्वेच्छा से अपना टाइपराइटर परीक्षा के लिए लाते हैं तो उसके लिए उन्हें छूट दी जाए।

(2) परीक्षा के मुख्य पर्यवेक्षक को परीक्षा हेतु टाइपराइटरों की व्यवस्था स्वयं ही करनी चाहिए। यदि प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध टाइपराइटरों की संख्या कम है तो आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों से अनुरोध करें अथवा किराए पर टाइपराइटरों की व्यवस्था करना मुख्य पर्यवेक्षक/उप निदेशक (हिंदी) का कार्य है।

## केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो

### राजभाषा विभाग : गृह मंत्रालय

#### त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित नियमित त्रैमासिक सेवारत अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दिल्ली, बम्बई और बैंगलूर स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों के क्रमशः 55वें, 11वें तथा 8वें सत्रों का समापन समारोह 29-30 सितम्बर, 1987 को विधिवत आयोजित किए गए। दिल्ली केन्द्र में 47 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। उनमें से उत्कृष्ट कोटि में 7 प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण हुए। रजत-पदक कुमारी सुषमा गर्ग ने तथा कांस्य-पदक श्रीमती हंसारानी चौसालकर ने प्राप्त किए।

राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष के निदेशक श्री कौशिक मुखर्जी, ने पदक और प्रमाणपत्र वितरित किए। श्री मुखर्जी ने अपने समापन संदेश में प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध किया कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जहां तक संभव हो सभी अपने मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा उपक्रमों आदि में सरल और सुबोध हिन्दी का प्रयोग करें ताकि राजभाषा के रूप में उसके प्रचार प्रसार में सहयोग मिल सके। संयुक्त निदेशक श्री विनोद कुमार वजाज ने धन्यवाद दिया।

बम्बई अनुवाद प्रशिक्षण के 11 वें सत्र के समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शंभु दयाल थे। 29 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। रजत पदक श्रीमती विजय लक्ष्मी ने तथा कांस्य पदक श्री एस. एस. गोलगोले ने प्राप्त किए। मुख्य अतिथि ने अपने समापन संबोधन में प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा हिन्दी को ऐसा रूप देने का प्रयास करें जो सभी को ग्राह्य हो सके तथा उसका रूप सहज हो। हिन्दी अनुवाद की भाषा न लगे, इसका हम सबको पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए।

बैंगलूर केन्द्र में 8 वें सत्र का समापन समारोह में 33 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रमाणपत्र प्राप्त किए। रजत पदक श्री राम कृपाल शर्मा कर्मठ ने तथा कांस्य पदक श्रीमती सरोज ईश्वर वाल ने प्राप्त किया। इस केन्द्र के समापन सत्र के मुख्य अतिथि भी राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शंभु दयाल थे। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से इस बात का आग्रह किया कि वे संविधान में राजभाषा हिन्दी के संबंध में दिए गए प्रावधानों को अपने दायित्व के रूप में निभाएं, मात्र सरकारी कर्मचारी के रूप में हिन्दी भाषा का दिखावा न करें।

दिल्ली केन्द्र के 56 वें, बम्बई केन्द्र के 12 वें, बैंगलूर केन्द्र के 9 वें सत्रों को एक अक्तूबर, 1987 से प्रारंभ किया जा चुका है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या क्रमशः 40, 30 तथा 28 है।

### कलकत्ता में नए अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन

12 अक्तूबर, 1987 को कलकत्ता में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो का चौथा अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ हो गया है। इसका उद्घाटन यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया (मुख्यालय), कलकत्ता के उप महाप्रबंधक, श्री एस. के. बसु ने किया। चौथे केन्द्र के खुल जाने से कलकत्ता और देश के पूर्वी अंचल में फैले भारत सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों को अनुवाद में प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी।

### ग्वालियर में संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन

ग्वालियर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने ग्वालियर में 5 अक्तूबर से 13 अक्तूबर, 1987 तक एक संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्घाटन महालेखाकार (निधि), श्री कृष्णलाल भार्गव ने किया। उन्होंने कहा कि इस पाठ्यक्रम के आयोजन से हमारी चिर-प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी हो गई है। उम्मीद है कि प्रशिक्षणार्थी इसका पूरा लाभ उठाएंगे। इस पाठ्यक्रम में महालेखाकार का कार्यालय, सेन्ट्रल बैंक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक और जिला टेलीफोन कार्यालय आदि के अनुवादकर्मी सम्मिलित थे।

### ब्यूरो में काव्य संगोष्ठी

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के मनोरंजन क्लब की ओर से हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार दिनांक 24-9-87 को काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का संचालन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की वरिष्ठ अनुवादक श्रीमती उषा ग्रोवर ने सफलता के साथ किया। बाहर के सम्मानित और आमंत्रित अतिथियों में केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डॉ. धर्मवीर, डा. नारायण दत्त पालीवाल, श्री बुद्ध प्रकाश तथा श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी थे। डा. धर्मवीर की कविता को श्रोताओं ने बहुत सराहा।

काव्य गोष्ठी के प्रारंभ में श्रीमती उषा ने हिन्दी साहित्य जगत की दिवंगत विभूतियों जिनमें श्री अज्ञेय, महादेवी वर्मा, श्री फिक्र तौंसवी तथा श्री देवराज दिनेश आदि को श्रद्धांजलि अर्पित की।

आयोजन में जिन रचनाओं को प्रस्तुत किया गया उनका मुख्य स्वर सामयिक चेतना और नारी जगत तथा आज के बदलते परिवेश की चुनौती रही।

कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के उप निदेशक डॉ. कृष्ण कुमार गुप्त ने की।

## 2. समाचार दर्शन

### अन्तरिक्ष विभाग में हिन्दी कार्यान्वयन हेतु 'विक्रम साराभाई शील्ड'

अन्तरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विविध केन्द्रों/यूनिटों/कार्यालयों में सरकारी काम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कैलेण्डर वर्ष के दौरान हिंदी के क्रियान्वयन में केन्द्रों/यूनिटों के कार्यनिष्पादन के आधार पर उन्हें "विक्रम साराभाई शील्ड" नामक एक अन्तर-केन्द्र रोलिंग शील्ड प्रदान करने की योजना लागू करने का निर्णय किया गया है।

2. हिन्दी आशुलिपि एवं टाइपलेखन में प्रशिक्षित कर्मचारी कुछ समय बाद अपनी कुशलता और दक्षता खो देते हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय किया गया कि प्रशिक्षित कार्मिकों को अपने व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा अपनी दक्षता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक केन्द्र/यूनिट में हिंदी टंकण/हिन्दी आशुलिपि में एक वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित की जाए। अतः हिंदी टंकण/आशुलिपि में प्रतियोगिता के आयोजित करने के लिए एक योजना लागू करने का निर्णय किया गया, पुरस्कारों का विवरण निम्न प्रकार है:

| पुरस्कार | हिंदी टंकण के लिए | हिंदी आशुलिपि के लिए |
|---|---|---|
| (1) प्रथम पुरस्कार | 150/-रुपये | 200/-रुपये |
| (2) द्वितीय पुरस्कार | 100/-रुपये | 150/-रुपये |
| (3) तृतीय पुरस्कार | 75/-रुपये | 125/-रुपये |

## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय) की शाखाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन

### 1. बेगमबाजार शाखा

दिनांक 20-8-1987 को शाखा प्रबंधक श्री जी. एस. पी. राव के प्रयासों से राजबहादुर सर बन्सी लाल बालिका विद्यालय में "दूरदर्शन से लाभ या हानि" विषय पर "वाद-विवाद प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। अध्यक्षता आंचलिक प्रबंधक श्री शरद चन्द्र भागवत ने की। उक्त अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक श्री मार्तण्ड राव के साथ-साथ आंचलिक कार्यालय से डॉ. वी. वी. कुचरु और क्षेत्रीय कार्यालय से श्री आर. पी. अग्रवाल तथा सुधाकर वानखड़े उपस्थित थे।

इस प्रतियोगिता में निम्निलिखित बालिकाओं को आंचलिक प्रबंधक ने शाखा की ओर से पुरस्कार वितरित किये:

1. कुमारी रचना, प्रथम
2. कुमारी मीतू, द्वितीय
3. कुमारी मंजू, तृतीय
4. कुमारी भाग्यवती, चौथा (सांत्वना पुरस्कार)

### 2. फतेहमैदान शाखा

क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली संस्था स्टैण्डली गर्ल्स जूनियर कालेज में दिनांक 26-8-1987 को शाखा प्रबंधक श्री ए. प्रभाकर राव के प्रयासों से "आधुनिक युग में कलम या शस्त्र" विषय पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निम्नलिखित सफल बालिकाओं को अध्यक्ष श्री मार्तण्ड राव, क्षेत्रीय प्रबंधक ने पुरस्कार वितरित किए:—

1. कुमारी सुप्रिया, प्रथम
2. कुमारी सुनयना, द्वितीय
3. कुमारी राखी, तृतीय

इस अवसर पर आंचलिक कार्यालय से डॉ. वी. वी. कुचरू तथा क्षेत्रीय कार्यालय से श्री आर. पी. अग्रवाल तथा सुधारक वानखड़े उपस्थित थे।

### 3. गोलकोन्डा शाखा

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर शाखा प्रबंधक श्री सी. बी. रघुवीर के प्रयासों से वहां के स्थानीय स्कूल अस्मा उर्दू हाई स्कूल में 12-8-1987 में एक हिन्दी सेमीनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबंधक श्री मार्तण्ड रावजी ने की तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। निम्नलिखित सफल विद्यार्थियों को श्री मार्तण्ड राव, क्षेत्रीय प्रबंधक ने पुरस्कार वितरित किए:—

1. साफिया खातून, प्रथम
2. कु. मेराज बेगम, द्वितीय
3. कु. समीरा फासीमा, तृतीय

इस अवसर पर आंचलिक कार्यालय से डॉ. वी. कुचरू, तथा क्षेत्रीय कार्यालय से आर. पी. अग्रवाल तथा सुधाकर वानखड़े उपस्थित थे।

## 'ग' क्षेत्र में रेलों के आरक्षण चार्ट द्विभाषी

रेलवे बोर्ड ने कार्यालय ज्ञापन सं. हिन्दी-87/रा. भा.-1/9/5—भाग 3 दिनांक 20-7-1987 के अधीन समस्त रेल महाप्रबन्धकों को आदेश दिया है कि—

**"रेल मंत्रालय अब चाहता है कि 'ग' क्षेत्रों के स्टेशनों पर भी आरक्षण चार्ट हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।"**

आगे यह भी निर्देश दिया गया है कि उपर्युक्त के कारण बढ़ने वाले अतिरिक्त कार्यभार को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, अपने अधिकारानुसार अपने वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के परामर्श से वर्तमान कर्मचारियों से मानदेय के आधार पर करा लें। हिन्दी टाइपिस्टों के पद सृजन की आवश्यकता हो, तो अपने प्रस्ताव बोर्ड को भिजवाएं

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम में

### अन्तः क्षेत्रीय व्यवहार प्रतियोगिता

विभिन्न निगम कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष एक अन्तः क्षेत्रीय हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, *जिसमें सबसे* अधिक कार्य हिन्दी में करने वाले निगम कार्यालय को शील्ड/ट्राफी दी जाती है। इस प्रकार की पहली प्रतियोगिता

1980-81 में आयोजित की गयी थी। इस वर्ष से यह निर्णय किया गया है कि एक शील्ड "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए निर्धारित कर दी जाए ताकि उन्हें हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले। इस योजना के अंतर्गत 1985-86 वर्ष के दौरान "क" क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान को और "ग" क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, असम को एक-एक शील्ड तथा क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार, और क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब को एक-एक ट्राफी देने का निर्णय किया गया है। इस प्रयोजन के लिए पटना में दिनांक 14-9-87 को हिन्दी दिवस के अवसर पर समारोह किया गया, जिसमें श्री नरोत्तम व्यास, बीमा आयुक्त ने श्री रमेश कुंभारे, क्षेत्रीय निदेशक, बिहार को ट्राफी भेंट की। इसी प्रकार के समारोह गुवाहटी और चंडीगढ़ में भी इसी दिन आयोजित किए गए। गुवाहटी में बीमांकन, श्री हीरालाल जैन द्वारा श्री उमेश चन्द डोले, क्षेत्रीय निदेशक, असम को शील्ड भेंट की गई और चंडीगढ़ में मुख्यालय के हिन्दी अधिकारी, श्री चन्द्रभान गर्ग द्वारा श्री सुरजीत सिंह अबरोल, क्षेत्रीय निदेशक, पंजाब को ट्राफी भेंट की गई। जयपुर में दिनांक 25-9-87 को हिन्दी समारोह किया गया जिसमें निदेशक (प्रबन्ध सेवा एकक) श्री सोमदत्त शर्मा द्वारा श्री वीरेन्द्र लाल नागर, क्षेत्रीय निदेशक, राजस्थान को शील्ड भेंट की गई। इस अवसर पर निगम के महानिदेशक ने भी उपर्युक्त सभी कार्यालयों को अपना शुभ कामना संदेश भेजा, जिसमें संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी कार्य की प्रशंसा करते हुए उनकी उपलब्धि पर बधाइयां दीं और भविष्य में भी राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन की कामना की।

## बम्बई में सम्पर्क अधिकारियों की बैठक

बम्बई स्थित केन्द्रीय कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों तथा बैंकों के सम्पर्क अधिकारियों की बैठक का आयोजन सात सितम्बर, 1987 को हिन्दी शिक्षण योजना के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री के.एन. कोठारी, प्रबंधक निदेशक (वित्त), भारतीय नौवहन निगम लि. ने की और मुख्य अतिथि श्री शंभु दयाल संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय थे। इस अवसर पर 200 से अधिक सम्पर्क अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। हिन्दी शिक्षण योजना (पश्चिमी क्षेत्र) के उप निदेशक श्री ऊधोराम सिंह ने संपर्क अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालयों के उन कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण अवश्य दिलाएं जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखते।

संयुक्त सचिव, श्री शंभु दयाल ने बड़े प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि बम्बई जैसे बड़े शहर में टंकण व आशुलिपि के विभागीय केन्द्र खोले जा सकते हैं। इसी प्रकार हिन्दी के प्रशिक्षण कार्य की समयबद्ध रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। उन्होंने पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार की हिन्दी सम्बन्धी बैठकों को उन्होंने महान पर्व का नाम दिया क्योंकि इस प्रकार की बैठकों से हिन्दी में काम करने का एक माहौल बनता है जो हिन्दी के शिक्षा कार्यों में गति लाने के लिए विशेष महत्व रखता है।

## नाविकों की भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी विकल्प

भारत सरकार के नौ सेना मुख्यालय ने अपने 13 जुलाई, 1987 के पत्र संख्या ओ एफ/0805 द्वारा सूचित किया है कि नाविकों की भर्ती हेतु जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनका माध्यम अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाएं होती हैं। अभ्यर्थियों को पूरी छूट है कि वे स्वेच्छा से हिन्दी व अंग्रेजी किसी भी भाषा में उत्तर दे सकते हैं।

## केनरा बैंक को रिजर्व बैंक शील्ड

दिनांक 9-10-87 को भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक को राजभाषा शील्ड व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। 1986 का परिणाम घोषित होने के बाद शील्ड वितरण समारोह का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक ने किया। समारोह में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी व राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री आर.एन. मल्होत्रा ने सबसे पहले केनरा बैंक के महाप्रबन्धक श्री आर.एस. पै. को "ख" व "ग" क्षेत्र में प्रथम स्थान पाने का शील्ड तथा "क" क्षेत्र के श्रेष्ठता प्रमाण पत्र प्रदान किया। "क" क्षेत्र का प्रथम स्थान भारतीय स्टेट बैंक को मिला है। अन्य बैंकों को भी शील्ड व प्रमाण पत्र दिए गए। केनरा बैंक द्वारा "ख" क्षेत्र में दूसरी बार तथा "ग" क्षेत्र में तीसरी बार प्रथम स्थान हासिल करने के प्रयास के लिए गवर्नर श्री आर.एन. मल्होत्रा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रशंसा की व हार्दिक बधाई दी।

## प्रागा टूल्स लि. सिकन्दराबाद में हिन्दी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद स्थित उपयन्त्र प्रभाग में ऐसे अधिकारियों के लिए हिन्दी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। जिन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में हिन्दी का अध्ययन तो किया था किन्तु बहुत समय से हिन्दी का प्रयोग न करने के कारण वे हिन्दी पढ़ने लिखने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे।

हिन्दी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तीन बैचों में चलाया गया। प्रथम बैच 31-7-1987 से 16-8-1987 तक चला। इसमें उपक्रम के 15 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया,

हिन्दी अधिकारी श्रीमती एस. लक्ष्मी कुमारी ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने स्वागत भाषण में हिन्दी की गौरव गरिमा पर प्रकाश डालते हुए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की भूमिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने सभी अधिकारियों को कार्यालयीन कार्य में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए कहा।

हिन्दी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का दूसरी बैच दिनांक 21-7-1987 से 6-9-1987 तक चला। इसमें कनिष्ठ प्रबन्धक से लेकर वरिष्ठ प्रबन्धक स्तर के 25 अधिकारियों ने भाग लिया।

हिन्दी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का तीसरा बैच 8-9-1987 से 4-10-1987 तक चला। इसमें कनिष्ठ प्रबन्धक से लेकर वरिष्ठ प्रबन्धक स्तर के 30 अधिकारियों ने भाग लिया।

तीनों बैचों के अध्यापन कार्य के लिए नगर के जाने-माने हिन्दी विद्वानों की सेवाएं प्राप्त की गई। तीनों बैचों में दिखाया गया एवं मनोरंजक ढंग से खेल के माध्यम से भी एक-एक दिन हिन्दी सिखायी गई।

प्रतिभागियों को अंकों की वर्तनी का देवनागरी में मानक रूप पारिभाषिक शब्दावली का साईक्लोस्टाइल प्रतियां एवं हिन्दी में सामान्य टिप्पण के चार्टों का विवरण किया गया। इन तीनों बैंचो का सुचारू एवं सफल संचालन श्री गजानन्द गुप्त ने किया।

### राष्ट्रीयकृत राजभाषा अधिकारी "संगम" नई दिल्ली

26 सितंबर, 1987 को सिंडीकेट बैंक के स्टाफ प्रशिक्षण कालेज, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में "संगम" द्वारा अंतर्बैंक कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की अध्यक्षता कालेज के ही प्रधानाचार्य डा. चन्द्र किशोर अंबष्ट ने की। महासचिव डा. राजेन्द्र प्रताप सहगल ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि "संगम" एक ऐसा स्थल है जहां विभिन्न बैंक कर्मियों के रूप में फूटे पावन स्रोत आकर मिलते हैं और राजभाषा हिन्दी के फलने-फूलने के लिए उर्वरा जमीन तैयार करने में मदद देते हैं। डा. चन्द्र किशोर अंबष्ट ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि बैंकों में राजभाषा हिन्दी की काफी महत्ता समझी गई है लेकिन कुछेक अप्रत्यक्ष कारणों से अभी भी हम व्यावहारिक स्तर पर इसे अन्तर्मन से स्वीकार करने में हिचकते रहे हैं जो हमारी अस्थिर प्रकृति का परिचायक है। ऐसे आयोजनों से जुड़ते हुए मुझे फिर से आशा बंधी है कि हम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से पा लेगें।

इस प्रतियोगिता के निर्णायक राज्य सभा में सहायक सम्पादक श्री जगजीत सिंह तथा कविवर नित्यानंद जोशी थे। इस अवसर पर यूको बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री भविष्य कुमार सिन्हा तथा सिंडीकेट बैंक के राजभाषा अधिकारी डा. अमर सिंह वधान ने भी अपनी-अपनी कविताएं पढ़ी जिससे वातावरण को गंभीर और गरिमापूर्ण आधार मिला।

इस अन्तर्बैंक कविता प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्री देवेन्द्र रस्तोगी (यू.को.बैंक), द्वितीय पुरस्कार श्री सुरेन्द्र वर्मा (पंजाब नेशनल बैंक), तृतीय पुरस्कार श्रीमति अनिता (केनरा बैंक) चतुर्थ पुरस्कार श्री नरेश चोपड़ा (यू. को. बैंक) और पांचवा पुरस्कार श्री एम.के. एब्बट (यूनियन बैंक) को दिया गया।

### स्वयं सेवी संस्थाओं में हिन्दी का प्रयोग

श्री दरबारी लाल, संगठन मन्त्री, डी. ए. वी. कालेज प्रबन्धकर्तृ समिति, (चित्र गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली) ने अपने पत्र संख्या 7/1/87-प्रकाशन के अधीन भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप डी.ए.वी. संस्थाओं में हिन्दी प्रयोग पर बल देते हुए निम्नलिखित मार्गदर्शी अनुदेश जारी किए हैं:—

"डी.ए.वी. संस्थाओं को खोले जाने का एक उद्देश्य भारतीय संस्कृति के प्रचार और उसके व्यवहार को बढ़ाना भी था। डी.ए.वी. कालेज ट्रस्ट एवं प्रबन्धकर्ता समिति की नियमावली के नियम संख्या-44 (ग) के अनुसार समिति की साधारण सभा में प्रबन्धकर्तृ समिति यह भी विवरण देगी कि उसने वर्ष भर में हिन्दी, संस्कृत और वेदों की पढ़ाई के विषय में क्या कुछ किया है। समिति के नियम संख्या-54 के अनुसार समिति का कार्यवृत्त हिन्दी में रिकार्ड किया जाना आवश्यक है। अतः डी.ए.वी. संस्थाओं का यह राष्ट्रीय और नैतिक कर्तव्य है कि वे यथासंभव अपने प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का ही प्रयोग करें। अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना अपने आप में आवश्यक हो सकता है किन्तु समिति की संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग न होना अखरने वाली बात है, जिसके कारण अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं को हम पर ऊंगली उठाने का अवसर मिल जाता है। अतः हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब सरीखे राज्यों में (जहां कि हिन्दी के प्रति जनता में उदार भावना है) यह आवश्यक है कि हमारी संस्थाएं इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करें कि उनके प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग हो।

2. उपरोक्त को देखते हुए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त नीचे दिए जा रहे हैं :—

(1) हमारी संस्थाओं के बोर्ड हिन्दी भाषी क्षेत्रों मे केवल हिन्दी में और अन्य राज्यों में द्विभाषी अथवा त्रिभाषी हो सकते हैं। अर्थात् उनमें सबसे पहले हिन्दी का प्रयोग हो, बाद में आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।

निमंत्रण पत्रों और रबड़ की मोहरों के लिए भी यह सिद्धान्त अपनाया जा सकता है।

(2) स्टेशनरी हिन्दी भाषी क्षेत्रों, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब में हिन्दी में छपाई जाए यदि बहुत आवश्यकता हो तो उसे द्विभाषी रूप में छपाया जा सकता है जिसमें हिन्दी पहले अथवा ऊपर रहे और उसके अक्षर अंग्रेजी अक्षरों की अपेक्षा छोटे न हों।

(3) कहीं से भी प्राप्त हिन्दी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाएं। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों और जनता को जाने वाले मूल पत्र भी हिन्दी में होने जरूरी हैं। बहुत आवश्यकता होने पर ही इन राज्यों को अंग्रेजी में पत्र भेजा जाए।

(4) हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब में अपनी संस्थाओं के आंतरिक प्रशासनिक कार्य भी यथासंभव हिन्दी में किए जाएं।

(5) अपने विज्ञापन हिन्दी समाचार पत्रों में हिन्दी में ही दें।

(6) दूर संचार विभाग की ओर से अनेक दशकों से हिन्दी तार भेजने की व्यवस्था देश भर के 12—13 हजार तारघरों में है। हिन्दी में भेजे गए तार अंग्रेजी तारों की अपेक्षा सस्ते भी पड़ते हैं। यह भी उचित होगा कि तार के संक्षिप्त पते डाकघर में हिन्दी में ही पंजीकृत करवाए जाएं।

भारत सरकार के हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब में स्थित कार्यालयों में भी शत-प्रतिशत हिन्दी में कार्य करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों के कार्य तो हिन्दी में हो ही रहे हैं तथा अन्य राज्यों में भी उत्तरोत्तर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ रहा है। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि डी.ए.वी. संस्थाएं जिनका निर्माण संस्कृत और हिन्दी के प्रसार-प्रचार के लिए हुआ था, हिन्दी का प्रयोग करके सरकारी प्रयत्नों में योगदान दें।

मैं यह भी चाहूँगा कि आप प्रत्येक तिमाही में इस विषय में की गई प्रगति के विषय में जानकारी समिति कार्यालय को दें। □

# आदेश-अनुदेश

सं० 12027/77/86–रा० भा० (ख-2)

गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा अधिनियम 1963 के लागू होने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि समय-समय पर ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे थे कि क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 वित्तीय संस्थानों जिसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा नेबार्ड आदि शामिल हैं, को लागू होता है या नहीं और क्या इन संस्थानों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालय संबंधित दी गई परिभाषा में शामिल किया जा सकता है या नहीं।

2. उपर्युक्त प्रश्न पर विधि कार्य विभाग से विचार-विमर्श करने के पश्चात यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा नेबार्ड आदि यह सभी संस्थान जो संविधि के अंतर्गत गठित किए गए हैं और केन्द्रीय सरकार के पूर्ण नियंत्रण में हैं। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 2 (ख) में दी गई केन्द्रीय सरकार के कार्यालय संबंधी परिभाषा में शामिल होते हैं। इसलिए राजभाषा अधिनियम एवं नियम ऐसे संस्थानों को उसी तरह लागू होते हैं जैसे कि केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय को।

3. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) से अनुरोध है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा नेबार्ड तथा बाकी सभी वित्तीय संस्थाओं जोकि संविधि के अंतर्गत गठित किए गए हैं और केन्द्र सरकार के पूर्ण नियंत्र में हैं उन्हें उपर्युक्त स्पष्टीकरण से अवगत करायें और निदेश दें कि वे राजभाषा अधिनियम एवं नियम और उनके सम्यक अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नियम 12(2) के अधीन दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें। दिए गए निर्देशों की एक प्रति राजभाषा विभाग को भी सूचनार्थ भेजी जाए। इस ज्ञापन को सचिव राजभाषा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बी०ए० कोहली, उप सचिव (कार्या.)

सं.–12015/12/84–रा.भा. (त.क.)

भारत सरकार/गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग (तकनीकी कक्ष)

8वीं मंजिल, ब्लाक–बी,
सी जी ओ कम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांक 31 अगस्त, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय:—केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उनके अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों में केवल द्विभाषी इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग

राजभाषा विभाग के दिनांक 30 मई, 85 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को ये आदेश जारी किए गए थे कि उनके कार्यालयों में केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) इलैक्ट्रानिक उपकरणों का ही प्रयोग किया जाए। यह देखने में आया है कि कई मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों ने इन आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। अतः सभी मंत्रालयों/विभागों एवं उनके अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध है कि विभिन्न इलैक्ट्रानिक उपकरणों को प्राप्त करते समय निम्नलिखित निदेशों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए।

(1) सभी प्रकार की कम्प्यूटर प्रणालियां (जिनमें कम्प्यूटर, वर्ड-प्रोसेसर, एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीनें, डेटा एंट्री उपकरण आदि शामिल हैं) केवल द्विभाषी रूप में खरीदी जाएं।

(2) ये आदेश केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी

निगम या कम्पनी या बैंकों आदि के कार्यालयों या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या प्राधिकरण के कार्यालयों पर लागू होंगे।

(3) किसी कम्प्यूटर आदि को द्विभाषी तभी माना जाएगा, जबकि:—

(क) इसमें अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी डेटा एंट्री की व्यवस्था हो,

(ख) कोई भी कर्मचारी इसको अंग्रेजी या हिन्दी, जिस भाषा में प्रयोग करना चाहे, कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि यंत्र में ऐसा प्रबन्ध हो जिससे स्क्रीन पर उस कर्मचारी की इच्छानुसार अंग्रेजी या हिन्दी में लिखा जा सके।

(ग) कम्प्यूटर आदि से तैयार होने वाली सामग्री (विवरण, पत्र लेख आदि) कम्प्यूटर पर काम करने वाले कर्मचारी की इच्छानुसार हिन्दी या अंग्रेजी में प्रिंट हो सके।

(4) इन उपकरणों का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि राजभाषा विभाग से अधिनियम 1963 राजभाषा नियम 1976 और राजभाषा विभाग से समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जो काम हिन्दी में होना चाहिए, वह अनिवार्य तौर पर केवल हिन्दी में और जो काम द्विभाषी होना चाहिए वह द्विभाषी ही किया जाए।

(5) यदि किसी विशेष कारणवश, किसी कार्यालय, उपक्रम, बैंक आदि में उपर्युक्त निदेशों में किसी ढील की आवश्यकता हो तो उसके लिए राजभाषा विभाग से विशेष अनुमति प्राप्त की जाए। (दिनांक 30 मई, 85 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इलैक्ट्रानिक विभाग से नहीं)। सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों बैंकों आदि से ऐसे प्रस्ताव संबन्धित विभाग के माध्यम से आने चाहिए। राजभाषा विभाग को प्रस्ताव भेजने से पहले संबन्धित विभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग से परामर्श कर लेगा और ये प्रस्ताव तभी किया जाए, यदि इलैक्ट्रानिकी विभाग यह प्रमाणित कर दे कि जो उपकरण खरीदा जा रहा है उसे द्विभाषी बनाना संभव नहीं है और उसकी जगह किसी ऐसे उपकरण के प्रयोग से काम नहीं चलाया जा सकता जो द्विभाषी उपलब्ध है।

(6) ऐसा देखने में आया है कि कुछ सरकारी कार्यालय, उपक्रम, बैंक कम्प्यूटर खरीदने की बजाए विभिन्न संस्थाओं एवं निर्माताओं से लम्बी अवधि के लिए किराए पर ले लेते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये सभी निर्देश उन कम्प्यूटरों पर भी पूरी तरह से लागू होते हैं।

(7) कम्प्यूटर आदि विदेश से आयात करते समय भी ऐसा प्रबन्ध किया जाए कि उन पर हिन्दी में भी काम किया जा सके।

(8) द्विभाषी इलैक्ट्रानिकी टेलीप्रिंटर अभी बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इनकी खरीद के बारे में निदेश बाद में इनके उपलब्ध पर दिए जाएंगे।

2. कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि ये अनुदेश अपने सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और अपने स्वामित्व या नियंत्रणाधीन उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में लाए और इनका पालन सुनिश्चित करें।

शंभु दयाल,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

संख्या 24012/20/83—स्था. (ख)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय :— हिन्दी आशुलिपि पास कर लेने वाले आशुलिपिकों का नामांकन उनकी तैनाती के संबन्ध में कठिनाइयां।

जैसा कि मंत्रालयों/विभागों को विदित ही है कर्मचारी चयन आयोग, इस समय सूचित की गई रिक्तियों के संदर्भ में, उन उम्मीदवारों की, जो ग्रेड "घ" आशुलिपिक परीक्षा में, हिन्दी आशुलिपि में या अंग्रेजी आशुलिपि में पास हो जाते हैं, उनका एक ही पैनल बनाता है। आयोग द्वारा ये नामांकन, पूर्णतः पैनल में दर्शाए गए व्यक्ति विशेष के रैंक के अनुसार किए जाते हैं भले ही उम्मीदवार ने परीक्षा हिन्दी आशुलिपि से अथवा अंग्रेजी आशुलिपि से पास की हो। इस मंत्रालय की जानकारी में यह बात लाई गई है कि कुछेक मामलों में हिन्दी आशुलिपिकों के डोजियर प्रयोक्ता मंत्रालयों द्वारा इस आधार पर कर्मचारी चयन आयोग को वापिस कर दिए जाते हैं कि उन्हें अंग्रेजी आशुलिपिकों की

ही आवश्यकता है । इसके परिणामस्वरूप अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की तैनाती करने में और प्रयोक्ता मंत्रालय को सही किस्म के आशुलिपिक उपलब्ध करने में विलम्ब हो जाता है।

2. पिछले काफी दिनों से सरकार इस मामले पर विचार करती आ रही है और अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रेड "घ" के आशुलिपिकों के पदों के लिए उम्मीदवारों का आबंटन करने संबन्धी कार्य विधि को सुचारू रूप बनाने के प्रयोजन से यह निर्णय किया गया है कि मांगकर्ता मंत्रालय/कार्यालय भविष्य में आशुलिपिकों की भर्ती के मांग पत्र में, हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपिकों की संख्या अलग अलग दर्शाएं ताकि कर्मचारी चयन आयोग हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपिकों की अपेक्षित संख्या में व्यवस्था कर सके । हिन्दी और अंग्रेजी के आशुलिपिकों की स्थितियों का विवरण तैयार करते समय, विभागों को राजभाषा विभाग के दिनांक 23 मार्च, 1976 के का. ज्ञा. सं. ई. 11013/15/73-रा. भा. (ग) के पैरा 3 में उल्लिखित अनुदेशों को ध्यान में रखना चाहिए जिनके अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित उन कार्यालयों में जिनमें आशुलिपिकों के पदों की संख्या 5 से अधिक हो, रिक्तियों को ऐसे तरीके से भरा जाना चाहिए जिससे कि आशुलिपिकों के कम से कम 25 प्रतिशत पदों पर हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की भर्ती की जा सके । दूसरे शब्दों में ऐसे कार्यालयों में उन आशुलिपिकों सहित जिनकी मांग की गई है, हिन्दी आशुलिपिकों की संख्या, उस ग्रेड की कुल पद संख्या के 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए । अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रेड डी के आशुलिपिकों के संबन्ध में कर्मचारी चयन आयोग को भेजे जाने वाले प्रत्येक मांग पत्र के साथ, इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए । आयोग ऐसे किसी मांग पत्र पर विचार नहीं करेगा जिसके साथ उक्त प्रमाणपत्र संलग्न न किया गया हो ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से यह अनुरोध किया है कि वे इन आदेशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में ला दें ।

के. एस. आर. कृष्णा राव

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सभी सम्बद्ध कार्यालय ।
3. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
4. राष्ट्रपति का कार्यालय ।
5. उप-राष्ट्रपति का कार्यालय ।
6. प्रधान मंत्री का कार्यालय ।
7. लोक सभा सचिवालय ।
8. राज्य सभा सचिवालय ।
9. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
10. भारत के निर्वाचन आयोग का कार्यालय, नई दिल्ली ।

सं०-11/20034/1/87-रा०भ० (क- 2)

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, नई दिल्ली,

19 सितम्बर, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के हिन्दी अनुवाद की स्थिति के बारें में हिन्दी सलाहकार समितियों की कार्यसूची में मद रखना ।

विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा नियम बनाये गये हैं । ऐसा देखने में आया है कि इन नियमों के हिन्दी अनुवाद या तो किये ही नहीं गये हैं अथवा उन्हें द्विभाषी रूप में नहीं छापा गया है। राजभाषा नियमों के अनुसार सभी नियमों को द्विभाषी रूप में बनाना आवश्यक है। यदि इन नियमों के हिन्दी अनुवाद उपलब्ध न हों तो उससे सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की गति पर बुरा असर पड़ता है । सरकारी कर्मचारियों से जहां एक ओर हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है वहां यह भी आवश्यक है कि सारे संदर्भ नियम हिन्दी में भी उपलब्ध हों। ऐसा न होने पर हिन्दी में काम करने में कठिनाई होगी।

2. केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियमों के हिन्दी अनुवाद समय पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि इन नियमों के हिन्दी अनुवाद और उनकी छपाई के काम पर निरन्तर निगरानी रखी जाए । यह निगरानी हिन्दी सलाहकार समितियों के माध्यम से रखी जायेगी । अतः सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों की कार्यसूची में निम्नलिखित मद भी चर्चा के लिये रखें :—

(1) केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत कुल कितने नियम हैं—

(2) इनमें से कितनों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है।

(3) इनमें से कितने छप गये हैं व वितरित किये गये हैं—

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों में उपर्युक्त मद नियमित रूप से रखवाने की व्यवस्था कर लें और समय-समय पर हुई प्रगति की जानकारी भी बैठकों की कार्यसूची में दिया करें।

गोविन्द दास बेलिया,
उप सचिव, भारत सरकार

सं० 13035/11/87-रा०भ० (ग)

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली 15 सितम्बर, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद की व्यवस्था—जिन कार्यालयों में 25 से कम कर्मचारी हैं।

इस विभाग के 27 अप्रैल, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13035/3/80-रा.भा. (ग) द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति का अनुपालन/कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये हिन्दी पदों का सृजन करने हेतु मानक निर्धारित किये गये थे। इस कार्यालय ज्ञापन में केवल ऐसे कार्यालयों के लिये हिन्दी संबंधी पदों की व्यवस्था की गई है जहां 25 या 25 से अधिक कर्मचारी हैं। 25 से कम कर्मचारियों वाले कार्यालयों में भी राजभाषा नीति उसी प्रकार लागू होती है जिस प्रकार बड़े कार्यालयों में। इसलिये यह आवश्यक समझा गया है कि ऐसे छोटे कार्यालयों में भी अनुवाद कार्य के लिये कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये ताकि राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम 1976 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और इस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। इस उद्देश्य के लिये यह सुझाव दिया जाता है कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों में जहां 25 से कम कर्मचारी हैं, किसी ऐसे कर्मचारी को चुन लिया जाये जिसे अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो और यदि ऐसा कोई कर्मचारी किसी कार्यालय में न हो तो वहां के किसी रिक्त पद पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाये या दूसरे कार्यालयों से स्थानान्तरण पर लिया जाये जो अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाएं जानता हो और एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकता हो। ऐसे व्यक्ति को अनुवाद कार्य के लिये 10 रुपये प्रति एक हजार शब्द की दर से मानदेय दिया जा सकता है। मानदेय की यह दर इस विभाग के 15 अक्तूबर, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20013/2/77-रा.भा. (ग) द्वारा निर्धारित की गई थी।

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद तकनीक का प्रशिक्षण प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। इसके लिये यह आवश्यक है कि ऐसे कर्मचारी का नाम ब्यूरो को भेजते समय यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि उसकी नियुक्ति इस कार्यालय ज्ञापन के अधीन की गई है।

3. सभी मंत्रालयों एवं विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन में दिये गये निदेश अपने सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में ला दें और उन्हें यह निदेश दें कि 25 से कम कर्मचारियों वाले कार्यालय में भी एक ऐसे व्यक्ति की पोस्टिंग की जाए जो दोनों भाषाओं का ज्ञान रखता हो और अनुवाद कार्य कर सकता हो।

गोविन्द दास बेलिया,
उप सचिव भारत सरकार

संख्या 14012/11/87-रा. भा. (ग)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अथवा पदों पर पदोन्नति के लिए दी जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प।

गृह मंत्रालय के 24 नवम्बर, 1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/2/70-रा० भा० तथा 25 जून, 1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/9/74- रा० भा० के अधिक्रमण में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में, चाहे वे किसी क्षेत्र में स्थित हों, सभी सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में जिनमें अखिल भारतीय स्तर पर ली जाने वाली परीक्षाएं भी शामिल हैं, अभ्यर्थियों को इस बात की छूट दी जाए कि वे प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकते हैं। इन परीक्षाओं में सभी प्रश्न-पत्रों को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए और जहां साक्षात्कार लिया जाना अपेक्षित हो, वहां अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों का हिन्दी में उत्तर देने की छूट दी जाए। ये निदेश केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों तथा बकों आदि में भी लागू होंगे।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निदेश सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में ला दें और उनसे अनुरोध करें कि भविष्य में जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं उनमें हिन्दी का विकल्प अवश्य दिया जाएगा।

गोविन्द दास वेलिया,
उप सचिव, भारत सरकार

सं० 11034/8/87-अ० वि० एकक

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कामकाज में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और विधायी विभाग (विधि मंत्रालय) के राजभाषा खण्ड द्वारा तैयार की गई शब्दावलियों का प्रयोग।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 5 मई; 1976 के का० ज्ञा० सं० 11/13017/12/75-रा० भा० (ग) द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे विधि के क्षेत्र में विधि मंत्रालय और तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित शब्दों का ही प्रयोग करें। यह भी अनुरोध किया गया था कि अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमों आदि को भी ऐसा ही करने के लिए समुचित निदेश दें।

2. गृह मंत्रालय की दिनांक 26 जून, 1987 को हुई हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में उक्त विषय में चर्चा हुई और सदस्यों ने यह जोर दिया कि भारत सरकार के ऊपर बताए कार्यालयों द्वारा तैयार की गई शब्दावली का ही सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाए और इसके लिए राजभाषा विभाग अपना सहयोग प्रदान करे। तदनुसार अनुरोध है कि इस संबंध में सुनिश्चित कदम उठाए जाएं और अनुमोदित शब्दावली का प्रयोग ही सुनिश्चित किया जाए।

3. उपर्युक्त कार्यालयों के पते निम्नलिखित हैं :—

(1) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
(2) वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग
} पश्चिमी खण्ड 7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

(3) राजभाषा खण्ड (विधायी विभाग), विधि मंत्रालय, इंडियन ला इंस्टीट्यूट बिल्डिंग, भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001.

4. इस संबंध में जो आदेश जारी किए जाएं, उनकी जानकारी इस विभाग को भी कराने की कृपा करें।

महेश चन्द्र गुप्त
निदेशक (अनुसंधान)
फोन : 617807

सं० 12027/4/87-रा० भा० (ख-2)
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें—सदस्य कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से भाग लेने की आवश्यकता।

राजभाषा विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 1987 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में विभिन्न नगरों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से संबंधित सूचना दी गई थी और विभागों/मंत्रालयों से यह अनुरोध किया गया था कि वे इन नगरों में स्थित अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि को यह निर्देश दें कि कार्यालय अध्यक्ष स्वयं इन बैठकों में नियमित रूप से भाग लें।

2. इस संबंध में गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 26-6-87 की हुई बैठक में भी डा० रुद्र प्रताप सिंह, संसद् सदस्य तथा संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष ने यह विचार प्रकट किया कि इन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को अत्यधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है और इस संबंध में ठोस कदम उठाए जाएं।

3. दिनांक 27 अप्रैल, 1987 के इस विभाग के आदेशों के बावजूद हाल ही में एक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में, जिसमें संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग ने स्वयं भाग लिया, यह देखा गया कि उपस्थित लगभग 75 व्यक्तियों में से अधिकांश हिन्दी अधिकारी, अनुवादक या राजभाषा कार्य से संबंधित कनिष्ठ कर्मचारी थे। बैठक में कार्यालय अध्यक्षों की संख्या कम थी। यह स्थिति असंतोषजनक है। कार्यालय अध्यक्षों का नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक में स्वयं भाग न लेना उस उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है जिसके अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की गति को

बढ़ाने के लिए समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यालय अध्यक्ष स्वयं इसमें चर्चा में भाग लें और निर्णयों पर पूर्णरूप से अपने कार्यालयों में अनुपालन कराएं ।

4. मंत्रालयों/विभाग से पुनः अनुरोध है कि वे इस विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 1987 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई सूचना के आधार पर अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के, इन नगरों में स्थित कार्यालय अध्यक्षों को अर्धशासकीय रूप से एक पत्र लिखें जिसमें कि उनको व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिया जाए कि वे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक में स्वयं भाग लें या किसी अपरिहार्य कारणवश वे स्वयं भाग नहीं ले सकते तो अपने अधीन उच्चतम अधिकारी को बैठक में भाग लेने के लिए भेज दें । कार्यालय अध्यक्ष या उनके अधीन उच्चतम अधिकारी जब समिति की बैठक में भाग लेने जाएं तो उनके साथ हिन्दी अधिकारी या राजभाषा से संबंधित कोई भी अधिकारी बैठक में जा सकता है । केवल हिन्दी अधिकारी या अनुवादक को बैठक में भेजना न तो उचित है और न ही उससे कोई लाभ होगा । इसलिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों को भी यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे इन बैठकों में विभिन्न कार्यालयों से आए हिन्दी अधिकारियों आदि को तभी बैठक में भाग लेने की अनुमति दें जब वे अपने कार्यालय अध्यक्ष या किसी ऐसे अधिकारी के साथ आएं जो उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्यभार औपचारिक रूप से ग्रहण करने की क्षमता रखते हों ।

बी० ए० कोहली,

उप सचिव, भारत सरकार

सं. 11016/10/87-रा. भा. (घ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1987

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय : हिंदी शिक्षण योजना, हिंदी प्रशिक्षण के लिए आयु के आधार पर छूट देना ।**

राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 27 अप्रैल, 1960 तथा इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/22/60-रा. भा. दिनांक 30 जुलाई, 1960 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी जिनकी आयु 1 जनवरी, 1961 को 45 वर्ष या उससे अधिक थी वे हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी के अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट पाने वालों की श्रेणी में आते थे । इस वर्ग के सभी कर्मचारी अब तक रिटायर हो चुके हैं, अतः हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अब केन्द्रीय सरकार के उन सभी कर्मचारियों के लिए, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, के लिए अनिवार्य है । इस प्रश्न पर कि क्या आयु के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी के अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट दी जाए अथवा नहीं । इस पर इस विभाग में काफी विचार विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि आयु के आधार पर कोई छूट न दी जाए । परन्तु यदि किसी केन्द्र विशेष में नामांकित कर्मचारियों की संख्या प्रशिक्षण क्षमता से अधिक हो तो दाखिला देते समय 55 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए ।

वीरेन्द्र पाल सिंह,

उप सचिव, भारत सरकार

सं. 14013/1/85-रा. भा. (घ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1987

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण देने की अनिवार्य शर्त से छूट के बारे में स्पष्टीकरण ।**

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27 मार्च, 1986 तथा इस विषय में समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के अनुसार यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है तो यह माना जायेगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है । ऐसे कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है । इस संबंध में यह स्पष्टीकरण किया जाता है कि संबंधित कर्मचारी को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होने का हकदार तभी समझा जाएगा जब उसने निर्दिष्ट परीक्षा में हिंदी विषय में मैट्रिक या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा में पास होने के लिए निर्धारित न्यूनतम या उससे अधिक अंक प्राप्त कर लिये हैं । ऐसे कर्मचारियों को ही हिंदी के अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट होगी ।

2. यदि किसी राज्य में मैट्रिक में हिंदी का स्तर नीचा हो तो वहां से हिंदी विषय के साथ मैट्रिक की योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को हिंदी और विशेषतः कार्यालयीन हिंदी का ज्ञान देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू समझे जाएंगे ।

4. अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

बीरेन्द्र पाल सिंह,
उप सचिव, भारत सरकार

सं.-12015/32/87-रा.भा. (त.क.)

भारत सरकार/गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग (तकनीकी कक्ष)

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 87

**कार्यालय-ज्ञापन**

**विषय :—राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) के नेटवर्क पर आंकड़े द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में भरना ।**

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा स्थापित कम्प्यूटर नेटवर्क के टर्मिनल बहुत से मंत्रालयों/विभागों में लगे हुए हैं । द्विभाषी इलैक्ट्रानिक उपकरणों के संबंध में इस विभाग की उच्चस्तीय अन्तर्विभागीय समिति की दिनांक 6 जुलाई, 87 को हुई बैठक में इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा यह बताया गया कि यद्यपि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के नेटवर्क पर सूचना द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में भरे जाने की सुविधा है और यदि मंत्रालय/विभाग इसका उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं । भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए यह आवश्यक है कि इस कम्प्यूटर नेटवर्क पर सांख्यिक आंकड़ों के अलावा अन्य सभी सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध हो ताकि इसका उपयोग आवश्यकतानुसार देवनागरी या रोमन में किया जा सके । अतः सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि कम्प्यूटर नेटवर्क पर सांख्यिक आंकड़ों के अलावा अन्य सूचना केवल द्विभाषी रूप में ही भरी जाएं । यदि इस संबंध में कोई समस्या हो तो इलैक्ट्रानिकी विभाग/ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से सम्पर्क किया जाए तथा इस बारे में राजभाषा विभाग को भी सूचित किया जाए ।

कौशिक मुखर्जी,
निदेशक (तकनीकी)
दूरभाष: 362386

सं. 1/14034/10/87-रा.भा. (क-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1987

**अधिसूचना**

सा.का.नि. .—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित, धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976* का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में,—

(1) नियम 2 के खण्ड (च) में, "दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "दिल्ली तथा अन्दमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ।

(2) नियम 2 के खण्ड (छ) में, "अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ।

(3) नियम 3 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे, जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे ।".

(4) नियम 4 के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

राजभाषा भारती

"परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे, जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे।"

(5) नियम 4 के खण्ड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे, जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे।"

(6) नियम 12 के उपनियम (1) के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप में अनुपालन हो रहा है; और"

शम्भु दयाल
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

*(मूल नियम सा.का.नि. सं. 1052, तारीख 17 जुलाई, 1976 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।)

□

सं. 14011/1/87—रा.भा. (घ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि के लिए नामित कर्मचारियों के हिंदी के ज्ञान का टेस्ट लिया जाना।

इस विभाग के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/बैंकों/सरकारी उपक्रमों आदि द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे कर्मचारी नामित किए जाते हैं जिनका हिंदी का ज्ञान बहुत कम होता है। इनमें से बहुत से कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं होता है तथा उन्हें हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण देने में काफी कठिनाई होती है। इस कठिनाई को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) हिन्दी आशुलिपि के लिए नामित कर्मचारियों को जो राजभाषा नियम, 1976 के नियम 9 (क), 10 (1) (क) (i) व (ii) की योग्यताएं नहीं रखते हैं, हिंदी का ज्ञान टेस्ट कर के ही इन पाठ्यक्रमों में दाखिला दें। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों तथा बैंकों के ध्यान में लाएं।

वीरेन्द्र पाल सिंह
उप सचिव, भारत सरकार

का.सं. 11034/11/87—अ.वि.एकक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली 19 अक्तूबर, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—भारत सरकार द्वारा हिन्दी में प्रकाशित की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं को और अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाना।

उपर्युक्त विषय पर सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि का ध्यान राजभाषा विभाग के दिनांक 13-12-78 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11034/7/77 अ. वि. एकक की ओर दिलाया जाता है जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने प्रकाशनों में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित "देवनागरी-विकास, परिवर्धन और मानकीकरण" नामक पुस्तिका में दी गई हिन्दी वर्णमाला एवं वर्तनी आदि का ही प्रयोग करें, ताकि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत शिक्षित कर्मचारी उसे आसानी से पढ़ सकें और रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में मानक लिपि और वर्तनी का प्रयोग करके राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सहायक हो सकें।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वेस्ट ब्लाक-7, रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली द्वारा "देवनागरी, लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण, नामक एक पुस्तिका 1983 में प्रकाशित की गई है और मानक लिपि तथा वर्तनी के प्रयोग के संबंध में उस पुस्तिका से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

महेश चन्द्र गुप्त
निदेशक (अनुसंधान)

सं. 1/14013/15/87–रा.भा. (क-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय :— "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई हिन्दी में करना ।

राजभाषा विभाग के दिनांक 1-6-76 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14013/7/75–रा.भा. (क-1) में यह कहा गया था कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में यदि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले तृतीय श्रेणी का कोई कर्मचारी यह मांग करता है कि उसके विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई हिन्दी में की जाये तो उसकी मांग को स्वीकार करने में सिद्धांत रूप में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

2. सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 11-9-87 को हुई बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई हिन्दी में की जानी चाहिए । 1-6-76 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पश्चात् "क" क्षेत्र में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या अब काफी बढ़ गई है । अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिश पर विचार करके यह निर्णय लिया गया है कि "क" क्षेत्र के कार्यालयों में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई भविष्य में हिन्दी में की जाये । अपवादस्वरूप यदि जांच अधिकारी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न हो या यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी मांग करे तो यह कार्रवाई अंग्रेजी में की जा सकती है ।

3. केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्देशों को अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कम्पनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में ला दें ।

4. इस संबंध में दिये गये निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी सूचनार्थ भेजें ।

गोविन्द दास बेलिया
उप सचिव, भारत सरकार

प्रपत्र-4 (देखिए नियम-8)

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

समाचारपत्रों का पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम

## "राजभाषा भारती" के स्वामित्व तथा अन्य विवरणों की सूचना

| | |
|---|---|
| 1. प्रकाशन स्थान | लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 |
| 2. प्रकाशन अवधि | त्रैमासिक |
| 3. मुद्रक का नाम व पता | प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली। |
| क्या भारत का नागरिक है ? | भारतीय नागरिक |
| 4. प्रकाशक का नाम व पता | डॉ. गुरुदयाल बजाज<br>उप संपादक, राजभाषा विभाग, भारत सरकार,<br>प्रथम तल, लोकनायक भवन,<br>नई दिल्ली। |
| क्या भारत का नागरिक है ? | भारतीय नागरिक |
| 5. संपादक का नाम व पता | डॉ. महेश चन्द्र गुप्त,<br>निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग,<br>लोकनायक भवन, नई दिल्ली |
| 6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से सांझेदार या हिस्सेदार हों। | भारत सरकार |

मैं डॉ. गुरुदयाल बजाज एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह./-

दिनांक 30 नवम्बर 1987

प्रकाशक के हस्ताक्षर

मातृभाषां परित्यज्य येऽन्यभाषामुपासते ।
तत्र यान्ति हिते भाषा यत्र सूर्यो न भासते ॥

जो अपनी मातृभाषा को त्यागकर अन्य भाषा का आश्रय लेते हैं ऐसे देश या राष्ट्र का जीवन सदा के लिए अंधकारमय हो जाता है और वहां कभी स्वतन्त्रता या ज्ञान का सूर्य प्रदीप्त नहीं होता ।

□ □ □

अंग्रेजी जानने वाले बहुत थोड़े हैं और अंग्रेजी को प्रश्रय देना न व्यावहारिक है, न ही देश के लिए हितकर है । देश को भाषा की दृष्टि से जोड़ने की हिन्दी ही एक मजबूत कड़ी है । हिन्दी को किसी पर थोपने की बात निराधार है। सभी भारतीय भाषाएं उन्नति व प्रगति करें और कड़ी के रूप में हिन्दी देश की एकता को मजबूत बनाए ।

श्रीमती इंदिरा गांधी

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए डा. गुरुदयाल बजाज द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।